

हिन्दी परामर्श समिति ग्रन्थमाला—५.

सामाजिक पाषण

(स्वतो कृत मोशल कल्याण का अनुवाद)

अनूयादक

डा० बूलचन्द, बाई ए एन.

प्रकाशन व्यूरो
उत्तर प्रदेश नवकार, लखनऊ

आजोक प्रकाशन
टी ए ने :

प्रथम संस्करण

१९५६

मूल्य

तीन रुपये

मुद्रक

प० पृथ्वीनाथ भार्गव,
भार्गव भूपण प्रेस, गायघाट, वनारस

प्रकाशकीय

भारत गी नज़भाषा के स्प में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पञ्चान् यथागि इन उम्र के प्रत्येक जन पर उनकी भगूदि का वापित्व है, किन्तु उम्मे हिन्दी भाषा-भाषी लोगों के लिये उच्चन्द्रायित्व में किसी प्राप्त सो रसी नहीं आती। हमे नविषयमें निर्भाग्नि अवधि के भीतर हिन्दी को न बोल सभी गवान्कायों में व्यवहृत रहा है, उम्मे उच्चन्तम लिया के माध्यम के लिए भी परिषुष्ट बताना है। उके लिए अपेक्षा है कि हिन्दी में वाक्यमें नभी अवधिको पर प्रमाणित रख्य हो और यदि तो व्यक्ति के पश्च हिन्दी के माध्यम ने जानार्जन रखा चाहे तो उसका मार्ग अवश्व न रह जाय।

भी भाषना ने प्रेरित होकर उन्नर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत भाटिय को प्रोलाहत देने और हिन्दी के यन्हों के प्राप्त तो प्रा योजना परिवारित की है। शिक्षा स्थान तो अवशालका में एक हिन्दी प्रसामय नमिति तो नरापना यो गई है। यह नमिति विगत चाँडों में हिन्दी के फूलों सो पूर्णांक तो भाटियगारों का उभार बड़ी रही है और अब उम्मे पुस्तक-प्रगमन तो तार्य लाख लिया है।

नमिति तो यात्रमें नभी असी है नवार में पूर्णतो न रोक और प्रशासन राय उसे लाय ने लिया है। इन्हे लिए एक पवरीद योजना बनायी गयी है जिसे अन्तर २ वर्षों में ३०० पूर्णतो न प्रशासन हाला। इन योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऐसे लक्ष लिये ने लिये गये हैं जिन पर नवार के लिये भी उपरियोग भाटिय में प्रयोग प्राप्त है। उस धारा का प्रशासन लिया जा रहा है कि इन्हें में प्रादिवान उम्मी लिये अपन उन लियों द्वारा यो जाय लियों लियों में लियान रही है।

प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरभ करने का यह आशय नहीं है कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है। हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ प्रकाशित करना चाहते हैं जिनका प्रकाशन कितिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं हो पाता। हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी और भारती के भडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किंचित् योगदान देने में समर्थ होगा।

भगवती शरण सिंह

सचिव

हिन्दी परामर्श समिति

विषय-सूची

पुस्तक—१

विषय		पाँडि
परिचय	१	प्रथम पुस्तक का विषय
"	२	आग्र नमाज़
"	३	गणितशाश्वेतम् या अधिकार
"	४	दानन्द
"	५	संयोग के सवाल-प्रश्नम् प्रभावो मानना आवश्यक है?
"	६	नामाजिक वन्द
"	७	गार्ड-बोर्डिल नस्तात्रिकारी
"	८	नामाजिक वद्वस्ता
"	९	वानविक नमाति

पुस्तक—२

,	१	गार्ड-बोर्डिल नस्ता उत्त्वप्राप्त है	३१
,	२	गार्ड-बोर्डिल नस्ता प्रभाव्य है	३३
,	३	नस्ता नर्सरायान्स श्रेण्या विभक्ति हो जाती है?	३६
,	४	गार्ड-बोर्डिल नस्ता गी भीमताएँ	३८
,	५	जीवा छोटे सर्वज्ञ ना अधिकार	४३
,	६	रिपोर्ट	४६
,	७	किंचित्	४८
,	८	गद (१)	५०
,	९	गद (२)	५८

विषय		पृष्ठ	
परिच्छेद	१०	राष्ट्र (३)	६१
"	११	विधानीकरण की विभिन्न शैलियाँ	६५
"	१२	विधानों का विभिन्नीकरण	६८

पुस्तक—३

"	१	शासन, साधारण अर्थ में	७३
"	२	वह सिद्धान्त जिसके आधार पर शासन के भिन्न रूप सकल्पित होते हैं	७९
"	३	शासन का वर्गीकरण	८२
"	४	जनतत्र	८४
"	५	शिष्ट जनतत्र	८७
"	६	राजतत्र	९०
"	७	मिश्रित शासन	९७
"	८	प्रत्येक शासन का प्रकार प्रत्येक देश के लिए उपयुक्त नहीं होता	९९
"	९	अच्छे शासन के चिह्न	१०५
"	१०	शासन का दुरुपयोग और उसके नष्टधर्म होने की प्रवृत्ति	१०८
"	११	राजनीतिक निकाय का निधन	११२
"	१२	सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार सघृत होती है (१)	११४
"	१३	सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार सघृत होती है (२)	११६
"	१४	सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार सघृत होती है (३)	११८
"	१५	प्रतिनियुक्त गण अथवा प्रतिनिधि गण	१२०
"	१६	शासन का स्थापन पापण रूप नहीं होता	१२५
"	१७	शासन का अस्थापन	१२७
"	१८	शासन के वलाधिकार के निवारण के सावन	१२९

पुस्तक—४

विषय		पृष्ठ
परिच्छेद	१ सर्वसाधारण प्रेरणा अविनाशी है	१३५
"	२ मतदान	१३८
"	३ निर्वचन	१४२
"	४ रोम की समितियाँ	१४५
"	५ धर्मरक्षकता	१५६
"	६ एक शास्त्रत्व	१५९
"	७ दोपवचना	१६३
"	८ सामाजिकधर्म	१६६
"	९ परिणाम	१७९

पुस्तक १

परिच्छेद १

प्रथम पुस्तक का विषय

मनुष्य जन्मत स्वतन्त्र है परन्तु हर जगह वह वन्धनपुक्त दिग्बार्ड देता है। अनेक व्यक्ति अपने आपको अन्यों का स्वामी समझते हैं, परन्तु वे उन अन्यों की अपेक्षा अधिक परावीन होते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार घटित हुआ, मुझे जात नहीं। इस परिवर्तन को न्याय-न्यगत कैसे बनाया जा सकता है? मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का समाधान मैं कर सकता हूँ।

केवल वल और उसके परिणामों की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैं यह कहूँगा कि कोई गप्टि, जिसे अधीनता स्वीकार करने को बाब्य किया जावे, अधीनता स्वीकार करके थोड़ता का पात्र होता है, परन्तु ज्योही वह पराधीनता की बेड़ी को तोड़ने में मुक्त हो तो उसे तोड़ डालने में थोड़ता का और अधिक पात्र होता है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने स्वातन्त्र्य को उसी अधिकार के अतर्गत प्रत्यादत्त कर लेते हैं जिसके अतर्गत उसे लुप्त किया था तो या तो वे उसे पुनर्ग्रहण करने में निर्दोष हैं या उन्हें इससे चचित करना दोषयुक्त था। परन्तु नामाजिक मुन्यवस्था एक पवित्र अधिकार होता है जो अन्य सर्व अधिकारों के आधार का कार्य करता है। अपरत्त यह अधिकार प्रकृति ने प्राप्त नहीं होना, यह स्त्रियों पर आधारित होता है। इनलिए प्रश्न यह आता है कि यह स्त्रियाँ क्या वस्तु हैं। इसका विवेचन करने में पहिले मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि अपने उपरोक्त कथन को युक्ति द्वारा सिद्ध कर दूँ।

परिच्छेद २

आद्य समाज

समाजों में पूर्वतम और एकमात्र प्राकृतिक समाज कुटुम्ब होता है परतु वच्चे अपने पिता से केवल तभी तक सम्बद्ध रहते हैं जब तक उन्हें अपनी परिरक्षा के लिए उस सम्बद्धता की आवश्यकता होती है। ज्योही इस आवश्यकता की समाप्ति हो जाती है, प्राकृतिक वध लुप्त हो जाता है। वच्चे अपने पिता के आजापालन में स्वतन्त्र हो जाने से और पिता अपने बच्चों की चिन्ता के वधन से मुक्त हो जाने से दोनों समानत स्वाधीन हो जाते हैं। यदि वे तदनतर सम्मिलित रहे तो प्राकृतिक बाध्यता के अतर्गत नहीं रहते, स्वेच्छा से स्वयं रहते हैं। कुटुम्ब केवल रुदि के आधार पर स्थापित रहता है।

उपरोक्त पारस्परिक स्वातन्त्र्य मनुष्य की प्रकृति का परिणाम है। मनुष्य का प्रथम सिद्धांत अपने परिरक्षण की चिन्ता होता है। उसकी प्रथम चिन्ताएँ वे होती हैं जिनका वह निज के प्रति उत्तरदायी होता है और ज्योही वह विवेक की अवस्था को प्राप्त हो जाता है अपने परिरक्षण के लिए कोन से उपाय श्रेष्ठतम होगे उसका स्वयं निर्णायिक होने के कारण स्वाधीन हो जाता है।

अत कुटुम्ब ही राजनीतिक समाज का आद्य नमूना है। पिता राजक का प्रतिविम्ब है और वच्चे प्रजा के प्रतिविम्ब, और जन्मत ही समग्न और स्वतन्त्र होने के कारण सब अपनी स्वतन्त्रता को केवल अपने लाभार्थ ही अन्यकामण करते हैं। अतर केवल इतना है कि कुटुम्ब में अपने बच्चों का प्रेम पिता को बच्चों के प्रति उठाई हुई तकलीफों का प्रतिशोधन होता है, राज्य में शासन का आनन्द राजक के प्रेम के अभाव की पूर्ति करता है।

ग्रोशस (Grotius) इसे अस्वीकार करता है कि सब मानुषिक शासन शासितों के हितार्थ ही स्थापित होते हैं। वह दासत्व का उदाहरण देता है। उसकी चानुरीपूर्ण तकं विवि है, मदा तथ्यों में अधिकारों को प्रतिष्ठापित करना। इससे अधिक

न्यायसंगत तर्क-शैलियाँ तो अवश्य हैं परन्तु एकाधिकारियों का इससे अधिक अनुमोदन करनेवाली कोई नहीं।

इसलिए ग्रोटस (Grotius) के कथनानुसार यह संदिग्ध रहता है कि मानव जाति सौ मनुष्यों की सम्पत्ति है अयता सौ मनुष्य मानव जाति की सम्पत्ति है, और म्यवह वह अपनी पुस्तक में सर्वत्र प्रथम मत की ओर ही प्रवृत्त होता है। यही भाव हॉब्स (Hobbes) के हैं। इस प्रकार मानव जाति पशु-झुड़ की तरह खण्डों में विभाजित कर दी गयी है कि प्रत्येक खण्ड का एक स्वामी हो जो भक्षणार्थ इसकी प्रतिग्रिद्धा करे।

यथा चरवाहा गुणों में पशु-झुड़ में श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार जनसमूह के चरवाहे राजकगण भी गुणों में लोगों में श्रेष्ठ होते हैं। फिलो के विवरणानुसार भग्नाट् कैली-गुला ने इसी प्रकार तर्क किया था और वह इस सावृप्य से इस अनुमान पर पहुँचा कि राजा ईश्वर होता है और प्रजा पशुवत् प्राणी।

ग्रोटस और हॉब्स का तर्क भी कैलीगुला के तर्क के समान है। इन सबके पूर्व ऐस्ट्रिस्टॉटल (Aristotle) ने भी कहा था कि प्रकृति के सब लोग समान नहीं हैं, कुछ जन्मत ही दाम होते हैं और कुछ जन्मत ही दाम होते हैं।

ऐस्ट्रिस्टॉटल का कथन युक्तियुक्त था परन्तु उसने अपने परिणाम को कारण ममज्ञने की भूल की। प्रत्येक मनुष्य जो दासत्व में पैदा होता है दामत्वार्थ ही पैदा होता है यद्यस्वत सिद्ध तत्त्व है। अपने वधनों में दाम लोग मव कुछ खो देते हैं, वधनों में छूटने की अभिलापा तक, वे अपने दासत्व ने स्तिर्य हो जाते हैं जैसे यूलीमिम के मायी अपनी पशुवृत्ति में स्तिर्य हो गये थे। इसलिए यदि कोई स्वभाव में ही दाम होता है तो इसका कारण केवल यह है कि वह प्रकृति के प्रतिकूल दास बना दिया गया था। मर्वप्रथम दाम वल द्वारा बनाये गये थे, निज भय के कारण वे दामत्व में स्थिर रह गये।

आदिम राजा और भग्नाट नोह के मम्बन्व में जो विज्व को विभाजन करनेवाले शनियह के वच्चों के समान तीन भहान अधिपो (जिन्हे इनका एकात्म्य समझा जाता है) का पिता था, मैंने कुछ नहीं कहा है। मुझे आशा है कि मेरे मंयम से लोगों को मनोप

१ 'पल्लिक ला' सार्वजनिक विधान के, क्षेत्र में विद्वत्तापूर्ण अनुसधान बहुधा ग्रामीन कुव्यवहारों के इतिहास मात्र हैं और इनका कष्टसाध्य अव्ययन एक डुराप्रह है। ग्रोटस (Grotius) ने यह यथार्थ ही कहा है। (१७८२ के संस्करण में)।

होगा, क्योंकि इनमे से किसी एक, सम्भवत् सबसे जेठे, अधिप का वशज होने के कारण, कौन कह सकता है कि अधिकारों की विवेचना के परिणामस्वरूप, मैं ही मानवजाति का न्यायानुकूल राजा सिद्ध न हो जाऊँ? परन्तु कुछ भी हो, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आदिम विश्व का सम्राट् उसी प्रकार था जिस प्रकार राँविनसन अकेला निवासी होने के कारण अपने द्वीप का सम्राट् था, और इस साम्राज्य का सबसे स्तिरघ अग यह था कि सम्राट् को किसी विद्रोह, युद्ध अथवा पड़्यत्रो द्वारा अपना राज्यासन खोने का भय ही नहीं था।

परिच्छेद ३

शक्तिशालीतम का अधिकार

मवने शक्तिशाली मनुष्य भी इतना शक्तिशाली नहीं होता कि अपनी शक्ति को अधिकार मे और दूसरों की आज्ञानुसारिता को कर्तव्य मे परिवर्तित किये विना मदा स्वामी रह सके। इसलिए शक्तिशालीतम का अधिकार, प्रत्यक्षत विपरीत लक्षण होने हुए भी, यथार्थ मे सिद्धान्त पर स्थापित है। परन्तु क्या कोई इस शब्द का विवेचन नहीं करेगा? वल एक भाँतिक शक्ति है। इसके फलम्बन पर क्या शील उत्पन्न हो सकता है, मुझे स्पष्ट नहीं। वल को अनुनमन करता एक लाचारी श्रिया होती है, इच्छित किया नहीं हो सकती, अधिक मे अधिक यह एक चनुराई की क्रिया हो सकती है। परन्तु क्या किसी अवस्था मे यह कर्तव्य भी माना जा सकता है?

इस मिथ्या अधिकार को तनिक कल्पित भी कर ले तो इसमे तर्कहीन प्रलाप के अतिरिक्त कुछ सिङ्ग नहीं होना, क्योंकि यदि वल मे अधिकार निहित हो तो परिणाम कारण के अनुस्पष्ट वदन जायगा, और जो वल पहले वल को पगजित कर देगा वह उसके अधिकारों का भी उत्तरवर्ती हो जायगा। ज्योंही मनुष्य आनंदहानि के भय ने मुग्धित हो जवजा कर सकता है, उसे न्यायपूर्वक ऐसा करने का अधिकार होगा और वृक्षि शक्तिशालीतम मनुष्य मदा भाविकार होता है इसलिए शक्ति को स्वयं शक्तिशालीतम बनने के लिए ही क्रियार्थील होना चाहिये। परन्तु यह किस प्रकार इस अधिकार होगा जो वल के श्रीण होने ही समान हो जाय। अपरन्, यदि आज्ञापालन वल ने ही जावद्यक है तो आज्ञापालन के रूपव्य ना प्रयोजन ही क्या हूआ ओं यदि मनुष्यों को आज्ञापालन को वाद्य करना नहीं है तो कर्तव्यना का अन हो जायगा। उपरोक्त मे स्पष्ट है कि शब्द-वल मे युक्त अधिकार ने कोई प्रयोजन निहृ नहीं होना वह नवद्या निर्दर्शक है।

विद्यमान शक्तियों का आज्ञानुसरण करो। यदि इसका यह अर्थ हो कि वल का अनुगमन करो तो उपदेश उचित है परतु व्यर्थ, क्योंकि इसका कभी उल्लङ्घन होने-वाला ही नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि सर्वशक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है परतु सब व्याधियाँ भी तो वही से आती हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि चिकित्सक को बुलाना चार्जित होगा? यदि कोई लुटेरा एक घने वन में मुझ पर अकस्मात् आक्रमण करे तो मुझे अपना बटुआ वाध्य होकर तो उसे देना ही होगा, परतु क्या यह भेरा नैतिक कर्तव्य भी है कि जब बटुए को छिपाना भेरे लिए सम्भाव्य हो तो भी मैं उसे लुटेरे के सुपुर्द कर दूँ, क्योंकि अन्त में जो उसके पास तमचा है, वह अधिक वल का द्योतक है।

उपरोक्त से यह सिद्ध है कि वल से अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता, और न्याय-युक्त शक्तियों के अतिरिक्त हमें किसी का आज्ञानुकरण वाध्य नहीं है। इस प्रकार भेरा आरम्भिक प्रश्न निरन्तर पुन व्रस्तावित होता है।

परिच्छेद ४

दासत्व

क्योंकि किसी मनुष्य का अपने महचरों पर किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रभुत्व नहीं होता और क्योंकि बल अधिकार का प्रोत नहीं होता, इसलिए स्थिरां ही मनव्य में ममस्त वंश प्रभुत्व का आवाह होती है।

ग्रोगम कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपने स्वातंत्र्य को अन्यकामित करके किसी स्वामी का दाम बन मकता है तो कोई ममस्त राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को अन्य-त्रामित कर किसी राजा की प्रजा क्यों नहीं बन मकता। उपरोक्त वाक्य में अनेक मदिगद शब्द हैं जिनकी व्याख्या करना आवश्यक है, परतु शब्द 'अन्यकामण' की ओर ही हम अपना व्यान भीमित करेंगे। अन्यकामण करने का अर्थ है देना अथवा बेचना। परन्तु जो मनुष्य किसी दूसरे का दाम बनता है वह अपने आपको दूसरे को देता नहीं है, केवल अपने निर्वाह के हेतु अपने आपको दूसरे को विक्रय कर देता है। परन्तु कोई गष्ट अपने आपको क्यों बेचेगा? अपनी प्रजा को निर्वाह-माध्यन उपलब्ध करने के स्वान पर न राजा स्वयं निर्वाह के माध्यन प्रजा में लेता है, और रेवीलेज के क्यनानुभाग राजा किसी थोटे अग पर निर्वाह नहीं करता। तो क्या प्रजा अपने शरीर को इस शर्त पर पराधीन करती है कि उनकी मम्पत्ति भी उनमें ले ली जायगी? तो उनके पास परिरक्षित रखने को क्या यह जायगा यह ममज्ञ में नहीं आता।

कुछ लोग यह कहेंगे कि स्वेच्छाचारी राजा अपनी प्रजा को नामाजिक शानि उपलब्ध करना है। हो सकता है, परन्तु उसमें उन्हें क्या लाभ, यदि उसकी लाभमा के अतर्गत उन पर आरोपित होनेवाले युद्ध और उसके अपने अतृप्य लोम और उसके प्रशानन के प्रवाधन उन्हें अपने पारम्परिक मध्यों में भी अधिक दिक् करनेवाले हों? उस प्रशाति में क्या लाभ, यदि यह प्रशाति ही उनके द्वारों वा एक कारण बन जाय? मनुष्य कारवान में भी प्रशात नहता है परन्तु क्या उसे वहाँ आनंद होता है? भाट-

क्लोप्स की गुफा में कारावासित यूनानी भी प्रशाति से निवास करते थे जब तक उनकी भक्षण होने की बारी नहीं आती थी।

यह तर्क करना कि मनुष्य अपने आपको, कुछ प्राप्त किये विना ही दे देता है, विलकुल हास्यास्पद और अविचारणीय है। उपरोक्त क्रिया अवैधानिक और अनुचित है। केवल इस कारण कि जो इस क्रिया को करता है उसकी वुद्धि ठीक नहीं हो सकती। एक समस्त राष्ट्र के लिए इस प्रकार की धारणा करने का अर्थ यह है कि उन्मत्तो का राष्ट्र अनुमानिक क्रिया जाय, और उन्मत्तता से अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते।

यदि यह मान भी लिया जाय कि कोई व्यक्ति अपने आपको अन्यक्रामित कर सकता है, तो वह अपने बच्चों को तो अन्यक्रामित नहीं कर सकता। वे जन्मत्र स्वतंत्र मनुष्य होते हैं, उनका स्वातंश्य उनका निजी है और सिवाय उनके किसी अन्य को उसे अन्यक्रामित करने का अधिकार नहीं है। उनके विवेकावस्था को प्राप्त होने से पहिले पिता उनके परिरक्षण और कल्याण के हेतु उनके नाम से शर्ते निर्दिष्ट कर सकता है परन्तु उन्हे अटल रूप में एवं विना शर्त के किसी की अधीनता में नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रकार का देना प्रकृति के प्रयोजन के प्रतिकूल होगा और पितृत्व के अधिकारों का अतिरेक होगा। इसलिए स्वेच्छाचारी शासन को न्यायसंगत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी में लोग इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रयुक्त करें। परन्तु उस दशा में शासन स्वेच्छाचारी रहेगा ही नहीं।

अपने स्वातंश्य के परित्याजन का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने मनुष्यत्व और मानुषिक अधिकारों और कर्तव्यों का परित्याजन कर रहा है। जो प्रत्येक वस्तु का परित्याजन करता है, उस व्यक्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति ही सम्भव नहीं है। इस प्रकार का परित्याजन मनुष्य की प्रकृति के असंगत है, क्योंकि प्रेरणा से समस्त स्वतंत्रता को विलग करने का अर्थ यह है कि क्रियाओं को नीतिविहीन बना दिया जाय। सक्षेप में, ऐसी रुद्धि जो एक ओर सम्पूर्ण शक्ति और दूसरी ओर असीमित अनुशासन को निर्दिष्ट करती है, निरर्थक और असंगत होती है। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि किसी ऐसे मनुष्य के प्रति जिससे हमें सब कुछ लेने का अधिकार है, हमारे कोई कर्तव्य नहीं होते, और क्या केवल यही एक दशा जिसमें न समानता और न आदान-प्रदान निहित हैं उस क्रिया को प्रवृत्तिहीन नहीं बना देती? क्योंकि मेरे दास का मेरे प्रति क्या अधिकार हो सकता है, जब सब कुछ जो उसके पास है वह मेरा ही हो। उससे समस्त अधिकार यथार्थ मेरे ही होने के कारण, मेरे अधिकार मेरे अपने ही विरुद्ध एक निरर्थक-सा वाक्याग्रह हो जाता है।

गोशास और अन्य लेखक दासत्व के मिथ्या अधिकार के एक अन्य स्रोत का युद्ध में निरूपण करते हैं। उनके अनुसार, विजेता को विजित के बध का अधिकार होने से, विजित अपनी स्वतंत्रता विक्रय करके जीवन क्रय कर सकता है, यह गीति दोनों पक्षों को लाभप्रद होने के कारण विल्कुल न्यायसंगत है।

परन्तु यह स्पष्ट है कि विजित के बध का मिथ्याधिकार किसी प्रकार भी युद्धावस्था का परिणाम नहीं हो सकता। अपनी आद्य स्वतंत्र दशा में रहते हुए मनुष्यों के पारस्परिक मध्यव इतनी पर्याप्त मात्रा में स्थायी न होने में कि उनसे गाति अथवा युद्ध की अवस्था की धारणा हो सके, मनुष्य प्रकृति से शत्रु नहीं हो सकता। यथार्थ में युद्ध वस्तुओं के मम्बन्ध का परिणाम है, मनुष्यों के मम्बन्ध का नहीं, और क्योंकि युद्धावस्था माधारण वैयक्तिक मम्बन्धों से उत्पन्न नहीं हो सकती वल्कि वास्तविक मम्बन्धों में ही उत्पन्न होती है, इसलिए वैयक्तिक युद्ध अर्थात् मनुष्य और मनुष्य के दीच युद्ध, प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान नहीं हो सका जहाँ कि स्थापित स्वामित्व ही नहीं है, और न ही यह सामाजिक अवस्था में विद्यमान हो सकता है जहाँ मम्बत वस्तुअंवैवानिक प्रभुत्व के अधीन होती है।

वैयक्तिक संयोगन, दृढ़ और मुठभेड़ यह ऐसी त्रियाँ हैं जो युद्धावस्था को निर्मित नहीं करती और फ्रास के राजा लूड नवम के प्रगामन द्वारा प्राधिकृत वैयक्तिक युद्ध जिनका अत “ईश्वरीय गाति” द्वारा हुआ था, मामततंत्र के कुपरिणाम मात्र नहीं। यह हास्यास्पद तन्त्र प्राकृतिक अधिकार के सिद्धानों और स्वर्य प्रगामन के नवंया प्रतिकूल होता है।

युद्ध व्यक्ति और व्यक्ति का पारस्परिक मम्बन्ध नहीं होता परन्तु राज्य और राज्य का पारस्परिक मम्बन्ध होता है, जिसमें व्यक्ति तो दैवयोग में ही शत्रु वत जाते हैं, मनुष्य होने के जाते नहीं, ना ही नागरिक होने के जाते’ परन्तु संनिकों के स्पष्ट में, स्वदेश

१ रोम के लोगों ने, जो युद्ध के अधिकारों का विश्व के किसी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा अधिक उम्बोध और आदर करते थे, इस विषय में अपने विवेक का इस सीमा तक पालन किया, कि किसी नागरिक को स्वयंसेवक के स्पष्ट में युद्ध करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जाती यी जबतक वह शत्रु के विरुद्ध अभिव्यक्त स्पष्ट से भरती न हो और किसी विशिष्ट शत्रु के नाम का उल्लेख न करें। जब पांपीलियम के नेतृत्व का एक दस्ता जिसमें कंटो का पुत्र सबसे प्रथम सम्मिलित हुआ, पुनर्संगठन होने के कारण कंटो के पिता पांपीलियम ने यह लिया कि यदि वह अपने पुत्र को दस्ते में सम्मिलित रखने को तैयार हो तो पुत्र

के सदस्यों के रूप में नहीं, इसके रक्षकों के रूप में। सक्षेप में किसी एक राज्य के दूसरे राज्य ही शत्रु हो सकते हैं, वैयक्तिक मनुष्य नहीं, क्योंकि भिन्न प्रकार की वस्तुओं में कोई वास्तविक सबध स्थापित करना असम्भव होता है।

उपरोक्त सिद्धान्त सब युगों के स्थापित सिद्धातों और सब सस्कृत देशों के अचल व्यवहार के निरतर अनुकूल है। युद्ध का उद्घोषण शक्तियों के प्रति चेतावनी का द्योतक न होकर प्रजा के प्रति होता है। वह विदेशी, चाहे राजा हो अथवा कोई वैयक्तिक मनुष्य अथवा राष्ट्र, जो राजा के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित किये विना प्रजा को लूटे, मारे, अथवा बदी करे, शत्रु नहीं वल्कि लुटेरा कहलाता है। उद्घोषित युद्ध तक में न्यायी राजक शत्रु देश में राज्य से युक्त समस्त वस्तुओं को धारण करता है, परन्तु व्यक्तियों की देह और सम्पत्ति का आदर करता है। वह उन अधिकारों का आदर करता है जिस पर उसके अपने अधिकार आधारित होते हैं। युद्ध का उद्देश्य शत्रु-राज्य का विनाश होने के कारण, हमारा यह अधिकार है कि उस शत्रु-राज्य के रक्षकों का जब तक उनके हाथ में हथियार है, वध करते रहे, परन्तु ज्योही वे अपने हथियारों को छोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं और शत्रु अथवा शत्रु का साधन नहीं रहते, तो वे सामान्य मनुष्य हो जाते हैं और उनके जीवन पर किसी का अधिकार नहीं रहता। कई बार गज्य के किसी सदस्य को मारे विना ही राज्य को विनष्ट करना सम्भव होता है। परन्तु युद्ध कोई ऐसे अधिकार प्रदान नहीं करता जो इसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक न हो। उपरोक्त सिद्धात ग्रोशास के नहीं हैं। यह कवियों के कथन पर आधारित नहीं है, यह तो वस्तुओं की स्थिति से प्राप्ति है और युक्ति पर आधारित है।

के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह अब नयी संनिक शपथ ले क्योंकि पहली शपथ अभिशून्य हो जाने के कारण उसे शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करने का अधिकार नहीं रह गया है और केंटो ने अपने पुत्र को लिखा कि विना एक नयी शपथ ग्रहण किये उसे युद्धमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि मेरे विरुद्ध वलूजियम का घेरा और कुछ और विशिष्ट उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु मैं तो नियमों और रुढ़ियों का उल्लेख करता हूँ। किसी राष्ट्र ने भी अपने नियमों का उल्लंघन इतना कम नहीं किया है जितना कि रोम के लोगों ने, और किसी अन्य राष्ट्र के नियम इतने प्रशसनीय नहीं हुए हैं। (१७८२ के सस्करण में)

विजय के अधिकार का शक्तिशालीतम के नियम के अतिरिक्त कोई और आधार नहीं होता। यदि युद्ध विजेता को विजित का वध करने का अधिकार नहीं देता, तो यह अधिकार जो उसे प्राप्त ही नहीं है, उन्हे दाम बनाने के अधिकार का आधार नहीं हो सकता। हमें किसी गत्रु के मारने का अधिकार तभी प्राप्त होता है, जब उमे दाम बनाना अमम्भव मिछ हो, तो दाम बनाने के अधिकार को मारने के अधिकार में आकर्पित नहीं माना जा सकता। इसलिए यह अन्यायपूर्ण व्यापार है कि किसी व्यक्ति को अपना जीवन, जिस पर विजेता को कोई अधिकार ही नहीं है, अपनी स्वतंत्रता खोकर क्षय करना पड़े। जीवन और मरण के अधिकार को दास्त्व के अधिकार पर अवलम्बित करने और दास्त्व के अधिकार को जीवन और मरण पर अवलम्बित करने में, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि, हम एक दुष्ट चक्र में तर्क कर रहे हैं?

यदि हम सबको मारने के इस भयानक अधिकार को मान भी ले तो ऐसा यह तर्क है कि युद्ध में बनाये हुए दाम अथवा विजित राष्ट्र का स्वामी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता, अतिरिक्त इसके कि वह उसका आज्ञापालन करे, जब तक ऐसा करने को वाध्य हो। जीवन के ममान वस्तु लेकर उसका जीवन प्रदान करते हुए विजेता दाम पर कोई कृपा नहीं करता है, उसका वेकार वध करने के बजाय वह अपने लाभ के लिए उसके व्यक्तिन्व को विनष्ट कर देता है। इसलिए शासित द्वारा प्रदत्त प्रभृत्व के अतिरिक्त उस पर कोई अधिकार प्राप्त न कर सकने से उन दोनों में पूर्ववत् युद्ध की अवस्था निर्धारित रहती है, यहाँ तक कि उनका पारस्परिक ममन्व भी इर्भी अवस्था का फल है और युद्ध के अधिकारों के प्रयोग में यह अनुमान नहीं होता है कि उनमें शाति स्थापन का कोई वधक हुआ। उन्होंने केवल एक स्टिं स्यापित की है जो वास्तव में सुद्धावस्था की ममाप्ति की अपेक्षा इसके अविराम का ही द्योतक है।

इन प्रकार, हम वस्तुओं का किसी प्रकार अवलोकन करे यह निछ है कि दास्त्व का अधिकार विधिहीन है, न केवल इसलिए कि यह अन्यायपूर्ण है, बल्कि इन्हीं भी कि यह हास्यास्पद और निर्यंतक है। यह दोनों शब्द—दामन्व और अधिकार अमर्गत हैं और परम्पर में अपवर्जी हैं। निम्नाकिन वधन, चाहे वह किसी एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को अथवा किसी मनुष्य द्वारा किसी राष्ट्र को सम्बोधित किया जाय, निरतर भासान्व स्प में मृग्नतापूर्ण ही विदित होगा, “मैं तुमने वधक करता हूँ जो सर्वथा तुमको धति और मुझे लाभदायक होगा, और मैं इन वधन को तत्र तक मानूँगा जवतक मैं चाहूँगा परन्तु तुम्हें इने मेरी इच्छापर्यंत मानना पड़ेगा।”

परिच्छेद ५

व्यो एक सर्वप्रथम प्रसभा को मानना आवश्यक है ?

यदि मैं उस मवको, जिसका अभी तक खड़न किया है, मान भी लूँ, तो भी एकाधिकार का अनुमोदन करनेवालों की युक्ति सिद्ध नहीं होती। जनसमूह को पराजित करने और समाज पर शासन करने में सदा एक महान अन्तर रहता है। जब अलग-अलग मनुष्य, चाहे उनकी स्थिति ही बड़ी हो, एक दूसरे के अनन्तर किसी एक व्यक्ति के अधीन होते हैं, तो मेरी दृष्टि में वह स्वामी और दाम की, न कि राष्ट्र और उसके राजक की, अवस्था होती है, उन द्वारा, यदि आप ऐसा कहना चाहे तो समुदाय का निर्माण होता है, स्थिता का नहीं, क्योंकि उनकी न सामान्य भम्पत्ति होती है और न कोई राजनीतिक निकाय। यदि ऐसा मनुष्य आधे विश्व को भी अपने अधीन कर ले तो भी वह एक व्यक्ति ही रहता है। अन्य लोगो के हित से भिन्न उसका हित वैयक्तिक ही रहता है। यदि वह मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद उसका साम्राज्य अग्नि से प्रज्वलित ओक की तरह विखर जाता है और लुप्त हो जाता है।

ग्रोगस का कथन है कि राष्ट्र अपने आपको राजा के सुपुर्द कर सकता है अर्थात् ग्रोशस के मतानुमार, निज को राजा के सुपुर्द करने के पूर्व ही राष्ट्र राष्ट्रपद को प्राप्त हुआ होता है। सुपुर्दगी की क्रिया एक सामाजिक क्रिया है जिसे न्यायमगत बनाने के लिए सर्वसाधारण का सकल्प आवश्यक है। इसलिए जिस क्रिया द्वारा राष्ट्र राजा को निर्वाचित करता है उसका परिनिरीक्षण करने से पहले, उस क्रिया का परिनिरीक्षण करना उचित होगा, जिसके द्वारा राष्ट्र राष्ट्र बना होगा, क्योंकि दूसरी क्रिया मे पूर्वगमी होने के कारण यही वह क्रिया है जो समाज का वाम्तविक आधार है।

वाम्तव मे यदि कोई पूर्वगत प्रभभा न हुई हो तो (मर्वसम्मत निर्वाचन की अवस्था के अतिरिक्त) अल्पमर्यक पक्षो को वहुमस्था के निर्णय को न्वीकार करना क्योंकर

क्यों एक सर्वप्रथम प्रसभा को मानना आवश्यक है ?

१५

वथ्य होगा । उन मैकड़ों का जो किसी शासक को चाहते हैं उन दमों की ओर में जो शासन को नहीं चाहने, मत निर्दिष्ट करने का क्या अधिकार होगा ? मतों की अनेकता का सिद्धात स्वत ही स्थिति पर आधारित है और परिकल्पित करता है कि कम से कम एक बार पहले सर्वसम्मति हुई होगी ।

परिच्छेद ६

सामाजिक बन्ध

मैं कल्पित करता हूँ कि मनुष्य उस प्रक्रम पर पहुँच चुके हैं जहाँ प्राकृतिक अवस्था में परिरक्षण को सकट में डालनेवाली वाधाएँ उनके उस ओज को पराजित कर चकी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति उस अवस्था में अपने आपको सधारण करने के लिए कर सकता था। उपरोक्त दशा में यह आद्य स्थिति निर्वाहित नहीं रह सकती, और मानव जाति के अपने जीवन की रीति को परिवर्तित किये विना विनष्ट हो जाने की आशका उत्पन्न हो जाती है।

क्योंकि मनुष्य के लिए किसी निरतर नये ओज को उत्पादित करना असम्भव होता है, परंतु विद्यमान सामर्थ्यों को सगठित और निर्दिष्ट करना ही सम्भाव्य है, इसलिए वे अपने परिरक्षण के लिए अभिसमूहित होकर सामर्थ्यों का एक योग स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं अपना सकते। ऐसा करने से अविभक्त प्रेरक शक्ति तथा सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा वाधाओं को विजित करने की सम्भावना होती है।

सामर्थ्यों का यह योग अनेक के सम्मिलन से ही उत्पादित हो सकता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य का वल और स्वातंत्र्य उसके अपने परिरक्षण का मुख्य साधन होने के कारण वह इम वल और स्वातंत्र्य को, अपनी निजी क्षति किये विना तथा अपने प्रति जो उसे अवधान करना आवश्यक है उसकी अपेक्षा किये विना, कैसे वधक कर सकता है? मेरे विषय के सदर्भ में इस कठिनाई को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि “साहचर्य का ऐसा रूप निकाला जाय जो प्रत्येक सहचारी की देह और सम्पत्ति का परिरक्षण और सरक्षण समुदाय की सम्पूर्ण सामर्थ्य द्वारा कर सके, और जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समस्त दूसरों से एकीभूत होकर भी केवल अपनी ही आज्ञा का अनुपालन करे और पूर्ववत् स्वतंत्र रह सके।” यह वह आधारभूत समस्या है जिसका सामाजिक पापण समाधान उपस्कृत करता है।

इस सामाजिक पापण के खड़ किया के स्वभाव के अन्तर्गत इस प्रकार निश्चित होते हैं कि यदि उनमें तनिक भी स्पष्टगिर्वत्त हो जाय तो वे तिरर्थक और प्रभावरहित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि यद्यपि वे कभी यथास्प उच्चागित नहीं हुए हैं तो भी वे मर्वन्त्र समान हैं और मर्वन्त्र चुपचाप स्वीकृत और मानित होते हैं, जब तक कि सामाजिक वध अनिक्रियित हो जाने के परिणामस्वरूप प्रत्येक मनुष्य अपने आद्य अधिकारों और उस प्राकृतिक स्वातंत्र्य को पुन आप्न नहीं कर लेता जिसका परित्याग उसने र्णिगत स्वतंत्रता को अवाप्न करने के लिये किया था।

यदि ठीक अर्थ समझ लिया जाय तो इन सब घड़ों को बेवल एक वाक्यालय में प्रदर्शित किया जा सकता है और वह यह है कि प्रत्येक सहचारी समस्त नमूदाय को अपने समस्त अधिकार पूर्णस्पेषण अन्वयकामित कर देता है क्योंकि प्रथमत प्रत्येक स्वन को पूर्णस्पेषण अनुर्वर्तित कर देना है इसलिये प्रतिवध सबके लिये समान होते हैं, तथा तदनतर चूंकि प्रतिवध सबके लिये समान हैं इसलिये कोई भी उन प्रतिवधों को अन्यों के प्रति कष्टकारक बनाने में अभिन्नि नहीं रखता।

अपर्गच अन्यज्ञामण पूर्णनया होने के कारण सम्मिलन भी नपूर्णतया होता है जो एक सहचारी पृथक् अधिकार उपस्थित नहीं कर सकता। क्योंकि यदि व्यक्तियों के पृथक् वैयक्तिक अधिकार गृहने दिये जायें तो किसी ऐसे सर्वनिष्ठ विनियोगिताविकारी के अभाव में जो किसी व्यक्तिके विशेष और साधारण जनना के बीच निर्णय करने की व्यक्ति गृहना हो, प्रत्येक व्यक्ति ही किसी न किसी विभिन्न पर अपना निर्णायक होता और सब अधिकारों पर निर्णायक होने का मिथ्या दम्भ कर सकता। परिणाम यह होता कि प्राकृतिक अवन्धा निर्वाहित नहीं और नाहन्त्रय या नो अन्याचारी हो जाना या निर्णयक हो जाना।

मध्येष मे, प्रत्येक के अपने आपको सबको देने का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक अपने आपको किसी को नहीं देता। और चूंकि ऐसा कोई सहचारी नहीं नहीं जिस पर हम वही अधिकार अवाप्न नहीं कर लेते, जो हम उसको अपने आप पर देने को गजी होते हैं, इसलिये हम जो नहोते हैं उसी के समान प्राप्ति कर लेते हैं और अपनी समस्त को सरक्षित रखने की अनिन्दित शक्ति प्रवाप्न कर लेते हैं।

इसलिये यदि हम सामाजिक पापण के नाम को उसके उपानों ने पृथक् कर दे तो हम देखेंगे कि उसे निम्न शब्दों मे प्रश्नित किया जा सकता है “हमसे मे प्रत्येक अपनी देह, और अपनी समस्त शक्ति को सर्वसाधारण प्रेरणा के विनिष्ठ निर्देशन के अन्तर्गत सामान्य मे डाक देना है और उसके बदले मे हम प्रत्येक सदस्य को सम्पूर्ण के एक असाज्ज अग के स्पष्ट मे प्राप्त कर लेते हैं।”

तुरन्त ही सब पापित होनेवाले व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तित्व के स्थान पर इस साहचर्य क्रिया द्वारा एक नैतिक और समूह्य निकाय उत्पन्न हो जाती है जिसके बे सब अग बन जाते हैं और इसी क्रिया द्वारा अपनी एकता, अपनी सामान्य आत्मा, अपने जीवन और अपनी प्रेरणा को प्रतिग्रहण कर लेते हैं। इस सार्वजनिक व्यक्तित्व का नाम जा सब वैयक्तिक सदस्यों के सम्मिलन से इस प्रकार निर्मित होता है पूर्व में नगर' होता था और अब गणराज्य अथवा राजनीतिक निकाय है। निष्क्रिय रूप में इसके सदस्य इसे राज्य कहते हैं और सक्रिय रूप में सार्वभौमिक सत्ता कहते हैं। जब इसी के समान दूसरे निकायों से इसकी उपमा दी जाती है तो इसे शक्ति कहते हैं। इसका निर्माण करनेवाले सहचारी सार्वभौमिक सत्ता में साझी होकर सामूहिक रूप में राष्ट्र और वैयक्तिक रूप में नागरिक कहलाते हैं। बहुधा उपरोक्त शब्द परस्पर सम्बन्धित होते हैं और एक दूसरे के हेतु प्रयुक्त कर दिये जाते हैं। यह जानना काफी है कि जब उन्हें सुतथ्यता से प्रयुक्त किया गया हो तो उनमें कैसे भेद किया जायगा।

१ इस शब्द का वास्तविक अर्थ आधुनिक युग में बिलकुल ही भुला दिया गया है। बहुधा नगर को शहर समझा जाता है और नागरिक को नगरवासी। लोग नहीं समझते कि शहर भवनों से बनता है परन्तु नगर नागरिकों से। इसी भूल के कारण कार्येज निवासियों को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। मैंने कभी भी किसी राजक की प्रजा को नागरिक की उपाधि दी गयी हो ऐसा नहीं पढ़ा, न तो प्राचीन समय में यह मेसेडोनिया के लिये दी गयी, न वर्तमान समय में यह अग्रेजों को दी जाती है। चाहे वह दूसरों की अपेक्षा स्वतंत्रता का अधिक उपभोग करते हैं। केवल फ्रासीसी लोग ही शब्द नागरिक को सपरिचय प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी सही कल्पना नहीं है। यह तथ्य उनके भाषाकोषों से स्पष्ट विदित होता है। यदि सही कल्पना होते हुए वे उस शब्द का दुष्प्रयोग करते तो हम उन्हें अत्यत अभिन्नोह का दोषी ठहरा सकते थे। फ्रासीसियों में यह शब्द गुण को व्यक्त करता है, अधिकार को नहीं। जब बोदा (Bodin) ने हमारे नागरिकों और नगरनिवासियों का विवरण देना चाहा तो उसने शब्दों के प्रयोग में एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक शब्द को दूसरे के लिए प्रयुक्त कर दिया। ऐलम्बर्ट ने इस सम्बन्ध में गलती नहीं की है और अपने लेख जेनेवा में उसने हमारे नगर में विद्यमान मनुष्यों की चार श्रेणियों (पाच कहना होगा यदि विदेशियों को भी गिना जाय) में स्पष्ट भेद किया है, जिनमें केवल दो ही गणराज्य के अग माने जाते हैं। जहाँ तक मुझे जात है दूसरे किसी फ्रासीसी लेखक ने शब्द नागरिक का सही अर्थ नहीं समझा।

परिच्छेद ७

सार्वभौमिक सत्ताधिकारी

उपरोक्त मूल से स्पष्ट होगा कि भाहचर्य की क्रिया में सर्वसाधारण जनता और व्यक्ति के बीच एक अन्यान्य अभियुक्त होनी है तथा प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार यथार्थ में अपने ही में वध करता है एक द्विपक्षीय सवध में अभियुक्त हो जाता है, अर्थात् सार्वभौमिक जनता के सदस्य के स्प में अन्य व्यक्तियों के प्रति और राज्य के सदस्य के स्प में सार्वभौमिक जनाधिकारी के प्रति। इस प्रकारण में हम व्यवहार विधि का वह सिद्धांत लागू नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अपने ही में कोई हुई अभियुक्ति में वद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं अपने में अभियुक्ति करने में और एक ऐसी नपूर्ण डिकार्ड से अभियुक्ति करने में, जिनका स्वयं वह एक अग्र हो, वहृत अनन्त होता है।

नाथ ही यह अवलोकन करता भी आवश्यक है कि सर्वसाधारण का सबल्य जो समन्त जनता को सार्वभौमिक जनता के प्रति उपरोक्त द्विपक्षीय सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वा निष्पण होता है, सम्बद्ध कर सकता है। किन्तु प्रतिकाल कागणवय सार्वभौमिक जनता को स्वतं अपने ही प्रति वद्ध नहीं कर सकता, और पण्णामस्वन्य पर्याय नहीं तिक निकाय के स्वभाव के प्रतिकूल होगा कि सार्वभौमिक जनता अपने पर ही किसी ऐसे विभान ता लागू करे जिससा उल्लङ्घन कर सकता उसे वर्जित हो। चूंकि सार्वभौमिक जनता को देवल विभी एक ही सम्बन्ध के अन्तर्गत निर्णित किया जा सकता है जन इसकी स्थिति भी इस व्यक्ति के गद्दूश ही होनी है जो अपने साथ ही वध कर रहा है। उपरोक्त सवाले यह न्याय है कि समन्त जनपटीन निकाय पर न कोई आधारनत नियम और न रोई सामाजिक पापण ही वाध्य होना अश्वा हो सकता है। उसका यह अर्थ नहीं है कि यह निकाय किसी अन्य ने औचित्य के अन्तर्गत कोई ऐसी अभियुक्तियाँ नहीं कर सकता जिनका पण्णाम पापण का अल्पीकरण होगा वरोंकि

विदेशियों के सम्बन्ध में तो यह निकाय एक सामान्य जीव अर्थात् स्वयं एक व्यक्ति हो जाता है।

परन्तु राजनीतिक निकाय अथवा सार्वभौमिक सत्ता केवल पापण की पवित्रता से अपना अस्तित्व प्राप्त करने के कारण, कभी अपने आपको अन्यों के प्रति किसी ऐसी अभियुक्ति द्वारा वाध्य नहीं कर सकता जिससे आद्य क्रिया का अल्पीकरण होता हो, उदाहरणार्थ अपने किसी क्षेत्र को अन्यक्रामिक कर देना, अथवा किसी अन्य सार्वभौमिक सत्ताधिकारी की अधीनता स्वीकार कर लेना। जिस क्रिया के अन्तर्गत इसका अस्तित्व स्थापित होता है उस क्रिया का अतिक्रमण करने का अर्थ यह होगा कि इसका अपना अस्तित्व मिट जायगा और जो स्वयं शून्य है वह किसी निश्चित वस्तु को उत्पादित नहीं कर सकता।

इसलिये ज्योही जनसमुदाय किसी एक निकाय में सगठित हो जाता है तो किसी एक सदस्य को निकाय पर आक्रमण किये विना क्षति पहुँचाना असम्भव हो जाता है। इसी प्रकार निकाय को पहुँचाई हुई क्षति का प्रभाव उसके सदस्य अनुभव न करे यह असम्भव हो जाता है। इस प्रकार कर्तव्य और हित दोनों वध करनेवाले पक्षों को वाध्य करते हैं कि वे पारस्परिक सहायता प्रदान करें, और मनुष्यों को भी इस द्विपक्षीय सम्बन्ध के अन्तर्गत उन समस्त लाभों को प्राप्त करने की जो इससे उत्पन्न हो सकते हैं, चेष्टा करनी चाहिये।

सार्वभौमिक सत्ता केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निर्मित होने के कारण जो इसके अग हैं, उन व्यक्तियों के हित के प्रतिकूल न कोई हित रखती है और न रख सकती है। परिणामस्वरूप सार्वभौमिक मत्ता को अपने सदस्यों के प्रति किसी प्रत्याभूति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह असम्भव है कि निकाय अपने समस्त अगों को क्षति पहुँचाने की अभिलापा करे और हम आगे चलकर देखेंगे कि सार्वभौमिक मत्ता किसी को भी व्यक्तिगत रूप में क्षति नहीं पहुँचा सकती। सार्वभौमिक सत्ता सार्वभांमिक मत्ता होने के कारण ही उन समस्त गुणों से युक्त है, जो इसमें होने चाहिये।

परन्तु प्रजा की, सार्वभौमिक सत्ता के प्रति यही अवस्था नहीं होती, क्योंकि सामान्य हित होते हुए भी यह निश्चय नहीं हो सकता कि प्रजा अपनी अभियुक्तियों का पालन करेगी, जब तक कि सार्वभौमिक मत्ता प्रजा की राजभक्ति को मुनिश्चित करने के साधन स्थापित न कर दे।

यथार्थ में यह सम्भव है कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के स्प में अपनी विशिष्ट प्रेरणा रखे जो उस सर्वधारण प्रेरणा में, जो नागरिक के स्प में उसकी होती है, प्रतिकूल अथवा विभिन्न हो। उसका वैयक्तिक हित मामान्य हित के विलक्षुल विपरीत उसे प्रेरित कर सकता है। उसका अस्तित्व पूर्ण और प्राकृतिक तीर पर स्वतंत्र होने के कारण उसकी यह धारणा बन सकती है कि जो उस द्वारा मामान्य निमित्त को देय है वह एक नि शुल्क अगदान है। उसका लुप्त हो जाना दूसरों को उतना हानिकारक नहीं होगा जितना कि उसका शोधन उसके अपने लिये कष्टकारक होता है। जिस नैतिक व्यक्तित्व से राज्य का निर्माण होता है उसे एक काल्पनिक प्राण समझ कर वह प्रजा का कर्तव्य निभाने का इच्छुक न होते हुए भी नागरिक के अधिकारों का उभयोग करने को उद्यत हो सकता है। उस अन्याय की प्रगति गजनीनिक निकाय के विनाश का कारण बन सकती है।

अत इस हेतु कि सामाजिक पापण केवल मार्गीन भूत्र न रह जाय, इसमें प्रत्येक उल्लिखित हुए विना यह अभियुक्ति निहित होती है और यथार्थ में इसी अभियुक्ति के कारण दूसरों को वल मिलता है कि जो कोई सर्वमाध्यारण की प्रेरणा की आज्ञा ने विमुख होगा उसे आज्ञापालन की वाद्य करने के लिये नमस्त निकाय का वल प्रयुक्त किया जायगा, जिसका अर्थ केवल इतना है कि उसे स्वतंत्र रहने को वाद्य किया जायगा, क्योंकि यहीं वह प्रतिवन्ध है, जो प्रत्येक नागरिक अपनी जन्मभूमि में स्वद्व होते हुए भी किसी अन्य की अवीनता में मुक्त होने की प्रव्याभूति करता है, गजनीनिक यत्र के नियवण और कर्मकरण को सुनिश्चित करता है और जो मामाजिक अभियुक्तियों को न्यायसंगत बनाता है। इसके विना विस्मय, अन्याचार्यूर्ण और सब्र प्रकार के दुन्यप्रयोगों ने परिपूर्ण होती है।

परिच्छेद द

सामाजिक अवस्था

प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक अवस्था में गमन मनुष्य के आचार में अत ज्ञान के स्थान पर न्याय धारणा प्रतिष्ठापित करके उसके आचरण को वह नैतिक गुण प्रदान करके जिससे यह पूर्व में विहीन था, एक भारी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। जब भौतिक प्रेरणा के स्थान पर कर्तव्य के आद्वान की उत्पत्ति हो जाती है और अभिलापा के स्थान पर विधान की स्थापना हो जाती है, मनुष्य, जिसका ध्यान तब तक केवल निज पर ही केन्द्रित होता था, केवल तभी यह अनुभव करने लगता है कि वह अन्य सिद्धातों पर कार्य करने और अपनी अभिलापाओं पर कार्यशील होने से पहिले अपने तर्क की सम्मति लेने को वाध्य है। यद्यपि इस अवस्था में वह अनेक लाभों से बचित हो जाता है जो उसे प्रकृति से प्राप्त होते थे, तथापि उनके बदले वह कई समान महान् लाभों को अवाप्त कर लेता है। उसकी शक्तियों का अनुष्ठान होने लगता है और वे उन्नत हो जाती हैं, उसके विचार विस्तृत हो जाते हैं, उसकी भावनायें श्रेष्ठ हो जाती हैं, उसकी समस्त आत्मा उस सीमा तक पराकृष्ट हो जाती है कि यदि इस नई अवस्था के दोष उसे बहुधा उस तल से भी नीचे न गिरा दें जिसमें वह उठा है तो उसे निरतर उस आनददायक घड़ी का गुणगान करना आवश्यक होगा जिसने उसे मदा के लिये उस तल से मुक्त करा दिया और एक मूर्ख और अनभिज्ञ पशु से एक वुद्धिशाली जीव—मनुष्य बना दिया।

अब हमें उपरोक्त समस्त मापदण्ड को इस प्रकार विभक्त कर देना चाहिये कि उनको तुलना मुगमतापूर्वक हो सके। जो कुछ मनुष्य सामाजिक पापण से सोता है वह है प्राकृतिक स्वातन्त्र्य और उस समस्त पर जिसका वह इन्द्रुक हो और जिसे प्राप्त करने का मशक्त अभीमित अधिकार वह अवाप्त करता है, वह है सामाजिक स्वातन्त्र्य और अपने समस्त धारणों पर सम्पत्ति अधिकार। हमें इन प्रतिफलों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलती

न हो इसलिये यह आवश्यक है कि हम प्राकृतिक स्वातन्त्र्य, जिसकी मीमा की परिधि व्यक्ति की शक्ति होती है, और मामाजिक स्वातन्त्र्य जिसकी मीमा में मर्वमाधारण की प्रेरणा में निर्धारित होती है, और डमी प्रकार धारणाधिकार, जो बल के फल और प्रथम आभोग का अधिकार मात्र होता है, और मम्पत्ति अधिकार जो एक स्थित स्वप्न पर आधारित होता है, मे स्पष्ट अतर करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हम मामाजिक अवस्था की प्राप्तियों की मूँची मे नैतिक स्वातन्त्र्य भी सम्मिलित कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप ही मनुष्य मत्य स्प मे निज का स्वामी होता है, वयोकि आकस्मिक अभिलापाओं की प्रेरणा का नाम दासत्व है और स्वतं निर्धारित विद्यान के अनुपालन का नाम स्वतंत्रता है। परन्तु इस बारे में पहले ही अत्यधिक कह चुका हूँ और शब्द 'स्वतंत्रता' के दार्यनिक अर्थ का विच्छेपण मेरे वर्तमान विषय से मम्बन्धित नहीं है।

परिच्छेद ६

वास्तविक सम्पत्ति

समाज का प्रत्येक सदस्य समाज के निर्माण होते ही अपने आपको अपने वास्तविक रूप मे, अर्थात् अपने आपको और अपनी समस्त शक्तियों को, जिनका कि उस द्वारा धारण की हुई सम्पत्ति एक खड़ होता है, समाज को समर्पित कर देता है। इस विनिमय क्रिया द्वारा धारणाधिकार की प्रवृत्ति मे कोई परिवर्तन नहीं होता केवल सार्वभौमिक सत्ता को हस्तान्तरित हो जाने से यह सम्पत्ति बन जाता है। परन्तु यथा राज्य की शक्तियाँ व्यक्ति की शक्तियों से अतुलनीय अधिक होती है उसी तरह सार्वजनिक धारणाधिकार अधिक न्यायसगत हुए बिना भी यथार्थ मे, कम से कम जहाँ तक विदेशियों का सम्बन्ध है, अधिक परिरक्षित और अधिक अखंडनीय हो जाता है, क्योंकि अपने सदस्यों के प्रति तो राज्य, सामाजिक पापण के अन्तर्गत ही (जो राज्य मे सब अधिवारों का आधारभूत होता है), नागरिकों की समस्त सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है। परन्तु अन्य शक्तियों के प्रति केवल व्यक्तियों से अवाप्त प्रथम उपभोग के अधिकार के बलपर ही यह स्वामी मान्य नहीं किया जा सकता।

प्रथम आभोग का अधिकार, चाहे यह शक्तिशालीतम के अधिकार से अधिक वास्तविक हो, केवल सम्पत्ति के स्थापन के अनतर ही सत्त्वाधिकार का रूप धारण करता है। प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति से ही उस समस्त मे अधिकार होता है जो उसके लिये आवश्यक हो, परन्तु वह निश्चित क्रिया जो उसे किसी सम्पत्ति-विशेष का स्वत्वाधिकारी बनाती है वही क्रिया उसे समस्त अविशिष्ट धारणों से अपवर्जित कर देती है। उसका अपना भाग आवटित हो जाने के कारण उसके लिये अपने आपको उसी तक मीमित रखना चाहनीय हो जाता है और उस अविभक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। यही कारण है कि प्रथम आभोग का अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था मे वहुत क्षीण माना जाता या राज्य के प्रत्येक सदस्य द्वारा ममानित किया जाता है। इस

अधिकार के अन्तर्गत मनुप्य इस बात का कम ध्यान रखते हैं कि किसी अन्य की क्या-वया वस्तु है। उनको अधिक इम बात का ध्यान रहता है कि कौन-सी वस्तु उनकी अपनी नहीं है।

किसी क्षेत्र में प्रथम आभोग के अधिकार को न्यायमगत बनाने के लिये नाधारणतया निम्न गते आवश्यक होती है। प्रथम यह कि भूमि किसी अन्य द्वारा पूर्व से ही वासित नहीं है। दूसरे यह कि मनुप्य केवल उसी क्षेत्र को धारण करे जिसकी उसे अपने निर्वाह के हेतु आवश्यकता है। तीसरे यह कि मनुप्य उस भूमि को केवल एक निरर्थक अनुष्ठान द्वारा नहीं बल्कि श्रम और कर्पण द्वारा धारण करे, क्योंकि वैधानिक स्वत्व के अभाव में यही एक धारणाधिकार का चिह्न है जिसे अन्य नम्मानित करेंगे।

यथार्थ में यदि हम प्रथम आभोग के अधिकार को आवश्यकता और श्रम के अतर्गत मान लेते हैं तो क्या हम इम अधिकार का क्षेत्र विस्तृततम नहीं कर देने? क्या इम अधिकार को भीमा निर्वाहित करना अमम्भव है? क्या केवल मामान्य भूमि पर पदार्पण ही इसके धारणाधिकार का स्वत्व प्रदान करने को पर्याप्त है? क्या अन्य मनुप्यों को इस भूमि में तनिक काल के लिये हटा देने की शक्ति इसके लिये काफी है कि उनको इस पर लौटने के अधिकार में भी वचित कर दिया जाय? कोई मनुप्य अथवा राष्ट्र एक दडनीय बलाधिकार के अतिरिक्त किसी विस्तृत क्षेत्र को धारण करने और गेंय समस्त मानव जाति को इसमें लूठन करने का कैसे अधिकारी माना जा सकता है क्योंकि इस त्रिया में अन्य मनुप्य निवास तथा निर्वाह के स्थान में जो प्रकृति ने सबको मामान्य रूप में प्रदान किये हैं, वचित हो जायेगे। जब न्यूनेज वालों ने केवल समुद्रतट पर टैम्पील के नाम पर प्रशान्त महासागर और समस्त दक्षिण अमेरिका का स्वन्वं धारण कर लिया तो क्या यह त्रिया इस देश के समस्त निवासियों को स्वत्वहीन करने और विद्युत के समस्त अन्य गजकों को इसमें अपवर्जित करने को पर्याप्त थी? उपरोक्त धारणा के आवाग पर इस प्रकार के निरर्थक अनुष्ठान निरन्तर पुनर्गवृत्त किये जा सकते थे और कैंयोलिक राजा अपनी मद्री-पण्डित की महामति ने केवल एक आवात में ही समस्त विद्युत का स्वत्वाधिकार धारण कर सकता था परन्तु ऐसा कर लेने के अन्तर उसे अपने भाग्यांज्य में वह भाग पृथक् करना पड़ता जो पूर्व में ही अन्य राजकों ने धारण कर लिया था।

हम जानते हैं कि व्यक्तियों की मम्मिलिन और नर्मीप स्थित भूमियाँ नार्वजनिक क्षेत्र बन जाती हैं और नार्वमीमिक नना का अधिकार प्रजा द्वारा प्राप्त भूमि पर

विस्तृत होकर एक साथ वास्तविक और वैयक्तिक बन जाता है। इस क्रिया से भूमि-दार राज्य पर और अधिक आश्रित हो जाते हैं और उनका स्वत बल ही उनकी स्वामिभक्ति की प्रत्याभूति बन जाता है। यह एक ऐसा लाभ है जिसे पुरातन सम्राटों ने स्पष्ट रूप में नहीं समझा था, वे अपने आपको ईरानियों, सीथियों अथवा मैसेहोनियों के राजा कहलाते थे और अपने आपको लोगों के राजक समझते थे त कि देशों के स्वामी। वर्तमान के सम्राट् अधिक चतुरता से फ्रास, स्पेन, इंग्लैण्ड आदि के राजा कहलाते हैं। भूमि को धारण करने के कारण वे इसके निवासियों को अपने अधीन रखने में सर्वथा निश्चित रहते हैं।

उपरोक्त अन्यक्रमण की यह विशेषता है कि व्यक्तियों की सम्पत्ति को धारण करके समाज उनको इसमें लूटित करने की अपेक्षा केवल उनके वैधानिक स्वत्व को प्रणोपित करता है तथा बलाधिकार को सत्याधिकार में और उपभोग को स्वत्वाधिकार में परिणित करता है। अपरच, व्यक्तिगत सम्पत्तिधारकों के सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रन्यासी मानित होने के कारण और उनके अधिकार राज्य के सब सदस्यों द्वारा सम्मानित होने और सब विदेशियों के प्रति राज्य की समस्त शक्ति द्वारा परिरक्षित होने के कारण (ऐसे सक्रमण के परिणामस्वरूप जो सर्वसाधारण को लाभदायक होता है और उससे भी अधिक लाभदायक उनको स्वत होता है) ऐसा मानना चाहिये कि उन्होंने सब अपहरित सम्पत्ति को पुन प्राप्त कर लिया है। एक ही सम्पत्ति पर सार्वभौमिक मत्ता और सम्पत्तिधारक के विभिन्न अधिकार होते हैं, इसका भेद स्पष्ट करके उपरोक्त विरोधाभास का सुगमतापूर्वक समाधान किया जा सकता है, जैसा कि हम आगे बतायेंगे।

यह भी सम्भव है कि मनुष्य सम्पत्ति को धारण करने के पहिले ही सम्मिलित हो जायँ और बाद में सबके लिये पर्याप्त भूमि धारण करके उसका सम्मिलित तौर पर उपभोग करे अथवा आपस में बराबर बराबर या सार्वभौमिक सत्ताधिकारी द्वारा निर्धारित अनुपात में विभाजन कर लें। यह अवाप्ति चाहे किसी रीति से हुई हो, यह स्पष्ट है कि जो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी सम्पत्ति पर प्राप्त है वे सदा उन अधिकारों के अधीन होंगे जो समाज को सब पर प्राप्त हैं अन्यथा सामाजिक संगठन में कोई स्थायित्व ही नहीं रहेगा और सार्वभौमिक सत्ता के प्रयोग में कोई वास्तविक बल न रहेगा।

इम परिच्छेद और इस पुस्तक को मैं इम अभियुक्ति के साथ समाप्त करता हूँ जो ममस्त सामाजिक पद्धति का आधारभूत होना चाहिये, वह यह है कि प्राकृतिक समानता को विनष्ट करने की अपेक्षा, आधारभूत बघन प्रकृति द्वारा आरोपित

भौतिक असमानता को नैतिक और नैयायिक समानता से प्रतिस्थापितकर देता है जिसके परिणामस्वरूप वल और बुद्धि में असमान होते हुए भी मनुष्य रुटि और नैयायिक अधिकार द्वारा समान हो जाते हैं।^१

^१ कुशासनों में यह समानता केवल आनामी और मायाकी होती है, और दीनों को अपनी दीनता में और सम्पन्नों को अपने बलाधिकार में स्थापित रखने का आधार बन जाती है। यथाथ में विवान सदा उनके लिये लाभदायक होते हैं जो सम्पत्तिशाली हैं और उन्हें हानिकारक होते हैं जिनके पास कुछ नहीं हैं। इसमें यह सिद्ध होता है कि सामाजिक अवस्था मनुष्यों को उसी सीमा तक लाभदायक होती है जिस तक प्रत्येक के पास कुछ न कुछ सम्पत्ति हो परन्तु किसी एक के पास अत्यधिक नहीं हो।

परिच्छेद १

सार्वभौमिक सत्ता अनन्यकाम्य है

उपर निर्णीति भिन्नातो का प्रथम और यद्यमे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि सर्व-साधारण प्रेरणा ही राज्य बल को राज्य की स्थाओं के प्रयोजनानुसार निर्दिष्ट कर सकती है, यह प्रयोजन मर्तकन्याण होता है। यदि समाज की स्थापना वैयक्तिक हितों के विरोध के कारण आवश्यक होती है तो उन्हीं हितों के सम्मिलन द्वारा सम्भाव्य भी होती है। जो इन उपरोक्त विभिन्न हितों में नामान्य होते हैं, वे ही सामाजिक वश की आधारणित बनते हैं और यदि यद्यमे यह हित किसी एक विन्दु पर सम्मिलित न होते तो समाज का अस्तित्व हो नहीं सकता था। समाज का प्रशासन भी वेव्र इमी सम्मिलित हित के कारण ही चलता है।

इसलिये मैं कहता हूँ कि सार्वभौमिक सत्ता, जो सर्वसाधारण प्रेरणा के प्रयोग का ही दूसरा नाम है, कभी अन्यकाम्य नहीं किया जा सका, और सार्वभौमिक शक्ति जो एक समूह द्वारा होती है, केवल अपने द्वारा ही प्रतिनिहित हो सकती है। अकिञ्चित तो पारेपित हो भी सकती है, किन्तु प्रेरणा कभी नहीं।

वास्तव में यदि यह असम्भव नहीं कि कोई विधिष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के किसी विधिष्ट विन्दु पर सम्मिलित हो सके तो यह अवश्य असम्भव है कि उपरोक्त सम्मिलन चिग्न्यायी अवश्य अपनिवर्ती हो यदोकि विधिष्ट प्रेरणा स्वभाव ने ही अधिमान्यता की ओर प्रवृत्त होती है और सर्वसाधारण प्रेरणा समता की ओर। साथ ही यह सर्वया उसमें सम्भव है कि उपरोक्त सम्मिलन प्रन्यासृत हो सके, यदोकि यदि यह निश्चर अस्तित्व में नहे भी, तो वह केवल दैवप्रयोग का फल होगा, किसी प्रयोजनानुसार प्रिया या नहीं। सार्वभौमिक अस्ति अवश्य वह सकती है कि “मैंने प्रेरणा प्रय वही है जो किसी विधिष्ट व्यक्ति की है या वह ने कम जिसे कोई विधिष्ट व्यक्ति कहता है कि उसकी प्रेरणा है।” परन्तु यह नहीं कह सकती कि “किसी विधिष्ट व्यक्ति की

जो कल प्रेरणा होगी मेरी प्रेरणा भी वही होगी क्योंकि कोई भी प्रेरणा प्रेरणा करने-वाले व्यक्ति के हित के प्रतिकूल सहमनन करने को वाधित नहीं की जा सकती। इसलिये यदि कोई राष्ट्र विवेकशून्यत अनुवर्तन करने की प्रतिज्ञा कर ले तो वह इस क्रिया से ही अपने आपको विलयित कर देता है, अपने राष्ट्रत्व के गुण को खो डालता है। जिस क्षण वह किसी को स्वामी मान्य कर लेता है, वह सार्वभौमिक शक्ति नहीं रहता और इस प्रकार राजनीतिक निकाय विनष्ट हो जाता है।

उपरोक्त का यह अर्थ नहीं है कि राजकों के आदेश, जब कि सार्वभौमिक शक्ति विरोध करने का स्वातंत्र्य रखते हुए भी उन आदेशों का विरोध नहीं करती है सर्व-साधारण प्रेरणा के निर्णय न समझे जावे। इसी अवस्था में सार्वत्रिक मृक्ता से प्रजा का सहमनन अनुमानित किया जाना चाहिये। यह आगे चलकर सविस्तार स्पष्ट हो जावेगा।

परिच्छेद २

सार्वभौमिक सत्ता अभाज्य है

उसी कारण मे जिससे सार्वभौमिक सत्ता अनन्यकाम्य है, सार्वभौमिक सत्ता अभाज्य भी है। क्योंकि प्रेरणा या तो सर्वसाधारण होती है या नहीं होती, अर्थात् या तो यह प्रजा के ममस्त निकाय की होती है या केवल एक भाग की। पहली दशा मे उपरोक्त घोषित प्रेरणा सार्वभौमिक सत्ता की एक क्रिया और विधान की निर्माता होती है। दूसरी दशा मे यह केवल एक विशिष्ट प्रेरणा अर्थात् दण्डविकार की क्रिया होती है अथवा उत्कृष्टतम रूप में एक प्रादेश होती है।

परन्तु हमारे राजनीतिक लेखक सार्वभौमिक सत्ता का मिट्ठात के आधार पर वर्गीकरण न कर प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वे उसका वर्गीकरण शक्ति और प्रेरणा के रूप अर्थात् विधायी शक्ति और अधिगायी शक्ति के रूप मे अथवा करारोपण, न्याय और युद्ध के अधिकारों के रूप मे अथवा आतंरिक प्रशासन और विदेशियों ने प्रतिपादन की शक्ति के रूप में करते हैं, कभी इन सब अगों का नमिन्दण कर देते हैं और कभी उन्हे पृथक् कर देते हैं। वे सार्वभौमिक सत्ता को एक ऐसे काल्पनिक प्राणी का रूप दे देते हैं जो विभिन्न मवन्वित भागों का बना हुआ है। यूँ कहना चाहिये कि वे एक मनुष्य के अनेक अलग घरीर बना देने हैं, एक केवल आंखों सहित, दूसरा केवल भुजाओं भहित, तीसरा केवल पद सहित। परन्तु यन्य अगों मे विदीन। एक किवदन्ती है कि जापान के मदागे दर्शकों के ममठ वच्चों को काट-कर हिस्से कर दिया करने थे, तमाम अवयवों को ऊपर हवा मे उछालकर वे वच्चों को

१ प्रेरणा के सर्वसाधारण होने के लिये यह सदैव अनिवार्य नहीं होता कि वह सर्वसम्मत हो, परन्तु यह आवश्यक होता है कि सब मतों की गणना हो, कोई भी यथात्प्र अपवर्जन सर्व नावारणता के तत्त्व को विनष्ट कर देता है।

जीवित और सर्वांगपूर्ण उत्तार लेते थे। हमारे राजनीतिक लेखकों के कौतुक भी इन मदारियों की भाँति ही हैं। मेलों में दिखाने योग्य कौतुक द्वारा सामाजिक निकाय के अलग-अलग अग करने के अन्तर ये इन अगों को न जाने कैसे पुन सम्मिलित कर देते हैं।

उपरोक्त विभ्रम सार्वभौमिक सत्ता के बारे में यथार्थ कल्पना न बनाने और उन वस्तुओं को सार्वभौमिक सत्ता का अग मानने जिनका इससे केवल उद्गम होता है, के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, युद्ध घोषित करने और सधि करने की क्रियाओं को सार्वभौमिक सत्ता की क्रियाएँ मान लिया गया है, परन्तु वास्तव में यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह दोनों क्रियाएँ स्वयं विधान न होकर विधान-शक्ति का प्रयोग मात्र है, अर्थात् विशिष्ट क्रियाएँ हैं जिनसे विधान की अवस्था का निर्माण होता है। यह बात और स्पष्ट हो जायगी जब हम शब्द 'विधान' का आधार स्थापित करेंगे।

अन्य वर्गों का इसी प्रकार निरूपण करने से यह पता चलेगा कि जब कभी भी सार्वभौमिक सत्ता विभाजित प्रतीत होती है तो हमारी कल्पना का ही भ्रम होता है, और जिन अधिकारों को हम उस सार्वभौमिक सत्ता का भाग मानते हैं वे सब उसके अधीन ही हैं और सदैव उन वरिष्ठ प्रेरणाओं की कल्पना करते हैं जिनका ये अधिकार अधिशामी रूप मात्र है।

अपने निर्धारित सिद्धातों के अन्तर्गत राजा और प्रजा के अन्यान्य अधिकारों का निर्णय करते समय राजनीतिक लेखकों के परिणाम, राजनीतिक अधिकारों के सबध में सुतथ्यता की कमी के कारण कितने दुर्बोध हो गये हैं, इसका विवरण विलकुल असम्भव है। ग्रोशास की पहली पुस्तक के तीसरे तथा चौथे परिच्छेद में कोई भी देख मकता है कि वह विद्वान् और उसके अनुवादक वावेरेका अपने वाकछलों में इस शब्द से कि वे कही अत्यधिक न कह डाले अथवा अपने सिद्धातों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में न कह सके और उन हितों को अप्रसन्न कर दे जिन्हे प्रसन्न करना उनका उद्देश्य था, किस प्रकार उलझ गये तथा व्यग्र हो गये हैं। ग्रोशास ने, जिसने अपने देश से अस्तुष्ट होकर फास में शरण ली थी और जो लुई त्रयोदश की जिसे उसने अपनी पुस्तक भी समर्पित की है, आरावना करना चाहता था, प्रजा को अपने समस्त अधिकारों से वचित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अत्यन्त कुशलता से उन अधिकारों को राजाओं को प्रदान कर दिया। वावेरेका, जिसने अपने अनुवाद को इंग्लैण्ड के राजा जाँर्ज प्रथम को

ममर्पित किया है, जुकाव भी प्रत्यक्षतय इसी ओर था। परन्तु दुर्भाग्यवश जेम्स ट्रिटीय के देश निप्कामन के कारण, जिसे वह राज्य-त्यजन कहता है, वह मर्यादा, अस्पष्ट और अपवचित कथन करने को वाध्य हो गया ताकि विलियम वलाधिकारी सिंड्र न हो जाय। यदि यह दोनों लेखक मर्यादा मिद्दातों को अपनाते तो ममस्त कठिनाइयाँ दूर हो सकती थीं और उनके लेख निरन्तर प्रभावशाली होते, परन्तु उम दशा में उन्हें येद सहित मर्यादा बोलना पड़ता और उन्हें प्रजा की ही आराधना करनी पड़ती। परन्तु मर्यादा लाभप्रद नहीं होता और प्रजा न दूत-पद न प्राप्यापक-पद और न ही निवृत्ति वेतन प्रदान कर सकती है।

परिच्छेद ३

क्या सर्वसाधारण प्रेरणा विभ्रमित हो सकती है ?

जो पहिले कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि सर्वसाधारण प्रेरणा सदा ठीक होती है और सदा सार्वजनिक हित की ओर प्रवृत्त होती है, परन्तु यह अर्थ नहीं है कि प्रजा के सकल्पों में सदा वही सचाई होगी। व्यक्ति सदा अपना हित चाहता है, परन्तु हमेशा विवेचन नहीं कर पाता। प्रजा कभी भ्रष्ट नहीं होती परन्तु बहुधा धोखे में आ जाती है, और केवल उस दशा में उनकी प्रेरणा निर्दित हो जाती है।

बहुधा सब व्यक्तियों की प्रेरणा और सर्वसाधारण प्रेरणा में अतर होता है। सर्वसाधारण प्रेरणा सामान्य हित से ही सम्बन्धित होती है, जब कि सब व्यक्तियों की प्रेरणा वैयक्तिक हितों पर ध्यान देती है और विशिष्ट प्रेरणाओं का आकलितरूप मात्र होती है। परन्तु यदि इन समस्त प्रेरणाओं से अतिरिक्तताओं और न्यूनताओं को काट दे जो यथार्थ में एक दूसरे को प्रतितालित कर देती है^१ तो भिन्नताओं के योग के स्वरूप में सर्वसाधारण प्रेरणा रह जाती है।

यदि, जब यथापेक्ष स्सूचित लोग सकल्प करते हों, नागरिक एक दूसरे से सचार स्थापित कर ले तो सर्वसाधारण प्रेरणा उनके अनेकानेक अल्प विभिन्नताओं के फल-स्वरूप सदा उपलब्ध होगी और सकल्प सदा हितकर होगा। परन्तु जब किसी समाज में

१ मार्किस दार्गसिंह कहता है कि “प्रत्येक हित का अलग-अलग सिद्धान्त होता है। दो अमुक हितों का मेल किसी तीसरे हित का प्रतिपक्ष करने में ही होता है।” वह इस व्याख्या का आगे विस्तार कर सकता था कि सब हितों का सम्मिलन प्रत्येक के हित के प्रतिपक्ष स्थापित होने से ही हो सकता है। यदि हितों में भिन्नता न हो तो सामान्य हित का अस्तित्व ही अनुभूत नहीं हो सकता और न ही उसमें कोई वाघा आ सकती है। प्रत्येक वस्तु स्वत गतिशील हो जाती है, और राजनीति कला नहीं रह सकती।

दल और वटी मस्था की क्षति के कारण पक्षीय सस्थाएँ निर्मित हो जाती हैं तो उपरोक्त प्रत्येक मस्था की प्रेरणा निजी मदस्थों के मवध में तो सर्वसाधारण होती है परन्तु राज्य के मवध में विशिष्ट रहती है, उम दशा में यह कहा जा सकता है कि उम गज्य में मताधिकारियों की मस्था व्यक्तियों पर आवारित रहने की अपेक्षा मस्थाओं पर आवारित हो गयी है। पारम्परिक भिन्नताएँ अल्पमस्थ्यक हो गयी हैं और फलम्बन्य कम सर्वमावारण गृह गयी है। अतः जब उपरोक्त मस्थाओं में भी कोई एक इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह अन्य ममस्त मस्थाओं पर अभिभावी हो सके तो परिणाम में अन्य भिन्नताओं का योग प्राप्त नहीं होता है, अपितु एक विशिष्ट भिन्नता प्राप्त होती है। इम दशा में सर्वमावारण प्रेरणा रहनी ही नहीं। वल्कि जो प्रेरणा प्रवल होती है वह एक विशिष्ट प्रेरणा ही है।

अत मर्वसाधारण प्रेरणा को स्पष्ट स्प में प्रकाशित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में कोई पक्षीय मस्था न हो वल्कि प्रत्येक नागरिक अपने निजी मत को ही व्यक्त करे।^१ महान् लिसर्गम के अपूर्व एव उत्कृष्ट विधान का यही आधार था। परन्तु यदि पक्षीय मस्थाएँ अनिवार्य हो तो यह आवश्यक है कि उनकी मस्था अधिकारिक हो ताकि अममानता अमम्बव हो जाय, जैमा सोल्ज, न्यमा और मर्विग्रन ने निहित किया था। उपरोक्त ही वे उचित पूर्वावधान हैं जिनमें इन वात का विश्वास हो सकता है कि रावंसाधारण प्रेरणा मदा प्रकाशित होगी तथा जनता को धोका नहीं लगेगा।

१ मैक्यावली का कथन है “यह मत्त्व है कि सधराज्य के कुछ भाजन क्षतिकारक और कुछ उपणोगी होते हैं। वे भाजन क्षतिकारक होते हैं जो गृह और पक्षों ने मंसर्गिक होते हैं, वे लाभदायक होते हैं जो गृह और पक्षों के विना ही संग्रहीत होते हैं। चैकि राज्य का कोई सस्थापक यह पूर्वावधान नहीं कर सकता कि राज्य में शत्रुता उत्पन्न नहीं होगी, उसे करने से कम इस वात का पूर्वोपाय अवश्य करना चाहिए कि गृह स्थापित न हो।”

परिच्छेद ४

सार्वभौमिक सत्ता की सीमाएँ

यदि राज्य या नगर एक नैतिक निकाय हे जिसका जीवन उसके सदस्यों के सम्मिलन में निहित है, और यदि इस निकाय की सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षा आत्मसंरक्षण है, यह स्पष्ट है कि इस राज्य के प्रत्येक भाग को समस्त के हित की दृष्टि से उचित रूप में चालित और व्यवस्थापित करने के लिए सार्वत्रिक और वाध्यकारी बल की आवश्यकता होती है जैसे प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उसके समस्त अगों पर पूर्णाधिकार देती है उसी प्रकार सामाजिक पापक राजनीतिक निकाय को उसके समस्त सदस्यों पर निरपेक्ष शक्ति प्रदान करता है, और यही वह शक्ति है जो सर्वसाधारण प्रेरणा से सचालित होने की दशा में जैसा मैं पहिले भी कह चुका हूँ, सार्वभौमिक सत्ता के नाम से निर्दिष्ट होती है।

परन्तु सार्वजनिक व्यक्तित्व के अतिरिक्त हमें लोगों के निजी व्यक्तित्व पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उनका जीवन और स्वतंत्रता प्राकृतिक तौर पर सार्वजनिक व्यक्तित्व से अलग है। इस प्रकार नागरिकों और सार्वभौमिक सत्ता के अन्यान्य अधिकारों में और इसी प्रकार नागरिकों के उन अधिकारों में जो उन्हे प्रजा के रूप में उपलब्ध हैं और प्राकृतिक अधिकारों में जो उन्हे व्यक्ति होने के कारण उपभोग्य हैं, स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए।

यह अनुमान कि सामाजिक पापण के अतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त बल,

१ सावधान पाठकों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मैं मुझ पर विरोधाभास का आक्षेप नहीं करो। भाषा की दरिद्रता के क्षारण मैं शब्दों में इसे वर्जित नहीं कर सकता हूँ, परन्तु प्रतीक्षा कीजिये।

अपनी समस्त सम्पत्ति और अपने समस्त स्वातंत्र्य का जो भाग अन्यकामित करता है वह केवल वही है, जिसका प्रयोग समुदाय के लिए आवश्यक होता है, किन्तु यह स्वीकार करना भी अनिवार्य है कि समुदाय के लिए क्या आवश्यक है, इसका निर्णयिक केवल सार्वभौमिक सत्ताधिकारी ही होता है।

वे सब भेदाएँ जो नागरिक राज्य को दे सकता है, सार्वभौमिक शक्ति की माँग पर राज्य के प्रति देय होती है, परतु दूसरी ओर सार्वभौमिक शक्ति प्रजा पर कोई ऐसा भार नहीं डाल सकती जो समुदाय के लिए लाभदायक न हो। सार्वभौमिक शक्ति ऐसा करने की अभिलापा तक नहीं कर सकती क्योंकि युक्ति नियम के अतर्गत, यथा प्राकृतिक नियम के अनुसार अकारण ही कोई क्रिया नहीं होती।

जो अभियुक्तिर्थी हमको मामाजिक निकाय में वित्त करती है, वे पारस्परिक होने के कारण दायित्व वन जाती है और उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनकी पूर्ति करने में अपना कार्य किये विना व्यक्ति दूसरों का काम नहीं कर सकता। भर्वसाधारण प्रेरणा इसीलिए मदा न्यायमगत होती है और मव व्यक्ति अनिवार्य स्प में प्रत्येक की समृद्धि के इच्छुक होते हैं, क्योंकि ममाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो “प्रत्येक” को अपने लिए प्रध्यक्षत न करना हो और मव ओर से मन प्रगट करने हुए अपने आपको (प्रत्येक) न समझता हो। इसमें मिद्द होता है कि अधिकारों की समता और न्याय का भाव जो सर्वसाधारण प्रेरणा में उत्पादित होते हैं, वे उस अधिमान्यता में व्युत्पादित हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको देता है, परिणामस्वरूप मनुष्य के स्वभाव में ही व्युत्पादित है और कि भर्वसाधारण प्रेरणा यथार्थ में सर्वसाधारण प्रेरणा होने के लिए न केवल प्रयोजन में, बल्कि मार्गत ही सर्वसाधारण होनी चाहिए, और कि सर्वसाधारण प्रेरणा मव को लागू होने के लिए इसे सर्वसाधारण में उदयमान भी होना चाहिए और कि सर्वसाधारण प्रेरणा की प्राकृतिक सन्यता विनष्ट हो जाती है यदि वह किसी वैयक्तिक और विशिष्ट प्रयोजन की ओर प्रवृत्त हो जाय, क्योंकि उस दिया में, जो हमें ज्ञात है उसका मायदट करने का हमारे पास कोई न्याय का सन्ध्य निदात नहीं होता।

वास्तव में, जब कभी भी किसी विशिष्ट तथ्य अथवा अधिकार का निस्पत्ति किसी ऐसे विद्व के सबव में, जिसका विनियमन पूर्व सामान्य हृदि द्वारा न हुआ हो, करना होता है तो विषय विवादमस्त हो जाता है। इस विवाद में स्वतन्त्रिकारी व्यक्ति एक पक्ष होते हैं और सर्वसाधारण जनना दूसरा पक्ष, परन्तु मुझे यह स्पष्ट नहीं कि इनका निर्णय किस विद्यान व किस निर्णयिक द्वारा किया जा सकता है। विवादग्रन्थ विषय

को सर्वसाधारण प्रेरणा के स्पष्ट निर्णय के हेतु अभ्युदिष्ट करना हास्यास्पद होगा क्योंकि सर्वसाधारण प्रेरणा केवल एक पक्षीय निर्णय का ही हो सकेगा, जो परिणामतः दूसरे पक्ष के लिए ऐसी प्रेरणा मात्र होगा जो निजान्मा से भिन्न तथा विशिष्ट और उपरोक्त परिस्थिति में अन्याय की ओर प्रवृत्त और त्रुटिपूर्ण होगी। इसलिए जिस प्रकार विशिष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, उसी प्रकार सर्वसाधारण प्रेरणा किसी विशिष्ट निमित्त की ओर प्रवृत्त हो जाने से स्वभावतः परिवर्तित हो जाती है और सर्वसाधारण न रहने के कारण किसी व्यक्ति अथवा तथ्य का निर्णय करने की अधिकारी नहीं रहती। उदाहरणार्थ, जब अथेन्स की प्रजा अपने राजकों को निर्वाचित अथवा अधिकारच्युत करने लगी, किसी एक को आदरित और दूसरे को दण्डित करने के प्रादेश प्रसारित करने लगी और अनेक विशिष्ट प्रादेशों द्वारा शासन के सब कृत्यों का अविवेकता से प्रयोग करने लगी, तो वह प्रजा सर्वसाधारण प्रेरणा को धारण न करने के कारण सार्वभौमिक सत्ता का रूप न होकर केवल दण्डाधिकार की शक्ति ही प्रयोग करने लगी। यह मेरा कथन सामान्य विचारों के विपरीत प्रतीत होगा, परंतु मुझे अपने विचारों की व्याख्या करने का अवसर मिलना चाहिए।

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि जो प्रेरणा को सर्वसाधारणता का गुण प्रदान करता है वह मतों की सम्भवता ही परन्तु हित की सामान्यता है जिसके कारण मत सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इस स्थान के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः अपने लिए वही वधन मान्य करता है जो वह दूसरों पर आरोपित करता है। हित और न्याय का यह एक प्रशसनीय सम्मिलन है जिसके फलस्वरूप सामुदायिक वितर्क में एक न्याय का भाव उत्पन्न हो जाता है जो किसी व्यक्तिगत प्रकार्य की चर्चा में विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कोई सामान्य हित सम्मिलन करने का अथवा निर्णयिक के मुख्य सिद्धातों का पक्ष के साथ एकात्म्य करने का हेतु नहीं होता।

चाहे किसी मार्ग से अपने सिद्धात की ओर उपगमन करे, हम सदा उसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सामाजिक पापण नागरिकों में एक ऐसी समता स्थापित कर देता है कि वे सब समान वधनों के आधीन हो जाने और समान अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार पापण के स्वभाव के अन्तर्गत सार्वभौमिक सत्ता की प्रत्येक क्रिया, या यूँ कहिये कि सर्वसाधारण प्रेरणा का प्रत्येक प्रामाणिक कार्य, सब नागरिकों को एक समान ही वधित अथवा अनुगृहीत करता है, जिसका अर्थ है कि सार्वभौमिक शक्ति राष्ट्र के निकाय को ही पहिचानती है और उस निकाय को संगृहीत करनेवाले व्यक्तियों में भेद नहीं करती। अब प्रश्न यह है कि सार्वभौमिक

सत्ता की क्रिया यथार्थ मे है क्या ? यह क्रिया उत्कृष्ट तथा हीन के मध्य सविदा नहीं, परतु निकाय की अपने प्रत्येक मदस्य के माथ मविदा रूप है। यह मविदा विद्यानुकूल है, क्योंकि इमका आधार मामाजिक पापण है, यह सविदा न्यायिक है, क्योंकि यह सवके लिए समान है, यह मविदा लाभप्रद है, क्योंकि मर्वमाधारण के हित के अतिरिक्त इसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, यह सविदा चिरस्थायी है, क्योंकि सर्वमाधारण का बल और वरिष्ठ शक्ति इमकी प्रत्याभूति होती है। जब तक लोग उपरोक्त सविदा के अधीन होते हैं वे निजी प्रेरणा का ही अनुवर्तन करते हैं, किमी अन्य व्यक्ति का नहीं और उस अवस्था मे यह प्रश्न करना कि सार्वभौमिक शक्ति और नागरिकों के अन्यान्य अधिकारों की सीमा क्या है, यथार्थ मे यह पूछना है कि नागरिक परस्पर मे, अर्थात् एक समस्त के माथ और समस्त एक के माथ, किस सीमा तक अभियुक्ति कर सकते हैं।

इम प्रकार हम देखते हैं कि सार्वभौमिक शक्ति सार्वत्रिक पूर्णाधिकारी, सार्वत्रिक पुनीत, एव मार्वत्रिक अनविरक्तम्य होते हुए भी मामान्य मविदा का न उल्लङ्घन करनी है और न कर सकनी है और कि इस सविदा के अन्तर्गत सव मनुष्य अपनी सम्पत्ति और स्वातन्त्र्य के उस भाग का जो उनके पास रहा हो, पूर्णरूपेण व्यवस्थापन कर सकते हैं, और कि सार्वभौमिक शक्ति किमी व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति भे अधिक भार डालने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि ऐसा करने से प्रक्रिया विशिष्ट हो जायगी और उसकी मत्ता सधम न रह जायगी।

यदि उपरोक्त भिन्ननाएँ मान्य कर ली जावे तो यह अमत्य मिट्ट हो जायगा कि मामाजिक पापण के अन्तर्गत व्यक्तियों की ओर मे कोई स्वत्व त्याग होता है, वाम्नव मे मामाजिक पापण के फलस्वरूप व्यक्तियों की स्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिमान्य होनी है, कुछ खोने की अपेक्षा वे अपनी अनिविच्छित तथा मदिय जीवनचर्या का एक ध्रेआठन और अधिक विश्वस्त जीवनचर्या से, प्राकृतिक स्वाधीनना का स्वातन्त्र्य भे, अन्यों को धति पहुचाने की शक्ति का निश्चित नगद्यण मे, और दूनगों को विजित कर सकने के बल वा मामाजिक नगठन द्वारा नगद्यित जनतिकम्य अधिकार भे, ग्रामप्रद विनियमन कर लेने हैं। उनका जीवन भी, जिसे उन्होंने गज्य के प्रति समर्पित कर दिया है, निरत्तर राज्य द्वारा नगद्यित होना है, और जब वे राज्य की मुग्धा हेतु उन्हे आपत्ति मे डाल्ने हैं, तो यथार्थ मे वे इसमे अधिक क्या करते हैं कि जो उन्होंने राज्य ने प्राप्त किया है, वह उन्हे फेंगे। वहा प्राकृतिक अवस्था मे वही निया उन्हे अधिक वारदार और अधिक जोग्यिम के नाथ नहीं करनी पड़ती थी, जब उन्हे अनिवार्य

सघर्षों में अभियोजित होते हुए अपने निर्वाह के साधनों तक को अपने जीवन को आपत्ति में डालकर प्रतिरक्षित करना पड़ता था ? यह सत्य है कि आवश्यकता होने पर प्रत्येक को अपने देश के लिए युद्ध करना पड़ता है, परतु पृथक् व्यक्ति को भी अपनी रक्षा के लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती । क्या अपनी सुरक्षा को स्थिर करने के लिए उस जोखिम का एक क्षीण भाग वहन करना प्राप्ति नहीं है जिसे इस सुरक्षा के अभाव में हर व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक रक्षा के लिए पूरा वहन करना पड़ता था ?

परिच्छेद ५

जीवन और मरण का अधिकार

यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे व्यक्ति जिन्हें अपने जीवन को ममान करने का अधिकार नहीं है, सार्वभीमिक शक्ति को वह अधिकार, जो उन्हें स्वयं प्राप्त नहीं है, कैसे दे सकते हैं? इस प्रश्न का निराकरण केवल दसलिए कठिन प्रतीत होता है कि यह प्रश्न गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः परिरक्षित होने के लिए अपने जीवन को स्कॅट में डालने का अधिकार है। क्या कोई कह सकता है कि जो व्यक्ति भाग में बचने के लिए खिड़की से नीचे कृदता है, वह आत्महत्या का दोषी है? इसी प्रकार क्या यह अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के निर आरोपित किया गया है जो तूफान में मर गया हो वालांकि जहाज में बहते समय वह तूफान आने की मम्भावना से अनभिज्ञ नहीं था?

सामाजिक वध का उद्देश्य भविदा करनेवाले पक्षों का परिरक्षण होता है। जो निमित्त का छच्छुक होता है, उसे उस निमित्त प्राप्ति के माध्यनों को भी मान्य करना पड़ता है, और माध्यनों में कुछ नकट और कुछ हानियाँ अविभेद होती हैं। जो अपने जीवन को दूसरों के सहारे परिरक्षित करना चाहता है उसे अपने जीवन को भी आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए देने को उद्यत होना चाहिए। नागरिक उस नकट का निर्णयिक नहीं हो नकता जिसे विद्यान के अन्तर्गत उसे भृत्य करना पड़ता है, और जब राजक उसे जादेश देता है कि “गज्य के रक्षण के लिए यह आवश्यक है कि तुम मरो” उसे मरने को उद्यत होना चाहिए, क्योंकि इसी गर्ने पर उसने इन्हें दिनों तक अपना जीवन निर्भयता ने विताया है और क्योंकि उसका जीवन अब प्रकृति का उपहार न रहकर राज्य का अप्रतिवध उपहार हो गया है।

अपराधियों को जो मात्रा का दड़ दिया जाता है, उसे इसी दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। हत्या करनेवाला मरने को इसन्दिए राजी हो जाता है कि नहीं तो उसे

किसी घातक की बलि होना पड़ेगा। सामाजिक वध में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा परिरक्षित करने की ही सोचता है और वध करते समय सविदा करनेवाले पक्ष फाँसी लगने का चितन तक नहीं करते।

अपरच, हर अपराधी जो सामाजिक अधिकारों पर आक्रमण करता है, अपने कार्यों के फलस्वरूप देश के प्रति विद्रोही और विश्वासघाती हो जाता है। देश के विधानों का उल्लंघन करने के कारण वह उस देश का सदस्य नहीं रहता बल्कि उससे युद्ध करने का अपराधी हो जाता है। उस दशा में राज्य का परिरक्षण तथा उस व्यक्ति का परिरक्षण परस्पर में असगत हो जाते हैं, दोनों में से एक का विनाश अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब किसी अपराधी को फाँसी दी जाती है तो यथार्थ में एक नागरिक को फाँसी नहीं दी जाती, बल्कि एक शत्रु को। प्रकरण की कार्यवाही और निर्णय इस बात का प्रमाण तथा घोषणा है कि उस व्यक्ति ने सामाजिक वध को तोड़ दिया है और फलत वह उस राज्य का सदस्य नहीं रह गया है। चूंकि देश में निवास होने के कारण उसकी सदस्यता को स्वीकृत कर लिया गया था, अब उसे वध के उल्लंघनकर्ता होने के कारण देश से निष्कासित करके अलग करना अथवा सार्वजनिक शत्रु के रूप में मौत द्वारा समाप्त कर देना आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त शत्रु एक नैतिक व्यक्ति न रहकर केवल एक मनुष्य रह जाता है और युद्ध के नियमों के अन्तर्गत पराजित शत्रु को मारना न्यायसंगत होता है।

परन्तु कोई यह कह सकता है कि अपराधी को मौत का दड़ देना एक विशिष्ट क्रिया है। यह बात स्वीकार है, मृत्यु-दड़ देने का अधिकार सार्वभौमिक सत्ता में निहित नहीं है। सार्वभौमिक सत्ता इस अधिकार को दूसरे को प्रदान कर सकती है परन्तु स्वयं इसका प्रयोग नहीं कर सकती। मेरे समस्त विचार शृखलावद्वा हैं, परन्तु मैं उन सबकी एक साथ ही व्याख्या नहीं कर सकता।

साथ ही यह भी ठीक है कि मृत्यु-दड़ की वारदारिता सदा शासन की दुर्वलता एवं अचेतता का द्योतक होती है। कोई मनुष्य इतना निरूपयोगी नहीं होता कि उसे किसी न किसी निमित्त के योग्य न बनाया जा सके। हम उदाहरण स्थापित करने के निमित्त भी केवल उन्हीं को मारने के अधिकारी हैं, जिनका परिरक्षण करना खतरे से खाली न हो।

जहाँ तक क्षमा प्रदान करने अथवा अपराधी मनुष्य को विधान के अंतर्गत न्यायांची द्वारा दिये हुए दड़ से मुक्त करने का सम्बन्ध है, यह अधिकार केवल सार्वभौमिक

मत्ता में ही निहित है, जो न्यायाधीश और विधान दोनों के ऊपर है। तथापि सार्व-भीमिक मत्ता का यह अधिकार बहुत स्पष्ट नहीं है और इसे प्रयोग में लाने के अवमर बहुत विरले आते हैं। मुशासित राज्य में दड़ बहुत कम दिये जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि बहुवा क्षमा प्रदान की जाती है, वल्कि यह कि अपराधी ही कम होते हैं। जब राज्य क्षय की ओर प्रवृत्त होता है, तो अपराधियों का समूह तक दड़ से बच जाता है। गोमी गणराज्य में न शिष्ट मभा और न उप-गण्यपाल क्षमा प्रदान करने को उच्चत होते थे, जन-समुदाय भी क्षमा प्रदान नहीं करता था, यद्यपि अनेक बार वे अपने निर्णयों को निर्गम्त कर देने थे। बारबार क्षमा प्रदान का अर्थ यह होता है कि शीघ्र ही अपराधियों को क्षमा की आवश्यकता न रहेगी, और उसका अतिम परिणाम क्या होगा, हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन मेरा हृदय असतुष्ट हो रहा है और मेरी लेपनी को रोक रहा है। इन प्रश्नों को उस धार्मिक मनुष्य के विचारार्थ छोड़ना ठीक होगा जिसने कभी अपराध न किया हो और जिसे कभी क्षमा-प्राप्ति की आवश्यकता न पड़ी हो।

परिच्छेद ६

विधान

सामाजिक पापण से राजनीतिक निकाय तो अस्तित्व में आ गया, अब प्रश्न यह है कि विधान द्वारा इसे गति और प्रेरणा किस प्रकार पदान की जाय, क्योंकि मूल क्रिया जो इस निकाय को निर्मित अथवा सम्मिलित करती है, इसके अतिरिक्त और कुछ निश्चय नहीं करती कि इस निकाय को अपने सरक्षण के लिए क्या करना चाहिये।

जो उचित है और व्यवस्था के अनुरूप है वह वस्तुओं के स्वभाव के अतर्गत और मानुषिक सविदा से स्वतन्त्र ही ऐसा होता है। समस्त न्याय ईश्वरीय देन है। समस्त न्याय ईश्वर से प्राप्त होता है, केवल वह ही इसका स्रोत है, परन्तु यदि हमारे लिए इतने उत्कृष्ट स्रोत से सीधा उसे प्राप्त करना सम्भव होता तो हमें न शासन की आवश्यकता थी और न विधानों की। निस्सन्देह सार्वत्रिक न्याय विवेक से ही उत्पन्न होता है, परन्तु यह न्याय समुदाय में मान्य होने के लिए अन्योन्य होना चाहिये। यदि वस्तुओं को मानुषिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो प्राकृतिक सम्मोदन-विहीन न्याय सिद्धान्त मनुष्य-समुदाय में निरर्थक सिद्ध होते हैं। जब कोई एक व्यक्ति उन पर दूसरे सब मनुष्यों के प्रति अमल करे, परन्तु कोई और मनुष्य उस व्यक्ति के प्रति उन पर अमल न करे तो वे दुष्टों को लाभप्रद और भलो को हानिप्रद ही सिद्ध होते हैं। इसलिए झटियाँ तथा विधान अधिकारों को कर्तव्यों के साथ सम्मिलित करने और न्याय को उसके प्रयोजन के साथ सम्बद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में जहाँ सब कुछ सामान्य है, उन्हें, जिनको मैंने कुछ देने का वचन नहीं दिया है, कुछ भी देने को वाध्य नहीं हूँ, केवल वही वस्तु मैं दूसरों की सम्पत्ति मानने को उद्यत हूँ जो मेरे लिये निरर्थक है। सामाजिक अवस्था में जहाँ सब अधिकार विधान द्वारा संस्थापित होते हैं, उपरोक्त स्थिति उपस्थित नहीं होती।

परन्तु अत मे विधान है क्या? जब तक लोग इस शब्द के साथ आध्यात्मिक विचारों का सम्मिश्रण करते रहेंगे उनकी दलीलें दूसरों की समझ में नहीं आयेंगी और उस दशा में, जब वे प्राकृतिक विधान की व्याख्या करेंगे, तो उससे किसी को राज्य का विवान द्या है, यह अधिक स्पष्ट नहीं होगा।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के सम्बन्ध में सर्वसाधारण प्रेरणा प्रयुक्त नहीं होती। यथार्थ में उपरोक्त विशिष्ट प्रयोजन या तो राज्य के अन्तर्गत होता है या राज्य के बाहर। यदि यह राज्य के बाहर हो तो वह प्रेरणा जो बाह्य है राज्य-सम्बन्ध में सर्वसाधारण हो ही नहीं सकती, और यदि यह राज्य के अन्दर है तो यह उसका एक अग होती है, और उस दशा में सम्पूर्ण और उसके एक अग में एक ऐसा सम्बन्ध उत्पन्न हो जायगा जिसके अन्तर्गत वे दो अलग-अलग आत्माएँ बन जायेंगी, अर्थात् सम्पूर्ण का एक अग एक अलग आत्मा और इस अग के अनिवार्य ग्रेप सम्पूर्ण एक दूसरी आत्मा। परन्तु सम्पूर्ण किसी एक भाग को कम कर देने के अनतर सम्पूर्ण नहीं रहता और जब तक उपरोक्त सम्बन्ध निर्वाहित रहेगा तब तक सम्पूर्ण वस्तु अस्तित्व में न रहकर केवल दो अमरान भाग रहेंगे, जिसका अर्थ यह होगा कि किसी एक भाग की प्रेरणा दूसरे के सम्बन्ध में सर्वसाधारण प्रेरणा नहीं होगी।

परन्तु जब कोई सम्पूर्ण जन-समुदाय सम्पूर्ण समुदाय के लिए प्रादेश जारी करता है तो वह अपने आपको ही अवलोकित करता है और यदि उस दशा में कोई सम्बन्ध स्थापित होता है तो यह सम्बन्ध सम्पूर्ण को विभाजित किये विना सम्पूर्ण वस्तु किसी एक विन्दु के प्रकाश में और सम्पूर्ण वस्तु किसी अन्य विन्दु के प्रकाश में, उन दोनों के बीच होगा। परिणामत जिस विषय के सम्बन्ध में प्रादेश निर्मित किया जायगा, यथा वह प्रेरणा जो उस प्रादेश को निर्माण करने का निर्मित होगी, दोनों सर्वसाधारण होंगे। उपरोक्त क्रिया को मैं विधान कहता हूँ।

जब मैं यह प्रस्तुत करता हूँ कि विधान का प्रयोजन भदा सर्वसाधारण होता है तो मेरा यह अर्थ है कि विधान विषयों का सामूहिक स्पष्ट में और क्रियाओं का अमृत स्पष्ट में निरूपण करता है, भनुप्य का व्यक्तिगत स्पष्ट में अथवा किसी एक विशिष्ट क्रिया का कभी निरूपण नहीं करता। उदाहरणार्थ, विधान द्वारा यह प्रादेश दिया जा सकता है कि विशेषाधिकार स्थापित होंगे, परन्तु उन विशेषाधिकारों को किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त नहीं किया जा सकता। विधान द्वारा नागरिकों की अनेक श्रेणियाँ बनायी जा सकती हैं, और वह जहंताएँ भी निर्धारित की जा सकती हैं जो प्रत्येक श्रेणी में सम्मिलित होने को अधिकृत करेंगी, परन्तु विधान विशिष्ट व्यक्तियों को किसी एक श्रेणी में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। विधान द्वारा राजन्य शासन अथवा प्रिवागत उत्तराधिकार स्थापित किया जा सकता है, परन्तु विधान द्वारा कोई राजा निर्वाचित नहीं किया जा सकता, न ही कोई राजन्य कुटुम्ब नियुक्त किया जा सकता।

है। सक्षेप में, वैधानिक शक्ति द्वारा कोई ऐसी क्रिया कार्यान्वित नहीं की जा सकती जिसका सम्बन्ध किसी एक प्रयोजन से हो।

उपरोक्त दृष्टिबिन्दु से यह तत्काल स्पष्ट हो जायगा कि यह पूछने की कि विधान बनाना किसका कर्तव्य होना चाहिये, आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि विधान सर्व-साधारण प्रेरणा के कार्य होते हैं। न यह स्पष्ट करने को आवश्यकता रहती है कि राजा विधानों के ऊपर है अथवा नहीं, क्योंकि राजा भी राज्य का एक सदस्य होता है। न यह पूछने की आवश्यकता रहती है कि क्या विधान अन्यायपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोई अपने ही प्रति अन्याय नहीं करता। न यह निर्धारित करने की आवश्यकता रहती है कि किस प्रकार हम स्वतंत्र हैं और विधानों के अधीन भी हैं, क्योंकि विधान वास्तव में हमारी अपनी प्रेरणाओं के ही तो निवध मात्र है।

अपर च इससे स्पष्ट हो जायगा कि क्योंकि विधान में प्रेरणा की सार्वत्रिकता और प्रयोजन की सार्वत्रिकता का सम्मिश्रण होता है, इसलिए जो निर्देश व्यवित, चाहे वह कोई हो, केवल अपने बल से देता है, विधान नहीं हो सकता। इसी प्रकार सार्वभौमिक सत्ता भी जो निर्देश किसी विशिष्ट प्रयोजन के सम्बन्ध में करती है, वह विधान न होकर केवल एक प्रादेश ही होता है, सार्वभौमिक सत्ता की क्रिया न होकर दडाधिकार की क्रिया होती है।

इसीलिए मैं किसी ऐसे राज्य को गणराज्य कहता हूँ जो विधानों द्वारा शासित होता है, चाहे उसके प्रशासन की शैली कैसी ही हो, क्योंकि उपरोक्त स्थिति में ही सार्व-जनिक हित सर्वोपरि होता है और सार्वजनिक वस्तु सार्थक होती है। प्रत्येक न्याययुक्त शासन गणराज्यात्मक^१ होता है। शासन का क्या अर्थ है यह मैं आगे बताऊँगा।

विधान यथार्थ में सामाजिक साहचर्य का प्रतिबन्ध मात्र है। लोगों को विधानों के अधीन होने के कारण उनके निर्माता होना चाहिये क्योंकि साहचर्य के प्रतिबंधों का

१ इस शब्द से मेरा अर्थ शिष्ट जनसत्ता राज्य अथवा जनतंत्र इत्यादि से नहीं है परन्तु साधारणतया ऐसे शासन से है जो सर्वसाधारण प्रेरणा द्वारा, अर्थात् विधान द्वारा, सचालित होता है। न्याययुक्त होने के लिए शासन को सार्वभौमिक सत्ता के साथ स्योजित नहीं करना चाहिये, परन्तु इसे सार्वभौमिक सत्ता का सहायक बनाना चाहिये। उस स्थिति में राजन्य शासन भी गणराज्य हो जायगा। इसका स्पष्ट विवेचन अगली पुस्तक में किया जायगा।

निर्णय सहचारियों द्वारा ही किया जाना उपयुक्त है। परन्तु वे निर्णय किस प्रकार करेंगे, सामान्य सविदा द्वारा अथवा आकस्मिक उच्छ्वास द्वारा? क्या राजनीतिक निकाय को अपनी प्रेरणा व्यक्त करने का कोई साधन उपलब्ध है? अपने कार्यों की रचना करने और उन्हें पूर्वत प्रकाशत करने को आवश्यक पूर्वज्ञान उमे कीन प्रदान करेगा और आवश्यकता के समय वह इन्हें किस प्रकार उदघोषित करेगा? एक अव जनसमूह जो बहुवा अपनी डच्छाओं को नहीं जानता, क्योंकि उमे अपने हित की पहिचान भी बहुत कम होती है, इतने बडे और कठिन उपक्रम को जो विधान बनाने मे अतवृत होता है, कैमे स्वत ही निष्पादित करेगा? स्वत लोग सदा अपना हित चाहते हैं, परन्तु सदा उम हित का विवेचन नहीं कर पाते। भवसाधारण प्रेरणा सदैव उचित होती है, परन्तु जो निर्णय-शक्ति इमका पथप्रदर्शन करती है वह सदा सशय-रहित नहीं होती। आवश्यकता यह है कि उसे वस्तुओं का यथार्थ रूप दिखाया जाय और कभी-कभी तो, कि वह रूप भविष्य मे क्या होनेवाला है, कि उमे वह हितकारी पथ प्रदर्शित किया जाय जिसकी वह खोज करती है, कि उमे वैदिकितक हितों के शीलाप-वाहन मे प्रतिरक्षित किया जाय और कि इमे समय और क्षेत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने को प्रवृत्त किया जाय ताकि यह तत्कालीन और प्रत्यक्ष हितों के प्रलोभन का दूरस्थ और गुप्त अहितों के भय से मतुलन कर सके। व्यक्ति उम हित की ओर दृष्टिपात करते हैं जिसे वे अस्वीकृत करते हैं और जनना उम हित को चाहती है जिसे वह स्पष्टतया देख नहीं पानी। सबको समानत पथ-प्रदर्शकों की आवश्यकता है। व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं का नियमन युक्ति के अनुरूप करने के लिए वाद्य किया जाना चाहिये। जनता को किम वस्तु की आवश्यकता है यह पहिचानने की शिक्षा दी जानी चाहिये। इम प्रकार जनसाधारण के प्रबोधन के फलस्वरूप सामाजिक निकाय मे वुड्डी और प्रेरणा का एकीकरण सम्भव्य होगा और उनमे सर्वांगों का यथार्थ सहजार्थ और अत मे नमस्त की अधिकतम शक्ति सम्पादित होगी। इम प्रकार विधिकर की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

परिच्छेद ७

विधिकर

साहचर्य के उचिततम नियमों का निरूपण करने के हेतु जो राष्ट्रों को उपयुक्त हो, यह परमावश्यक है कि एक ऐसी उत्कृष्ट वृद्धि की प्राप्ति हो जो स्वयं उन भावों के प्रभाव में न होते हुए लोगों के सब भावों की प्रतीति कर सके, जो हमारे स्वभाव से सादृश्य न रखे परन्तु इसे पूर्णरूपेण जान सके, जिसका अपना सुख हम पर निर्भर न हो, परन्तु हमारे सुख में दिलचस्पी लेने को उद्यत हो सके, और अतत, जो समय की प्रगति के साथ अपनी दूरस्थित प्रसिद्धि को संगृहीत करती हुई एक युग में श्रम करने और दूसरे युग में उसका फल भोगने को तैयार हो सके। स्पष्ट है कि लोगों को विधान देने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है।

कैलिक्युला ने तथ्य के सम्बन्ध में जो युक्ति दी थी उल्टो ने उसी युक्ति को सामाजिक और राजक मनुष्य का आदर्श स्थापित करते समय, अपने ग्रथ 'स्टेट्समैन' में अधिकार के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। परन्तु यदि यह सत्य है कि महान् राजक दुर्लभ होता है तो महान् विधिकर की स्थिति क्या होगी? क्योंकि महान् राजक को तो केवल उस आदर्श की पूर्णि करनी है जिसका निर्माण महान् विधिकर द्वारा किया जाता है। महान् विधिकर यथा को उपज्ञात करनेवाला यात्रिक होता है, महान् राजक केवल वह कर्मकार है जो इसे निष्पन्न करके चालू करता है। माटेस्क्य का कथन है कि "समाजों की उत्पत्ति के सिलसिले में गणराज्यों के राजक सम्याओं का निर्माण करते हैं और तदनंतर यह सम्याएँ गणराज्यों के राजकों को निर्धारित करती हैं।"

जो व्यक्ति किसी राष्ट्र को मस्थाएँ प्रदान करने को उद्यत होता है उसे निज में कतिपय शक्तियाँ अनुभव करनी चाहिये अर्थात् मानुषिक प्रकृति को बदलने की शक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वत एक पूर्ण और स्वतत्र इकाई है, एक ऐसी वृहत्तर इकाई का भाग बना देने की शक्ति जिससे वह किसी प्रकार अपना जीवन और अस्तित्व प्राप्त

करता हो, मनुष्य को अधिक प्रवल बनाने के लिए उसके स्वभाव को बदलने की शक्ति, उम स्वतंत्र और भाँतिक अस्तित्व को जो हम सबने प्रकृति से प्राप्त किया है, सामाजिक और नैतिक अस्तित्व द्वारा प्रतिस्थापित करने की शक्ति। एक गद्व में, यह आवश्यक है कि वह मनुष्य को अपनी कुछ स्वाभाविक शक्तियों से बचित करे ताकि उसमें ऐसी नयी शक्तियाँ सम्भव हों जो उसके लिए चाही हैं और जिनका प्रयोग वह दूसरों की महायता के बिना नहीं कर सकता। जिस मात्रा में ये प्राकृतिक शक्तियाँ मद और विनष्ट कर दी जायेगी उसी मात्रा में अवाप्त शक्तियाँ अधिक विशाल और स्थिर होंगी और स्थाएँ भी अधिक ठोस और सम्पूर्ण होंगी। इस प्रकार यदि प्रत्येक नागरिक समस्त दूसरों से सम्मिलित हुए बिना नकारात्मक हो जाय और कुछ करने सके और यदि सम्पूर्ण द्वारा अवाप्त शक्ति सब व्यक्तियों की प्राकृतिक शक्तियों के योग के बराबर अथवा उसमें उत्कृष्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि विधान सम्पूर्णत्व की सम्भाव्य उत्कृष्टतम् सीमा को प्राप्त हो गया है।

प्रत्येक दृष्टि से विधिकर राज्य में एक असाधारण मनुष्य होता है। अपनी अपूर्व वुद्धि के कारण तो उसको असाधारण होना ही चाहिये, परन्तु अपने कर्तव्य में भी वह असाधारण ही होता है। उसमें न दडाधिकार है और न सार्वजनिक सत्ता निहित होती है। विधिकर का पद गणराज्य का निर्माता होते हुए भी इसके मविधान में कोई स्वान नहीं रखता, यह एक विशेष और उत्कृष्ट पद होता है जिसकी मानुषिक शासन में कोई समानता नहीं हो सकती, क्योंकि यदि जो मनुष्यों पर प्रशासन करता है उसे विधानोकरण का अधिकार नहीं होना चाहिये, तो जिसका कर्तव्य विधानीकरण है उसे भी मनुष्यों का शासन नहीं करना चाहिये, नहीं तो उसके द्वारा निर्मित विधान, उसकी अपनी लालसाओं के महायक होने के कारण, वहूवा उसके अपने अनैतिक कार्यों को शास्त्रत करने का साधन मात्र हो जायेगे और वह कदाचि अपने वैयक्तिक विचारों को अपने कर्तव्य की पवित्रता को दूषित करने में अवश्य नहीं कर सकेगा।

जब लिसर्गस^१ ने अपने देश का विधान बनाना आगम्भ किया तो भर्दप्रथम उसने अपना राज्य-पद त्यागा। अनेक यूनानी नगरों में यह प्रया थी कि वे अपने विधानों का निर्माण विदेशियों के नुपुरं किया करते थे। इटली के अर्बानीन नवराज्य भी इनी

१ राष्ट्र के बल तब प्रसिद्ध होता है जब उसका विधान अवनत होना शुरू हो। लोग इसने अनभिज्ञ हैं कि लिसर्गस द्वारा स्थापित स्थायाएँ स्पार्टावालों को कितनी शतादियों तक सुन्न प्रदान करती रहीं, पूर्व इसके कि वे समस्त यूनान में जानी गयीं।

रीति का अनुसरण करते थे, जनीवा के शासन ने भी यही किया और इसे लाभप्रद पाया^१। रोम ने अपने सबसे यशस्वी युग में विधानीकरण शक्ति और सार्वभौम सत्ता को एक ही हस्त में एकत्रित करने के परिणामस्वरूप यह अनुभव किया कि अत्याचार के समस्त दोष उसके भीतर उत्पन्न हो गये हैं और उसे विनाश की सीमा तक पहुँचा दिया है।

फिर भी, द्वादश विधिकर मडल ने केवल अपने प्राविकार के बल पर किसी विवान को पारित करने की घृष्टता कभी नहीं की। वे हमेशा लोगों से कहते थे कि “जो कुछ हम प्रस्तावित करते हैं, विवान का रूप तभी धारण करेगा जब आप लोग इसे मान्य करेंगे। रोम के निवासियों तुम स्वयं अपने विवानों के निर्माता बनो, क्योंकि इनसे तुम्हारा सुख परिरक्षित होना चाहिये।”

इसलिए जो विवानों की रचना करता है उसे न कोई विधानीकरण का अधिकार होता है और न होना चाहिये, और लोग, यदि वे ऐसा चाहें भी तो, अपने आपको इस अनन्य सचरीय अधिकार से विहीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधारभूत पापण के अनुसार सर्वसाधारण प्रेरणा ही व्यक्तियों को बाध्य करने की शक्ति रखती है और यह निश्चित रूप से कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई विशिष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के अनुकूल है जबतक कि उसपर लोगों का स्वतंत्र मत प्राप्त न कर लिया गया हो। मैं यह पहिले भी कह चुका हूँ परतु इसे दोहराना निरर्थक नहीं होगा।

इस प्रकार विधानीकरण के कार्य में हम एक साथ दो चीजें पाते हैं जो असरगत प्रतीत होती हैं। एक ऐसा उपक्रम जो मानुषिक शक्ति में से भी परे है और इसे निष्पादित करने के लिए एक प्राविकार जो विल्कुल नकारात्मा-सा है।

एक और कठिनाई भी ध्यान देने योग्य है। वे बुद्धिमान मनुष्य जो साधारण लोगों से बोलते समय उनकी भाषा की अपेक्षा अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे समझे नहीं जा सकते, परन्तु हजारों ऐसे विचार हैं जो लोगों की सामान्य भाषा में

१ जो कैन्ट्विन को केवल अध्यात्मवादी के रूप में ही जानते हैं वे उसकी उत्कृष्ट बुद्धि के विस्तार से अपरिचित मात्र हैं। हमारे देश की बुद्धिपूर्ण राज्यघोषणाओं का सम्पादन, जिसमें उसका महान् भाग था, उसके यश का इतना ही बढ़ा आधार है, जितना उसके द्वारा लिखित ‘सत्या’ नामक ग्रथ। हमारे धर्म में समय कितनी ही क्रान्ति उत्पन्न कर दे परन्तु जब तक हम में देश और स्वतंत्रता के प्रेम का ह्लास नहीं होता है, इस महान् पुरुष का सम्मरण आदरपूर्वक किया ही जाता रहेगा।

विधिकर

प्रनूदित नहीं हो सकते। अतिसामान्य अभिप्राय और अतिदूरस्थ प्रयोजन इसकी पहुँच में बाहर है और प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट हितों से सम्बन्धित शामन-व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुभव न रखने के कारण, उन लाभों को कठिनता में अवलोकित करता है जो अच्छे विधानों द्वारा निर्दिष्ट शाश्वत नियुक्तियाँ उमे प्रदान कर सकती हैं। एनदर्थे कि कोई नवनिर्मित राष्ट्र राजनीति के स्वस्य भिन्नातों का अनुभव कर सके और राज्य के आधारभूत नियमों का निपादन कर सके, यह आवश्यक होता है कि परिणाम कारण का स्थान ले, कि जो सामाजिक प्रवृत्ति उम मस्त्य का परिणाम होनेवाली है, वह स्वयं सस्था का अध्यासन करे और मनुष्य विधान बनने के पूर्व ऐसे हो जाएं वे विधान द्वारा बननेवाले हैं। चूंकि विधिकर बल अथवा तर्क का प्रयोग नहीं कर सकता इमलिए यह आवश्यक है कि उमे एक दूसरे प्रकार का प्राविकार प्राप्त हो जो हिमा-प्रयोग के बिना वाधित कर सके और नितोप दिये बिना प्रतीति करा सके।

यही कारण है कि सब युगों में राष्ट्र-पिताओं को आकाश के अत्तरयण की गरण लेनी पड़ी और अपनी निजी वुद्धि का यज ईश्वर पर अर्पित करना पड़ा ताकि राष्ट्र प्रकृति के नियमों की तरह राज्य के नियमों के अधीन रहने हुए और मनुष्य के निर्माण में निहित शक्ति के ममान राज्य के निर्माण में प्रयुक्त शक्ति को स्वीकार करने हुए स्वेच्छा से आज्ञापालन कर सके और सार्वजनिक कल्याण के भार को नम्रतापूर्वक बहन कर सके।

विधिकर उस उत्कृष्ट युक्ति को जो भावारण मनुष्यों को पहुँच के बाहर होती है, देवों द्वारा वर्णित प्रदर्शित करता है, इनलिए कि वह ईश्वरीय प्राविकार में उन लोगों को प्रभावित कर सके जिन्हे मानुषिक वुद्धि प्रभावित करने में असफल होती है। 'परन्तु हर मनुष्य ईश्वर ने वात नहीं करा सकता, न ही हर मनुष्य को लोग ईश्वरीय उपदेश के व्याख्याकर्ता के रूप में मान सकते हैं। विधिकर की महान आत्मा ही वह वास्तविक चमत्कार है जो उसके नियोग का प्रमाण होता है। मध्य लोग यिन्हा फलकों पर नोंद

१ मंक्यावली का कथन है कि "यह वात सत्य है कि किसी राष्ट्र में कोई ऐसा असाधारण विधान-निर्माता नहीं हुआ जिसने ईश्वर का भावार न लिया हो, क्योंकि नहीं तो वे विधान स्वीकृत नहीं हो सकते ये। बुद्धिमान मनुष्य कई ऐसे लाभप्रद मिद्धान्तों को अनुभूति कर सकता है जो इतने स्वतः स्पष्ट नहीं होते कि वह दूसरों द्वारा भी स्वीकृत हो सके।"

मकते हैं, भविष्यवक्ताओं को उत्कोचित कर सकते हैं, किमी ईश्वरीय शक्ति से गुप्त गच्छार का बहाना कर सकते हैं अथवा किसी पक्षी को कान में बोलने को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अथवा लोगों को प्रभावित करने का कोई अन्य फूहड़ साधन निकाल सकते हैं। जो केवल उपरोक्त साधनों से ही भिज्ञ है वह सम्भवतः मूर्ख लोगों का समूह एक-प्रति कर सके, परन्तु वह कभी भी साम्राज्य का स्थापक नहीं हो सकता और उसकी मृत्यु के राथ ही यथाशीघ्र उसकी अवास्तविक कृति विनष्ट हो जायगी। सारहीन प्रवचनाएँ अचिरस्थायी वधन मात्र स्थापित कर सकती हैं, केवल बुद्धि ही वधन को चिरस्थायी बनाती है। यहूदियों का विधान जो अब भी जीवित है और इस्माइल के वच्चे का विधान जो दस शताब्दियों से आधे विश्व पर शामन कर रहा है, अब भी उन महान् पुरुषों का यश प्रज्वलित कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें रचा था। अभिमानी दर्यनों और अब पक्षपाती भावों को इन विधानों में भाग्यवान पायट के अतिरिक्त कुछ नहीं दीखता है, परन्तु वास्तविक राजनीति इन विधानों की शौली में उम महान और शक्तिशाली उत्कृष्ट बुद्धि का दर्शन करती है जो स्थायी सस्थाओं की अध्यासक होती है।

उपरोक्त के आधार पर वायेटन की भाँति यह अनुमान करना आवश्यक नहीं कि हमारे मध्य राजनीति और धर्म का उद्देश्य एकीभूत होता है, केवल यह मानना आवश्यक है कि गाढ़ों की उत्पत्ति में एक दूसरे का निमित्त बनता है।

परिच्छेद ८

राष्ट्र (१)

जिस प्रकार वास्तुकार किसी विगाल भवन के निर्माण के पूर्व यह जानने के लिए स्थल की जाँच करता है कि भवन के भार को वह सम्भाल सकेगी अथवा नहीं, उसी प्रकार बुद्धिमान विधिकर अच्छे विधानों का प्रवर्तन केवल इसीलिए प्रारम्भ नहीं कर देता कि वे स्वत ही उत्तम हैं, वल्कि प्रथम वह यह जाँच करता है कि वे लोग जिनके लिए वह विधान बना रहा है, उनको महन करने की सार्वत्र्य रखते हैं वा नहीं। यही कारण था कि प्लेटो ने आर्केडिया निवासियों तथा सीरेनिया निवासियों के लिए विधान बनाने में इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे जान था कि यह दोनों राष्ट्र सम्पन्न हैं और भमानता के सिद्धात को स्वीकार नहीं करेंगे, और यही कारण है कि क्रीट देश में उत्तम विधान किन्तु कृष्ट लोग पाये जाते हैं क्योंकि मिनोम ने दोष परिपूर्ण लोगों को ही अनुशासित करने की कोशिश की थी।

महत्वों राष्ट्र जो भूमि पर फले-फूले हैं उत्तम विधानों को महन नहीं कर सकते ये, और जो कुछ ऐसा कर भी सकते ये वे भी अपने मध्यूर्ण जीवन के थोड़े ही काल में ऐसा करने में सफल हुए। मनुष्यों की भाँति वहां गण्ड भी अपने योवनकाल में ही वय्ह होते हैं, वडे होने के साथ वे अशोध्य हो जाते हैं। जब एक वार रूढिया म्यापित हो जाती है तथा प्रतिकूलताएं जट पकड जाती हैं, तो उन्हे बदलने का प्रयत्न एक भया-वह एवं निष्फल चेष्टा होती है, क्योंकि लोग, उन मूर्ख और भीम मरीजों की भाँति जो चिकित्सक वीं घाल देन्वते ही कांपने लग जाते हैं, यह मह नहीं सकते कि उनके कष्टों को निवारणार्थ अकित तक किया जावे।

किन्तु जिस प्रकार कुछ वीमारियां मनुष्य के मस्तिष्क को अस्विर कर देती हैं और भूत की कुल स्मृति को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार कभी-कभी राष्ट्रों के जीवन में तेमें विलवकार होते हैं जिनमें कान्ति ने राष्ट्रों के मस्तिष्क पर वही प्रभाव पड़ता

हे जो कतिपय सकटों से व्यक्तियों के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिनमें भूत का भय विस्मरण का स्थान प्राप्त कर लेता है तथा गृह-युद्ध से पीड़ित राष्ट्र अपनी भस्म से जैसे पुनर्जीवित हो उठता है और यमराज के हाथों से छूटकर एक नये योवन की अनुभूति करने लगता है। लिसर्गेस के समय में स्पार्टा की यही दशा हुई, ताकिंवनों के अनन्तर रोम भी इसी स्थिति से गुजरा था। बलाधिकारियों को निष्कासित करने के अनन्तर हालैंड तथा स्विटजरलैण्ड भी हमारे ही मध्य इस स्थिति से गुजरे हैं।

परन्तु यह घटनाएं विरली होती हैं, ये अपवाद रूप हैं जो किसी विशेष राज्य के विशिष्ट सगठन के कारण ही घटित होती हैं। किसी एक ही राष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं दो बार घटित हुई नहीं जानी गयी क्योंकि जब राष्ट्र अशिष्ट हो तो स्वतन्त्र हो सकता है किन्तु जब सामाजिक सासाधन उत्साहित हो चुकते हैं तब ऐसा होने की सम्भावना नहीं रहती। उस समय विष्लव इसे विनष्ट कर सकता है परन्तु क्राति इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती और ज्योही इसकी जजीरे टूट जाती है यह टुकड़े-टुकड़े होकर गिर जाता है और समाप्त हो जाता है। तदनतर इसे किसी स्वामी की आवश्यकता होती है, मुकितदाता की नहीं। स्वतन्त्र राष्ट्रों, इस उक्ति को याद रखो—“स्वतन्त्रता उपार्जित की जा सकती है, पुन व्राप्त कभी नहीं की जा सकती।”

योवनकाल वचपन नहीं होता। जैसे व्यक्ति के लिए वैसे ही राष्ट्रों के लिए, विद्यानों को लागू करने को, योवन की, यदि आप यो कहना चाहे, वयस्कता की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। परन्तु राष्ट्र की वयस्कता को पहिचानना सदा आसान नहीं होता और यदि उसमें पूर्वांगरण हो जाय तो कार्य विफल हो जाता है। कोई राष्ट्र तो जन्मत ही अनुशासित होने को सम्भाव्य होता है, कोई दूसरा छ शताव्दियों पश्चात् भी अनुशासिन होने की अर्हता प्राप्त नहीं करता। रूस के लोग वास्तविक रूप में कभी मास्ट्रिक नहीं हो सकने क्योंकि उनमें सस्कृति उत्पन्न करने की कोशिश अति शीघ्र की गयी। पीटर में नकल करने की अपूर्व वृद्धि थी, परन्तु उसमें वह वास्तविक अपूर्व वृद्धि नहीं थी जो शून्य से सब चीज उत्पादित वा निर्मित कर सकती है। उसके कई प्रकार लाभदायक थे किन्तु वहुवा समय के प्रतिकूल थे। उसने देखा कि उसको प्रजा जगिष्ट है, परन्तु वह यह न देख सका कि सस्कृति प्राप्त करने के लिए जगन्नियक ह, वह उन्हें गिष्ट बनाना चाहता था, जबकि उसे उन्हें अनुशासित करना चाहिये था। वह आरम्भ में ही जर्मन और अंग्रेज निर्माण करना चाहता था, जबकि उसे न्यौं बनाने की कोशिश करनी चाहिये थी। अपनी प्रजा को जो कुछ वे नहीं ये वह मानने को प्रोत्साहित करने के कारण वह अपनी प्रजा के जो कुछ वह बन

मकती थी, वनने मे धातक मिछ दुआ। इसी प्रकार फ्रामी अव्यापक अपने शिष्य को वचपन मे ही देवीप्यमान होने को शिखित करता परन्तु उनके बाद वह बिलकुल शृङ्खल हो जाता है। स्मी नाम्राज्य यूरोप को अधीन करने को इच्छा करेगा और स्वयं दूसरे के अधीन हो जायगा। उसकी आधीनस्थ प्रजा और पडोसी ताताय लोग उनके बीर हमारे भी स्वामी हो जायेगे। मुझे यह क्राति अनिवार्य लगती है। यूरोप के मद्र राजा सवादित स्प मे इसका त्वरण कर रहे हैं।

परिच्छेद ६

राष्ट्र (२)

जिस प्रकार प्रकृति ने सुडौल मनुष्य के डीलडौल का परिमाण बांध दिया है, जिस परिमाण के बाहर डीलडौल केवल देवो और बौनों का ही हो सकता है, उसी प्रकार राष्ट्र के सर्वोत्तम निर्माण के सम्बन्ध में भी इसकी सम्भाव्य परिमिति का परिमाण होता है ताकि राष्ट्र इतना बड़ा न हो कि इसका प्रशासन सुविधा से न चल सके और न ही इतना छोटा हो कि वह अपने आपको स्थापित रखने में कठिनाई अनुभव करे। प्रत्येक राजनीतिक निकाय में शक्ति की अधिकतम मात्रा होती है जो पार नहीं किया जा सकता और जो राज्य की परिमिति बढ़ने के कारण वहुधा घट जाया करती है। सामाजिक क्षेत्र को जितना विस्तृत किया जाय उतना ही वह कमजोर हो जाता है, और सावारणत छोटा राष्ट्र बड़े राष्ट्र से अनुपातत अधिक शक्तिशाली होता है।

हजारों दलीलें इस सिद्धात की सत्यता को प्रदर्शित करती हैं। प्रथमत फासला अधिक हो जाने से प्रशासन अधिक कठिन हो जाता है जैसे 'लीवर' की लम्बाई अधिक हो जाने में भार गुरुतर हो जाता है। राष्ट्रीय लोगों की वृद्धि के अनुपात से प्रशासन अधिक भारप्रद होता जाता है, क्योंकि प्रत्येक नगर का अपना प्रशासनीय ढाँचा होता है जिसका व्यय उसे वर्द्धित करना पड़ता है, प्रत्येक मड़ल का अपना जिसका खर्च भी उन्हीं लोगों को वर्द्धित करना पड़ता है और तदन्तर प्रत्येक प्रात तया वरिष्ठ सरकारों, मठलेघ्वरों, उपराजकों का, जिनका व्यय भी अधिकार की पराकाप्ता के क्रम में बढ़ी ही मात्रा में, इन्हीं अभागे लोगों को वहन करना पड़ता है, अत में सर्वोच्च प्रशासनीतय होता है जिसमें सब अभिष्टुत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक असाधारण भार प्रजा को निरतर उत्थावित करते हैं, फलत समस्त विभिन्न अधिकारी-वृन्द द्वारा मुशायित होने की अपेक्षा प्रजा अविभवन वरिष्ठाविकारी होने के मुकाबले में अधिक दूरी तरह शामित होती है। आकस्मिक मकाटों के निवारणार्थ ऐसे राष्ट्र में कोई

स साधन नहीं रहते हैं, और जब इन स साधनों की आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्र विनाश के तट पर स्थित होता है।

केवल इनना ही नहीं, न केवल धासन विधानों को मनवाने, प्रवाधनों को अवरुद्ध करने, कुव्यवहारों को मुधारने और दूरस्थित स्यानों पर राजद्रोही चेप्टाओं को पूर्वावधानित करने में कम महिला और ओजस्वी रह जाता है, बल्कि लोगों का स्नेह अपने अधिकारी वर्ग के प्रति जिन्हे वे कभी देख ही नहीं पाते, अपने देश के प्रति जो उनकी दृष्टि में विश्व के वरावर प्रतीत होता है, और अपने देश-वन्धुओं के प्रति, जो उन्हें वहुधा अज्ञात प्रतीत होते हैं, कम हो जाता है। जब इन प्रान्तों के रीति-रिवाज विभिन्न हो, जलवायु अलग-अलग हो और उनके लिए उसी शासकीय पद्धति का मान्य करना सम्भव न हो, तो ऐसी स्थिति में समान विधान विभिन्न प्रान्तों के लिए उपयुक्त नहीं होते। एक ही वरिष्ठाविकारी के अवीन और एक दूसरे से निरतर सम्पर्क में होते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए और अतिवाह करते हुए लोगों में विभिन्न विधानों द्वारा केवल कठिनाई और विश्रम उत्पन्न होता है, योग्यिक विभिन्न रूढियों के अवीन होने से उन्हें यह भी पता नहीं लगता कि उनकी विरासत उनकी अपनी है या नहीं। उम जनसमूह में जो एक दूसरे में अनभिज है और जिसे मर्वोच्च अधिकारी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित कर लिया गया है, योग्यताएँ आवरित रहती हैं, गुण उपेक्षित रहते हैं और दोष अदण्डित रह जाते हैं। प्रमुख अधिकारी कार्य से अभिलुप्त होने के कारण स्वयं कुछ नहीं देख सकते, राज्य पर अधिनस्थ कर्मचारी शामन करने लग जाते हैं। अन्त में, समस्त सार्वजनिक ध्यान उन साधनों पर केन्द्रित हो जाता है जिन्हे इतने अनेक अधिकारियों के दूरस्थित होने के कारण सामान्य प्रभुत्व को अपवाचित तथा आत्रमित करने से अवरुद्ध करने के लिए लेना अनावश्यक होता है, लोकहित कार्य करने का उतना महत्व नहीं रहता, न ही जरूरत के समय देश की रक्षा का न्याय रहता है। इम प्रकार जो राष्ट्र अपने गठन के परिमाण में अत्यधिक बड़ा होता है वह अपने ही भार के कारण ड्रव जाता और नष्ट हो जाता है।

हमरी ओर राष्ट्र को स्थायित्व धारण करने के लिए, उन आधातों को अवरुद्ध करने के लिए, जो अनिवार्यत आने ही वाले हैं और उन कार्यों को स्थिर करने के लिए जो स्थायित्व कायम रखने के लिए करने ही पड़ेंगे, एक स्थिर नीव का प्राप्त करना आवश्यक है योग्यिक देवनात के जलभौंवरों की तर्ह भमस्त राष्ट्रों में एक केंद्रापग बल होना है जिसके कारण वे निरतर एक दूसरे के विरुद्ध कार्यशील होते हैं और अपने पड़ोसियों के व्यय पर अपनी मना बढ़ाने की आकाशा करते हैं। इसलिए निर्वलों को

यह भय होता है कि वे शीघ्र अन्यों द्वारा हडप न कर लिये जावें और कोई भी अपने आपको ऐसी साम्य दशा में स्थापित किये विना जिसके फलस्वरूप सब स्थानों पर मम्पीडन एक-मा हो जाय, अपने स्थायिन्व को देर तक रक्षित नहीं कर सकता।

इम प्रकार हम देखते हैं कि प्रसरण और सकोचन दोनों के अलग-अलग कारण होते हैं और राजनीति की योग्यता की यह न्यूनतम कसीटी है कि वह दोनों अर्थात् प्रभाग और सकोचन में गप्ट के सरक्षण के हेतु उपयोगित में अनुपात भालम कर सके।

सामारण यह कहा जा सकता है कि प्रमार बाह्य और साक्षेप होने के कारण मकुचन के अपीन रखना चाहिए, जो आन्तरिक तथा मम्पुर्ण होता है। सबसे अहली तलाश की वस्तु स्वस्य एव दृढ़ सविधान होता है और उन सासाधनों की अपेक्षा जो विम्बुत धेव में उपलब्ध होते हैं, हमे सुशामन से व्यत्पन्न होनेवाले ओज पर अधिक प्रियाग नवना चाहिये।

परन्तु गप्टों का निर्माण इम प्रकार भी हुआ है कि उनके गठन में ही विजय करने वाली आवश्यकता निहित यी और अपने आपको मस्थापित रखने के लिए उन्हे निर्नायक की नीति अपनानी पड़ी। हो सकता है कि इस सुखद आवश्यकता से उन्हें हप मिला हो, परन्तु इसी आवश्यकता ने उन्हें प्रदर्शित किया होगा कि उनकी 'गताठा' का क्षण ही अनिवार्यरूप से उनके पतन का आरम्भ था।

परिच्छेद १०

राष्ट्र (३)

कोई संगठित राज्य दो नीतियों ने मापा जा सकता है, जर्थात् उसके अंत्र के विस्तार द्वारा तथा दूसरा उसकी प्रजा की मस्त्या द्वारा। इन दोनों मापों की रीतियों में एक औचित्य का मम्बन्ध होता है जिसके अनुमार गज्य के विस्तार का वास्तविक परिमाण निश्चित किया जा सकता है। गज्य का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है, मनुष्य भूमि द्वारा पोषित होते हैं, इमलिए उचित मम्बन्ध यह होगा कि भूमि इस पर रहनेवाली प्रजा के ठीक निर्वाह के लिए पर्याप्त हो और प्रजा इतनी हो जितनी भूमि से पोषित हो सके। इसी अनुपात द्वारा किसी निश्चित प्रजा की अधिकतम शक्ति का पता चल सकता है, क्योंकि यदि भूमि अत्यधिक हो तो उसकी देखभाल कष्टदायक हो जायगी, कृपि अपर्याप्त रहेगी और उपज आवश्यकता से अधिक होगी। यह दशा रक्षात्मक लड़ाइयों का आगामी कारण है। यदि भूमि पर्याप्त मात्रा में न हो, तो राज्य को निर्वाहपूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर होना पड़ता है और यह दशा आक्रमणात्मक लड़ाइयों का आगामी कारण है। कोई भी राष्ट्र, जिसके सामने अपनी स्थिति के कारण वाणिज्य और लड़ाई में विकल्प रहता है, स्वत कमजोर होता है, यह अपने पड़ोसियों पर और घटनाओं पर निर्भर रहता है, इसका जीवन जवाय ही अल्पकालीन और अनिश्चित होता है। या तो यह दूसरों द्वारा विजित होकर विनष्ट हो जाता है। यह अपनी स्वतंत्रता को छोटा अपवा बड़ा बनकर ही सम्यापित कर सकता है।

भूमि विस्तार और प्रजा-मस्त्या के विस्तार के मम्बन्ध को किनी निश्चित मस्त्यात्मक स्तर में अभिव्यक्त करना अमम्भव है, क्योंकि भूमि के गुणों में, उसकी उर्वरक्ता की मात्रा में, उसकी उपज के प्रकार में और जलवायु के प्रभाव में अनर होते हैं, माय ही भूमि पर निवान करनेवाली प्रजा के स्वभाव में भी अनर होता है क्योंकि उपजाऊ

देश में लोग कम उपभोग करनेवाले और अनुपजाऊ भूमि पर अधिक उपभोग करनेवाले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी विचारणीय बाने होती है, स्त्रियों की अत्यधिक अथवा न्यून सतानोत्पत्ति की शक्ति, देश के हालात अर्थात् वे जनसम्मान के लिए अधिक या कम अनुकूल हैं, और विधिकर अपने द्वारा स्थापित की हुई समस्याओं से लोगों की कितनी सम्मान स्थापित करने की आशा कर सकता है, इस निर्णय का आधार वे तथ्य नहीं होने चाहिये जो आज दिखाई देते हैं परन्तु वे जिनके होने की आशा की जा सकती हों, लोगों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन कम किया जाना चाहिये, अधिक उसका अवलोकन किया जाना चाहिये जो स्वाभाविक रूप से निर्मित होनेवाली है। मक्षेप में, हजारों ऐसे प्रसग होते हैं जहाँ स्थिति के विशिष्ट तथ्यों की यह माँग होती है, अथवा वे यह अनुमति देते हैं कि जितना क्षेत्र आवश्यक दीखता हो उसमें अधिक लिया जाना चाहिये, उदाहरणार्थ पहाड़ी क्षेत्र में लोग अधिक प्रसारित होंगे क्योंकि वहाँ प्राकृतिक उपज अर्थात् वन और मरुस्थल को श्रम की कम आवश्यकता होती है और वहाँ अनुभव के आधार पर यह सिद्ध है कि स्त्रियों की सतानोत्पत्ति की शक्ति मैदानों की अपेक्षा अधिक होती है और वहाँ विस्तृत और ढालू तल पर केवल एक क्षैतिज्य आस्थान होता है जिस पर सब्जी इत्यादि पैदा हो सकती है। इसके विपरीत लोग ममुद्रतट पर चट्टानों और रेतीली भूमि के बीच में, जो प्रायः अनुपजाऊ होती है, छोड़े क्षेत्र में भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हद तक मत्स्योद्योग भूमि-उपज की कमी को पूरा कर सकता है, साथ ही लोगों को समुद्र-दस्युओं को दूर हटाने के लिए मकेंट्रित होने की अधिक आवश्यकता होती है और यदि देश में अति जन-सम्मान हो जाय तो उपनिवेशों द्वारा उसे निवारित करने की अधिक सुविधा होती है।

गण्ड को स्थापित करने के लिये उपरोक्त अवस्थाओं में एक और को जोड़ना अन्यायव्यक्त है, जिसका स्थान कोई और नहीं ले सकती और जिसके बिना यह सब अवस्थाएँ निफल हो जानी हैं। वह है प्रजा द्वारा प्रचुरता तथा शाति का उपभोग राना, स्योंकि गज्ज के निर्माण का ममय सिपाहियों को वटेलियन में एकत्रित होने की ताह वह होता है जब निकाय में रोध की शक्ति न्यूनतम होती है और उसे प्रिनस्ट राना भग्नतम होता है। रोध-शक्ति उबाल की अपेक्षा मम्पूर्ण अव्यवस्था दे ममय अधिक होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सर्वमात्वारण के खतरे की अपेक्षा अपने निजी नम की अविव चिन्ना करता है। यदि ऐसे क्षण पर युद्ध अथवा अकाल या उन्नद्रोह आ पड़े तो गज्ज जनिवार्य दृष्टि में उल्ट जायगा।

इन तूफानी क्षणों में वहुत नये शासन वन सकते हैं परन्तु यही शासन राज्य को विनष्ट करने का कारण बनते हैं। बलाधिकारी सदा मकटकालीन परिस्थिति का निर्माण करते हैं अथवा ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक उत्पात की आड़ में ऐसे विनाशकारी विवात बना सके जिन्हे जनता शात समय में कभी अभिगहन करने को उद्यत न होगी। शासन स्थापित करने के समय का निरूपण ही दृढ़तम लक्षण है जिसमें विविकार और अत्याचारी के कार्य में भेद किया जा सकता है।

विवात प्रयुक्ति के लिए कौन राष्ट्र ठीक होता है? वह राष्ट्र जो किसी उद्भव के सम्मिलन अथवा इदि द्वारा पहले ही मर्गित हो परतु जिसने अभी तक विवानों के वास्तविक जुए को ग्रहण न किया हो, वह राष्ट्र जिसमें न इडियो का और न मृद विश्वासों का पक्की तरह से वीजारोपण हुआ हो, वह राष्ट्र जिसे आकस्मिक आक्रमण से अभिप्लावित होने का भय न हो, अर्थात् जो अपने पडोसियों के झगड़ों में प्रविष्ट हुए विना या तो प्रत्येक अन्य का अकेले ही प्रतिकार कर सकता है अथवा एक की सहायता से दूसरे को पीछे हटा सकता है, वह राष्ट्र जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मम्भवत एक दूसरे को जानता है और जिसमें किसी पर उसकी वहन-शक्ति से अधिक भार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्रों की मदद के बिना निर्वाह कर सकता है और जिसको मदद के बिना प्रत्येक दूसरे राष्ट्र निर्वाह कर सकते हैं, वह राष्ट्र जो न गरीब है और न अमीर, बल्कि आत्मनिर्भर है, और अत में वह राष्ट्र जिसमें पुराने राष्ट्र की भाँति स्थायित्व का मेल नये राष्ट्र की शिक्षितव्यता में होता है, जो विवानीकरण को दुष्कर बनाता है वह कारण क्या स्थापित करना है इसमें कम परन्तु क्या विनष्ट करना है इसमें अधिक निहित होता है, और इस काम में सकृदाता इसलिए दुर्भ होती है कि प्रकृति की सरलता का सम्मिश्रण समाज की आवश्यकताओं के साथ होना असम्भव है। यह ठीक है कि उपरोक्त मम्भत परिस्थितियाँ आमानी से एकत्रित नहीं होती इसीलिए सुमगठित राज्य कम दिखाई देते हैं।

यूरोप में अब भी एक ऐसा देश है जिसमें विवानीकरण होना मम्भव है। यह कोर्सिका का द्वीप है। इस वहादुर राष्ट्र ने जिस माहम और दृष्टा में अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया तथा प्रतिरक्षित किया वह इसका पात्र बनानी है कि कोई

^१ यदि किन्हों दो पडोसी राष्ट्रों में एक का दूसरे के द्विषा निर्वाह न होता हो तो पहले राष्ट्र के लिए परिस्थिति वहुत कठिन होती है, और दूसरे के लिए वहुत भयावह। प्रत्येक दुष्क्रियान राष्ट्र ऐसी स्थिति में दूसरे राष्ट्र को इस अवर्लम्बिता से शोध्रातिशीघ्र

वुद्धिमान व्यक्ति इसे यह सिखाये कि स्वतंत्रता को सरक्षित कैसे किया जा सकता है। मुझे यह लगता है कि यह छोटा द्वीप एक दिन समस्त यरोप को विस्मित करेगा।

मुक्त करने का प्रयत्न करेगा। थासकला गणराज्य ने, जो मैंकिसको के साम्राज्य द्वारा समावृत था, मैंकिसकोवालों से नमक खरीदने अथवा मुफ्त लेने की अपेक्षा नमक के बिना निर्वाह करना अधिमान्य किया। थासकला के वुद्धिमान लोगों को इस उदारता में एक गुप्त दृष्टि लगता था। उन्होंने अपने आपको स्वतंत्र रखा, और यह छोटा राज्य जो उस घड़े राज्य में समावृत था, अत में उस साम्राज्य के नाश का निमित्त बन गया।

परिच्छेद ११

विधानीकरण की विभिन्न शैलियाँ

यदि हम खोज करे कि समस्त जनता का अधिकतम हित, जो कि विधानीकरण की समस्त शैलियों का उद्देश्य होना चाहिये, यथार्थ रूप में क्या है तो हमें पता चलेगा कि यह दो मुख्य प्रयोजनों में आकलित होता है, प्रथम उन्मुक्ति और दूसरे समता। उन्मुक्ति इसलिये क्योंकि व्यक्तिगत परतत्रता से उसी मात्रा में राज्य की आकलित शक्ति का ह्रास होता है, और समानता इसलिये कि उन्मुक्ति समानता के बिना जीवित नहीं रह सकती।

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जानपद उन्मुक्ति का क्या अर्थ है, जहाँ तक समानता का सम्बन्ध है, इस शब्द का अर्थ यह नहीं होता कि शक्ति और धन की मात्रा पूर्णरूपेण समान हो, बल्कि यह कि जहाँ तक शक्ति का सम्बन्ध है, यह विलकूल हिमात्मक नहीं होनी चाहिये और केवल विधान तथा पद के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिये, इसी तरह जहाँ तक धन का सम्बन्ध है, कोई नागरिक इतना धनी नहीं होना चाहिये कि वह दूसरे को ऋण कर सके और न कोई इतना दरिद्र होना चाहिये कि वह अपने आपको विक्रय करने को बाध्य हो जाय। यह सम्भाव्य होने के लिये बड़ों में सम्पत्ति तथा प्रभाव की अनतिना और साधारण नागरिकों में लोभ और लालमा का निरोध बाबृश्यक होता है।

सर्वसाधारण की यह धारणा है कि समानता परिकल्पना का एक भ्रम मात्र है जिसका व्यावहारिक कार्यों में अस्तित्व नहीं होता। परन्तु यदि कुप्रयोग अनिवार्य है तो क्या इसका यह अर्थ है कि इसे विनियमित करने तक की चेष्टा अनावश्यक है? क्योंकि परिम्यतियों का प्रभाव समता को निरतर विनष्ट करने में प्रबृत्त करता है, यथार्थ में इसी लिये विधान का प्रभाव नमता को नवारण करने में मददगार होना चाहिये।

परन्तु प्रत्येक हितकारी सम्पद का उपर्युक्त साधारण प्रयोजन, प्रत्येक देश में वहाँ की स्थानीय स्थिति तथा निवासियों के चरित्र से उत्पादित सबधो द्वारा सपरिवर्तित हो जाना अनिवार्य है और सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यह परमावश्यक हो जाता है कि हम प्रत्येक राष्ट्र के लिये विशिष्ट मस्था-पद्धति को निर्धारित करें जो चाहे स्वत गर्वोत्तम न हो, परन्तु उस राज्य के लिये जिसके लिये यह निर्मित की गई है, सर्वोत्तम होगी। उदाहरणार्थ, यदि भूमि अनुपजाऊ और ऊमर हो, अथवा देश अपने निवासियों के लिये वहूं छोटा होता हो तो कला और निर्माण की ओर ध्यान दो, ताकि उत्पादित वस्तुओं का आवश्यक साधारण पदार्थों से विनियम किया जा सके। दूसरी ओर, यदि देश समृद्ध ममतल भूमि और उर्वरा ढलवानी क्षेत्रों पर व्याप्त हो, अथवा उपजाऊ धेन में यदि निवासी प्रजा की कमी प्रतीत हो तो अपना सम्पूर्ण ध्यान कृपि पर केन्द्रित करने जिसमें जनसम्पद वढ़ती है, और कला को बाहर निकालो जिसके कारण देश में रहनेवाले थोटे से लोगों के चंद प्रदेशों पर एकत्रित हो जाने में देश सर्वथा निर्जनसम हो जायगा। यदि तुम्हारा देश विस्तृत और सुगम समुद्रतट पर व्याप्त हो तो समुद्र पर जटाज चड़ाओं और वाणिज्य और नाववाहन का पोषण करो। इससे देश का स्थायित्व जग्या रालीन परन्तु देवीप्यमान होगा। यदि तुम्हारे तट के सभी प समुद्र केवल अनभिगम्य धिनाओं में टकराता हो तो तुम मत्स्याहारी गँवार ही रहो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन अधिक धातिमय, सम्भवत ज्यादा अच्छा परन्तु निश्चित रूप से अधिक सुख-गाँव नौंगा। एक शब्द में, सर्वमान्य सिद्धातों के अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में १२ ग्रामा निर्मित धारण करता है जो उसे एक विशिष्ट प्रकार से प्रभावित करता है शर उग्रके विवानों को केवल अपने लिये ही उपयुक्त बना देता है। इस प्रकार प्राचीन पन में यहदी और वर्तमान युग में अरब लोगों का मुख्य प्रयोजन वर्म था, एथेन्स के लागा की कला, कार्येज और टायर के लोगों का वाणिज्य, रोड़स के लोगों का नाववाहन म्पार्टा के लोगों का युद्ध और रोम के लोगों का पराक्रम। L' Esprit de १०१८ के लेखक ने अनेकानेक उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित किया है कि विविकार इन विभिन्न कान्त द्वारा किसी मस्था को प्रत्येक प्रयोजन की ओर निर्दिष्ट कर लेता है।

तिनी गज्य का मविवान यथार्थ में तभी दृढ़ और दीर्घजीवी ही मरता है जब उसके द्वन्द्वों में गुगमता का सिद्धान्त इस प्रकार ममध रखा गया हो कि प्राकृतिक मम्बन्धों पर ग्रिहानों का मम्मिलन ममान विन्दुओं पर ही ही और विवान प्राकृतिक मम्बन्धों से नौंगा नुक्तित, ममपित और मणोविन ही करने हों। परन्तु यदि विविकार अपने उद्देश्यों और न ममजनने के कारण, प्राकृतिक तथ्यों में उत्पादित हैनेवाले मिद्रात के

अतिरिक्त किसी सिद्धान्त को धारित करता है अथवा यदि एक का झुकाव अधीनता की ओर दूसरे का उन्मुक्ति की ओर, एक का धन की ओर दूसरे का जनसमूह की ओर, एक का शांति की ओर और दूसरे का विजय की ओर हो, तो हम देखेगे कि अप्रत्यक्ष इस से विधान अवश्य हो जायेगे, सविधान परिवर्तित हो जायगा और राज्य लगातार आन्दोलित रहेगा जब तक कि वह विशिष्ट अथवा वदल नहीं जाता और अजेय प्रकृति अपना प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर लेती ।

नोट-१ इसलिये यदि आप राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हों तो दोनों नितांतताओं को एक दूसरे के इतना समीप ले आओ जितना सभाव्य हो सके, न धनिक लोगों को और न भिक्षुओं को सहन करो । उपर्युक्त दोनों स्थितियाँ जो प्रकृतित एक दूसरी से पृथक् नहीं हो सकतीं, सर्वसाधारण हित को समानत घातक होती है । प्रयम श्रेणी से अत्याचार की उत्पत्ति होती है, दूसरी श्रेणी से अत्याचारों का समर्थन करनेवाले की । इन्हीं दो श्रेणियों के बीच जन उन्मुक्ति का यातायात होता रहता है, एक उसे क्य करता है एवं दूसरा विक्रम ।

नोट-२ मार्किवस दागीसों का कथन है कि साधारणतः विदेशी वाणिज्य की कोई शाखा राज्य को मायावी लाभ ही प्रदान कर सकती है । यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों अथवा कुछ नगरों को लाभदायक हो सकता है, किन्तु समस्त राष्ट्र इसले कोई लाभ नहीं उठाता और जनता इसके कारण अधिक सम्पन्न नहीं होती ।

परिच्छेद १२

विधानों का विभिन्नीकरण

नव वस्तुओं का विनियमित करने के लिये और समधिराज्य को सुन्दरतम् स्पदने के लिये उन्नियमय सबव विचारणीय होते हैं। प्रथम समस्त निकाय की अपने ही प्रतिनिया अर्थात् समस्त का समस्त से सबव अर्थात् प्रभु का राज्य से सबव और इस प्रथा ने जनगत कई अन्तस्थ मर्यादाएँ होती हैं, जैसे हम अभी देखेंगे।

जो विग्रह इस उपर्युक्त सबव को निश्चित करते हैं उनका नाम राजनीतिक विधान आ। उन्ह मल विधान भी कहा जाता है और यदि वे विधान वुद्धियुक्त हों तो यह आग जनायन नहीं है। क्योंकि यदि किसी राज्य को विनियमित करने की एक एक विधिष्ट ही रीति है तो जिस राष्ट्र ने उसे प्राप्त कर लिया हो उसके लिये उन दृष्टिया में धारण करना ही उपयुक्त है, परन्तु यदि प्रतिष्ठापित व्यवस्था आग ता उन विधानों को जो इसे अच्छा बनाने में वादक है, मल विधान क्यों माना यह रभके अतिरिक्त प्रत्येक दशा में हर राष्ट्र को अपने विधानों को बदलने की गतिशया होती है, अच्छे विधानों को भी बदलने की, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र अपनी गति बदला चाहता हो तो उसे ऐसा करने में गोकर्ण का किसे अधिकार है?

इस भवव मदम्यों का एक दूसरे के प्रति अर्थात् समस्त निकाय के साथ होता है और उन्ह यह है कि यह भवव दूसरे मदम्यों के प्रति मकुचितम और समस्त निकाय ने प्रति विस्तृतम हो, ताकि प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिकों में पूर्णस्पेषण स्वतन्त्र हो जाए और उज्ज्वल वे अनन्य स्पष्ट में अप्रीत हो सकें। और इन दोनों की प्राप्ति के एक ही मानन है क्योंकि राज्य की शक्ति द्वाग ही नागरिकों की स्वतन्त्रता परिवर्तित की जा गती है। इन दूसरे भवव से व्यावहारिक विधानों का उद्भव होता है।

इस एक नीमरे प्रभाग के भवव पर भी विचार कर मरने हैं, वह होता है नागरिक एक विधान ने बीच में। इसका नाम है दउनीय याजा-उल्लङ्घन का भवव,

और इसमें दड़ विधान की स्थापना होती है, जो वास्तव में विधानों का कोई विशिष्ट वर्ग नहीं होता वल्कि दूसरे समस्त विधानों का आश्रय होता है।

इन विधानों के उपर्युक्त तीन वर्गों में एक चौथा वर्ग भी जुट सकता है जो इन सबसे महत्त्वपूर्ण है और जो न सगमरमर पर और न पीतल पर खुदा हुआ है वल्कि नामारिकों के हृदयों में अकित होता है। यह वह विधान है जिसके द्वाग राज्य के यथार्थ मविधान का उत्पत्ति होती है, जो प्रतिदिन नवीन स्फूर्ति प्राप्त करता है और जो जब दूसरे विधान जीर्ण अपवा अचलित हो जाते हैं उन्हें पुनर्जीवित करता है अथवा उनकी जगह अन्य प्रतिस्थापित कर देता है, प्रजा को उनकी मस्त्यओं के मत्त्व में पर्ग-रधित करता है और अप्रन्यक्त न्यूप में प्रभुत्व के स्थान पर व्यवहार्ग्वल प्रतिस्थापित कर देता है। मेरा तात्पर्य आचार, व्यवहार और मवौपर्ग मत में है और यह वह क्षेत्र है जिसे हमारे राजनीतिज्ञ जानते तक नहीं, परन्तु जिस पर अन्य सब आदारों की भकलता निर्भर होती है। महान् विविकर इस क्षेत्र का वैयक्तिक न्यूप में अनुमधान करता है जब कि प्रत्यक्ष में उसका व्यान विशिष्ट नियमों में भीमित होता है, जो केवल गुम्बज की चाप की तरह है और जिनकी स्थिर आदारशिला व्यवहार होता है, इस व्यवहार को उत्पादित होने में समय लगता है।

उपर्युक्त विभिन्न वर्गों में से केवल गजनीनिक विधान ही, जो शामकीय पद्धति को स्थापित करते हैं, मेरे विषय में मववित है।

पुस्तक ३

गामन के विभिन्न रूपों का विवेचन करने में पूर्व शासन शब्द का स्पष्ट अर्थ स्थापित करना आवश्यक है। इम शब्द की अभी तक स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई है।

परिच्छेद १

शासन, साधारण अर्थ में

मैं अपने पाठकों को चेतावनी देता हूँ कि वह इस परिच्छेद को व्यानपूर्वक पढ़े, मुझे उन लोगों को समझाने की कला नहीं आती जो व्यानपूर्वक पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं।

प्रत्येक स्वतन्त्र कार्य के दो कारण होते हैं जो सम्मिलित स्पष्ट में इसका निर्माण करते हैं, प्रथम नैतिक अर्थात् वह प्रेरणा जिसके द्वारा वह कार्य निर्णीत होता है, दूसरा भौतिक अर्थात् वह वल जिसके द्वारा वह कार्य समादित होता है। जब मैं किसी वस्तु की तरफ चलता हूँ, तो मर्वप्रथम मुझे चलने की प्रेरणा होनी चाहिये, द्वितीयत मेरे पागों में मुझे उसके समीप ले जाने का वल होना आवश्यक है। यदि कोई स्तम्भरोगी दौड़ने का आकांक्षी हो, अथवा मचेष्ट मनुष्य ऐसा करने का अभिलापी न हो, तो दोनों जहाँ हैं वही स्थित रहेंगे। राजकीय निकाय की भी यही प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, इसमें भी वल और प्रेरणा की भिन्नता होती है। प्रेरणा का नाम विद्यायी शक्ति और वल का नाम अविद्यासी शक्ति होता है। उन दोनों के सहयोग के बिना इस निकाल में न कुछ होता है और न कुछ होना चाहिये।

यह हम देख चुके हैं कि विद्यायी शक्ति लोगों में निहित होती है और केवल इन्हीं में निहित हो सकती है। इसके विरुद्ध पूर्व में स्थापित तिद्धान्तों के आधार पर यह देखना भरल है कि अधिगामी शक्ति विद्यायी अथवा मार्वजनिक शक्ति की तरह मामान्य लोगों में निहित नहीं हो सकती, क्योंकि विद्यायी शक्ति केवल उन्हीं विशिष्ट वर्गों में प्रन्यासित होती है जो विद्यान के अन्तर्गत नहीं आते और परिणामस्वरूप मार्वभौमिक नस्ता के अन्तर्गत नहीं आते, मार्वभौमिक सत्ता के समस्त कार्य विद्यान होते हैं।

इसलिये मार्वजनिक वल के लिये एक ऐसे अनुस्पष्टकार्क की आवश्यकता होती है जो इसे एकाग्र कर सके और सर्वमाधारण प्रेरणा के निर्देशनों के अनुसार कार्यान्वित बना सके, जो राज्य और मार्वभौमिक सत्ता के बीच यातायात का साधन बना सके।

और जो सावजनिक निकाय में भी मनुष्य निकाय की भाँति किसी न किसी प्रकार जीव और देह का सम्मिलन स्थापित कर सके। राज्य में शासन का यही कर्तव्य होता है जिसे कई बार गलती से सार्वभौमिक सत्ता के साथ सम्भवित कर दिया जाता है, हालांकि यह सार्वभौमिक सत्ता का केवल एक सहायक होता है।

तो यथाथ में शासन होता क्या है? यह उस अतस्थ निकाय का नाम है जो प्रजा और सावभौमिक सत्ता के बीच पारस्परिक यातायात के हेतु स्थापित की जाती है और उसका कर्तव्य होता है विवानों को सम्पादित करना और सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को परिरक्षित करना।

उम्म निकाय के सदस्य दड़ाविकारी अथवा राजा अर्थात् शासक कहलाते हैं और समस्त निकाय का नाम शासनाधिकारी होता है। इसलिये यह प्रतिपादित करने-वाले विलकुल ठीक है कि जिस क्रिया द्वारा लोग अपने आपको राजको के अधीन कर रहे हैं वह क्रिया पापण का अग नहीं होती। यह क्रिया तो केवल आजामात्र है, अर्थात् ऐवायुक्ति है, जिसके अन्तर्गत सार्वभौमिक सत्ता के सामान्य कर्मचारियों के रूप में वह लोग इसके नाम से वह शवित सम्पादित करते हैं जो सावभौमिक सत्ता ने इनमें निधिन्त कर दी है और जिसे सार्वभौमिक सत्ता, जब वह चाहे, मीमित कर सकती है, वह इसके नाम से वह शवित सम्पादित करती है। इस अधिकार का स्थायी रूपमें अन्धकारण कर देना सामाजिक निकाय के स्वभाव के प्रतिकूल होता है और साहचर्य के प्रयोजन के विरुद्ध होता है।

इसी लिये मैं शासन अथवा वरिष्ठ प्रशासनाधिकार अधिग्रासक शक्ति के न्यायमगत प्रयोग को कहता हूँ, और शासनाधिकारी अथवा दड़ाधिकारी उम्म मनुष्य जनता निकाय को कहता हूँ जो उपर्युक्त प्रशासन से प्रवृत्त होती है।

शासन में ही वे जनस्थ शक्तियां होती हैं जिनके पारस्परिक स्वप्रो में समस्त निकाय तथा समस्त के प्रति और सावभौमिक सत्ता का गज्य के प्रति स्वप्र प्रदर्शित होता है। यह अतिम स्वध मिशन्सेवार जनुपात के चरम विन्दुओं के पारस्परिक नन् द्वान भी निर्मिति रिया जा सकता है जिसका जनुपाती तुल्य विन्दु शासन होगा। शासन स्वप्र सावभौमिक सत्ता ने वे जादेश प्राप्त करता है जो वह लोगों को देता है, जार पाप्र का स्थायी भास्य देने दे रिये यह जावस्यक है नि स्व वस्तुओं के मनोऽन के देनु गन शासन के निजी उत्पादन तथा शक्ति और नागरिकों के उत्पादन तथा शक्ति में नमना हा नागरिक प्रप्र स्वप्र में सावभौमिक सत्ता और दूसरे में प्रजा होते हैं।

अपरच, उपर्युक्त तीनों शब्दों को उनका पारस्परिक अनुपात विनष्ट किये विना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि सार्वभौमिक सत्ता प्रशासन करने लगे अथवा दडाधिकारी विधानीकरण करने लगे अथवा प्रजा आजानुशासन से इनकार करे तो व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था हो जायगी, बल और प्रेरणा में पारस्परिक मेल नहीं रहेगा और राज्य का विलयन होने से एकाधिकार अथवा अराजकता स्थापित हो जायगी। अन्त में, क्योंकि प्रत्येक सवध के बीच एक ही अनुपाती मतोलन विन्दु होता है इसलिये राज्य में केवल एक ही अच्छा शासन सभव होता है। परन्तु चूंकि लोगों के सवध हजारों घटनाओं द्वारा परिवर्तित हो सकते हैं इसलिये भिन्न शासन भिन्न राष्ट्रों के लिये अथवा भिन्न समय में उसी राष्ट्र के लिये उत्तम भिन्न हो सकते हैं।

दो चरम सीमाओं के बीच क्या भिन्न सवध हो सकते हैं, इसकी कल्पना देने के लिये मैं लोगों की सूख्या का एक उदाहरण लूँगा क्योंकि इस सवध की व्यवस्था सुगमतम होगी।

हम यह मानकर चले कि राज्य में दस हजार नागरिक हैं। सार्वभौमिक सत्ता को केवल सम्मिलित और निकाय के रूप में ही कल्पित किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक वैयक्तिक मनुष्य को प्रजा के रूप में व्यक्ति कल्पित किया जाता है। इसलिये सार्व-भौमिक सत्ता और प्रजा का सवध दस हजार और एक के अनुपात से होता है, अर्थात् राज्य का प्रत्येक सदस्य सार्वभौमिक सत्ता के दस हजारवें भाग का ही अधिकारी होता है, चाहे वह सार्वभौमिक सत्ता के सर्वथा अधीन भी हो। यदि राष्ट्र में एक लाख मनुष्य हो तो प्रजा की विन्दियति तो नहीं बदलती और प्रजा का हर सदस्य विधानों की भमस्त शक्ति के आवीन होता है, परन्तु विधानों के निर्माण में उसके मत का प्रभाव, एक लाखवाँ भाग हो जाने के कारण, दसगुना कम हो जाता है। इसलिये, प्रजा सदा एक इकाई होने के कारण सार्वभौमिक सत्ता का अनुपाती सवध नागरिकों की व्यवस्था के अनुसार बढ़ जाता है, जिसका यह अर्थ है कि जितना अधिक राज्य का विस्तार हो जाता है उतनी ही अधिक स्वतंत्रता की धृति होती है।

जब मैं कहता हूँ कि अनुपाती सवध बढ़ जाता है तो मेरा अर्थ यह है कि यह ममता में अधिक दूर हो जाता है। इनलिये रेखकीय अभिप्राय में जितना सवध अधिक होगा उतना ही सामान्य अनुमोदन में कम होगा, प्रथम दशा में सवध सूख्या के आधार पर कल्पित होने के कारण नपरीक्षा द्वारा मानित किया जाता है और दूसरी दशा में ऐक्यात्म के आधार पर कल्पित होने के कारण सवध ममानता से मानित किया जाता है।

उमलिये विशिष्ट प्रेरणाये सर्वसाधारण प्रेरणा से, अर्थात् रुद्धियाँ विधानों से, जितनी मवधित होगी उतनी ही मात्रा में विरोधी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिये प्रगावशील होने के लिये जैसे लोगों की सस्या अधिक मात्रा में होगी उसी अनुपात में जानन को जटिक शक्तिशाली होना पड़ेगा।

दूसरी ओर, वयोकि गज्य के विस्तृत होने के कारण सार्वजनिक प्रभुत्व के धारकों को अपनी शक्ति का दुष्प्रयोग करने की अधिक लालसा और अधिक साधन प्राप्त होते हैं उसलिये शासन को प्रजा पर नियन्त्रण रखने के लिये अधिक बल की आवश्यकता होती है जोगे «मी प्रकार सावभौमिक मत्ता को भी शासन पर नियन्त्रण रखने के लिये अपर्युक्त बल की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त विवेचन में मैं निरपेक्ष बल की बात नहीं कहता हूँ बल्कि गज्य के विभिन्न अगों के सापेक्ष बल की बात कहता हूँ।

उम द्विपक्षीय भवध में यह सिद्ध होता है कि सार्वभौमिक सत्ता शासनाधिकारी और प्रजा के मध्य सतत अनुपात स्वेच्छाचारी कल्पना नहीं है परन्तु राजनीतिक निकाय तथा चर्मात् वा अनिवार्य परिणाम है। यह भी सिद्ध होता है कि चरमविन्दुओं में से एक, तात्पात् ताग प्रजा के न्यून में, स्थिर होने और एक इकाई द्वाग निरूपित होने के कारण, उपर्युक्त द्विपक्षीय अनुपात बढ़ जाता अथवा घट जाता है तो उसी मात्रा में एकल अनुपात भी बढ़ जाता या घट जाता है और परिणामस्वरूप मध्यस्थ मर्यादा परिवर्तित हो जाती है। उमसे प्रकट होता है कि शामन का कोई सविधान निराला और निरपेक्ष नहीं, तामकता, परन्तु जितने भिन्न भिन्न विस्तार के राज्य होते हैं उतने ही भिन्न भिन्न द्वाग के शामन हो सकते हैं।

यदि प्रस्तुत शैली का उपहास करने की दृष्टि में यह कहा जाय कि अन्तस्थ अनुपात प्राप्त करने और शामन के निकाय का निर्माण करने के लिये मैं यह प्रस्तावित नहीं हूँ कि लोगों की मर्यादा का वर्गमूल निकालना आवश्यक है तो मेरा उत्तर है कि उम प्रत्यान में मैं नस्या को केवल उदाहरण के लिये ही लेता हूँ, कि जिन अनुपातों की में यात् रात् हैं वे केवल मनुष्य-मरया के जाधार पर जनुमानित नहीं हो सकते परन्तु भामान्यन प्रक्रिया की मात्रा के जाधार पर, जो अनेक कारणों के सम्मिलन के परिणामस्वरूप होती है। यदि योंडे शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं उपर्युक्त मर्यादाओं तावणिक जात्रय के लेता हूँ, तो मैं इसमें अनभिज्ञ नहीं हूँ कि उपर्युक्त मुक्ता नैतिक मात्राओं में भारक नहीं हो सकती।

शामन त्रादे न्यूप में वही वस्तु है जो गजनीनिरु निकाय, जिसमें अन्तर्गत शामन तावणिक त्रहर् न्यूप में होता है। यह एक नैतिक व्यवित्रन्व है जो

कतिपय शक्तियों में मम्पन्न, मार्वभौमिक सत्ता की भाँति सचेष्ट, राज्य की भाँति अचेष्ट है और इसे अन्य उमी प्रकार के मवधों में विभाजित किया जा सकता है, उपर्युक्त के फलस्वरूप एक नया अनुपात स्थापित हो जाता है, और दडाधिकारी के क्रम के अनुमार एक अन्य नया अनुपात यहाँ तक कि अत में हम एक अभाज्य मध्यम्य मर्यादा, अर्थात् एकल राजक अथवा विशिष्ट ददाधिकारी, पर पहुँच जाने हैं जो इस बट्टे हुए क्रम के मध्य में अपूर्णकों और पूर्णकों की माला में एक डकाई रूप है।

अपने आपको मर्यादाओं के इस बाहुन्य से व्याकुल न करने हुए हमें नज्य के अन्तर्गत शासन को एक ऐसा नवीन निकाय के रूप में अबलोकन करने में मतुष्ट हो जाना चाहिये जो लोगों में और मार्वभौमिक सत्ता में भिन्न है परन्तु दोनों के अन्तम्य है।

उपर्युक्त दोनों निकायों में केवल यह महत्वपूर्ण अन्तर है कि गज्य स्वत वर्तमान होता है परन्तु शासन मार्वभौमिक सत्ता द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिये शासनाधिकारी की प्रबल प्रेरणा मर्वभावारण प्रेरणामात्र अथवा विद्यान मात्र ही होती है और होनी चाहिये। इसका बल इसमें सकेन्द्रित मार्वजनिक बल ही होता है। ज्यो ही यह किसी सम्पूर्ण या स्वतंत्र किया को स्वत सपादित करने की अभिलापा में युक्त हो जाती है, त्यो ही समस्त का नगठन हीला होना प्रारम्भ हो जाता है। यदि शासनाधिकारी अन्त में किसी ऐसी विशिष्ट प्रेरणा में युक्त हो जाय जो सावभौमिक सत्ता में अधिक सचेष्ट हो और यदि इस विशिष्ट प्रेरणा के अनुभग पर वाच्य करने के लिये वह मार्वजनिक बल को, जो उसके अधीन होता है, इस प्रकार प्रयुक्त करने लगे कि यथार्थ में दो मार्वभौमिक अधिकारियों का अस्तित्व स्थापित हो जाय, एक नैयायिक और दूसरा वान्तविक, तो मामाजिक नगठन तुरन्त नष्ट हो जाता है और राजनीतिक निकाय विलकुल लुप्त हो जाता है।

अपरच, शासन के निकाय को एक अस्तित्व और एक ऐसा वास्तविक जीवन प्रदान करने के लिये, जो इसे नज्य के निकाय से भिन्न कर नके और इस हेतु शासन के मध्य भद्रम्य नम्मिलित ह्य में क्रियायील हो सके और जिन प्रयोजन के लिये इसका निर्माण हुआ है, उसकी पूर्ति कर नके, वह जावद्यक है कि शासन का एक विशिष्ट व्यक्तित्व हो और इसके मदम्यों में एक सामान्य अनुभूति हो और इसके परिधान के लिये एक बल और निजी प्रेरणा हो। उपर्युक्त व्यविगत अस्तित्व कल्पन करना है कि परिषद, सपांग विमर्श और सकल्प व्यक्ति, और शासनाधिकारी में निहित कतिपय अपवर्जी अधिकार, उपाधिया और विशेषाधिकार हो, जिनमें ददाधिकारी की दृन्धनि उमी अनुपात में अधिक नम्माननीय हो जाती है, जिनमें यह अधिक दुम्मान्य होनी है। ऊठिनान्यां

उम साधन के निरूपण करने में होती है, जिस द्वारा इस अधीनस्थ सम्पूर्ण को सम्पूर्ण के अन्तर्गत इस प्रकार स्थापित किया जा सके कि अपने आपको प्रबल बनाते हुए वह सर्वमाप्तारण सविधान को दुर्बल न बना दे, कि उसका अपना विशिष्ट बल जो उसके अपने परिरक्षण के लिये योजित है उस सार्वजनिक बल से विभिन्न रह सके जो राज्य के परिरक्षण के लिये सचित होता है और एक शब्द में, कि वह सदा इसके लिये उद्यत रहे कि शासन प्रजा के हित में स्वार्थत्याग करे न कि प्रजा से शासन के हित में स्वार्थत्याग करावे।

अपरच, हालाँकि शासन के कृत्रिम निकाय का निर्माण एक अन्य कृत्रिम निकाय द्वारा होता है और इसका अस्तित्व कई दृष्टियों से व्युत्पादित और अधीनस्थ होता है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शासन थोड़ी बहुत सचेष्टता से अथवा देग से कानून कर सके, या यो कहिये कि पुष्ट स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत उपभोग न कर सके। जन में, जपने सम्मान के प्रयोजन से स्पष्ट रूप में विचलित हुए विना, उसे इस रीति ने अनुमार, जिससे उसका निर्माण हुआ है, थोड़ा बहुत फेर-वदल करने की शक्ति हानी चाहिये।

उपर्युक्त फेर-वदल से उन विभिन्न सबधों का प्रादुर्भाव होता है जिनको राज्य निकाय में स्थापित करना शासन के लिये आवश्यक है ताकि उस आकस्मिक और विशिष्ट सबधों से अनुकूलता हो सके जिनसे स्वयं राज्य परिवर्तित होता है। क्योंकि वहां स्वभावत उत्तमतम शासन भी परम दूषित बन जायगा यदि उसके सबध अपने राजनीतिक निकाय के दोपो से साथ साथ बदलते न रहेंगे।

परिच्छेद २

वह सिद्धान्त जिसके आधार पर शासन के भिन्न रूप संकलिपत होते हैं

उपर्युक्त विभिन्नताओं के भावाग्रण कारण की व्याख्या करने के लिये शासनाधिकारी और शासन में अतर करना होगा जैसे मैंने पूर्व में राज्य और सार्वभौमिक सत्ता में अतर किया है।

दडाधिकार निकाय के सदस्य अधिक अयवा न्यून हो सकते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि जैसे जैसे लोगों की मरुता बढ़ती जाती है सार्वभौमिक सत्ता और प्रजा का अनुपात मवध बढ़ता जाता है और एक स्पष्ट सादृश्य के आधार पर हम शासन और दडाधिकारियों के मवध में भी यही कह मकते हैं।

शासन के मूर्ण बल में, चूंकि यह तो हमेशा राज्य के बल का ही परिमाण है, कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका यह अर्थ है कि जितनी अधिक मात्रा में शासन इन बात को अपने मदस्यों के प्रति प्रयोग कर लेता है उतनी ही कम मात्रा समस्त प्रजा पर प्रयोग करने के लिये रह जाती है।

परिणामस्वरूप, जितनी अधिक मरुता दडाधिकारियों की होती है, उतना ही अधिक निर्वल शासन हो जाता है। क्योंकि उपर्युक्त उक्ति आवारभूत है, इसलिए और स्पष्टता में व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं।

हम दडाधिकार के निकाय में तीन मूल विभिन्न प्रेरणाओं में अतर कर मनते हैं। प्रथम, दडाधिकारी की वैयक्तिक प्रेरणा जो केवल शासनाधिकारी के द्वारा में ही प्रयुक्त होती है, द्वितीय, दडाधिकारियों को ममिलिन प्रेरणा जो केवल शासनाधिकारीके द्वारा नहीं होनी चाही और जिसे ममृष्ट प्रेरणा कहा जा सकता है, जो शासन के मवध में नवंसाकारण होनी है, परन्तु राज्य के मवध में, जिसका

शासन एक खण्ड मात्र है, विशिष्ट होती है। तीसरे स्थान पर लोगों की प्रेरणा अथवा सार्वभौमिक प्रेरणा, जो राज्य को संपूर्ण मानते हुए और शासन को संपूर्ण का एक भाग मानते हुए, उभय के सबध में सर्वसाधारण होती है।

विधिकरण की परिपूर्ण सहति में विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रेरणा अपवर्ती होनी चाहिये। संसृष्ट प्रेरणा, जिसका होना शासन के लिये स्वाभाविक है, अधीन होनी चाहिये, और परिणामस्वरूप सर्वसाधारण अर्थात् सार्वभौमिक प्रेरणा को सदा प्रवल और अन्य सबके नियमन अधिकार युक्त होना चाहिये।

दूसरी ओर, प्राकृतिक क्रम के अनुसार, ये विभिन्न प्रेरणायें उसी मात्रा में अधिक सचेष्ट हो जाती हैं, जितनी ये अधिक सकेन्द्रित होती हैं। इसलिये सर्वसाधारण प्रेरणा सबसे अधिक दुर्बल होती है, संसृष्ट प्रेरणा का दूसरा नम्बर आता है और विशिष्ट प्रेरणा का सर्वप्रथम नम्बर होता है, अर्थात् शासन में प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम अपने आप, तदनंतर दडाधिकारी और तदनंतर नागरिक होता है। यह क्रम उसके सर्वथा विपरीत है जिसकी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

यदि यह मान लिया जाय कि समस्त शासन-शक्ति, किसी एकमात्र मनुष्य के हाथ में है, तो विशिष्ट प्रेरणा और संसृष्ट प्रेरणा संपूर्ण रूप से सम्मिलित हो जायगी और परिणामस्वरूप प्रेरणा की गहनता की मात्रा अधिकतम् सभाव्य होगी। चूंकि प्रेरणा की गहनता की मात्रा पर ही बल का प्रयास अवलम्बित होता है और चूंकि शासन का संपूर्ण बल परिवर्तित होता ही नहीं इसलिए यह सिद्ध है कि सचेष्टतम् शासन एकमात्र व्यक्ति शासन ही होता है।

इसके विपरीत यदि हम शासन को विवायी शक्ति के साथ सम्मिलित कर दें, सार्वभौमिक सत्ताधिकारी को शासनाधिकारी और सब नागरिकों को दडाधिकारी बना दें तो संसृष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के साथ सम्भवित होकर सर्वसाधारण प्रेरणा की अपेक्षा अधिक सचेष्ट न हो सकेगी और विशिष्ट प्रेरणा संपूर्णतया प्रवल रह जायगी इस प्रकार शासन, जिसका सम्पूर्ण बल सदा समान ही होता है, सापेक्ष बल और अवैष्टता के आवार पर निर्वलतम् होगा।

ये सबध विवादरहित होते हैं और अन्य विचार इनको अधिक पुष्ट करने में महायक होने हैं। उदाहरणार्थ हम देखने हैं कि जिनना सचेष्ट प्रत्येक नागरिक अपने निकाय में होना है उससे अधिक सचेष्ट दडाधिकारी अपने निकाय में होता है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रेरणा सार्वभौमिक सत्ता के कार्यों की अपेक्षा शासन के कार्यों में

कही अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि प्रत्येक दडाधिकारी प्राय सदा ही शासन के किसी न किसी कृत्य से युक्त होता है जब कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत रूप में सार्वभौमिक सत्ता के किसी भी कृत्य से युक्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जितना अधिक राज्य का विस्तार होता है उतना ही अधिक इसका वास्तविक बल बढ़ता है, हालाँकि वह बल विस्तार के अनुपात से नहीं बढ़ता, लेकिन जब तक राज्य का विस्तार वही रहता है तो दडाधिकारियों की सत्त्या को बढ़ाना निरर्थक होता है, क्योंकि ऐसा करने में शासन के वास्तविक बल में वृद्धि नहीं हो जाती, शासन का बल तो वास्तव में राज्य का बल होता है और उसकी मात्रा सदा समान ही रहती है। इसलिए शासन का मपूर्ण और वास्तविक बल बढ़े बिना सापेक्ष बल और सचेष्टता कम ही होती है।

अपरत्त, यह निश्चित है कि कार्य के मापदण्ड का वेग अधिक व्यक्तियों के सपादन-कार्य में जुटने से कम हो जाता है, कि विवेक पर अधिक जोर देने से भाग्य का क्षेत्र कम हो जाता है और अवसरों को यो ही गुजरने दिया जाना है और कि अत्यधिक विवेचन के कारण विवेचन का परिणाम ही बहुधा लुप्त हो जाता है।

मैंने अभी अभी सिद्ध किया है कि दडाधिकारियों की सत्त्या में वृद्धि होने के अनुपात से शासन दुर्बल हो जाता है और यह मैं पहले से मिद्द कर चुका हूँ कि जितनी अधिक सत्त्या में प्रजा होती है निरोध बल को उतना ही बढ़ाना आवश्यक है, जिमका अर्थ यह है कि दडाधिकारी और शासन का अनुपात प्रजा और सार्वभौमिक सत्ता के अनुपात से प्रतीपित होना चाहिये, अर्थात् जितना अधिक राज्य बढ़े उतना शासन को सक्षिप्त होना चाहिये, ताकि राजकों की सत्त्या प्रजा की सत्त्या की वृद्धि के अनुपात में घट जाय।

परन्तु मैं केवल शासन के सापेक्ष बल की बात कहता हूँ, शासन की सचाई की नहीं। क्योंकि विपरीतत दडाधिकारियों की जितनी अधिक सत्त्या होती है, उतनी ही अधिक मात्रा में ममृष्ट प्रेरणा सर्वभाधारण प्रेरणा के निकट होती है और एकमात्र दडाधिकारी के अधीन उपर्युक्त ममृष्ट प्रेरणा, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक विशिष्ट प्रेरणा का रूप होती है। इस प्रकार एक ओर की हानि दूसरी ओर का लाभ बन जाती है और विधिकर की कला इसमें निहित होनी है कि वह यह पहचान भके कि शासन के बल और प्रेरणा को, जो सदा अन्योन्य अनुपात में होते हैं, परम्पर किम अनुपात में निर्धारित किया जाय ताकि वे राज्य के लिए अधिकतम हितकर मिद्द हो।

परिच्छेद ३

शासन का वर्गीकरण

पूर्वगत परिच्छेद मे देखा गया है कि शासन के विभिन्न प्रकारों और रूपों में इनका निर्माण करनेवाले लोगों की स्थ्या के अनुसार अतर करना किसलिये आवश्यक है। वर्तमान परिच्छेद मे यह देखना है कि यह भिन्नीकरण किस प्रकार किया जाता है।

प्रथमत, सार्वभौमिक सत्ता शासनभार को समस्त प्रजा मे व प्रजा के अत्यधिक भाग मे इस प्रकार न्यसित कर सकती है कि सामान्य नागरिक जनों की अपेक्षा ऐसे नागरिकों का बाहुल्य हो जाय जो दडाधिकारी होंगे। शासन के इस रूप को हम जनतत्र कहते हैं।

अथवा, सार्वभौमिक सत्ता शासन को अल्पस्थ्यक हस्तों तक सीमित रख सकती है ताकि दडाधिकारियों की अपेक्षा सामान्य नागरिकों की स्थ्या अत्यधिक हो, और इस प्रकार का नाम शिष्ट जनमत्ता होता है।

अत में, सार्वभौमिक सत्ता समस्त शासन को केवल एक एकल दडाधिकारी के हस्तों में केन्द्रित कर सकती है जिससे शेष सब अपनी शक्तियाँ व्युत्पादित करते रहें। यह तीमरा प्रकार साधारणतम है और इसे एकाविकार अथवा राजकीय शासन कहते हैं।

यह उल्लेख आवश्यक है कि इन भव प्रकारों में, कम से कम प्रथम दो प्रकारों मे, मात्राएँ मध्यम होती है और इन मात्राओं का विस्तार भी काफी दीर्घ हो सकता है, यथा जनतत्र में समस्त प्रजा को अधिकार दिये जा सकते हैं अथवा अधिकारों की सीमा आवी प्रजा तक रखी जा सकती है। इसी प्रकार, शिष्ट जन सत्ता, राज्य का विस्तार प्रजा के आवे भाग से लेकर न्यनतम अनिश्चित मध्या तक हो सकता है। राजकीय मत्ता के भी कतिपय भाग वन सकते हैं। मविधान के अन्तर्गत स्पार्टा मे मदा ही दो

राजा रहते थे और भेद के माम्राज्य में एक ही साथ आठ सम्राट् तक हुए हैं और उस समय भी यह कहना नभव नहीं था कि माम्राज्य का विभाजन हो गया है। इस प्रकार एक ऐसा विन्दु होता है जहाँ शासन का प्रत्येक प्रकार अगले प्रकार से मम्मिश्रित हो जाता है, और म्पट है कि तीन सरल सजाओ के अन्तर्गत ही वास्तव में शासन के इतने भिन्न प्रकार हो सकते हैं जितने राज्य के नागरिक हैं।

इसमें भी अधिक, एक ही शासन का कुछ दृष्टियों से, अलग अलग खड़ों में विभाजन होना सभव होने के कारण, जिसमें एक का प्रशासन एक प्रकार से और दूसरे का अन्य प्रकार से होता हो, इन तीनों प्रकारों के मेल से मिश्रित प्रकारों की एक बड़ी संख्या बन सकती है जिनमें से प्रत्येक को सब सरल प्रकारों से गुणित किया जा सकता है।

सब युगों में शासन का उत्तमतम प्रकार क्या है इस पर पर्याप्त चर्चा होती रही है परन्तु इस चर्चा में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि प्रत्येक प्रकार किसी विसी विशिष्ट स्थिति में उत्तमतम हो सकता है और अन्य स्थितियों में दुष्टतम।

यदि विभिन्न राज्यों में वरिष्ठ दडाधिकारियों की संख्या नागरिकों की अपेक्षा विलोम अनुपात से हो तो यह धारणा की जा सकती है कि साधारणतया जनतत्रात्मक शासन छोटे राज्यों के लिये उपयुक्त है, शिष्ट-जनमत्ता-राज्य मध्यम परिमाण के राज्यों के लिये और एकाधिकार शासन वृहन्-राज्यों के लिए, यह नियम तो तुरन्त सिद्धान्त से ही निर्पित किया जा सकता है, परन्तु उन अमध्य परिस्थितियों का अनुमान करना कैसे सभव है जो इस नियम के अपवाद रूप होती है?

परिच्छेद ४

जनतंत्र^१

विधान का निर्माण करनेवाला अन्यों की अपेक्षा अधिक सुचारू रूप से जानता है कि विधान को किस पकार कार्यान्वित और निर्वाचित करना चाहिये। उपरोक्त से ऐसा लगेगा कि विधान की सबसे सुन्दर व्यवस्था अधिशासी और विधायी शक्तियों के सम्मिलन से ही की जा सकती है परन्तु यही परिस्थिति क्षतिपूर्ण दृष्टियों से प्रजातत्रात्मक शासक को अयोग्य बना देती है, क्योंकि जिन वस्तुओं को अलग अलग रखना उचित है वे इस व्यवस्था में अलग नहीं रहती हैं, और शासनाधिकारी और सार्वभौमिक मत्ता एक ही व्यक्ति होने से मानो अनियमित शासन का आधार बन जाती है।

यह लाभप्रद नहीं है कि जो विधानों का निर्माण करे वही उनको कार्यान्वित भी करे। न यह लाभकर होता है कि प्रजाममूँह अपने ध्यान को साधारण विमर्श विन्दुओं से हटाकर विशिष्ट प्रयोजनों पर केन्द्रित करे। सार्वजनिक कृत्यों पर वैयक्तिक हितों के प्रभाव की अपेक्षा कोई अन्य वस्तु अधिक भयावह नहीं होती, और शामन द्वारा विधानों का दुप्रयोग विधिकर के भ्रष्टाचार की अपेक्षा जो वैयक्तिक हितों के अनुसरण का अनिवार्य परिणाम होता है, कम दोप्रयुक्त नहीं है। क्योंकि जब राज्य का सार ही बदल जाय तो मशोबन अमंभव हो जाता है। जो लोग शामन का दुप्रयोग नहीं करते वे जपनी स्वतंत्रता का भी दुप्रयोग नहीं करते, जो लोग मदा भली भाँति शामन चला मकते हैं उन्हें प्रशान्ति होने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

१ एल्डो के मतानुभार जनतत्र समधिराज्य का एक दृष्टिप्रकार होता है जिसमें स्वतंत्र्य का अतिरेक होने से अनर्गलता उत्पन्न हो जाती है। देखिये रिपब्लिक ८ एरिस्टॉटल जनतत्र को गणराज्य का दृष्टिपूर्ण रूप मानता था, देखिये पॉलिटिक्स ३—७

यदि इम घटक का सही अभिप्राय लिया जाय तो यथार्थ जनतत्र का न तो कभी अस्तित्व हुआ है और न ही कभी होगा। यह प्राकृतिक व्यवस्था के प्रतिकूल है कि वहुसंख्यक शास्त्र करे और अल्पसंख्यक प्रशासित हो। यह कल्पित करना असम्भव है कि लोग मार्वजनिक कृत्यों पर विचार करने के लिये शाश्वत परिपद् में एकत्रित रहे और यह तो स्वत् स्पष्ट है कि प्रशास्त्र के डग को परिवर्तित किये विना उपरोक्त कार्य के लिये आयोग स्थापित नहीं किये जा सकते।

वास्तव में ऐसी समझता है कि यह सिद्धान्त के स्पष्ट में निर्धारित किया जा नकता है कि जब शास्त्र के कार्य कतिपय अधिकरणों में विभाजित हो जाते हैं तो अल्पतम संख्यक अधिकरण आज अथवा कल अधिकतम प्रभुत्व को प्राप्त कर लेते हैं, इसका कारण कार्य-सम्पादन की मुगमता होता है, जिसके कारण स्वाभाविक स्पष्ट में उपरोक्त परिणाम हो जाता है।

अपरच इम शास्त्र में प्राय भभी ऐसी वस्तुएँ पूर्वकल्पित होती हैं जिनको सम्मिलित करना कठिन है। प्रथम एक बहुत छोटा राज्य जिसमें लोग शीघ्रता से एकत्रित हो जायें और जिसमें प्रत्येक नागरिक अन्य सबको मुगमता में जान सके। दूनरे आचार की बहुत मादगी जिसके कारण कार्यों का वाहूल्य और तीखी चर्चाएँ वाधित हो जायें, अपरच पद और सम्पत्ति की पर्याप्ति समानता जिसके विना अधिकार और प्रभुत्व की समानता देर तक निर्वाहित नहीं हो सकती, और अत में विलास की न्यूनता अथवा अभाव क्योंकि विलास या तो सम्पत्ति का फल होता है अथवा सम्पत्ति को आवश्यक बना देता है। सम्पत्ति धनी और निर्वन दोनों को भ्रष्ट कर देती है, धनी को सम्पत्ति के धारण के कारण और निर्वन को सम्पत्ति की लालसा के कारण। सम्पत्ति देश को पुरुषत्वहीनता और निष्मारिता की ओर ढकेल देती है, सम्पत्ति एक व्यक्ति को दूसरे के अधीन बनाकर और सबको अभिमत के अधीन बनाकर गज्य को अपने नव नागरिकों ने बचित कर देती है।

इसी लिए एक लेखक' ने गणतत्र को निद्वान्तशील बनाया है, क्योंकि उपरोक्त नव परिस्थितिर्यो शील के विना निर्वाहित नहीं हो सकती, परन्तु जावश्यक भेद न कर

१ यह प्रमिद्ध लेखक माण्डेस्वयू है जिसने अपनी पुस्तक स्पिरिट आदला (५-१) में शील को गणतत्र का सिद्धान्त दताया है, परन्तु इसी पुस्तक की प्रस्तावना में इस लेखक ने स्पष्ट किया है कि शील ने उसका अर्थ

मकने के कारण उपरोक्त वुद्धिशाली लेखक मे वहुता सुतथ्यता की दृष्टि से कभी कभी स्पष्टता की कमी रह गयी और वह यह नहीं देख सका कि सार्वभौमिक सत्ताधिकारी हर जगह समान होने के कारण प्रत्येक सुसगठित राज्य मे समान सिद्धान्त ही स्थापित होने चाहिये, चाहे शासन के रूप के अनुसार उनकी मात्रा न्यूनाधिक क्यों न हो जाय ।

यह कहना भी आवश्यक है कि कोई शासन गृह्युद्ध और आन्तरिक आन्दोलनों के इतना अधीन नहीं होता जितना कि प्रजातान्त्रिक अथवा लौकिक शासन, क्योंकि कोई अन्य शासन इतनी तत्परता और निरन्तरता से अपना रूप बदलने को प्रवृत्त नहीं होता, तथा कोई अन्य शासन अपने निजी रूप मे परिस्थापित रहने के लिये अधिक सतर्कता और साहस की माँग नहीं करता । इस सविधान मे विशेषकर नागरिक को धैर्य और बल से युक्त होना सर्वोपरि आवश्यक होता है और अपने जीवन के प्रत्येक दिन अपने पूर्ण हृदय से यह कहना आवश्यक होता है, जो एक शीलाचारी पैलेटाइन ने पोलैण्ड की परिषद मे कहा था कि “मैं शान्तिपूर्ण दासत्व से शकायुक्त स्वतत्रता को अधिमान्य करता हूँ ।”

यदि देवों का कोई राष्ट्र होता तो उसका शासन प्रजातान्त्रिक होता । इतना परिपूर्ण शासन मनुष्यों के अनुकूल नहीं है ।

राजनीतिक शील, अर्थात् देशप्रेम और समानता प्रेम से हे, जो न्यूनाधिक सब प्रकार के शासन मे विद्यमान है । इसलिये रूसो का अवक्षेप उचित नहीं । ये शब्द पोलैण्ड के राजा के पिता डॉक डी रोरेन के हैं ।

परिच्छेद ५

शिष्ट जनतंत्र

इस तथ मे दो पूर्णतया भिन्न नैतिक अस्तित्व होते हैं, अर्थात् शासन तथा मार्वभीमिक मत्ता। इमके परिणामस्वरूप दो मर्वमाधारण प्रेरणायें होती हैं, एक का मवध सब नागरिकों मे और दूसरी का केवल शासन के मदलयों मे होता है, इसी लिए, यद्यपि शासन अपनी आन्तरिक नीति को इच्छापूर्वक नियमनकर भक्ता है, वह लोगों मे मार्वभीमिक मत्ताविकारी के स्प मे कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं कर भक्ता, अर्थात् लोगों मे स्वत लोगों के नाम पर ही मवध स्थापित कर भक्ता है। उपरोक्त तथ्य कभी भुलाना नहीं चाहिये।

आश्चर्यम भभाजों का शासन शिष्ट जनतवात्मक था।' कुटुम्बों के प्रधान मार्वजनिक कृत्यों के मवध मे पारस्परिक विर्ग कर लिया करने थे। युवक लोग मुगमता मे अनुभव के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इसी वास्ते निम्न शब्द प्रयुक्त होते थे पुरोहित, वृद्ध लोग, शिष्ट सभा और वृद्ध ममाज। उत्तरी अमेरिका के मध्य लोग आज भी इसी प्रकार शामित होते हैं और उनका शामन वहूत अच्छा है।

परन्तु ज्यो ज्यो मन्था द्वारा निर्धारित अममानता प्राकृतिक अममानता पर अविभावी होती गयी, मम्पत्ति और वलै को वय की अपेक्षा अविमान्यता मिलने लगी और शिष्ट जनतंत्र निर्वाचन पर आधारित हो गया। अत मे, पिना की मम्पत्ति के

१ समाजशास्त्रियों की धारणा है कि राजतंत्र शिष्टजनतवात्मक शासन मे पहले है। दैखिये मेन : ऐनशेन्ट लॉ चैप्टर प्रयम और अरिस्टाडिल :—पॉलिटिक्स १, २

२ यह स्पष्ट है कि प्राचीन लोगों मे मे शब्द (आप्टीमेंट्स) का अर्थ

साथ साथ शक्ति भी बच्चों को परेरिपत होने लगी, जिससे कुटुम्ब विशिष्ट हो गये, शासन पैत्रिक हो गया और सभासद बीस वर्ष तक की अवस्था के पुरुष बनने लगे।

इसलिए शिष्ट जनतत्र के तीन प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, निर्वाचित और पैतृक। प्राकृतिक शिष्ट जनतत्र केवल सरल राष्ट्रों के लिये उपयुक्त होता है। पैतृक शिष्ट जनतत्र शासन का सबसे बुरा प्रकार होता है। निर्वाचित शिष्ट जनतत्र उत्तमतम है, और वास्तविक अर्थ में यही शिष्ट जनतत्र होता है।

पूर्व निर्दिष्ट दो अलग अलग शक्तियों के प्रभेद के अतिरिक्त शिष्ट जनतत्र में एक और लाभ यह होता है कि यह अपने सदस्यों का चुनाव कर सकता है। लोकिक शासन में सब नागरिक जन्मत ही दडाधिकारी होते हैं परन्तु इसमें दडाधिकारियों की सत्या नीति होती है, और वे केवल निर्वाचित ही होते हैं।^१ निर्वाचित एक ऐसी रीति है जिसके अन्तर्गत सत्यता, बुद्धि, अधिमान्यता और सार्वजनिक आदर के अनेक अन्य कारण इस बात की नवीन प्रतिभूति बन जाते हैं कि मनुष्यों पर बुद्धिमानी से प्रशासन होगा। अपरच, परिपदों के अधिवेशन अधिक सुगमता से बुलाये जा सकते हैं, कार्यों पर अधिक सुचारूता से विवेचन हो सकता है और अधिक क्रम और उद्यम से निर्णय हो सकता है। साथ ही विदेशों में राज्य की मान्यता अज्ञात और धृणित जनसमूह की अपेक्षा आदरणीय सभासदों द्वारा अधिक उत्तम रूप में सहृत होती है।

एक शब्द में, यह सबसे सुन्दर और सबसे स्वाभाविक वस्तु क्रम है कि सबसे बुद्धिमान लोग जनसमूह पर प्रशासन करे, यदि यह निश्चित हो सके कि प्रशासन केवल उनके अपने हित में न होकर जनसमूह के हित में होगा। अधिकार क्षेत्रों का निरर्थक बढ़ाना ठीक नहीं, न यह ठीक है कि जो काम सो निर्वाचित मनुष्य अधिक सुचारूप से कर सकते हैं उसे बीस हजार मनुष्यों से कराया जाय। किन्तु साथ ही इस ओर भी व्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि उपरोक्त दशा में संसृष्ट द्वितीय सार्वजनिक वल को सर्वसाधारण

^१ विधान द्वारा दडाधिकारियों के निर्वाचित का प्रकार नियमित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि शासनाधिकारी की इच्छा पर इसे छोड़ने से पैतृक शिष्ट जनतत्र की उत्पत्ति को रोकना अमंभव हो जायगा। वेनिस और वर्न के गणराज्यों में ऐसा ही हुआ था। परिणामस्वरूप वेनिस देर से एक क्षेत्रोन्मुखी राज्य है और वर्न केवल अपनी सभा की अत्यधिक बुद्धि द्वारा ही सघृत है। यह राज्य एक बड़े माननीय परन्तु भयानक अपवाद के स्वर्ग में है।

प्रेरणा के मार्ग पर क्रम निर्देशित करने लग जाता है, और एक अन्य अनिवार्य प्रवृत्ति विधानों को उनकी अधिगासी शक्ति से अशत चित्त कर देती है।

विशिष्ट भुविधाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि राज्य इतना छोटा नहीं होना चाहिये और प्रजा इतनी सरल और मत्य नहीं होनी चाहिये कि विधानों का प्रवर्तन सार्वजनिक प्रेरणा के विलकुल अनुकूल हो जैसे अच्छे प्रजातत्र में होता है। न ही राष्ट्र इतना विस्तृत होना चाहिये कि मुख्य पुरुष जो इस पर प्रयामन करने के लिये स्वभावत निर्सजित होते हैं, अपने प्रान्त में सार्वभौमिक मत्ताविकारी के रूप में मस्थापित हो सके और अत में स्वाधीन होने के लिये स्वतंत्र होने की चेष्टा आरभ कर सकें।

परन्तु यद्यपि शिष्ट जनतत्र लौकिक शामन के मुकावले में कुछ क्रम शीलों की अपेक्षा करता है, फिर भी कुछ ऐसे भी शील हैं जिनकी विशिष्ट रूप से अपेक्षा इसी तत्र को होती है, उदाहरणार्थ वनिकों में अनतिता और निर्वनों में सतोप। यह स्पष्ट है कि इस तत्र में दृढ़ भमानता अनुचित होगी। स्पार्टा तक में भी इसका पालन नहीं हो सका।^१

इसके अतिरिक्त यदि शामन का यह प्रकार सम्पत्ति की कुछ अभमानता से युक्त होता है तो सामान्यत सार्वजनिक कार्यों का मपादन उनके मुपुर्द किया जाना वाच्नीय है जो इस कार्य के हेतु अपना भमस्त भमय प्रदान कर सकते हो, न कि अरस्तू के कथनानुसार,^२ मदा ही वनिकों को अधिमान्य करना। इसके विपरीत, यह महत्वपूर्ण है कि अन्य का निर्वचन कभी कभी लोगों को यह मिखा सकता है कि मनुष्यों के वैयक्तिक गुणों में धन के अतिरिक्त अविमान्यता के और भी अधिक महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

१ स्पार्टा का प्रशसक था, परन्तु स्पार्टा के सविधान का यह सत्यत चित्रण ठीक नहीं है। स्पार्टा के संविधान के वर्णन के लिये देखिये अरिस्टाटल पालिटिक्स २ ९

२ रूसो ने अरस्तू का भगुद्ध निर्वचन किया है, क्योंकि अरस्तू ने अपनी पुस्तक पालिटिक्स (३-१२, १३) में निम्न प्रकार लिखा है —

“जन्म, स्वातंत्र्य तथा धन राजनैतिक शक्ति पर अध्यर्थन प्रदान करते हैं, परन्तु सर्वोच्च अध्यर्थन संस्कृति और शील से ही प्राप्त होता है।”

परिच्छेद ६

राजतंत्र

अभी तक हमने शासनाधिकारी को एक नैतिक और सामूहिक व्यक्ति के रूप में अवलोकित किया है जो विधानों के बल द्वारा सघटित होता है और जो राज्य की अविशासी शक्ति का प्रन्यासी है। अब हमें इस शक्ति को एक प्राकृतिक व्यक्ति अथवा एक वास्तविक पुरुष के हाथ में केन्द्रित हुए अवलोकित करना है जिसे इस शक्ति के विधानों के अनुसार व्यवस्थापित करने का एक मात्र अधिकार होता है। वह पुरुष सम्भाट् अथवा राजा कहलाता है।

प्रशासन के दूसरे प्रकारों के सर्वथा विपरीत जिनमें एक सामूहिक निकाय एक व्यक्ति का रूप धारण करता है, इस तत्र में एक व्यक्ति सामूहिक निकाय का प्रतिनिधित्व करता है। परिणामस्वरूप जो नैतिक इकाई इसे निर्मित करती है वह साथ ही एक भौतिक इकाई भी हो जाती है जिसमें वे सब शक्तियाँ स्वभावत ही सन्निहित हो जाती हैं जो विधान चेष्टापूर्वक नैतिक इकाई में एकत्रित करता है।

इस प्रकार लोगों की प्रेरणा, शासनाधिकारी की प्रेरणा, राज्य का भावजनिक बल और शासन का विशिष्ट बल सब एक ही प्रेरक शक्ति द्वारा गतिमान होते हैं, यद्यपि के सब पुर्जे एक ही हस्त के अन्तर्गत होते हैं, और सब वस्तुएँ उभी उद्देश्य की ओर प्रवृत्त होती हैं। कोई विरोधात्मक गतियाँ रहती ही नहीं जो एक दूसरे को प्रतिविहित करे, और सविधान का कोई अन्य ऐसा प्रकार कल्पित नहीं किया जा सकता जिसमें कम परिवर्म से इसे अधिक कार्य सम्पादित हो सके। समुद्रतट पर शान्तिपूर्वक बैठा हुआ और सुगमता से एक बड़े जहाज को पानी में उतराता हुआ आर्शीमिडीज' मुझे

१ आर्शीमिडीज (बी० सी० २८७ २१२) सीराक्यूज का एक महान् रेखागणितज्ञ और अभियन्ता था जो अपनी यात्रित युक्तियों के लिये प्रसिद्ध था।

उस चतुर सम्राट् का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता है जो अपनी कैविनेट में अपने विस्तृत राज्य पर प्रशासन करता है और स्वयं गतिरहित प्रतीत होता हुआ प्रत्येक वस्तु को गतिमान करता है।

परन्तु यदि राजतत्र से अधिक ओजस्वी और कोई शासन नहीं होता, राजतत्र के अतिरिक्त किसी अन्य शासन में विशिष्ट प्रेरणा का इतना प्रभुत्व भी नहीं होता और न विशिष्ट प्रेरणा कही और अधिक सुगमता से दूसरों पर प्रशासन करती है। यह सत्य है कि राजतत्र में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रयोजन की ओर गतिमान होती है परन्तु यह प्रयोजन मार्वजनिक कल्याण नहीं होता और शासन की शक्ति स्वयं ही निरतर राज्य के प्रतिकूल कार्यशील होती है।

राजा सम्पूर्णाधिकारी बनने के इच्छुक होते हैं और दूसरी ओर उन्हे निर्देशित भी किया जाता है कि सम्पूर्णाधिकारी बनने का सबसे उत्तम रास्ता प्रजा का प्रेमाधिकारी बनना है। यह उक्ति बहुत सुन्दर है और कतिपय अर्थों में बहुत ठीक भी है परन्तु दुर्भाग्यवश राज्यसभा में यह सदा उपहासित होती है। निस्सदेह प्रजा के प्रेम से उत्पन्न हुई शक्ति महानंतम होती है परन्तु यह सदिग्द और प्रतिवन्धात्मक होती है और राजा इससे कभी मनुष्ट नहीं हो सकते। सर्वोत्तम राजा भी अपने इच्छानुसार स्वामित्व लाये विना दुष्ट होने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक उपदेशक उन्हें व्यर्थ में बताता रहेगा कि लोगों का सामर्थ्य उनका अपना ही होने के कारण यह उनके अपने हित में है कि लोग सम्पन्न, सख्ता में अधिक और सामर्थ्यवान हों। राजा लोग जानते हैं कि यह तर्क असत्य है। उनका निजी हित प्रथमत यह है कि लोग निर्वल और दुर्मी हो और कभी भी उनका अवरोध न कर सके। यदि यह मान लिया जाय कि मन प्रजा निरतर पूर्णतया अनुवर्तनशील होगी तो मैं मानता हूँ कि उस दशा में राजक का हित यह होगा कि प्रजा शक्तिशाली हो ताकि उनकी शक्ति उसकी निजी होने के कारण पड़ोसियों के प्रति उसे सामर्थ्यवान बना सके। परन्तु क्योंकि यह हित गौण और अधीनस्थ होता है और क्योंकि उपरोक्त दोनों मान्यताएँ असगत होती हैं इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि राजक सदा उम मिद्दान्त को अधिमान्य करे जो उनके लिये निकटतम लाभप्रद हो। मैम्युअल ने यहूदियों को यही बात^१ दृढ़ता में कही थी। मैकियावली^२ ने स्पष्टतया

१. देखिये १ सेमेंट अष्टम, ११ से १८ तक।

२. मैकियावली के गणराज्यवाद का प्रतिसमर्थन केवल दूसों ने ही नहीं

यही प्रमाणित किया था। जब वह राजाओं को शिक्षा देने का प्रदर्शन करता था, तो साथ ही प्रजा को भी महत्वपूर्ण शिक्षाएँ देता था। मैकियावली की पुस्तक “राजक” गणराज्यवादियों का आदि ग्रथ है।

हमने सामान्य तत्त्वों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि राजतत्र केवल विस्तृत राज्यों के लिये ही उपयुक्त होता है और स्वतं राजतत्र का विवेचन करने से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। जितनी अधिक सत्या में सार्वजनिक प्रशासनात्मक निकाय होगा उतना ही अधिक शासनाधिकारी का अनुपात प्रजा के सबध में क्षीण हो जायगा और समानता के निकट पहुँचेगा, यहाँ तक कि प्रजातत्र में यह अनुपात इकाई अथवा समानता बन जाता है। परन्तु ज्यों ज्यों शासन समुचित होता जाता है, यह अनुपात बढ़ता जाता है और जब शासनाधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो यह अनुपात अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है। उस दशा में शासनाधिकारी और प्रजा के बीच अत्यधिक फासला हो जाता है और राज्य में सलाग का अभाव हो जाता है। तब राज्य को एकीकृत करने के लिये अन्तस्थ वर्ग स्थापित करने पड़ते हैं। यह अन्तस्थ वर्ग राजक, महाजन और शिष्ट जनों द्वारा निर्मित होता है। परन्तु छोटे राज्य के लिये यह सब कुछ समुचित नहीं है क्योंकि इन सब वर्गों द्वारा तो इसके नाश की ही सभावना होती है।

किया है, दार्शनिक स्पिनोजा ने तथा इतिहासज्ञ हैलम ने भी इसी दृष्टि को मान्य किया है। देखिदे स्पिनोजा ड्रेटे पॉलिटोक तथा हैलम लिट आव् यूरोप, १-८

१ मैकियावली एक सम्माननीय पुरुष और अच्छा नागरिक था, परन्तु भेडिची के कुट्टुम्ब से सलग्न होने के कारण अपने देश के कुसमय के दिनों में उसे स्वतत्रता के लिये अपना पेम छिपाना पड़ा। अधम नायक (Cesare Borgia) को चुनने मात्र से ही उसका गुप्त अभिप्राय पर्याप्त रूप में स्पष्ट हो जाता है और उसकी पुस्तक “राजक” के सिद्धान्तों और डिस्त्रीसेंज आन टिट्स लिविअस तथा हिस्ट्री आव् फ्लोरेन्स के सिद्धान्तों में पारस्परिक विरोध से प्रकट हो जाता है कि इस गभीर राजनीतिज्ञ को पाठकों ने अभी तक केवल तलोपरिक और दूषित रूप में पढ़ा है। रोम के राज्य दरवार में इसकी पुस्तक का दृढ़ता से नियेघ किया गया था। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ परन्तु रोम का राजदरवार ही तो वह है जिसका उसने इतने स्पष्ट रूप से चिन्हण किया था।

परन्तु यदि विस्तृत राज्य के लिए सुचारू रूप से प्रशासित होना कठिन है तो किमी एक पुरुष द्वारा तो सुशासित होना और भी अविक कठिन है, और यह तो सबको जात है कि जब राजा प्रतिराजाओं^१ को नियुक्त करता है तो उसका परिणाम क्या होता है।

एक सामूहिक और अनिवार्य दोष, जिसके कारण गणतात्मक शासन से राजतात्मक शासन मदा ही अवग रहेगा, यह है कि गणतात्मक शासन में भार्वजनिक मत के आधार पर वरिष्ठ पदों पर ज्ञानयुक्त और योग्य पुरुष साधारणतया कभी आस्थ नहीं होते जो उन पदों का कार्य आड़त स्प में कर सके। वल्कि जो राजतात्मक शासन में भफल होते हैं वे वहुधा केवल क्षद्र, कुचेष्टाकारी, क्षुद्र गठ और क्षुद्र पड्यनकारी होते हैं जिनका क्षुद्र, चातुर्य, जिमके बल पर वे राजदरवार में वरिष्ठ पदों को प्राप्त कर लेते हैं, पद प्राप्त करने के त्वरित उपरान्त ही जनमाधारण उनकी अप्रवीणता को प्रदर्शित कर देता है। राजा की अपेक्षा जनता का वरण बहुत कम भल्पूर्ण होता है और राजतात्री मन्त्रिमंडल में सुयोग्य पुरुष इतना ही विरला दिखायी देता है जितना गणतात्मक शासन के प्रमुख स्थान पर मूर्व है। इमलिए जब कभी सीमाय से राज्य-परम्परा में कोई सुयोग्य शासक^२ जन्म जाता है और उपरोक्त मन्त्री-समूह द्वारा विनष्ट राज्य के कार्य सपादन करने लगता है तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसे क्या द्रव्य-माधव प्राप्त हो जाने हैं और उसका पदग्रहण देश में नया युग आरम्भ कर देता है।

राज्यतात्मक राज्य सुचारू स्प ने प्रशासित हो सके इम हेतु यह आवश्यक है कि उसकी विशालता और विस्तार शासक की शक्ति के अनस्प हो। विजय करना शासन करने की अपेक्षा सुगम है। पर्याप्त उत्तोलन डड होने से विज्व को एक उँगली में गतिमान किया जा सकता है, परन्तु इसे धारण करने के लिए हरक्यूलीज के कथों की जहरत होती है। चाहे राज्य कितना ही छोटा हो राजक इमके लिए सदा ही अतिक्षुद्र होता है। परन्तु इमके विपरीत जब ऐसा लगे कि राजक के पास अतिक्षुद्र

१ इसका स्पष्ट निर्देश उन तीस प्राधीक्षकों (Intendants) की ओर है जो उस समय फ्रास का प्रशासन करते थे।

२ ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसका निर्देश duc de choiscul की ओर था।

राज्य है जो बहुत कम होता है तो भी प्रशासन बुरा ही रहता है, क्योंकि राजक अपनी विशाल सचितनाओं का अनुसरण करता हुआ प्रजा के हितों को भुला देता है और जितना कोई अवर शासक अपनी योग्यता की कमी के कारण प्रजा को अप्रसन्न करता है, इसलिए ऐसा कहना चाहिये कि राजक की क्षमता के अनुसार राज्य प्रत्येक शासन में घटता बढ़ता रहना आवश्यकीय है, परन्तु सभासदों की योग्यता निश्चित सीमाओं के अन्तर्गत कार्यशील होने के कारण गणतन्त्रात्मक राज्य स्थायी सीमाएँ प्राप्त कर सकता है और प्रशासन समान रूप में सतोषप्रद हो सकता है।

एक मात्र व्यक्ति के शासन की सबसे स्पष्ट असुविधा यह है कि जैसे दूसरे दो शासन के प्रकारों में सतत अनुक्रम हो जाता है इसमें अनुक्रम विघ्नरहित नहीं होता। एक राजा के मर चुकने पर अन्य आवश्यक होता है, यदि निर्वाचन से दूसरा निर्धारित करना होतो भयावह समयान्तर उत्पन्न हो जाता है जो तूफानी होता है और यदि नागरिक अपक्षपाती और सच्चे न हो, जिसकी सभावना इस शासन में बहुत नहीं है तो निर्वाचन में घड़्यत्र और भ्रष्टाचार सम्मिलित हो जाते हैं। जिस मनुष्य को इस प्रकार राज्य विक्रय हुआ हो यह कठिन है कि वह स्वयं भी इसका विक्रय न कर डाले, और जो वन अन्य शक्तिशाली लोगों ने उससे बलात् आदान किया था वह असहाय प्रजा से क्षतिपूरित न कर ले। ऐसे प्रशासन के अन्तर्गत कभी न कभी सब वस्तुये धनमेंद्र हो जाती है और राजा के अधीन शान्ति का उपभोग उस अवस्था में अराजकत्वकाल की अव्यवस्था से भी बरा होता है।

इन दोपों को दूर करने के लिए क्या किया गया है? मुकुट कतिपय कुटुम्बों में पित्रिगत् वना दिया जाता है और उत्तराधिकार का एक क्रम निर्धारित कर दिया जाता है जिससे राजा की मृत्यु पर कोई झगड़ा न हो। अर्थात् निर्वाचन की असुविधा के स्थान पर प्रतिराजमङ्गलों की असुविधा प्रतिस्थापित कर दी जाती है, वुद्धियुक्त प्रशासन की अपेक्षा शान्ति की दिखावट को और अच्छे राजाओं के निर्वाचन में युक्त विवाद का सकट उठाने की अपेक्षा बच्चों, राक्षसों और दुर्वलों को शासक बनाने का जोखिम उठाना पसन्द किया जाता है। लोग इस ओर काफी व्यान नहीं देते कि उपरोक्त विकल्प के सकट उठाने में उन्होंने जपने आप को अत्यन्त कठिनाई में डाल लिया है। पुत्र डाट्नोमिन ने अपने पिता को जिसके द्वारा वह यह कहकर तिरम्भृत किया गया था कि क्या मैंने तुम्हारे ममक्ष इम प्रकार का कोई उदाहरण दिया है, वहूँ वुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया है कि “पितृवर, आपका पिता राजा नहीं था।”

जिम मनुष्य का पालन पोषण दूसरों पर प्रशासन करने के हेतु होता है उसे न्याय और युक्ति से अपवचित करने के लिये सब हेतु उत्पन्न हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि युक्त राजकों को शासन-कला सिखाने का काफी प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह गिक्षा उन्हे लाभ देती प्रतीत नहीं होती। उन्हे आज्ञापालन-कला सिखाने से आरभ करना कहीं अच्छा हो। इतिहास ने जिन महानतम राजाओं को प्रशमा की है वे शासन करने के लिये प्रशिक्षित नहीं हुए थे, प्रशासन एक ऐसा विज्ञान है जिससे अत्यधिक अध्ययन के पश्चात् भी मनुष्य कुछ कम अनभिज्ञ नहीं रहते और इसकी अवाप्ति का अधिक सुन्दर मार्ग आज्ञापालन द्वारा होता है, प्रशासन द्वारा नहीं। अच्छी और बुरी वस्तुओं में अन्तर करने का सबसे लाभप्रद और सबसे मुगम मार्ग यह है कि इस बात पर विचार किया जाय कि किसी अन्य राजक के आदीन आप क्या करना अनुमोदित अथवा अननुमोदित करते हैं।

सलाग के इम अभाव का परिणाम यह होता है कि राजतत्रात्मक शासन अस्थिर हो जाता है जो राज्याधिकारी राजक अथवा उमकी ओर में राज्य करनेवाले व्यक्तियों के चरित्र के अनुसार कभी एक योजना द्वारा नियमित और कभी अन्य योजना द्वारा नियमित होने से एक स्थिर प्रयोजन का अथवा मगत आचरण-सिद्धान्त का किसी लंबे समय के लिये अनुमरण नहीं कर सकता, इम अस्थिरता के कारण राज्य सिद्धान्तों और योजनाओं के मध्य ढोलता रहता है। उपरोक्त स्थिति अन्य शासनों की नहीं होती जहाँ शासनाधिकारी सदा समान रहता है। इसी प्रकार माध्यरणतया यह देखने में आता है कि राज्यदरवार में अधिक चातुर्य और गिष्ट मभा में अधिक वृद्धिमत्ता होती है और यह भी कि गणराज्य अपने प्रयोजनों को अधिक स्थिर और नियमित शावनों द्वारा अनुमरित करते हैं जब कि तमाम मन्त्रियों और तमाम राजाओं का यह मामान्य सिद्धान्त होने के कारण कि जो कार्य उनके पूर्वगामियों द्वारा सपादित हुआ है, उसे उत्क्रमित करना है, राजनत्रात्मक मन्त्री मभा का प्रत्येक पन्द्रिंदोह राज्य में आन्ति उत्पन्न कर देता है।

सलाग के उपरोक्त अभाव ने गजनीतिज्ञों के एक परिचित मिथ्यावाद का हल प्राप्त हो जाना है। यह मिथ्यावाद मामाजिक शासन की कांटम्बिक शासन ने तुलना करने में निहित है जिसका हम पहले ही सठन कर चुके हैं परन्तु इसके अतिरिक्त यह मिथ्यावाद दडाविकारी को उन नव गुणों से मपूर्णतया युक्त मान लेने की धारणा करता है जिनकी उन्हे आवश्यकता पड़ती है और उमकी मान्यता है कि राज्य स्वभावत ना हो जैसा उसे होना चाहिये। उपरोक्त मान्यता के आवार पर राजतत्रात्मक

शासन अन्य प्रत्येक शासन-प्रकार से प्रत्यक्षत अधिमान्य है, सिद्ध किया जाता है क्योंकि यह शासन निविरोध रूप से प्रबलतम तो होता ही है श्रेष्ठतम होने के लिये इसमें केवल उस संसृष्टि प्रेरणा की कमी है जो सर्वसाधारण प्रेरणा के संगत हो।

परन्तु यदि प्लेटो के अनुसार स्वभावत राजा विरला ही व्यक्ति होता है तो प्रकृति और भाग्य का ऐसा सयोग कि वही व्यक्ति मुकुट को धारण भी करे कितनी बार हो सकता है? और यदि राजकीय शिक्षा अनिवार्य रूप से शिक्षितों को ऋष्ट कर देती है तो मनुष्यों के ऐसे अनुक्रम से जिन्हें प्रशासनार्थ ही प्रशिक्षित किया गया हो, क्या आशा की जा सकती है? इसलिये राजतत्रात्मक शासन को एक अच्छे राजा के साथ सभ्रमित करना ऐच्छिक आत्मवचन मात्र है। यह शासन वास्तव में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसे अयोग्य और दुष्ट शासकों के अधीन अवलोकन करना चाहिये, क्योंकि सिहासन पर इस प्रकार के राजा ही आरूढ होगे अथवा सिहासन उन्हें ऐसा बना देगा।

हमारे लेखक इन कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं थे परन्तु वे उनसे व्याकुल नहीं हुए। उनका कथन है कि इन कठिनाइयों का प्रतिकार बिना अस्तोप प्रकट किये आज्ञापालन करने से होगा। ईश्वर जब नाराज हो जाता है तो दुष्ट राजभों को जन्म देता है और हमें इन्हें ईश्वरीय ताड़ना के रूप में सहन करना चाहिये। इस प्रकार की युक्ति निस्सदैह शिक्षाप्रद है परन्तु मेरी धारणा है कि यह युक्ति राजनीति की पुस्तक में लिखित होने की अपेक्षा वर्मोपदेश के स्थान से दिया जाना अधिक उचित होगा। ऐसे चिकित्सक के बारे में जो अद्भुत कार्य करने का वायदा करे और रोगी को धैर्य देने में ही अपनी भमस्त कला का प्रयोग करे, क्या कहा जा सकता है। हम समुचित रूप से जानते हैं कि जब हमारा शासन खराब होता है तो उसे सहन करना ही पढ़ता है, प्रग्न हमारे सामने यह है कि अच्छा शासन कैसे प्राप्त किया जाय।

पारच्छेद ७

मिश्रित शासन

यथार्थ स्प मे सरल शासन होता ही नहीं। एक मात्र राजक को अधीनस्थ दडाविकारियों की आवश्यकता होती है, और लौकिक शासन मे एक मुख्याधिकारी अनिवार्य है। इस प्रकार अधिगामी शक्ति के विभाजन में सदा बड़ी सख्त्या से छोटी सख्त्या की ओर अनुत्रम होता है, अतर केवल इतना है कि कई बार वहुसख्त्या अल्पसख्त्या पर निर्वारित होती है और कई बार अल्पसख्त्या वहुसख्त्या पर।

कई बार विभाजन समानता के आधार पर होता है, यह दो अवस्थाओं में होता है, प्रथम जब सघटक अग पारम्परिक निर्भरता में रहते हैं, यथा इंग्लैण्ड के शासन मे, दूसरे जब प्रत्येक भाग का प्रभुत्व स्वाधीन परन्तु अपूर्ण होता है, जैसे पोलैण्ड में। उपरोक्त दूसरा प्रकार खराब होता है क्योंकि शासन में कोई ऐक्य नहीं होना और राज्य मे सलाग का अभाव होता है।

प्रथम यह है कि मरल अथवा मिश्रित शासन अधिक अच्छा होता है। इस प्रश्न पर नज़रनीतिक लेखकों में प्रवल विवाद रहता है और इसका उत्तर वही देना उचित होगा जो मै पहले प्रत्येक शासन के प्रकार के मध्य मे दे चुका हूँ।

स्वत मरल शासन उनमनर होता है, केवल इसी कारण कि वह मरल है। परन्तु जब अधिगामी शक्ति विवायी शक्ति पर पर्याप्त मात्रा मे निर्भर नहीं होती, अर्थात् जब शासनाधिकारी और शार्वभौमिक मत्ता में प्रजा और शासनाधिकारी की अपेक्षा बड़ा अनुपात होता है तो इस अनुपात की असमतता को शासन के विभाजन मे प्रतिकृत किया जाता है क्योंकि ऐसा करने मे प्रजा पर शासन के सब घटों का नमान प्रभुत्व हो जाता है और उनके विभाजन के कारण उनका ममिलित दल शार्वभौमिक मत्ता के विरुद्ध धीरण हो जाता है।

इस कठिनाई का प्रतिकार अतस्थ दडाधिकारियों के स्थापन द्वारा भी किया जा सकता है जो शासन को सपूर्ण रखते हुए दोनों शक्तियों अर्थात् अधिशासी और विधायी शक्तियों में सतुलन स्थापित कर देते हैं और उनके भिन्न भिन्न अधिकार को परिरक्षित कर देते हैं। उस दशा में शासन मिश्रित नहीं होता, बल्कि सयत होता है।

इसके विपरीत कठिनाई को भी समान साधनों से ही प्रतिकृत किया जा सकता है, और जब शासन अत्यधिक शिथिल होता है तो इसे सकेन्द्रित करने के लिये धर्माधिकरण निर्मित किये जाते हैं। सब जनतओं में यही रुढ़ि है। उपरोक्त प्रथम दशा में शासन को निर्वल बनाने के लिये और दूसरी दशा में प्रवल बनाने के लिये विभाजित किया जाता है, क्योंकि बल और शिथिलता की अधिकतम मात्रा सरल शासनों में ही पायी जाती है, इसके विपरीत मिश्रित शासन माध्यम बल प्रदान करते हैं।

परिच्छेद ८

प्रत्येक शासन का प्रकार प्रत्येक देश के लिये उपयुक्त नहीं होता

सब प्रकार की जलवायु में फलित न हो सकने के कारण स्वतंत्रता मव लोगों को प्राप्त नहीं होती। मौटिस्क्यू द्वारा संस्थापित उपर्युक्त सिद्धान्त को हम जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही हम इसकी सत्यता का दर्शन करते हैं। जितना अधिक इस सिद्धान्त को विवादित किया जाता है उतना ही अधिक अवसर नये प्रमाणों द्वारा इसे स्थापित करने का मिलता है।

विश्व के सब शासनों में सार्वजनिक व्यक्ति केवल उपभोग करता है परन्तु कुछ उत्पादित नहीं करता। जिस तत्व का उपभोग किया जाता है वह कहाँ में आता है? शासन के सदस्यों के श्रम से। सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तियों द्वारा की हुई बचत से होती है जिससे यह सिद्ध होता है कि सामाजिक रचना तभी तक निर्वाहित हो सकती है जब तक मनुष्यों का श्रम उनकी अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करना हो।

परन्तु उपर्युक्त अतिरेक विश्व के मव देशों में समान नहीं होता, कुछ देशों में अतिरेक की मात्रा बहुत अधिक होती है, अन्यों में मध्यम, कुछ और में अन्य और कतिपय में वियुत राशि में। यह मात्रा निम्न कारणों पर आधारित होती है—जलवायु के कारण भूमि की उर्वरता पर, भूमि पर किस प्रकार का श्रम आवश्यक होता है उन पर, भूमि-उपज के प्रकार पर, निवासियों की आगेरिक शक्ति पर, निवासियों को अपने निवाह हेतु कम या अधिक उपभोग की आवश्यकता है इस पर, और इसी प्रकार के अनेक अन्य अनुपानों पर जो इसे निर्मित करते हैं।

दूसरी ओर मव शासनों का स्वभाव समान नहीं होता। कुछ अधिक, अन्य कम मात्रा में व्यर्थव्ययी होते हैं और इस अतर का आधार यह है कि सार्वजनिक अशासन

अपने सोत से जितनी दूर होते हैं उतने ही वे बोझल प्रतीत होते हैं। करो का भार उनकी मात्रा से अनुमानित नहीं किया जा सकता परन्तु उस फासले से जो उन्हें जिनसे वे एकत्रित किये गये हैं उनको लौटने के लिये पूरा करना पड़ता है, जब यह परिवहन सत्वर और सुचारू रूप से स्थापित होता है तो कर की मात्रा अधिक है अथवा क्षीण इसका कोई महत्त्व नहीं रहता। लोग सदा सपन्न रहते हैं और राज्य-वित्त सदा वैभवशाली रहता है। इसके विपरीत, लोग चाहे कितना ही कम कर दे, यदि यह कम मात्रा भी उन्हें प्रतिवर्तित न होती हो तो वे निरतर देने के कारण जल्दी ही उत्साहित हो जाते हैं, परिणामस्वरूप राज्य कभी सपन्न नहीं होता और प्रजा सदा भिशुवत् रहती है।

इससे यह सिद्ध होता है कि प्रजा और शासन के बीच का अतर जितना अधिक बढ़ जाता है शुल्क भी उतने ही अधिक दुर्वह हो जाते हैं। इसी लिये जनतत्र मे लोग न्यूनतम भारप्रस्त होते हैं, शिष्ट जनतत्र मे इससे अधिक और राजतत्र मे अधिकतम अधिभारित होते हैं। इसलिये राजतत्र केवल सपन्न राष्ट्रों के ही उपयुक्त होता है, शिष्ट जनतत्र ऐसे राज्यों के जो सपत्ति और विस्तार मे मध्यम हो और जनतत्र छोटे ओर निर्धन राज्यों के।

वास्तव मे, जितना ही हम ज्यादा इस पर विचार करते हैं उतना ही स्वतत्र और राजतत्रात्मक राज्यों मे यही अतर हमें प्रतीत होता है। स्वतत्र राज्यों मे प्रत्येक वस्तु सामान्य लाभ के हेतु प्रयुक्त होती है, राजतत्रात्मक राज्य मे सार्वजनिक और वैयक्तिक द्रव्य साधन अन्योन्य होते हैं अर्थात् वैयक्तिक द्रव्य साधनों की क्षति से सार्वजनिक साधनों की वृद्धि होती है। अत मे प्रजा को सुखी बनाने के हेतु उन पर प्रशासन करने की अपेक्षा प्रशासन करने के हेतु उन्हे दुखी बनाया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक जलवायु मे नैसर्गिक कारण होते हैं जिनके आधार पर उस जलवायु के स्वभाव के अनुरूप शासन का क्या प्रकार होगा यह हम निरूपित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उस देश मे किस प्रकार के निवासी रहने चाहिये। अनुपजाऊ और ऊसर क्षेत्रों को, जहाँ उपज श्रम का प्रतिशोधन नहीं कर सकती अकृष्ट और सपरित्यक्त रहना चाहिये अर्थात् केवल झूर लोगों द्वारा वासित होना चाहिये। वे क्षेत्र जहा मनुप्य का श्रम केवल आवश्यकताओं की पूर्तिमात्र करता है अमम्य राष्ट्रों द्वारा वासित होने चाहिये, उनमे कोई विधि स्थापित करना अमभव होता है। वे क्षेत्र जहाँ उपज का श्रम मे अनिरेक मध्यम मात्रा मे हो स्वतत्र राष्ट्रों के वास के हेतु उपयुक्त होते हैं, वे जिनकी प्रचुर और उर्वरा भूमि क्षीण श्रम मे भी अविक उपज उत्पादित करती है,

राजतत्र प्रशासन के हेतु उपयुक्त होते हैं ताकि प्रजा की वचत शासनाधिकारी के विलाम में उपभुक्त हो सके। वैयक्तिक पुस्पो द्वारा लुटाये जाने की बजाय उस अतिरेक का शासन द्वारा शासित होना अधिक अच्छा है। मुझे जात है कि इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, परन्तु ये अपवाद इस नियम को स्वतं सिद्ध करते हैं, क्योंकि कभी न कभी वे उन क्रान्तियों को उत्पन्न करते हैं जिनके कारण वस्तुओं का नैमित्यक क्रम सम्भापित हो जाता है।

सावारण विधानों का उन विशिष्ट कारणों से जिनके द्वारा उनके परिणाम सपरिनित हो जाते हैं, भेद करना बाढ़नीय है। यदि समस्त दक्षिण में लोकतत्र ही होते और समस्त उत्तर में एकाधिकार राष्ट्र, तब भी यह कहना असत्य नहीं होता कि जलवायु के प्रभाव के अन्तर्गत एकाधिकार उपन देशों के उपयुक्त होता है, अराजकता शीत देशों, और सतुलित शामन अतस्थ धेनों के। परन्तु मैं देखता हूँ कि भिन्नान्त को मान्य करके भी इसकी प्रयुक्ति पर विवाद होता है, उदाहरणार्थ यह तर्क किया जा सकता है कि कुछ शीत देश बहुत उपजाऊ हैं और कुछ दक्षिण स्थित देश विलकुल अनुपजाऊ। परन्तु यह कठिनाई तो केवल उन्हें अनुभव होती है जो इस विपय को पूर्णरूपेण अवलोकित नहीं करते। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ थम, द्रव्यमावन तथा उपभोग आदि में युक्त सब सबधों को मगणित करना आवश्यक है।

विस्तार में समान दो मडलों की उपज, मान लो कि ५ और १० के अनुपात में है। यदि पहले मडल के निवासी चार खडों का उपभोग करे और दूसरे मडल के निवासी १० खडों का, तो पहले की अतिरिक्त उपज का पांचवाँ भाग व दूसरे का दसवाँ भाग रह जायगा। उपर्युक्त दोनों अतिरेकों का अनुपात प्रत्येक की उपज के विलोमकृत होने के कारण वह मडल जिसकी उपज केवल पांच है, दूसरे मडल में जिसकी उपज दस है दुगुनी वचत प्राप्त करेगा।

परन्तु यह प्रबन्ध दुगुनी उपज पर आधारित नहीं होता और मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति शीत देशों की उर्वरता को उपन देशों की उर्वरता के समान कल्पित कर सकता है। परन्तु यदि हम इस भमानता को कल्पित भी कर दें, अर्थात् डगलिन्नान को मिनली के समान और पोलैण्ड को मिन्न के समान मान लें, तब भी और अधिक दक्षिण में अफीका और भाग्न होगे और अधिक उत्तर में कुछ नहीं होगा। उपज की इस भमानता के बदले सम्भूति की मात्रा में किनता अन्तर प्रकट होगा। मिनली में भूमि वो खुग्चना मात्र आवश्यक होता है परन्तु डगलैण्ड में उसे कर्पण करने के लिये किनने

श्रम की आवश्यकता है ? और जहाँ उसी उपज को प्राप्त करने के लिये अधिक श्रम की आवश्यकता पड़े यह स्पष्ट है कि बचत बहुत क्षीण रह जायगी ।

इसके अतिरिक्त इसे व्यान में रखना भी आवश्यक है कि उष्ण देशों में मनुष्यों की समान स्वस्थ बहुत कम द्रव्य का उपभोग करती है । जलवायु की यह मांग है कि लोग स्वस्थ रहने के लिये सयत हो , जो यूरोपनिवासी उष्ण देशों में अपने मूल निवास के समान रहना चाहते हैं, पेंचिंश और कब्ज से मर जाते हैं । शार्डिन कहता है कि “एशिया निवासियों की अपेक्षा हम लोग मासाहारी पशु और भेड़िये हैं । कुछ लोग ईरानियों के समान को इस तथ्य का परिणाम बताते हैं कि उनके देश में कृषि स्वल्प मात्रा में होती है परन्तु इसके विरुद्ध मेरी यह मान्यता है कि चूंकि निवासियों को बहुत कम की आवश्यकता होती है इसलिए उनके देश में खाद्य पदार्थों की प्रचुरता नहीं है । यदि उनकी मितव्ययता देश की निर्धनता का परिणाम होती तो केवल निर्धन लोग ही योड़ा खाते परन्तु देश के सभी निवासी साधारणतया योड़ा खाते हैं अथवा प्रत्येक प्रदेश में भूमि की उर्वरता के अनुसार व्यक्ति अधिक अथवा न्यून उपभोग करते, परन्तु समस्त देश में स्वल्पाहार की प्रथा दृष्टिगोचर होती है । वे लोग अपनी जीवनचर्या का बहुत गवं करते हैं और कहते हैं कि हम ईसाइयों की अपेक्षा कितने उत्कृष्ट हैं । इसकी कल्पना करने के लिये केवल हमारे रगरूप को देखना पर्याप्त है । वास्तव में ईरानियों का रगरूप चिकना होता है, उनकी चमड़ी सुन्दर, नर्म और साफ होती है, हालांकि उनकी प्रजा आर्मीनियन्स का रगरूप जो यूरोपीय द्वंग पर रहते हैं, खुरदुरा और चिकोत्ता होता है और उनका शरीर रुक्ष और स्थूल होता है ।”

जितना हम भूमध्य रेखा के समीप पहुँचते हैं उतना ही लोग अपने जीवन के लिये कम उपभुक्त करते हैं । वे मास खाते ही नहीं । उनके साधारण खाद्य चावल, मकई, कुज कुज और कैसावा होते हैं । भारत में लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिनकी दैनिक खुराक पर आवा पैमा भी नहीं खर्च होता । यूरोप में भी हम उत्तरीय और दक्षिणीय गट्टों की क्षुधा में प्रत्यक्ष अतर देख सकते हैं । स्पेन का निवासी जर्मन निवासी के दैनिक भोजन पर आठ दिन तक निर्वाह कर सकता है । उन देशों में जहाँ मनुष्य महाशनी है विलास उपभोग की वस्तुओं में निहित होता है । इंग्लैण्ड में विलास का प्रदर्शन भाँति भाँति के माम द्वारा भूपित मेज में किया जाता है, इटली में उत्तम का माध्यम मिठाई और पुष्प होते हैं ।

इसके जतिश्वित कपड़ों के क्षेत्र में भी विलास में यही अतर होते हैं । ऐसी जलवायु में जहाँ अनुभुओं वा परिवतन आकस्मिक और उग्र होता हो, पोशाक उत्तरगतर और

मरलतर होती है, उस जलवायु में जह। लोग केवल सजावट के लिये कपड़ा पहनते हैं उपयोगिता की अपेक्षा शोभा का अधिक विचार होता है क्योंकि उस थोत्र में वस्त्रों का उपभोग ही एक विलास है। नेपल्म में आपको प्रतिदिन ऐसे मनुष्य दिखाई देगे जो पोसिलिङों के मार्ग पर जरी के काढ़े हुए कोट पहने थूमते होंगे परन्तु नीचे कुछ नहीं। भवनों के सबव में भी यही बात है, जब वायुमडल से किमी दूरी का भय न हो तो शोभा के निमित्त अन्य प्रत्येक वस्तु त्याग दी जाती है। पेनिम और लदन में लोगों के लिये गरम और सुविधाजनक भवन अनिवार्य होते हैं। मेड्रिड में लोगों की बैठके तो बहुत आकर्षक होती हैं परन्तु वन्द होनेवाली खिडकियों का निरन्तर अभाव होता है तथा वे सोते बहुत छोटी कोठरी में हैं।

उण देशों में भोजन अधिक मारपूर्ण और पीप्टिक होता है, यह तीमरा अन्तर है जो दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, डटली में लोग इनी मटिजर्यां क्यों खाते हैं, क्योंकि वे सुन्दर, स्वादिष्ट और पीप्टिक होती हैं। फ्राम में मटिजर्यां केवल पानी पर ही उगती हैं इसलिये वे पीप्टिक नहीं होती और मेज पर उनकी कुछ गिनती नहीं होती। परन्तु उनकी उपज में कम भूमि खर्च नहीं होती और उनकी कृपि में उतना ही श्रम लगता है जितना और वस्तुओं के कर्पण में। अनुभव में यह देखा जाता है कि वार्वरी के गेहूं अन्य अर्थों में फान्स के गेहूं में अवर होते हुए भी ज्यादा आटा प्रदान करते हैं और इसी प्रकार फ्राम के गेहूं उत्तर के गेहूं से ज्यादा आटा प्रदान करते हैं। इसमें हम अनुमान कर सकते हैं कि यह अनुक्रम मावारणतया भूमध्य रेखा में ध्रुव तक उमी दिगा में अवलोकित होंगा। क्या समान उपज की भाँता में पीप्टिक तत्त्व की न्यून भाँता प्राप्त करना एक प्रत्यक्ष हानि नहीं है ?

उपर्युक्त विभिन्न विचारों में मैं एक और विचार जोड़ सकता हूँ जो उनमें उद्गमित होता है और उनको प्रबल करता है वह यह कि उण देशों में जीन देशों की अपेक्षा निवारीण की आवश्यकता कम होती है चाहे वे मधारण अधिकतर मस्त्य का कर मकते हैं, अन उन देशों में दुगुनी वचत हो जाती है जिसमें एकत्र का हित मदा पूर्णित होता है। जितनी अधिक भूमि निवासियों की समान मस्त्य द्वारा व्याप्त होगी उनना ही अधिक कठिन शजद्रोह हो जायगा, क्योंकि उपर्युक्त इया में मन्त्र और योजनावद्वन्द्व में कार्य नहीं हो सकेगा और शामन के लिये योजनाओं का पता लगाना और मार्ग का अवरोधन करना अति सुगम हो जायगा, परन्तु अधिक शामन के लिये मार्वभीमिक भत्ता पर बलाधिकार प्राप्त करना बहिन होगा, राजक अपने मय्रिमडल में जितनी निर्विवत्ता ने

मन्त्रणा कर सकते हैं जितना कि शासनाधिकारी अपनी परिपद से, और जनसमूह नगर चौको में उतनी ही त्वरता से समवेत हो सकेगा जितनी त्वरता से सेना अपने निवासस्थान पर एकत्रित होगी। इसलिये अत्याचारी शासन को यह लाभ प्राप्त होता है कि वह बहुत फासलो पर काम करता है। सहायता विन्दुओं की मदद से जिन्हें यह उपार्जित कर लेता है इसकी शक्ति उत्तोलन दड़ की भाँति फासले के अनुपात से बढ़ जाती है।^१ इसके विपरीत प्रजा की शक्ति तभी प्रभावित होती है जब वह संकेन्द्रित हो^२, ज्योही यह विस्तृत हो जाती है भूमि पर विखरे हुए वारूद की भाँति, जिसे आग दाना दाना करके दगती है, यह शक्ति वाष्पवत् लुप्त हो जाती है। इसलिए न्यूनतम वासित देश अत्याचार के लिये सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, वन्य पशु केवल वनों में ही शासन करते हैं।

१ इससे जो बड़े राज्यों की असुविधा के सबध में मैं पहले कह चुका हूँ (पुस्तक २, परिं० ९) उसका प्रतिशोध नहीं होता, क्योंकि वहाँ शासन के अपने सदस्यों पर प्रभुत्व का प्रश्न या और यहाँ शासन की अपनी प्रजा के विरुद्ध शक्ति का प्रश्न है। शासन के विखरे हुए सदस्य प्रजा पर फासले से क्रिया करने के हेतु सहायताविन्दु रूप में कार्य करते हैं परन्तु शासन को स्वत सदस्यों पर क्रिया करने के लिये कोई सहायता के विन्दु प्राप्त नहीं होते। इसलिए उत्तोलन दड़ को लबाई प्रथम दशा में दुर्बलता का और द्वितीय दशा में बल का कारण बन जाती है।

२ इस अभ्युक्ति पर ही मार्क्स ने अपनी महान् और न्यायपुक्त धारणा स्थापित की, कि श्रगजीवी वर्ग को संकेन्द्रित करके पृजीपति उसका राजनीतिक बल ही बढ़ाते हैं।

परिच्छेद ६

अच्छे शासन के चिह्न

इसलिए निरपेक्षत यह पूछना कि उत्तमतम शासन कौन-सा है, ऐसा प्रश्न उपस्थित करता है जिसका हल तथा निश्चयन असभव है, अर्थात् यो कहिये कि इस प्रश्न के इतने समुचित हल हैं जितने राष्ट्रों की निरपेक्ष तथा सापेक्ष स्थितियों के समाव्य मध्योजन।

परन्तु यदि यह पूछा जाय कि किम चिह्न द्वारा यह जात हो सकता है कि कोई राष्ट्र विणेय मुक्तारु अथवा वुरे प्रकार मे प्रशान्ति है तो अलग विषय होगा, और तथ्य के प्रश्न का निश्चयन करना सभव हो जायगा।

परन्तु यह प्रश्न भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो सकता, वयोंकि प्रत्येक व्यक्ति इसका निर्णय अपनी दृष्टि के अनुसार करना चाहता है। प्रजा भावजनिक शान्ति की प्रशस्ता करती है, नागरिक वैयक्तिक स्वतंत्रता की, प्रजा नमति के परिरक्षण को अधिमान्य करती है, नागरिक शरीर के परिग्रहण को, प्रजा यह चाहती है कि उत्तमतम शासन कठोरतम हो, नागरिक चाहते हैं कि उत्तमतम शासन दयालुनम हो, एक पक्ष यह चाहता है कि अपराधों को दण्डित किया जाना चाहिये और दूसरे पक्ष को यह अच्छा लगता है कि पड़ोसियों द्वारा आशक्ति होना चाहिये, दूसरे पक्ष को यह अच्छा लगता है कि पड़ोसियों ने अपरिचित ही रहे, एक पक्ष का भनोप द्रव्य के परिवहन रहने मे होना है, दूसरे पक्ष की माँग है कि लोगों के पास रोटी होनी चाहिये। यदि उपर्युक्त तथा अन्य विन्दुओं पर मत्तक्य भी हो जाय तो वग अधिक प्रश्न हो जायगी ? नैतिक गुणों के माप की कोई निश्चित रीति ही नहीं है, यदि लोग चिह्न के नवय मे महमत भी हो जायें, तो उस चिह्न के मूल्याकान के नवय मे वे कैने एकमत हो नकोंगे ?

जहाँ तक मेरी धारणा का प्रश्न है, मैं सदैव चकित होता हूँ कि लोग इतने सरल चिह्न को पहचानने में, असफल हो अथवा वे इसके सबव में सहमत न होने का कपट करे। राजनीतिक साहचर्य का प्रयोजन क्या है? अपने सदस्यों का परिरक्षण और वैभव, और इन तथ्य का कि वे परिरक्षित एवं वैभवशाली हैं, सबसे निश्चित चिह्न क्या है? यह है उनके अकों का परिणाम और उनकी जनस्थ्य। इसलिये वह शासन अनिवार्य रूप से उत्तमतम है जिसके अतर्गत अन्य तथ्य समान रहते हुए विना वाह्य महायता के विना देशीयकरण और उपनिवेशों के नागरिक बढ़ जाते और गुणित हो जाते हैं। वह शासन सबसे खराब है जिसके अतर्गत लोग न्यून हो जाते हैं अथवा विनष्ट हो जाते हैं। सास्थियकों, अब यह आपका काम है कि आप सगणना करे, मापित करे और तुलना करे।'

१ उपर्युक्त सिद्धान्त पर ही शताब्दियों का निर्णय होना चाहिये कि सानब जाति के वैभव की दृष्टि से कौन सी अधिनान्यता के योग्य है। साहित्य तथा कला के कर्षण के गुप्त हेतु को घोषित किये बिना, और इनके घातक परिणामों पर विचार किये विना वहुधा उन शताब्दियों को प्रशस्ति किया गया है जिनमें साहित्य और कला का विकास होता दिखाई दिया, और “अनभिज्ञ लोगों ने इसे सम्भवता कहना आरम्भ किया हालाँकि यह उनके दासत्व का खड़ भात्र ही भा।” या हन कभी भी पुस्तकों के सिद्धान्त में उस सकल निजी हित का पता न लगा सकेंगे जिसके क्षारण लेखकण सिद्धान्तों को प्रस्थापित करते हैं? इसके अतिरिक्त कोई न्या कहे, क्योंकि जब उनके देवीप्यमान कथन के स्वल्प ही देश निर्जनीकृत हो रहा हो वह यानना असत्य होगा कि देश का कल्याण हो रहा है और किसी युग के सर्वोत्तम होने के लिये यह पर्णप्त नहीं है कि उसमें किसी कवि की आय एक लाख रुपये है। भुख्य पुरुषों के आभासी सुख और ज्ञानि को समस्त राष्ट्र में कल्याण तथा विशेषकर अति वहुसख्यक राज्यों की अपेक्षा न्यन समझना चाहिये। शिलावृष्टि क्तिपय उपन्डलों को विनष्ट कर तकती हे परन्तु यह दुष्काष्यता को तम्मादित नहीं फ़रती। उपद्रव और गृहयुद्ध मुख्य पुरुषों को वहुत चकित करते हैं, परन्तु राष्ट्रों के वास्तविक दुर्भाग्यों का निर्माण नहीं करते, और जब हस पर विवाद चल रहा हो कि इन राष्ट्रों पर कौन अत्याचार करेगा, यह कलह और गृहयुद्ध बन्द भी हो सकते हैं। यह तो देशों की शाश्वत परिस्थिति से निर्धारित होता है कि उनमें वास्तविक वैभव अथवा सकट का निर्माण होगा, जब जुए के अधीन सबको दलित

किया जाता हो तभी सर्वनाश होता है, मुख्य पुरुष फुरसत से उन्हें विनाट करते हुए जहाँ वे निर्जनता उत्पादित करते हैं उसे शान्ति पुकारने लगते हैं। जब मुख्य पुरुषों के कलह फ्रान्स के राज्य को क्षोभित कर रहे थे और पेरिस का सहायक पार्लियामेन्ट में जेव में खजर रखकर जाता था तो भी फ्रान्सीसी राष्ट्र के प्रसन्नतापूर्वक और सध्वनित होकर स्वतंत्र और सरमाननीय रहने में कोई वाधा उपस्थित नहीं हुई। इसी प्रकार प्राचीन द्वन्द्व अति निर्दर्शीय युद्धों के द्वीच तर्वर्षित होता गया, नदियों में रवत बहता था, और समस्त देश मनुष्यों से परिपूर्ण था। मैदानावलों ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हत्याओं, वहिकारों और गृहयुद्धों के द्वीच हत्तारा गणराज्य अधिक शदितशाली हो गया; अरेक्षा इसके कि कलह इसे दुर्वल दनाते, गागरिकों के गुण, उनकी रीतियाँ और उनकी स्वतंत्रता इसे प्रदल दनाने में अधिक प्रभावशील हुए। थोटा सा आन्दोलन मनुष्यों के नस्तिएक को चेतना देता है, और जो किसी जाति को बास्तविक हृप में दैभव-शाली बनाती है वह शान्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता होती है।

परिच्छेद १०

शासन का दुरुपयोग और उसके नष्टधर्म होने की प्रवृत्ति

जैसे विशिष्ट प्रेरणा निरतर सर्वसाधारण प्रेरणा के विरुद्ध कार्य करती है उसी प्रकार शासन सार्वभौमिक सत्ता के विरुद्ध सतत् सचेष्ट रहता है। जितनी अधिक यह सचेष्टता बढ़ जाती है उतना ही अधिक सविधान सपरिवर्तित होता जाता है, और क्योंकि इस दशा मे कोई ऐसी भसूष्ट प्रेरणा नहीं होती जो शासनाधिकारी का रोध करके इसके प्रति साम्य स्थापित कर दे तो आज अथवा कल ऐसा होना अनिवार्य है कि शासनाधिकारी सार्वभौमिक सत्ता को वश मे करके अन्त मे सामाजिक वन्य का उल्लंघन कर देगा। उपर्युक्त ही वह स्वाभाविक ओर अनिवार्य दोप है जो राजनीतिक निकाय की उत्पत्ति से ही इसे विनष्ट करने को सतत् प्रवृत्त रहता है जैसे वृद्धावस्था ओर मृत्यु मनुष्य-देह को अन्त मे विनष्ट कर देती है।

दो साधारण दशाएँ हैं जिनमे शासन भ्रष्टधर्म हो जाता है, अर्थात् जब शासन मकुचित होता है, अथवा जब राज्य लुप्त होता है।

शासन तब सकुचित होता है जब यह वहुसख्यक से अल्पमस्ख्यक को अर्थात् जनतत्र से शिष्ट जनतत्र को और शिष्ट जनतत्र से राजतत्र को प्राप्त हो जाय। यह शासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है।^१ यदि शामन अल्पमस्ख्या से वहुमस्ख्या को प्रतीपगमन करता

१ निज उपहृदो में वेनिस का मथर निर्माण तथा उसकी प्रगति उपर्युक्त अनुक्रम का एक विशिष्ट उदाहरण है और वास्तव में यह चकित कर देनेवाली बात है कि बाहर सी वर्ष के पश्चात् भी वेनिस के लोग अभी केवल द्वासरी प्रक्रम में ही उपस्थित हैं जिनका आरम्भ सन् ११९८ में ग्रेट कॉसिलों की समाप्ति से हुआ था। जहाँ तक प्राचीन डचूकों का सवध है जिनके नाम से वेनिस वालों को तिरस्कृत किया जाता है यह पमाणित है कि (Squittino della liberta veneta)

तो कहा जा सकता था कि शासन विस्तृत हो गया है, परन्तु ऐसा प्रतीपित गमन असभव है।

वास्तव में शासन तब तक अपना रूप नहीं बदलता जब तक उसका तेज नि शेपित हो जाने के कारण वह स्वतः को परिरक्षित करने हेतु अति निर्वल नहीं हो जाता। और जब शासन का प्रसार होने के साथ साथ वह गिरिल हो जाय तो उसका बल विनष्ट और उसका जीवित रहना कठिन हो जाता है। इसलिए जब शासन का तेज धीण होने लगे तो उसे मनोन्दित करना आवश्यक है, नहीं तो जिस राज्य को वह सधृत करता है वह व्यावायोप हो जायगा।

राज्य का विलयन दो प्रकार में होता है।

प्रथम जब शासनाधिकारी राज्य पर विवानानुसार प्रशासन करना छोड़ दे और सार्वभौमिक मत्ता पर वलाधिकार कर ले। तब एक विलक्षण परिवर्तन घटित होता है, अर्थात् न केवल शासन वलिक राज्य मकुचित हो जाता है। भेग अर्थ है कि महान् राज्य लुप्त हो जाता है। और इसके अतर्गत एक दूसरे राज्य की स्वापना हो जाती है जो केवल शासन के भद्रस्यो द्वारा ही निर्मित होता है और अन्य प्रजा की दृष्टि में स्वामी और अत्याचारी के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन की पूर्ति नहीं करता। इसलिये जब शासन सार्वभौमिक मत्ता पर वलाधिकार कर लेता है तो मामाजिक पापण भग्न हो जाता है, और सब सावारण नागरिक अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता को पुन व्राप्त कर लेने के कारण, आज्ञानशासन के लिये नीतिवद्व नहीं ग्हन्ते परन्तु वाद्य किए जाते हैं।

यही स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है तब शासन के सदस्य अपनी शक्ति को जो नाममिल्त रूप में प्रयुक्त करती चाहिये, पृथक् रूप में प्रयुक्त करने लगते हैं। इस स्थिर्य में भी विद्यानों का उतना ही उल्लंघन होता है और कहीं अधिक अव्यवस्था घटित होती है। ऐसा कहना चाहिये कि इस स्थिति में शासनाधिकारियों की मस्त्या डाधिकारियों के वरावर हो जाती है और राज्य, शासन के समान ही विभाजित होने के कारण, विनष्ट हो जाता है और अपने रूप को बदल लेता है।

कुछ भी कहे, वे उनके सार्वभौमिक सत्ताधिकारी नहीं थे। (इस पुस्तक का प्रकाशन १६१२ में हुआ था और इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वेनिस गणराज्य पर सम्राट् के अधिकार मिछूं किये जायें।)

जब राज्य भग्न हो जाता है तो शासन का दुष्प्रयोग, उसका स्पृह कैसा भी हो अराजकता का साधारण नाम धारित कर लेता है। स्पष्ट अतर करने के हेतु यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टरूप प्रजातत्र जनसंकुल राज्य हो जाता है और भ्रष्टरूप शिष्ट जनतत्र अल्पजनशासित राज्य हो जाता है मैं जोहूंगा कि राजतत्र अत्याचार में कुपरिणत हो जाता है, परन्तु अत्याचार शब्द सदिगंधार्थक है और इसकी व्याख्या करना आवश्यक है।

लौकिक अर्थ में अत्याचारी ऐसे राजा को कहते हैं जो हिसां और न्याय और विधानों की उपेक्षा करके शासन करे। वास्तविक अर्थ में अत्याचारी वह व्यक्ति है जो अनधिकार-जन्य प्रभुत्व को स्वतं ग्रहण कर लेता है। यूनानी लोग अत्याचारी का प्रयोग इसी अर्थ में करते थे, वे अच्छे और बुरे सब राजकों के लिये, जिनका प्रभुत्व न्याय हो, निरपेक्षरूप से इस शब्द को प्रयुक्त करते थे।^१ इसलिये अत्याचारी और बलाधिकारी यह दोनों शब्द पूर्णतया पर्यायवानी हैं।

भिन्न वस्तुओं को पृथक् नाम देने की दृष्टि में, मैं राजन्य प्रभुत्व पर बलाधिकार करनेवाले को अत्याचारी और सार्वभौमिक सत्ता पर बलाधिकार करनेवाले को स्वेच्छाचारी कहता हूँ। अत्याचारी वह होता है जो विधानों के विपरीत विधानानुसार प्रशासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करे, स्वेच्छाचारी वह होता है जो स्वयं विधानों के ऊपर स्वतं को संस्थापित कर ले। इस प्रकार अत्याचारी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता परन्तु स्वेच्छाचारी सदा ही अत्याचारी होता है।

१ लोग मेरे मत का खड़न करने के हेतु रोम के गणराज्य का उदाहरण देने में सकोच नहीं करेंगे और कहेंगे कि इस गणराज्य ने बिलकुल विपरीत क्रम अनुसरित किया था, अर्थात् राजतत्र से शिष्ट जनतत्र और शिष्ट जनतत्र से प्रजातत्र बना था परन्तु मैं इस दृष्टि से सहमत नहीं हूँ।

रोम्यूलस द्वारा स्थापित प्रथम सस्था एक मिश्रित शासन था जो सत्वर ही स्वेच्छातत्र में कुपरिणत हो गया। कुछ विशिष्ट कारणों से राष्ट्र समय के पूर्व ही विनष्ट हो गया जैसे हम कई बार नवजात शिशु को भोजन प्राप्ति के पूर्व ही मरता देखते हैं। गणराज्य को उत्पत्ति का वास्तविक युगारम्भ तादिवन्स का निष्कासन था परन्तु सर्वप्रथम इसने कोई नियमित रूप धारण नहीं किया दयोंकि कुलीन जाति को उत्साहित न करने के कारण इसका कार्य अभी आधी मात्रा में ही हुआ था। इस अवस्था में पंतृक शिष्ट जनतत्र, जो न्यायी प्रशासनों का सबसे दोषपूर्ण रूप है, प्रजातत्र के सतत विरोध में रहने के कारण स्वभावत अनिश्चित और अस्थिर शासन, जैसे मैव्यावली ने प्रमाणित

किया है, केवल जनरक्षकों की सस्या पर आधारित किया गया। वास्तविक शासन और सच्चा जनतंत्र वहाँ तभी स्थापित हुआ। वास्तव में उस समय लोग न केवल सार्वभौमिक सत्ताधिकारी थे बल्कि दड़ाधिकारी और न्यायवीश भी थे। शिष्ट सभा शासन को परिमित और सकेन्द्रित करने के लिये केवल एक और न्यायाधिकरण थी और स्वयं राज्यपाल कुलीन वर्ग के एवं मुख्य दड़ाधिकारी होते हुए भी और युद्ध में पूर्ण सत्ताधिकारी प्रमुख होते हुए भी रोम में लोगों के केवल अध्यक्ष भाव थे।

इसके अतिरिक्त उस समय से लेकर शासन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का अनुसरण करता रहा और दृढ़ता से शिष्ट जनतंत्र की ओर प्रवृत्त होता रहा। कुलीन वर्ग को अपने आपको विनष्ट कर लेने के कारण शिष्ट जनतंत्र कुलीन वर्ग के निनाय में निहित नहीं रहा जैसा वेनिस और जेनेवा में या, बल्कि कुलीन तथा सामान्य वर्गों द्वारा निर्भित शिष्ट सभा के निकाय में तथा न्याय रक्षकों के निकाय में जब कि वे शक्ति का सचेष्ट त्य में बलाधिकार करने लगे, यह तत्र सन्निहित हुआ। शब्दों से तथ्यों के स्वभाव में फोई अन्तर नहीं हो जाता और जब किसी राष्ट्र में प्रशासन करने के लिये राजक होने हैं, ताहे उनका कुछ भी नाय हो, वे एक शिष्ट जनतंत्र का ही रूप होते हैं।

२ “शिष्टजनतंत्र के दुष्प्रयोग से गृह युद्धों और त्रय शासनाधिकारियों का प्रादुर्भाव हुआ। तीला, जूलियस सोजर, औगस्टस, वास्तव में यथार्थ सम्राट् वन गये और अत में टायेरियस के स्वेच्छातंत्र के अतर्गत राज्य भग्न हो गया। इस प्रकार रोम का इतिहास मेरे मिथ्यान्त को असत्य सिद्ध नहीं करता है बल्कि इसकी पुष्टि करता है।

“वे सब अत्याचारी माने जाते हैं और सबोधित किये जाते हैं जो किसी ऐसे राज्य में जिसने स्वतंत्रता का उपभोग किया हो, सतत शक्ति प्रयोग करने लगे।” यह सत्य है कि एक्स्ट्रोटल अत्याचारी और राजा में यह भेद करता था कि अत्याचारी निजी हित के लिये प्रशासन करता है और राजा अपनी प्रजा के हित के लिये। परन्तु इस तथ्य के अतिरिक्त कि सामान्यत सब ग्रोक लेतकों ने अत्याचारी शब्द को दूसरे अर्थों में प्रयुक्त किया है जैसे सेनोफन के हायरो से विशेषतया मिथ्य होता है। जरूर द्वारा किये गये भेद ने यह भी मिथ्य होगा कि विश्व के आरभ से लेकर अभी तक किसी राजा का अस्तित्व नहीं हुआ।

परिच्छेद ११

राजनीतिक निकाय का निघन

उत्तमतम निर्मित शासनो की यही स्वाभाविक और अनिवार्य वृत्ति होती है। यदि स्पार्टा और रोम नष्ट हो गये तो कौन राष्ट्र सदा टिकने की आशा कर सकता है। यदि हम स्थायी सविधान का निर्माण करना चाहते हों तो हमें इसे शाश्वत बनाने का स्वप्न नहीं देखना चाहिये। सफलता प्राप्त करने के लिये असभव की चेष्टा करना ठीक नहीं, न यह मिथ्याभिमान करना ठीक है कि हम मनुष्यों के कार्य को कोई ऐसी मान्द्रता प्रदान कर रहे हैं जो मानवीय वस्तुओं के लिये असम्भव है।

मानवीय शरीर की भाँति राजनीतिक निकाय का भी, उत्पत्ति के समय से ही, मरण शुरू हो जाता है और इसके अपने ही भीतर विनाश के कारण वर्तमान होते हैं। परन्तु दोनों का सविधान न्यूनाधिक पुष्ट और उन्हें अधिक या न्यून समय तक परिरक्षित करने के लिये सामर्थ्यवान हो सकता है। मनुष्य की रचना प्रकृति की क्रिया है, और राज्य का सविधान मानवीय कला की क्रिया है। मनुष्यों के लिये अपना जीवन बढ़ाना मभव नहीं, परन्तु उत्तमतम सभाव्य सविधान के प्रदान करने से राज्य को दीर्घजीवी करना अवश्य मभव है। उत्तमतम-सविधान-प्राप्त राज्य का भी अत होगा परन्तु इतनी जल्दी नहीं जितना किसी अन्य का, यदि किसी अदृष्ट घटना से इसका समय के पूर्व विनाश न हो जाय।

राजनीतिक जीवन का सिद्धान्त सार्वभौमिक मत्ता के प्रभुत्व में निहित है। विद्यायी शवित राज्य का हृदय होती है, अविद्यायी शवित इसका मस्तिष्क, जो सब भागों को गति प्रदान करती है। मस्तिष्क स्तभित हो जाने पर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। मनुष्य मूढ़मति होकर भी जीवित रह सकता है, परन्तु जब हृदय अपना कार्य छोड़ देता है, तो जीव मर जाता है।

राज्य विधानों से निर्वाहित न होकर विद्यायी शक्ति से निर्वाहित होता है। कल का विधान आज लागू नहीं रहता, तब भी मौन स्वीकृति मूकता से अनुमानित होती है और सार्वभौमिक सत्ता उन विधानों को निरतर पुष्ट करती हुई मानी जाती है जिन्हे शक्ति होते हुए भी यह निराकृत नहीं करती। जिस प्रकार की प्रेरणा सार्वभौमिक प्रेरणा द्वारा एक बार उद्घोषित कर दी जाती है वही प्रेरणा उसकी सतत् समझी जायगी जब तक कि वह इस उद्घोषणा को निरस्त न कर दे।

तो लोग प्राचीन विधानों के प्रति इतना आदर क्यों प्रदर्शित करते हैं? उनकी प्राचीनता के कारण यह मानने को बाध्य होना पड़ता है कि प्राचीन विधानों की उत्कृष्टता के कारण ही वे इतने लंबे समय तक परिरक्षित रह सके हैं, यदि सार्वभौमिक सत्ता उन्हे निरतर रूप में हितकर न समझती तो वह उन्हे हजारों बार निरस्त कर देती। इसी कारण प्रत्येक सुमविधित राज्य में विधान दुर्बल होने के बजाय, हमेशा नवीन ओज अवास्त करते रहते हैं, प्राचीनता की पक्षप्रतिकूलता प्रतिदिन उन्हें अधिक पूज्य बना देती है। इसलिए जहाँ पुराने होने पर विधान दुर्बल होने लगते हो, यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ विद्यायी-शक्ति का अभाव है और राज्य जीवित नहीं रह गया है।

परिच्छेद १२

सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार संधृत होती है (१)

विद्यायी शक्ति के अतिरिक्त सार्वभौमिक सत्ता का कोई अन्य बल न होने के कारण वह विद्यान द्वारा ही कार्यशील होती है , और विद्यान सर्वसाधारण प्रेरणा के प्रमाणित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कुछ न होने के कारण सार्वभौमिक सत्ता तभी कार्यशील हो सकती है जब लोग समवेत होते हैं । लोगों का समवेत होना, यह कहा जायगा कि, यह सर्वथा असभव है । आज यह असभव लगता है, परन्तु दो हजार वर्ष पूर्व यह असभव नहीं था । लोगों का स्वभाव कैसा परिवर्तित हो गया है ?

नैतिक वस्तुओं में सभाव्य की मीमाएँ जितना हम समझते हैं उससे कम मकुचित होती हैं । यह हमारी निजी दुर्बलताएँ, हमारे दोष और हमारी प्रतिकूलताएँ हैं जो उन्हें मकुचित बनाती हैं । मलीन आत्माएँ महान् पुरुषों के अस्तित्व को ही नहीं मानती , कपटी दाम शब्द स्वतंत्रता पर तिरस्कार भावना से हँसते हैं ।

जो पूर्व में किया जा चुका है, उससे हमें यह समझना चाहिये कि आगे क्या किया जा सकता है । मैं यूनानी प्राचीन गणराज्यों की बात नहीं कहूँगा , परन्तु मेरी दृष्टि में गेम का गणराज्य भी एक बड़ा राज्य था और रोम का नगर एक बड़ा नगर । गेम की अतिम जनगणना से यह पता लगा कि नगर में चार लाख नागरिक हथियार धारण किये हुए थे और माम्राज्य की अन्तिम गणना से पता चला कि समस्त नागरिकों की भर्त्या, प्रजा, दिदेशी स्त्रियाँ, बच्चे व दाम मिमिलित किये विना, चालीस लाख थीं ।

हम अनुमान करेंगे कि गजधानी और इसके उपानों की महान् जनस्थाया को बागदार समवेत करने में किननी कठिनाई होती होगी । परन्तु गेम के लोगों के मग्रहीत हुए विना, और वही बार मग्रहीत हुए विना, कुछ नप्ताह तक नहीं गुजरते थे । इसके अतिरिक्त, मग्रहीन लोग केवल भावभौमिक मना के अधिकारों का ही प्रयोग नहीं करते थे, परन्तु शामन की कुछ शब्द शब्दियों का उपभोग भी करते थे । वे कठिपय

कार्यों पर विवेचन करते थे, कतिपय प्रकरणों का न्याय करते थे, और सार्वजनिक मभा में मग्नीत लोग नागरिक होने के साथ साथ दडाधिकारी रूप में भी कार्य करते थे ।

राष्ट्रों के आधिकाल का अवलोकन करने से हमें पता चलता है कि अधिकतर प्राचीन शासनों में, यहाँ तक कि गजतनात्मक शासनों में भी, उदाहरणार्थ मैसेडोनिया और फँको में, इसी प्रकार की मभाएँ थीं । यह एक मात्र निर्विवाद तथ्य सब कठिनाइयों को हल कर देता है । मुझे वास्तविक से सभात्य का तर्क करना उचित प्रतीत होता है ।

परिच्छेद १३

सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार संधृत होती है (२)

समवेत जनसमूह द्वारा विधि-निकाय को स्वीकृत करके राज्य का सविधान एक बार स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है, न यह पर्याप्त है कि समवेत जनसमूह किसी शाश्वत शासन को स्थापित करे, अथवा दडाधिकारियों के निर्वाचन का सदा के लिये प्रावधान कर डाले। असाधारण सम्मेलनों के अतिरिक्त जो अदृष्ट घटनाओं से आवश्यक हो जाते हैं, निश्चित और नियतकालिक सम्मेलनों का होना भी आवश्यक है जो किसी के द्वारा भी उत्सादित और सत्रावसित न हो सकें ताकि नियत दिनाक को विधान के अन्तर्गत बिना किसी नियमित आ ह्वान की आवश्यकता हुए लोग साधिकार समवेत हो सकें।

परन्तु इन सम्मेलनों के अतिरिक्त जो इनके दिनाक के आधार पर न्यायसंगत हैं प्रत्येक जनसमूह का सम्मिलन जिसे उस कार्य हेतु नियुक्त दडाधिकारियों द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार न बुलाया गया हो, अवैधानिक मानना चाहिये, और जो कार्य इस सम्मेलन द्वारा सम्पादित हुआ हो वह न्याय विरुद्ध मानना चाहिये, क्योंकि सम्मिलित होने का आदेश भी विधान में ही उद्गमित होना न्यायसंगत होता है।

जहाँ तक न्यायसंगत सम्मेलनों के बार बार अधिवेशन का मबद्दल है, उसका निर्धारण इतने अनेक विचारों पर आधारित होता है कि कोई निश्चित नियम स्थापित नहीं किया जा सकता। केवल साधारणतया इतना कहा जा सकता है कि शासन का जितना अधिक बल हो उतनी ही अधिक बार सार्वभौमिक सत्ता को अपना प्रदर्शन करना चाहिये।

कोई कह सकता है कि यह किसी एकल नगर के लिये ही उत्तम हो सकता है परन्तु जब राज्य में अनेक नगर हों तो क्या किया जायगा? क्या मार्वभौमिक सत्ता का

विभाजन किया जायगा ? अथवा इसे किसी नगर में सकेन्द्रित कर अन्य सरकारों द्वारा अधीन कर दिया जायगा ?

मेरा उत्तर है कि उपर्युक्त दोनों विकल्प अनावश्यक हैं। प्रथमतः सार्वभौमिक सत्ता भरल और अविभक्त है और इसे विनष्ट किये बिना विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरे एक नगर राष्ट्र की तरह ही वैधानिक तौर पर किसी अन्य के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक निकाय का तत्त्व आज्ञानुयीलन और स्वतंत्रता के सम्मेलन में सञ्चिहित होता है और उपर्युक्त शब्द, अर्थात् प्रजा और सार्वभौमिक सत्ता, सहभवित हैं, जिनके आधारभूत भाव एक शब्द नागरिक से व्यक्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा यह उत्तर है कि अनेक नगरों को किसी एकल गण्ड्र में सम्मिलित करना सदा दोपूर्ण होता है और कि इस प्रकार का सम्मेलन स्थापित करने की अभिलापा करते हुए हमें यह मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिये कि हम इस सम्मेलन की स्वाभाविक असुविधाओं को वर्जित कर सकेंगे। वडे राज्यों के द्वाप्रयोग किसी ऐसे मनुष्य के प्रति जो स्वयं छोटे राज्यों का पथपानी हो, आक्षेप के स्पष्टतम नहीं किये जा सकते, परन्तु वडे राज्यों का अवरोध करने के लिये छोटे राज्यों को पर्याप्त बल से कैसे युक्त किया जा सकता है ? ठीक उमी प्रकार जैसे प्राचीन यूनानी नगरों ने महान् (ईरानी) राजा का अवरोध किया था और जैसे अभी हाल में हालैण्ड और स्विट्जरलैण्ड ने आस्ट्रिया राज्य के बड़ा बा अवरोध किया है।

परन्तु, यदि राज्य को उचित सीमा तक घटाया नहीं जा सकता हो, तो एक अन्य नीति अपनाई जा सकती है। वह यह है कि कोई राजधानी न बनाई जाय वल्कि शासकीय अधिष्ठान प्रत्येक नगर में वारी वारी से स्थापित रहे और क्रम में उन्हीं नगरों में देश की वर्ग-सभाएँ भी समवेत हों।

भूमि पर एकमम जनसम्म्या हो, हर जगह में भमान अधिकार प्रमाणित हो और हर धेन में वाहन्य और चेनना व्याप्त हो, इस प्रकार गण्ड्र नवमे शक्तिशाली और श्रेष्ठतम प्रगामित बन जायगा। समर्गण ग्वो कि नगरों की भित्तियाँ देश के भवनों के अवशेष मात्र में ही निर्मित होती हैं। जब मैं किसी राजधानी में किसी महल का निर्माण देखना हूँ तो मुझे किसी मपूर्ण न्युडित ग्रामीण क्षेत्र का व्याप्त आता है।

परिच्छेद १४

सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार संधृत होती है (३)

ज्यो ही लोग सार्वभौम सभा के रूप में न्यायसंगत रीति से सम्ग्रहीत होते हैं, शासन के समस्त अधिकार रुक जाते हैं, अधिशासी शक्ति स्थगित हो जाती है, और क्षुद्रतम नागरिक का शरीर इतना प्रतिष्ठित और अनतिक्रम्य हो जाता है जितना कि मुख्य दडाधिकारी का, क्योंकि जहा प्रतिनिहित स्वय उपस्थित होते हैं वहाँ किसी प्रतिनिधि का अस्तित्व नहीं रहता। रोम की परिपद में जो कोलाहल हुए, वे सब इस नियम के अन्तर्मान अथवा उपेक्षा के कारण हुए। स्थितिविशेष में राज्यपाल केवल लोगों के अध्यक्ष मात्र और न्यायरक्षक सुवक्ता मात्र रह गये थे^१ और शिष्ट सभा की कोई शक्ति नहीं रह गयी थी।

स्थगन के यह मध्यान्तर जिनमें शासनाधिकारी किसी वरिष्ठ के अस्तित्व को मानता है अथवा उसे मानना अनिवार्य हो जाता है, शासनाधिकारी द्वारा सदा त्रसित होते हैं, तथा लोगों की यह परिपदे जो राजनीतिक निकाय की ढाल और शासन की नियन्त्रक रूप होती हैं, वरिष्ठाधिकारियों द्वारा सब युगों में शक्ति हुई है। इसलिये ये वरिष्ठाधिकारी नागरिकों को परिपदों से विरक्त करने की चेष्टा में उत्कठा, आपत्तियाँ, वाधाएँ और त्रितीयाएँ सबका प्रयोग मुक्त हस्त से करते हैं। जब नागरिक लालची, डरपोक, दीन आर स्वतंत्रता की अपेक्षा अभिशयन के अविक इच्छुक होते हैं, तो शासन की पुनरावृत्ति चेष्टाओं के विरुद्ध यह देर तक सधृत नहीं रह सकते, आर इसलिए जैसे

१ प्राय उसी अय ने जिसने इस शब्द का प्रयोग अप्रेज्ञी पालमेण्ट ने किया जाता है। यदि समस्त अधिकार-क्षेत्र स्थगित भी कर दिये जाए, तो राज्यपालों तथा न्यायरक्षकों के पदों का सादृश्य मात्र उनमें सर्वप्रथम स्थापित कर देता।

जैसे अवरोधक शक्ति निरतर बढ़ती जाती है उसी प्रकार अत मे सार्वभौमिक सत्ता लुप्त होती जाती है, तथा अधिकतर गच्छ अपने ममय के पूर्व ही धीण और विनष्ट हो जाते हैं।

परन्तु सार्वभौमिक सत्ता और स्वेच्छाचारी शासन के बीच कई बार एक मध्यस्थ वर का पुगस्थापन हो जाता है जिसका मुझे विवेचन करना चाहिये।

परिच्छेद १५

प्रतिनियुक्त गण अथवा प्रतिनिधि गण

ज्यो ही राज्य का सेवन नागरिकों का मुख्य उद्दम नहीं रहता और वे अपने शरीर की अपेक्षा अपने धन से सेवा करने लग जाते हैं, राष्ट्र ह्यास के तट पर पहुँचा ही मानना चाहिये। युद्ध में सम्मिलित होने को प्रस्थान करना आवश्यक है? वे सैनिकों को वेतन देते हैं और स्वयं घर पर रहते हैं, सभा में जाना आवश्यक है? वे प्रतिनियुक्तों को निर्वाचित कर देते हैं और स्वयं घर पर रहते हैं। आलस्य और धन के परिणामस्वरूप अत में देश को दास बनाने के लिये वे सैनिकों का, और देश को विक्रय करने के लिये प्रतिनियुक्तों का सम्मान कर देते हैं।

वाणिज्य और कलाओं की व्यग्रता, लाभ का लालचयुक्त अनुसरण, नारीवत् को मलता और सुखों का प्रेम, ये वस्तुएँ हैं जिनके कारण व्यक्तिगत सेवाएँ अर्थ द्वारा विनियमित की जाती हैं। लोग अपने लाभ का एक अश इस आशा में त्याग देते हैं कि वे अपनी सुविधानुसार इसे बढ़ा लेंगे। पैमा देना शुरू करो, और जल्दी ही दासत्व अवाप्त हो जायगा। वित्त शब्द ही दासत्व का शब्द है, नागरिक इससे अपरिचित होते हैं। ऐसे देश में जो वास्तव में स्वतन्त्र हो नागरिक प्रत्येक वस्तु को अपने हाथों से करते हैं, पैसे से नहीं। अपने कर्तव्यों से विमुक्त होने के लिये पैसा देने की अपेक्षा वे अपने कर्तव्यों को स्वत पूरा करने के लिये पैसा देते हैं। मेरे विचार साधारण विचारों में वहुत भिन्न हैं, मेरा विश्वास है कि बलात् श्रम करागोपण की अपेक्षा स्वतन्त्रता के कम प्रतिकूल होता है।

जितना अधिक सुगठित राज्य होता है उतना ही अधिक नागरिकों के मन में सार्वजनिक कार्य वैयक्तिक कार्यों की अपेक्षा मह वपूर्ण होते हैं। उपर्युक्त अवस्था में वैयक्तिक कार्यों की सत्या ही वहुत न्यून होती है, क्योंकि सर्वमाधारण वैभव प्रत्येक व्यक्ति को इतना अधिक भाग प्रदान कर देता है कि लोगों के लिये अपनी वैयक्तिक चेष्टा

में प्राप्त करने के हेतु रह ही थोड़ा जाता है। सुगमित नगर-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति परिपदों में उपस्थित होने को उद्यत रहता है, और दुश्शासित राज्य में परिपदों में उपस्थित होने के निमित्त कोई एक कदम भी नहीं उठाता, क्योंकि उनकी कार्यवाही में किसी को दिलचस्पी नहीं होती, कारण यह है कि सबको पूर्वाभास होता है कि मर्व-साधारण प्रेरणा कार्यान्वित न होगी, और इमीलिये अत मे वैयक्तिक विषयों में सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हो जाता है। श्रेष्ठ विवान श्रेष्ठतर विवानों का मार्गदर्शन करते हैं और दोगों विवान दोपीतर विवानों की ओर के जाते हैं। ज्यों ही कोई व्यक्ति राज्य के कार्यों के मम्बन्ध में यह कहने लगे कि “मेरे लिये उनका क्या महत्व है?” हमें ममझ लेना चाहिये कि राज्य विनष्ट हो गया है।

राष्ट्र को परिपदों में लोगों के प्रतिनियुक्तों अथवा प्रतिनिधियों की योजना स्वदेशप्रेम के ह्रास के कारण, वैयक्तिक हितों के सचेष्ट अनुसरण के कारण, राज्य के अत्यधिक विस्तार के कारण, विजय के कारण और शामन के दोपी के कारण प्रस्तावित हुई। कुछ देशों में इसे तृतीय वर्ग कहने की धृष्टता की जाती है। अर्थात् पहिले दो वर्गों में उन वर्गों के वैयक्तिक हितों को निहित समझा जाता है और केवल इस तीसरे वर्ग में मार्वजनिक हित को नियामित किया जाता है।

उमी कारण में जिसके अतर्गत मार्वभौमिक भत्ता का अन्यकामण नहीं हो सकता, नार्वभौमिक सत्ता का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो सकता, सारत मार्वभौमिक भत्ता मर्व-साधारण प्रेरणा में निहित होती है और वह प्रेरणा प्रतिनिहित नहीं हो सकती, या तो यह प्रेरणा वही होती है या उसमें भिन्न होती है, कोई मव्यम स्थिति नहीं हो सकती। इमिलिये लोगों के प्रतिनियुक्त उनके प्रतिनिधि नहीं होते और न हो सकते हैं, वे केवल उनके आश्रयन होते हैं और उन्हें अतिम निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं होता। प्रथमक विवान जो स्वत लोगो द्वारा अनुमर्मित न हुआ हो विधि-प्रतिकूल होता है, उसे विवान नहीं कहा जा सकता। अप्रेजी राष्ट्र की धारणा है कि वे स्वतन्त्र हैं, परन्तु यह उनका भ्रम मात्र है, जब पार्लियामेट के मदस्यों का निर्वाचन हो रहा हो, तब वे स्वतन्त्र अवश्य होने हैं, परन्तु ज्योंही मदस्य निर्वाचित हो गये तो गाढ़ दाम हो जाता है और अपना महन्नव सो देना है। जो प्रयोग यह राष्ट्र स्वतन्त्रा के उन नक्षिप्त धरणों का करता है उसमें स्वतन्त्रा का ह्रास सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है।

प्रतिनिधियों का निर्वाचन एक नयी कल्पना है उसका आद्य नामननत्र ने होता है—वह स्कैंनो नशा अन्यायपूर्ण शामन जिसके अवीन मनुष्य-जानि अवनत होती हैं जो अनुष्य का नाम अनादन्त होता है। प्राचीन ममय के गणगज्ञों और नजतद्रों में

भी लोग प्रतिनिधि कभी नहीं चुनते थे, उन्हे इस शब्द का ज्ञान न था। यह अद्भुत बात है कि रोम में जहाँ न्यायरक्षक अत्यत पूज्य थे, इस बात की कल्पना तक नहीं आई कि वे (न्यायरक्षक) लोगों की शक्तियों पर बलाधिकार कर सकते हैं, और इतने बड़े जनसमूह के मध्य में उन्होंने किसी एक सम्पूर्ण जनमत द्वारा पारित होनेवाले आदेश को स्वेच्छानुसार पारित करने की चेष्टा नहीं की। परतु जनसमूह द्वारा कई बार व्यग्रता उत्पादित हो जाती थी, जिसका अनुमान ग्राच्च के समय की उस घटना से होता है जिसके अतर्गत नागरिकों के एक भाग ने अपना मत अपने निवासस्थानों की छतों पर मेरे अकित किया था।

जहाँ अधिकार और स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व होता है वहाँ असुविधाओं की कोई गणना नहीं है। उस वृद्धिशाली राष्ट्र में प्रत्येक वस्तु का उचित मूल्याकान होता था, उसने लिंकटरों को वह कार्य करने की अनुज्ञा दी थी जो न्यायरक्षक करने का साहस नहीं करते थे, और लिंकटरों से कभी इसे यह भय नहीं हुआ कि वे कभी इसके प्रतिनिधियों के स्वप्न में कार्य करने की चेष्टा करेंगे।

साथ ही यह स्पष्ट करने के लिये कि कभी कभी न्यायरक्षक राष्ट्र का कैसे प्रतिनिधित्व भी करते थे यह समझना पर्याप्त है कि शासन सार्वभौमिक सत्ता का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है। विधान केवल सर्वसाधारण प्रेरणा की उद्घोषणा मात्र है, इसलिये यह स्पष्ट है कि विधायी क्षमता के क्षेत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, परतु अधिशासी शक्ति में प्रतिनिधित्व हो सकता है और होना भी चाहिये, क्योंकि अधिशासी शक्ति तो केवल विधान के प्रयोग किये हुए बल का नाम है। इससे स्पष्ट है कि सतर्क परीक्षण करने पर बहुत कम राष्ट्र विवानशुक्त पाये जाएँगे। परतु जो भी हो, यह निश्चित है कि न्यायरक्षक, जिनका अधिशासी शक्ति में कोई भाग नहीं था, अपने पद के अधिकारों के आधार पर रोम के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे, केवल शिष्ट सभा के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के परिणाम-स्वरूप ही ऐसा सम्भव था।

यूनानियों में, जो लोगों को करना होता था वे स्वयं किया करते थे, वे निरतर मार्वजनिक स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे। उनका जलवायु नर्म था, और वे लालची नहीं थे, दाम लोग शारीरिक श्रम करते थे, नागरिकों का मुर्य कार्य स्वनवता उपभोग था। वही मुविधाएँ प्राप्त न होने में, अब उन अधिकारों का परिरक्षण कैसे किया जा सकता है? आपके अधिक कठोर जलवायु के कारण आपकी आवश्यकताएँ अधिक

है'। वर्ष मे छ माम तक सार्वजनिक स्थान अनुपयोज्य होता है और खुली हवा मे आपकी इच्छा व्यवस्था मुनी नहीं जा सकती, आप स्वतंत्रता के बजाय लाभ की अधिक अपेक्षा करते हैं और आप दुख की अपेक्षा दामत्व से कम डरते हैं।

कोई आश्चर्य व्यक्त कर सकता है कि वया स्वतंत्रता दामत्व की सहायता से ही स्थापित हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि चर्मविन्दुएँ सम्मिलित हो जाया करती हैं। प्रन्येक वस्तु जो प्रकृति के अनुमार नहीं होती असुविवाकारक होती है, और सभ्यभासाज मे तो अन्य सब वस्तुओंमे अधिक कुछ ऐसी अभागी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमे लोग अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता नष्ट करके ही परिधित कर सकते हैं, और जिनमे दाम को पूर्णतया दाम बनाये बिना नाग्निक पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्पार्टा की यही परिस्थिति थी। वर्तमान राष्ट्रों, जहा तक आपका सवध है, आप किसी को दाम नहीं बनाते, परन्तु आप स्वयं दाम हैं, आप दामों की स्वतंत्रता के बदले अपनी निजी स्वतंत्रता को बलिदान कर देते हैं। अपनी उपर्युक्त अधिमान्यता का आप निरर्थक मिथ्याभिमान करते हैं, मुझे तो इसमे मनुष्यत्व की अपेक्षा कायगता का अधिक अग्न लगता है।

मेरा उपत कथन मे यह अर्थ नहीं कि दाम आवश्यक है, अथवा दामत्व का अधिकार न्यायमगत है, क्योंकि मैंने तो इसके विपरीत ही प्रमाणित किया है, मैं केवल उन कारणों का उल्लेख करता हूँ जिनके अर्तात् अपने आपको स्वतंत्र माननेवाले नवीन गण्ड प्रतिनिधियों को धारण करते हैं और प्राचीन राज्य धारण नहीं करते थे। कुछ भी हो, ज्योही कोई गण्ड प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है वह स्वतंत्र नहीं रहता, इसका अपना अस्तित्व तक नहीं रहता।

ननकं विचार के अनतर, मुझे लगता है कि सार्वभौमिक मत्ता के लिये भासाज मे अपने अधिकारों का उपभोग करना नितान असम्भव होता है यदि नाज्य बहुत द्योटा न हो। परन्तु यदि नाज्य बहुत द्योटा होता है, तो वया यह पराधीन न हो जायगा?

१. किसी शीत देश मे पूर्वीय लोगों की कोमलता और विलासप्रियता को अभीकार कर लेने का अर्थ यह है कि देशवासी उन्हों की तरह दात्तत्व ग्रहण करने को तैयार हैं और अनिवार्य रूप से पूर्वीय लोगों से भी अधिक इस दामत्व मे स्थापित रहने को तैयार हैं।

प्रथमत , वरिष्ठ प्रभुत्व जैसे अनन्यक्रामित नहीं हो सकता वैसे ही सँपरिवर्तित भी नहीं हो सकता, इसे सीमावद्ध करने का अर्थ इसे विनष्ट करना होता है । यह कल्पना कि सार्वभौमिक सत्ता किसी अन्य वरिष्ठ को मान्य करे, हास्यास्पद और परस्पर-विरोधी होती है, किसी स्वामी की आज्ञानुसरण के लिये अपने आपको वद्ध करने में यह कल्पित होता है कि इसने पूर्ण स्वतंत्रता को पुन वापस लिया है ।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि लोगों का किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ पापण करना एक विशिष्ट क्रिया होगी जिससे यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त पापण न विधान हो सकेगा और न सार्वभौमिक सत्ता की क्रिया, और परिणामस्वरूप यह अवैधानिक हो जायगा ।

अपरच हम देखते हैं कि पापण करनेवाले पक्ष केवल प्राकृतिक विधान के अतर्गत ही कार्यशील हो सकेंगे और अपने अन्योन्य अभियुक्तियों के पालन के हेतु क्षेमरहित हो जाएंगे, यह धारणा सम्य समाज के सर्वथा प्रतिकूल है । जो व्यक्ति शक्ति को धारण करता है वही सदा उसे कार्यान्वित करने की क्षमता रखने से तो गोया हम मनुष्य की उस क्रिया को पापण का नाम दे रहे हैं जो वह किसी अन्य को निम्न कहने में करता है, “मैं तुम्हें अपनी समस्त सम्पत्ति देता हूँ और शर्त यह है कि तुम मुझे जो चाहो वापिस कर देना ।”

राज्य में केवल एक पापण होता है और वह साहचर्य का पापण, यही किसी अन्य पापण को अपवर्जित कर देता है । किसी अन्य सार्वभौमिक पापण की कल्पना ही नहीं की जा सकती जो इस मूल पापण का अतिक्रमण रूप न होगी

परिच्छेद १७

शासन का संस्थापन

तो जिस क्रिया द्वारा शासन स्थापित होता है उसे किस मामोधना के अन्तर्गत कल्पित करना चाहिये ? मैं आरभ मे ही कह देना चाहता हूँ कि यह क्रिया मिश्रित है, जिसमे दो अन्य क्रियाएँ स्थुक्त होती हैं, अर्थात् विधान का प्रतिपादन तथा विधान का निपादन ।

प्रथम द्वारा सार्वभीमिक भृत्य यह निर्धारित करती है कि शासकीय निकाय किस रूप मे स्थापित किया जाय, स्पष्टत यह एक वैदानिक क्रिया होती है ।

द्वितीय द्वारा, जनममूह राजकों को मनोनीत करता है जिसमे प्रस्थापित शासन न्यमित होनेवाला है । उपर्युक्त मनोनयन एक विशिष्ट क्रिया होने के काण्ड कोई द्वितीय विधान नहीं होता, परन्तु प्रथम विधान का केवल परिणामस्वरूप, और शासन का एक कार्य, होता है ।

कठिनाई यह समझने मे आती है कि शासकीय निकाय के स्थापित होने के पहिले ही शासन का कार्य किस प्रकार भव्यादित हो सकता है, और लोग, जो केवल सार्वभीमिक भृत्य अथवा प्रजा ही होते हैं, किसी विशेष परिस्थिति मे शासनाविकारी अथवा दण्डाविकारी कैमे बन सकते हैं ।

परन्तु इस स्थिति मे नज़रीतिक निकाय का एक ऐसा आध्यार्यजनक गुण प्रकट होता है जिसके द्वारा स्पष्टत परम्परा-विगोद्धी कृत्यों का समाधान हो जाता है । क्योंकि उपर्युक्त स्थिति सार्वभीमिक भृत्य के भव्या जननश मे इस प्रकार परिवर्तित होने मे उत्तम होती है कि विना किसी संवेद परिम्बनभेद के, और केवल ममन्त्र भै समस्त के नवीन भव्य द्वारा, नागरिक दण्डाविकारी बनकर सर्वसाधारण कार्यों मे विशिष्ट कार्यों के नशा विधान ने निपादन के धोने मे प्रविन्द हो जाते हैं ।

ही मान्यता दी जानी चाहिये जितनी दृढ़ न्याय के अतर्गत अस्वीकार नहीं की जा सकती, चाहे इस दायित्व से भी शासनाधिकारी लोगों के विरुद्ध अपनी शक्ति को परिरक्षित करने में बड़ा बल प्राप्त करता है, क्योंकि लोग यह नहीं कह पाते कि शासनाधिकारी ने उनकी शक्ति पर बलाधिकार कर लिया है। केवल अपने ही अधिकारों को कार्यान्वित करने का आभास करते हुए वह सुगमतापूर्वक उन्हें विस्तृत कर सकता है और सार्वभौमिक शक्ति को स्थापित करने के बहाने से परिपदों की सुव्यवस्था पुनः स्थापित करने के हेतु आमत्रित अधिवेशन अवरुद्ध कर सकता है। इस तरह शासनाधिकारी इस मौन का जिसे यह भग्न होने नहीं देता, और उन अनियमितताओं का जिनको घटित होने का यह स्वयं कारण होता है, लाभ उठा लेता है, जो भय के कारण चुप हो जाते हैं उनका अनुमोदन अपने पक्ष में प्राप्त कर लेता है और जो बोलने का साहस करते हैं उन्हें दडित कर देता है। इसी प्रकार द्वादश वर्ग ने, जो सर्वप्रथम एक वप के लिये निर्वाचित हुए थे और फिर अगले वर्ष के लिये पदस्थ रहे थे, ममा (कमिटियाँ) को सम्मिलित न होने देकर सदा के लिये अपनी शक्ति को प्रतिवारण करने की चेष्टा की, और इसी सुगम रीति से विश्व के समस्त शासन एक बार मार्वजनिक बल में युक्त होने के अनतर सार्वभौम सत्ता पर कभी न कभी बलाधिकार कर लेते हैं।

जिन नियतकालिक परिपदों का मैंने पहिले उल्लेख किया है वे इस दोष का निवारण अथवा स्थगन करने के लिये बहुत उपयुक्त हैं, विशेषतया क्योंकि उनके अधिवेशन के लिये किमी यथार्गीत आमत्रण की आवश्यकता नहीं होती, इमलिये शासनाधिकारी अपने आपको प्रत्यक्ष रूप में विधानों का उल्लघनकर्ता आर गज्य का शत्रु घोषित किये विना उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

उपर्युक्त परिपदों का उद्याटन, जिनका प्रयोजन मामाजिक वप को परिरक्षित करना होता है, सदा दो प्रस्तावों के माथ होना चाहिये जिन्हे किमी को दमन करने का साहस नहीं होना चाहिये और जो पृथक्-पृथक् मतों से पारित होने चाहिये।

प्रथम “क्या मार्वभौमिक सत्ता शासन के वर्तमान रूप को मधृत रमना चाहती है ?”

द्वितीय “क्या लोग प्रशासन को उन्हीं के पास रमना चाहते हैं जिनमें यह अब नियसित है ?”

इस सवध में मेरी यह पूर्वधारणा है, और मेरी मान्यता है कि मैं इसे प्रमाणित कर चुका हूँ कि गज्य में कोई ऐमा आधारभूत विवान नहीं होता, न ही मामाजिक पाषण ऐमा विधान होता है जिसे निरमित न किया जा सके, क्योंकि यदि सब नाग-

ग्रिक गम्भीर मम्बिदा द्वारा इस पायण को भग्न करने के हेतु नम्मिलित हो तो कोई उसमें शका नहीं कर सकता कि यह सर्वथा न्यायपूर्वक भग्न हो जायगा। ग्रोगम की तो यह भी कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्य, जिस राज्य का वह मदम्य हो, उसे व्याग भक्ता है औंग देश को छोटकर अपनी प्राकृतिक स्वतन्त्रता औंग सम्पत्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है।^१ जो प्रत्येक नागरिक पृथक् स्थ में करने का अधिकारी है उसे मव नागरिक नम्मिलित स्थ में करने को अवश्य है, यह धारणा हास्यास्पद होगी।

^१ यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य अपवर्चित करने के हेतु अथवा ऐसे अवसर पर जब देश को उसकी आवश्यकता है मेवा से बचने के हेतु देश छोड़ने का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त दशा में पलायन अपराधिक और दडच होगा। यह निवृत्ति न होकर सपरित्याग की परिभाषा में आयगा।

पुस्तक ४

परिच्छेद १

सर्वसाधारण प्रेरणा अविनाशी है

जब तक मनुष्यों की कोई सत्या भवित्व स्पष्ट में अपने आपको एक निकाय मात्र नमृजती है, तब तक उसकी एक ही प्रेरणा होती है जिसका सबव भासान्य परिच्छाण और भासागण कल्याण में होता है। उस द्वारा मेरे गज्य के तमाम स्कन्द और अस्त्री और मग्ल होते हैं, गज्य के मिट्टान स्पष्ट और गुच्छ होते हैं, कोई सम्भ्रमित और परम्पर विरोधी हित नहीं होते, हर जगह सामान्य लाभ प्रत्ययन स्पष्ट होता है, और इसका निष्पण करने के लिये केवल व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानि, एकता और सामान्यता गजनीतिक विशेषणों के दश् दृष्टि होते हैं। अन्य और मग्ल स्वभावी मनुष्य अपनी भग्नता के कारण मुट्ठिकल में वचित होते हैं प्रत्येभन और मुखस्फूर छल उन्हे प्रभावित नहीं करते, वे वचित होते हैं कि दिये भी पर्याप्त मात्रा में चालाक नहीं होते। जब विज्व के प्रमन्त्रम गप्टों में हम कृपकों के सम्मोहों को विसी दर्ते बृक्ष के नीचे बैठकर गज्य के कार्यों का विनिमयन करते और मदा बुद्धिमानी में काम करते हुए देखते हैं, तो क्या हम अन्य गप्टों के, जो कला और गहन्य के आवान पर प्रसिद्ध अथवा दुर्भागी बनते हैं, परिच्छागे की अवहेलना विये विना गहनते हैं?

उपर्युक्त रिंनि ने प्रशाभित नाज्य को विद्वान्। को बहुत बहु आवश्यकता होती है, और जिस भावना में नये विद्वानों का उद्घोषण आवश्यक होता है उसकी आवश्यकता यो वे भव लोग एवं भन में मान्य रहते हैं। विद्वान् को प्रस्तावित करनेवाला मनुष्य गर्वगायागण को पूर्व अनुभूति को व्यक्तिभाव करता है, और जिस प्रस्ताव यो प्रत्येक ने मान्य करने का नकला पढ़ा ही कर लिया हो उसे विद्वान् के स्पष्ट में पारित करने की न किसी के पद्धति-नमर्यन और न वक्तृत्व की आवश्यकता होती है, बल्कि प्रस्तावको वो चिन्हाम होता है कि योप अन्य भी व्यक्त वही रखेंगे जो वह कर रहा है।

जिससे तार्किक लोग वचित हैं वह यह है कि दुस्सग्ठित राज्यों को आद्य से ही अवलोकित करते हुए वे इन राज्यों में किसी सुनिश्चित रीति को सधृत करना असम्भव समझने लगते हैं। पेरिस अथवा लदन के लोगों को एक चतुर कपटी, एक उत्तेजक वक्ता क्या मूर्खताएँ सम्पन्न करने को उकसा सकता है, उनका विचार करके वे हँसते हैं। वे यह नहीं जानते कि वर्न के लोगों द्वारा क्रौमवैल को कठिन परिश्रम करने को दिया जाता और जेनेवा के लोगों द्वारा ड्यूक आफ व्यूफोर्ट को कोडे लगाये जाते।

परन्तु जब सामाजिक वध ढीला होने लगता है और राज्य दुर्बल हो जाता है, जब वैयक्तिक हित प्रबल होने लगते हैं और क्षुद्र स्थानें महान् मस्था पर प्रभाव डालने लगती हैं तो सामान्य हित को आघात लगता है और इसके विपक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। मनदान में एकमत्ता का प्रभुत्व नहीं रहता, मर्वसाधारण प्रेरणा सब लोगों की प्रेरणा नहीं रहती, विपक्ष और सघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, और श्रेष्ठतम् प्रस्ताव भी निर्विरोध स्वीकृत नहीं होता।

अत मे जब विनाश के समीपस्थ राज्य निरर्थक और मायावी रूप मे ही निर्वाहित रहता है, जब सामाजिक वध प्रत्येक हृदय मे भग्न हो जाता है, जब क्षुद्रतम् हित जन-कल्याण के पवित्र नाम के अर्तगत निर्लज्जता से अपना आश्रय लेता है, तो सर्व-साधारण प्रेरणा मूक हो जाती है। गुप्त प्रेरणाओं मे उत्तेजित हुए सब लोग राज्य रचना के पूर्वकाल की भाँति नागरिक के रूप मे अपना मत व्यक्त नहीं करते, और विधानों के रूप मे वे छल मे ऐसे अन्यायपूर्ण पादेशों को पारित करते हैं जिनका उद्देश्य केवल वैयक्तिक हितों की पूर्ति होता है।

क्या इस से यह सिद्ध होता है कि सर्वसाधारण प्रेरणा विनष्ट हो गई है अथवा झाट हो गई है? कदापि नहीं। सर्वसाधारण प्रेरणा तो मदा स्थिर, अपरिवर्ती और पवित्र रहती है, परन्तु उपर्युक्त म्यति मे अन्य प्रेरणाओं द्वारा इसे केवल अधरिक कर लिया गया है। अपने हित को सामान्य हित से पृथक् करना हुआ प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्षत देखता है कि वह इसे मम्पूणतया पृथक् नहीं कर सकता, परन्तु गज्य की क्षति होने के पर्णामस्वरूप उमकी निजी धनि का भाग उम अपवर्जी लाभ की अपेक्षा जिसे वह स्वत प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वहुत तुच्छ लगता है। यदि इस उपर्युक्त विधान लाभ को पृथक् कर दिया जाय, तो वह भी अपने निजी लाभ के हेतु मावजनिक कल्याण को दूसरों की तरह ही पूरी दृढ़ता मे चाहता है। अपने मत को धन के लिये विनय करने हुए भी वह अपने अत करण मे सर्वसाधारण प्रेरणा को परिमाप्त नहीं बनता, वन्तक इसमे वच निकलता है। जिस दोष का वह भागी होता है, वह है,

प्रगति के स्तर को बदलना और जो उसमें पूछा गया उसमें अलग ही कुछ उत्तर देना उदाहरणार्थ अपने मत में यह कहने की अपेक्षा कि “यह गज्ज्य के लिये लाभप्रद है” वह यह कहता है कि “इस प्रस्ताव का पारित होना किसी विशेष मनुष्य अथवा किसी विशेष पक्ष को लाभप्रद होगा।” इसलिये परिपदों की सार्वजनिक व्यवस्था के नियम सर्वसाधारण प्रेरणा को परिवर्तित करने के लिये इन्हें मध्यम नहीं होते जितने इस वात के लिये कि परिपद में सदा विमर्श किया जायगा और परिपद सदा निर्णय करेगी।

इस स्थान पर मैं सार्वभौमिक मत्ता के प्रत्येक कार्य के सबूत में नागरिकों के मग्न्य अधिकारों का विवेचन करना चाहूँगा, उदाहरणार्थ मत प्रकट करने का अधिकार जो नागरिक में कोई भी छोन नहीं सकता, और बोलने, प्रस्ताव करने, विभाजन करने और विमर्श करने के अधिकार जो शासन केवल अपने सदस्यों के लिये स्थापित रखने को सदा सतर्क रहता है, परन्तु इस महत्वपूर्ण विषय के लिये एक अलग पुस्तक की आवश्यकता होगी, और वर्तमान पुस्तक में मैं सब कुछ नहीं कह सकता हूँ।

परिच्छेद २

मतदान

हमने गत परिच्छेद में देखा है कि जिस रीति से सार्वजनिक कार्य होता है वह पर्याप्त विश्वसनीय मात्रा में राजनीतिक निकाय के चरित्र तथा स्वास्थ्य की द्योतक है। परिपदों में जितना अधिक सघ्बनि का राज्य होता है, अर्थात् जितना अधिक मतदान एक मत के समीप पहुँचता है, उतना ही अधिक सर्वसाधारण प्रेरणा अविभावी होती है, परन्तु दीर्घ विवाद, मतभेद और कोलाहल उद्घोषित करते हैं कि वैयक्तिक हितों का बोलबाला है और राज्य क्षय की और प्रवृत्त है।

जब दो अथवा अधिक वर्ग राज्य के सविधान में प्रविष्ट हो जाते हैं, उदाहरणार्थ रोम में जहाँ शिष्टवर्ग और सामान्य वर्ग के सर्वर्प के फलस्वरूप परिषद की कार्यवाही सधराज्य के उत्कृष्टतम दिनों में भी वहुधा विक्षेपित होती थी, उपर्युक्त तथ्य कम रपष्टता से प्रत्यक्ष होता है, परन्तु यह अपवाद भी वास्तविक होने की अपेक्षा अधिक आभासी ही है, क्योंकि उस समय राजनीतिक निकाय के एक स्वाभाविक दोष के अत-गत, वास्तव में एक ही राज्य में दो राज्य स्थापित होते हैं। दोनों राज्यों को सम्मिलित रूप में अवलोकित करने से जो मत्य अवलोकित नहीं होता, वह प्रत्येक को पृथक् रूप में दृष्टिगोचर करने से स्पष्ट दिखाई देता है। वास्तव में मध्ये तूफानी समय में भी जब शिष्ट सभा लोगों के कार्यों में अतराय नहीं डालती थी, लोगों का जनमत वहुधा विधानों को शातिपूर्वक और वहुमत से पारित किया करना या नागरिकों का समान हित होने के कारण लोगों की एक ही प्रेरणा होती है।

चक्र के दूसरे सीमात पर एकमत्ता की पुन प्राप्ति होती है। वह तब होती है जब नागरिक दामत्व में गिरने के अनतर न स्वतन्त्रता और न किमी प्रेरणा के धारक होने हैं। उस दशा में भय और चापलूमी मतों को जयव्वनि में परिवर्तित कर देते हैं, विमर्श काने के बदले मनुष्य केवल आगवना अथवा निदा करने हैं। सम्राटों के ममय में

गिर्ज मभा की यही कल्कित अभिमत रीति थी। कई वार इसका अनुभवण हास्याभ्यर्थ मावधानी के भाश किया जाता था। टैमोटम ने लिखा है कि ओयो के अधीन जब गिर्ज मभामंडो ने चिट्ठियम पर शापो की वर्षी की तो माश ही एक भयानक कोलाहल भी मचाया ताकि यदि वह स्वामी पद को प्राप्त कर ले तो वह यह त जान सके कि प्रन्देक व्यक्ति ने वया कहा था।

उपर्युक्त विभिन्न विचारों के आधार पर ही उन सिद्धातों का उपकलन होता है जिनके अतर्गत, मर्वसाधारण प्रेणा के न्यूनाधिक निश्चित हो सकने और गज्य के न्यूनाधिक नष्ट वर्ष होने के अनुमार, मतों की गणना और अभिप्रायों की तुलना नियमित हो सके।

केवल एक ही ऐसा विद्यान है जो स्वभावत मर्वसम्मत स्वीकृति को अपेक्षा करता है। वह ही मामाजिक वध, क्योंकि जानपदीय माहचर्य विज्व मे मर्वतोधिक स्वेच्छाप्रेरित प्रिया होती है। प्रन्देक मनुष्य जन्मत स्वतत्र और निज कास्वामी होने के कारण, कोई भी, किसी भी ढल के अतर्गत, विना उसकी स्वीकृति के उसे दाम नहीं बना सकता। इस निर्णय का कि दान का पुत्र जन्मत दाम होता है, अर्थ यह ही जायगा कि वह जन्मत मनुष्य ही नहीं होता।

इसलिये यदि मामाजिक वध के ममय कोई इसके विपक्षी हो तो उनके विरोध के कारण यह वय विधिहीन नहीं हो जाता। परन्तु उस कारण के बल वे इसमे मम्मिलिन होने मे वचित हो जाते हैं वे नागरिकों के मध्य विदेशी-भम हो जाते हैं। जब गज्य स्वापित होता है तो स्वीकृति निवान मे निहित होती है, देश मे रहने का अर्थ यह होता है कि भार्वभीमिक भत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली है।'

इन आद्य पापण के अतिरिक्त वहुमन्या का मन भदा अन्य भवको दाव्य करना है यह नियम स्वन पापण का ही परिमासस्मृप है। परन्तु यह पृथा जायगा कि कोई मनुष्य स्वतत्र होते हुए निज के अतिरिक्त दूसरी प्रेणाओं के अधीन होने को दाव्य करने किया जा सकता है। विपक्षी लोग नाय ही स्वनश और जिन विद्यानों को उन्होंने स्वीकृत न किया हो उनके अधीन कैसे हो सकते हैं?

१ उपर्युक्त का सबध सदा स्वतत्र राज्य से भमझना चाहिये, क्योंकि कई बार कुटुम्ब, सम्पत्ति, शरण का अभाव, आवश्यकता, अथवा हिसा किसी निवासो को उसकी स्वेच्छा के विरुद्ध भी देश मे अवसर्द्ध रख सकते हैं, और उस देश मे केवल उसका निवास पापण अथवा उसके उल्लंघन के प्रति उसकी स्वीकृति का दोतक नहीं होता।

मेरा उत्तर है कि यह प्रश्न अनुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। नागरिक सब विवानों को स्वीकृत करता है, उनको भी जो उसकी इच्छा के प्रतिकूल पारित है और उनको भी जो उसके द्वारा उल्लंघित किये जाने की दशा में उसे दड़ित करते हैं। गज्य के सब सदस्यों की अपरिवर्तनीय प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा होती है, उसी के द्वारा वे नागरिक और स्वतंत्र होते हैं।^१ जब जनपदीय परिपद् में कोई विवान प्रस्तावित किया जाता है तो लोगों से यह नहीं पूछा जाता कि वे उस प्रस्थापन का अनुमोदन करते हैं अथवा उसे अस्वीकार करते हैं, परन्तु यह पूछा जाता है कि वह प्रस्थापन सर्वसाधारण प्रेरणा के, जो उनकी निजी प्रेरणा का रूप है, सगत है अथवा नहीं, प्रत्येक अपना मत देकर इस सबध में अपना अभिमत व्यक्त करता है, और मतों की गणना में सर्वसाधारण प्रेरणा की घोषणा प्राप्त होती है। इसलिये जब कभी अपने से विपक्षी अभिप्राय अविभावी होता है तो वह केवल यहीं सिद्ध करता है कि मैं गलती पर था और जिसे मैं सर्वसाधारण प्रेरणा समझता था वह वास्तव में सर्वसाधारण प्रेरणा नहीं थी। यदि मेरा वैयक्तिक अभिप्राय अविभावी हो जाता तो मैं अपनी प्रेरणा के विपरीत कार्य करने का दोषी होता, और उम्म दशा मैं वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो सकता था।

यह सत्य है कि इससे यह अनुमानित होगा कि सर्वसाधारण प्रेरणा के सब चिह्न वहुसूख्या में वेष्टित हैं, जब ऐसा होना बन्द हो जायगा तो, चाहे हम किमी पक्ष में रहे, हमें स्नतत्रता प्राप्त न होंगी।

पूर्व में यह प्रदर्शित करते हुए कि सार्वजनिक मकल्पों में विशिष्ट प्रेरणाएँ सर्वसाधारण प्रेरणा के स्थान पर कैसे प्रतिस्थापित हो जाती हैं, मैंने इस दुष्प्रयोग को रोकने के पर्याप्त व्यवहारगम्य साधन प्रदर्शित किये हैं, इनकी चर्चा मैं बाद में पुन करौंगा। मवसाधारण प्रेरणा को घोषित करने के लिये मतों की अनुपाती मस्त्या के सबध में मैंने वे भिन्नात निरूपित कर दिये हैं जिनके अनुसार इसको निश्चित किया जा सकता है। केवल एक मत का अन्तर सर्वसम्मति को नष्ट कर देता है, परन्तु भर्वसम्मति और

^१ जेनेवा में कारागृह के द्वार पर और नाविक दासों की हथकडियों पर शब्द “स्वतंत्रता” लिखा होता है। इस उक्ति का प्रयोग उचित और न्यायसंगत है। वास्तव में केवल सब प्रकार के कुचेष्टाकारी ही नागरिक को स्वतंत्रता की प्राप्ति से बचित रखते हैं, जिस देश में उपर्युक्त सब व्यक्ति नाविक दासत्व में डाल दिये गये हो उसी देश में सपूर्णतम स्वतंत्रता का उपभोग हो सकेगा।

समान सम्मति के बीच अनेक असमान भाग होते हैं जिन प्रत्येक पर राजनीतिक निकाय की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार इस मस्था का स्थापन किया जा सकता है।

उपर्युक्त अनुपानों को नियमित कर्ण मे दो माध्यारण नियम सहायक हो सकते हैं, प्रथम यह कि जितना अधिक महत्व का अथवा भारी मकल्प हो उतना ही अधिक अविभावी अभिप्राय को सर्वसम्मति के समीप होना चाहिये, दूसरे यह कि जितना अधिक विवेचनाधीन कार्य मे शीघ्रता की आवश्यकता हो उतना ही अधिक अभिप्रायों के भाग मे निर्धारित अंतर को सीमित कर्णा चाहिये, जिन मकल्पों मे त्वरित निर्णय की आवश्यकता हो उनमे एकमात्र मत को वहुमस्या पर्याप्त होनी चाहिये। इन नियमों मे, प्रथम नियम विश्वानों के नियमित अधिक उचित प्रतीत होता है और दूसरा कार्यों के नियमित। परन्तु कुछ भी हो, इन दोनों नियमों के सम्मिश्रण द्वारा ही वे उत्तमतम अनुपात स्थापित किये जा सकते हैं जिनके अंतर्गत वहुमत का निर्णय अविभावी होना उचित होगा।

परिच्छेद ३

निर्वाचन

शासनाधिकारी ओर दलाधिकारियों के निर्वाचन के मबव मे जो, जैसा मै पहिले भी कह चुका हूँ, जटिल क्रियाएँ हैं, दो कार्य-प्रणालियाँ प्रयुक्त होती हैं (अर्थात् चुनाव और भाग्यपत्रक)। दोनों प्रणालियाँ भिन्न भिन्न सब राज्यों मे प्रयुक्त की गई हैं, और अब भी वेनिस के डचूक के निर्वाचन मे दोनों प्रणालियों का मजटिल मिश्रण दृष्टिगोचर होता है।

मोटैस्क्यू का कथन है कि “भाग्यपत्रक द्वारा निर्वाचन जनतत्र की प्रकृति के अनु-कूल हे।” मे यह मानता हूँ, परन्तु किस प्रकार? —मोटैस्क्यू आगे कहता है कि “भाग्यपत्रक निर्वाचन एक ऐसी रीति हे जिससे किसी की मानहानि नहीं होती, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की सेवा करने की युक्तियुक्त आशा रहती हे।” परन्तु वास्तव मे ये कारण नहीं हैं।

यदि हम इसे अपने व्यान मे रखे कि प्रमुखों का निर्वाचन शासन का कार्य है भाव-भौमिक मत्ता का नहीं, तो हम देखेंगे कि भाग्यपत्रक द्वारा निर्वाचन की पद्धति जनतत्र की प्रकृति के अधिक अनुकूल क्यों है। जनतत्र मे प्रशासन उतना ही अधिक जच्छा होता हे जितने कम इसके कार्य गुणित किये जाते हैं।

प्रत्येक वास्तविक जनतत्र मे दलाधिकार कोई उपहार नहीं होता, परन्तु एक दुवह प्रभार होता है, आग उसे अन्यों की अपेक्षा किसी एक व्यक्ति पर आगोपित करना न्याय की दस्टि से उचित नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के नाम भाग्यपत्रक निकलता ह उसपर इस भार का आगोपण केवल विधान द्वारा ही कर्त्तियत हो सकता ह क्योंकि उस दशा मे मवके लिये भमान स्थिति होने के कारण, ओर चुनाव मानुषिक ढच्छा पर जापारित न होने के कारण, किसी ऐसी विधिएँ प्रयुक्ति का अवलम्बन नहीं होता जिसमे विधान की मावश्रिकता बदल जाय।

शिष्ट-जनतत्र मे शासनाधिकारी ही शासनाधिकारी को चुनता है, शासन अपने द्वाग ही गवृत होता है, और इमलिये मतदान प्रणाली प्रचलित होना उचित है।

वेनिम वे उन्नक के निर्वाचन का उदाहरण इस अन्तर को विस्तृत करते के बजाय पुण्यवृत्त करता है यह मिथ्र प्रणाली मिश्रित शासन के लिये उपयुक्त है, क्योंकि वेनिम वे शासन को सत्य, शिष्ट-जनतत्र मानना ही गलती है। जब लोग शासन मे भाग ही नहीं लेते तो शिष्टजन स्वयमेव जनसमूह होते हैं। दीन वर्णविदों के समूह द्वाविकारी पद के समीप नहीं पहुँचते और अपनी प्रेष्ठता है, चिह्न स्वरूप केवल “श्रेष्ठ” की शून्य उपाधि और महान् सभा मे उपस्थित होने का अधिकार ही शारण करते हैं। यह महान् सभा हमारी जेनेवा की माधारण सभा के समान सत्याधिक होने के कारण, इसके प्रस्त्यान सदस्य हमारे मण्डल नागरिकों की अपेक्षा बोर्ड अधिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करते। यह निश्चित है कि दोनों सवगज्यों की निनात असमता को पृथक् करने के अनन्त, जेनेवा का नागरिक वेनिम के शिष्टजनों के वर्ग के पूणतया अनुसृप्त होता है, हमारे देश और निवासी वेनिम के नागरिक और लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे कृपक प्रनान द्वीप की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, सक्षेप मे इस सवगज्य को, इसके विस्तार के अनिश्चित, हम जिस स्प मे भी अबलोकित करें, इसका शासन हमारे शासन ने अधिक शिष्ट-जनतत्रान्मक नहीं है। नमस्त प्रिभित्ता यह ह कि कोई आजीवन प्रमुख न होने के कारण हमें भाग्यपत्रक की उन्नी आवश्यकता नहीं है।

वास्तविक जनतत्र मे भाग्यपत्रक द्वाग निर्वाचन वहन कम दोपयुक्त होगा, योंकि नव लोग चरित्र तथा योग्यता एव भाव तथा भाग्य मे नमान होते के कारण, चुनावना धारणतया अपशपानी होगा। परन्तु मे पहिले ही कह चुका हूँ कि वास्तविक जनतत्र होता ही नहीं।

जब चुनाव और भाग्यपत्रक सम्मिश्रित किये जाय, तो चुनाव को ऐसे पदों की गृनि के लिये प्रयुक्त करना चाहिये जिनके लिये विदेष योग्यता वालीय हो, उदाहरणार्थ नेतृत्व नियुक्तियां भाग्यपत्रक उन पदों की पूर्ति के लिये उपयुक्त होता है जहाँ निवेद वृद्धि न्याय तथा पवित्रता पर्याप्त होनी हो, उदाहरणार्थ नेतृत्वित पद वयोंकि नुसगटिन गज्य मे उपयुक्त गुण नव नागरिकों मे समान होते हैं।

राजतत्रान्मक शासन मे भाग्यपत्रक तथा मतदान का नोई स्थान नहीं है। गजा सांविकार एव मेव शासनाधिकारी और द्वाविकारी होने के कारण, इसके मतायको

का चुनाव उस पर स्वतं निर्भर होता है। जब आवे दी सैम्पियर ने फ्रास के बादशाह की सभा को गुणित करने और उसके सदस्यों को मतपत्र द्वारा निर्वाचित करने का सुझाव रखा, तो उसने यह नहीं देखा कि वास्तव में उसका सुझाव शासन के प्रकार को बदलने का था।

लोकपरिपद् में मतों के अभिलेख तथा गणना की रीति के सबध में मुझे अभी कहना है, परतु सम्भवतः रोम की नीति का इतिहास उन सब सिद्धान्तों को जिन्हें मैं प्रस्थापित करना चाहता हूँ अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित करेगा। विवेकी पाठक के लिये यह अनुच्छित नहीं होगा कि वह थोड़ी सविस्तर रीति से इस बात को अवलोकित करे कि दो लाख मनुष्यों की सभा में सार्वजनिक और वैयक्तिक कार्य कैसे संपादित होते हैं।

परिच्छेद ४

रोम की समितियाँ

रोम के प्राचीन इतिहास का हमारे पास बहुत विश्वसनीय स्मारक नहीं है। यह भी बहुत सम्भाव्य है कि बहुत बस्तुएँ जो अनुक्रम में प्राप्त हुई हैं कल्पित कथा मात्र हों, और माधारणत उनकी सम्भाओं का इतिहास, जो गट्टे के इतिहास का सबसे शिक्षाप्रद भाग होता है, अत्यत दोषदुक्त है। अनुभव हमें प्रतिदिन बताता है कि किन कारणों से मात्राज्यों की क्रातियाँ उत्पन्न होती हैं, परन्तु चूंकि गट्टे स्वयं निर्माण क्रम को पास कर चुके हैं, इसलिये इस बात का विश्लेषण करने के लिये कि वे कैसे निर्मित हुए थे, हमारे पास अनुमान के अतिरिक्त कोई और माधवन नहीं है।

जो स्थिरां सम्भापित हैं उनसे कम से कम यह पता तो चलता है कि इन न्टिरो का कभी आरम्भ हुआ था। उक्त आरम्भ तक पहुँचेवाली कथाओं में मैं जिन्हे प्राधिकारीतम लेखक मान्य करते हैं और जो दृढ़तम युक्तियों द्वारा पुष्ट होती हों, उन्हें अत्यत नि शक समझा जाना चाहिये। मैंने इस बात का अन्वेषण करने के लिये कि विश्व के स्वतन्त्रम और शक्तिशालीतम राष्ट्र ने अपनी बगिट शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया, उपर्युक्त मिद्दात का अनुमरण किया है।

रोम के स्थापित होने के अन्तर, व्युत्पादित गणगाज्य अर्थात् निर्माता की मेना, जिसमें अल्वेनिया, सेविनया और विदेश के लोग थे, तीन वर्गों में विभाजित थी और इस विभाजन के परिणामस्वरूप इसका नाम गणजाति (Tribe) पड़ गया था।

१ रोम का नाम, जिसे रोम्युलस से आकृपित कहा जाता है, ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ दल है। न्यूमा का नाम भी ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ विद्यान होता है। कंसा आश्चर्यजनक सपात है कि इस नगर के दो सर्वप्रथम राजाओं के ये नाम हों जो प्रत्यक्ष स्पष्ट में उनके हारा किये गये कार्यों से इस प्रकार संबंधित हैं।

प्रत्येक “गणजाति” दस क्यूरिया मे विभाजित थी, और प्रत्येक क्यूरिया डीक्यूरिया मे। इनके प्रमुख (Curiones and decuriones) कहलाते थे।

इमके अतिरिक्त, एक शत घुड़सवारों का समुदाय जिसे सेन्चुरिया (Centuria) कहा जाता था, प्रत्येक “गणजाति” से निपर्कित होता था, जिसमे स्पष्ट है कि ये विभाजन जो किसी नगरके लिये अनिवार्य नहीं है, आरम्भ मे केवल मैनिक रूप थे। परन्तु ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा के कारण रोम के छोटे नगर ने आरम्भ से ही एक ऐसी नीति को अगीकार किया जो विश्व की राजधानी के लिये उचित थी।

इम प्राथमिक विभाजन के फलस्वरूप, जल्दी ही एक कठिनाई उपस्थित हुई। अल्वेनिया और सेवाइन की गणजातियाँ सदा समान स्थिति मे रहीं परन्तु विदेशियों को ट्राइब निरतर अभिगमन के कारण लगातार अभिवृद्ध होती रही और जट्ठी ही उन दोनों मे अधिक सरथा मे हो गयी। सर्वियस ने इम भयावह दुप्रयोग के निराकरण के हेतु विभाजन की रीति को बदल दिया, जातियों के अनुसार विभाजन को लुप्त करके उमके स्थान पर अन्य विभाजन प्रतिस्थापित कर दिया जिसका आधार नगर की प्रत्येक ट्राइब द्वारा वासित मडल बनाये गये। तीन ट्राइब्स के स्थान पर उसने चार ट्राइब्स बना दी इनमे से प्रत्येक रोम की अलग अलग पहाड़ी पर रहती थी और उसी का नाम धारण करती थी। ऐसा करने से, न केवल वर्तमान असमानता का प्रतिकार हो गया, परन्तु भविष्य मे भी इनका अवरोध हो गया, आर यह आगोपित करने के लिये कि विभाजन न केवल क्षेत्रों का अपितु मनुष्यों का भी रहे, उसने एक क्षेत्र के निवासियों को किसी अन्य क्षेत्र मे जाने से अवश्यक कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जातियों का भम्मित्रण होता भी निवारित हो गया।

उसने प्राचीन अश्वसेना की तीन मेच्युरी को द्विगुणित कर दिया, आर तदनन्तर १० आर मेच्युरी बढ़ा दी, परन्तु नाम पुगना ही रहने दिया इस मरल आर न्याय-सगत मापन मे उसने अव्वारोहियों आर अन्य लोगों मे, इनके बढ़वाने का कारण उत्पादित किये विना, भेद स्थापित कर दिया।

उपर्युक्त चार नगरीय ट्राइब्स मे, भविष्यम ने १५ जन्य जोड दी जिन्हे ग्राम्य ट्राइब्स कहा गा, क्योंकि वे ग्राम के निवासियों मे निर्मित की गयी थी। उन्हे इनने ही उपमडलों मे विभाजित किया गया। तदनन्तर टन्नी ही जन्य नवीन ट्राइब्स बनायी गयी आर जत मे ऐस के लोगों का विभाजन २५ ट्राइब्स मे हो गया, जो भग्या गणराज्य के पत तक न्यापित नहीं।

उपर्युक्त नगरीय और ग्राम्य द्राइव्स के गेंड के फलस्वरूप, एक उल्लेखनीय परिणाम दृष्टिगोचर हुआ। इस परिणाम का कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता और गेंम में भी यह परिणाम अपनी गतियों के परिणाम और अपने मान्मान्य की वृद्धि के कारण ही उत्पादित हुआ। कोई ऐसा अनुमान कर सकता है कि नगरीय द्राइव्स ने समस्त शवित और प्रतिष्ठा पर विजयाधिकार कर लिया होगा, और वे ग्राम्य द्राइव्स की उपेक्षा करने को उद्यत हुई होगी, परन्तु हुआ इसमें विलकूल विपरीत। हम प्राचीन गेंम निवासियों के ग्राम्य जीवन के प्रेम को जानते हैं। यह प्रेम उन्होंने अपने बुद्धिमान निर्मति में ही प्राप्त किया था, जिसने भवतवता के माय ग्राम्य और भैनिक वर्गों को जोड़ा था और नगरों में, ऐसा मानना चाहिये कि, कला, व्यापार, पृथ्यव, थन और दामन को निर्वासित किया था।

इसलिये गेंम का प्रत्येक प्रभिड मनुष्य ग्राम का निवासी और भूमि का क्रृपक होने के कारण, नघगज्य के रक्षकों को ग्राम में ही जोड़ना यह स्थिरता हीं गया था। योग्यतम शिरों द्वारा अनुमति होने के कारण, उपर्युक्त स्थिति, प्रत्येक द्वारा आदर्श हुई ग्रामीणों का मन्द और धर्मयुक्त जीवन रोम के नागरिकों के जियिल और निश्चयों जीवन में मदा अधिमानित रहा और अनेक लोग जो नगर में केवल हतभागी व्रमजीवी होते, ग्रामों में श्रमिक होकर सम्मानित नागरिक बन गये। वैरों का कथन है कि यह युक्ति गहित बात नहीं है कि हमारे मनस्वी पूर्वजनों ने ग्राम में ही उन परिश्रमी और बहादुर मनव्यों के शिशुगढ़ को सम्मापित किया जिन्होंने उन्हें यद्व में प्रतिरक्षित और नात्तकाल में पोषित किया। पिछी का तो स्पष्ट कथन है कि ग्रामीय द्राइव्स का आधर ना उसके सघटक मनुष्यों के कारण ही हुआ। जिनको अशोग्य होने के कारण कलकिन करना इच्छित था उन्हें तिग्न्यार के चिह्न स्पष्ट नगरीय द्राइव्स में स्थानान्तरित कर दिया गया। Sabinus Appius Claudius के गम में आकर वासित होने पर उसे सम्मान में लाद दिया गया, और एक ग्राम्य द्राइव में भग्नी किया गया। जिसका बाद में उसके कुट्टुम्ब का ही नाम पड़ गया। अनन्त, गद मक्त पुरुषों को नगरीय द्राइव में भग्नी किया जाना था, ग्राम्य में नहीं और नघगज्य के सम्पूर्ण इतिहास में इन मुक्त पुरुषों द्वारा द्रायाधिकार प्राप्त करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता, चाहे वे नागरिक ही गये थे।

उपर्युक्त मिद्दान्त बहुत श्रेष्ठ था। परन्तु इसे इन नीमा तक उकेला गया कि अन में इसके फलस्वरूप ग्रामन में परिवर्तन और निर्वचय न्यप ने एक दोष उन्मत्त ही गया।

प्रयमत दोपवच्चको ने किसी नागरिक को एक ट्राइब से अन्य ट्राइब में स्वेच्छानुमार परिवर्तित करने के अधिकार को देर तक बलोपभोग करने के अनंतर ही, सत्याविक को यह आज्ञा दी कि वे जिस ट्राइब में भर्ती होना चाहते हो, हो जायें, इस आज्ञा से कोई निश्चित लाभ न होकर दोपवचना का एक बड़ा ससाधन विनष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त, क्योंकि सब महान् और शक्तिशाली लोगों ने ग्रामीय ट्राइब्स में निज को भर्ने कराया, और मुक्त पुरुष नागरिक होने के अनंतर अन्य जनता के साथ नगरीय ट्राइब्स में रहे, इसलिये साधारणतया ट्राइब्स में क्षेत्र अथवा मडल का कोई भेद न रहा और वे ऐसी सम्मिश्रित हो गयी कि पजीयों की सहायता के बिना प्रत्येक ट्राइब के सदस्यों को पहिचानना असम्भव हो गया, यहाँ तक कि शब्द ट्राइब का आशय वास्तविक से वैयक्तिक में परिवर्तित हो गया, अथवा मनगढ़त-सा हो गया।

अन्तिम फल यह हुआ कि समीप होने के कारण नगरीय ट्राइब ममिति में बहुत शक्तिसम्पन्न हो गयी और राज्य को उन लोगों के हाथ वित्रय करने लगी जो इन ट्राइब्स के घटक जमघट के मत को ऋण करने की नीचता करते थे।

जहाँ तक क्यूरिआ का सबव है, निर्माता द्वारा प्रत्येक ट्राइब में दस निर्मित किये जाने से समस्त रोम की जनता में, जो उस समय नगर की भित्ति के अतर्गत थी, तीस क्यूरी स्थापित थी, प्रत्येक के अपने मदिर, देव, अधिकारी, पुरोहित और उत्सव होते थे जिन्हे *comitalia* का जाता था, ये तदनन्तर ग्रामीय ट्राइब्स द्वारा स्थापित *paganalia* के समान होते थे।

मवियस द्वारा निर्सित नवीन विभाजन में, तीन चार ट्राइब्स में समान रूप में विभाजित न हो सकने के कारण, वह इनको बदलना नहीं चाहता था, ट्राइब के स्वतंत्र होने के कारण रोम के निवासियों का क्यूरिआ एक अन्य विभाजन रूप हो गया। परतु ग्रामीय ट्राइब्स में अथवा उन्हे निर्माण करनेवाले लोगों में क्यूरिआ की स्थापना का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि ये ट्राइब्स एक विशुद्ध सामाजिक सम्प्रत्यक्ष हो जाने के कारण और मैनिक उद्ग्रहण करने की एक अन्य नीति स्थापित हो जाने के कारण, रोम्युलस द्वारा बनाये हुए मैनिक भाग व्यर्थ हो गये थे। इसलिये यद्यपि प्रत्येक नागरिक किमी न किमी ट्राइब में भर्ती होता था परतु प्रत्येक क्यूरिआ में भी अवश्य भर्ती हो, ऐसी दशा नहीं थी।

मवियम ने एक अन्य तृतीय विभाजन किया, जिसका पूर्ववर्तीय दो से कोई सबव नहीं था, परतु जो प्रभावत मवसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उसने ममस्त रोम की जनता को छ वर्गों में विभाजित किया, और इन वर्गों का अनर निवास

स्थान के आधार पर नहीं, न मनुष्यों के आधार पर, वल्कि सम्पत्ति के आधार पर किया। ताकि प्रथम वर्ग तो वनी मनुष्यों में परिपूर्ण किये गये, अतिम दीन मनुष्यों में, और मध्यम उनमें जो मध्यम ऐवर्य का उपभोग करते थे। उपर्युक्त छ वर्ग १०३ अन्य निकायों में, जिन्हे मैचुरी कहते थे, विभाजित किये गये, और इन निकायों को इस प्रकार वितरित किया गया कि अकेले प्रथम वर्ग में आवे में अधिक लोग सम्मिलित थे और अतिम वर्ग में केवल एक। परिणाम यह था कि मध्या न्यूनतम वर्ग में अधिकतम मैचुरी वनी, और अनिम सम्पूर्ण वर्ग की गणना केवल एक उपभाग के स्पष्ट में हुई हालांकि यह अकेला रोम के आवे में अधिक निवासियों को अतर्धारित करता था।

इस हेतु कि लोग इस अतिम प्रकार का परिणाम प्रत्यक्ष स्पष्ट में अवलोकित न कर सके, शवियम ने उसे सैनिक स्पष्ट देने का आठवर किया, दूसरे वर्ग में उसने शस्त्रधारकों की दो मैचुरीज और चीये वर्ग में मैनिक उपकरणों के निर्माताओं की दो मैचुरीज पुरास्थापित कर दी। अतिम वर्ग के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ग में उसने युवा और वृद्ध में भेद किया, अर्थात् उनमें जिन पर शस्त्र धारण करने का दायित्व था और उनमें जो अपनी अवस्था के कारण विधान द्वारा मुक्त हो चुके थे, सम्पत्ति के अभिनिर्वारण में कहीं अधिक इस अतर के कारण वारस्त्रार जनगणना करने की आवश्यकता होती थी। अत में उसने यह नियम बनाया कि समिति का अधिवेशन Campus Martius में हुआ करे और वे भव व्यक्ति जो अवस्था के आधार पर मैनिक मेवा के योग्य थे वहाँ अपने शत्रों सहित उपस्थित हुआ करें।

उसने अनिम वर्ग में ज्येष्ठो और कनिंठो में इसी प्रकार अतर क्यों स्थापिन नहीं किया, इसका कारण यह है कि जिस जनभाग द्वारा यह वर्ग निर्मित हुआ था उन्हें देश के लिये शस्त्र धारण करने का भन्नान प्राप्त नहीं था वामभूमि को परिनिधित करने का अधिकार प्राप्त करने के लिये पहले वामभूमि तो हो। और गजाओं की भेनाओं में जो अमस्त्यात भिसमगों के दल आज दृष्टिगोचर होते हैं भम्भवत उनमें एक भी ऐसा नहीं होता जो रोम की भेना में धृणा में वहिंपूर्ण न कर दिया जाता, जब कि रोम के मैनिक स्वतंत्रता के परिणामक होते थे।

अपरच, अतिम वर्ग में श्रमजीविकों और अन्यों में जो Cadite censi कहलाने वे अतर किया जाता था। श्रमजीवी सम्पूर्णतया दग्ध नहीं होते थे, वे नज्यों को नाग-ग्निक, और कभी कभी आपत्तिकाल में मैनिक भी, प्रशान करते थे। जहाँ तक उन लोगों का नदध है जिनके पास कुछ या ही नहीं और जिनकी गणना केवल गिरे द्वारा

की जाती थी, वे सर्वथा अनावश्यक समझे जाते थे, मेरियस ने ही सर्वप्रथम उन्हे भरती तक कर्ने की कृपा की थी।

इस बात का कि यह तृतीय विभाजन स्वत अच्छा था या दुरा, निर्णय किये विना, मैं समझता हूँ कि यह निश्चयरूप में कहा जा सकता है कि आद्य रोम निवासियों के मरल स्वभाव, निरपेक्षता, कृपि प्रेम और वाणिज्य तथा लाभ के तीव्रानुसरण के तिरस्कार के कारण ही यह व्यवहार सम्भव हो सका। किस वर्तमान राष्ट्र में तीव्र लोभ, भावों की व्यग्रता, पढ़्यत्र, निवास का निरतर परिवर्तन और भाग्य के शाश्वत उलट फेर इस प्रकार की संस्था को मम्पूर्ण राज्य को पलटे बिना बीम दर्पों तक स्थापित रहने देते? बास्तव में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि रोम में इस मस्था की त्रुटियाँ, शील और दोपवचन द्वारा, जो इस संस्था से ज्यादा शक्तिशाली थे, मशोधित होती रही और अनेक बनी मनुष्य अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन करने के कारण दीनों के इस बग में अवतरित किये जाते रहे।

उपर्युक्त से हम सुगमतापूर्वक समझ सकेंगे कि क्यों पाँच बगों से अधिक का कभी उल्लेख नहीं किया जाता, हालाँकि बास्तव में छ वर्ग थे। छठाँ वर्ग जो न सेना को मौनिक प्रदान करता था और न Campus martius को' मतदाता, और जो गणगाज्य के लिये निरर्थक मात्र था, कोई वहूत महत्व का नहीं माना जाता था।

रोम के लोगों के ये विभिन्न भाग हैं। अब हम देखेंगे कि परिपदों में इन भागों का क्या प्रभाव होता था। विवानानुमार समाहृत ये परिपदे कमिटिया कहलाती थी। इनका अविवेशन रोम के फोरम में अथवा Campus martius में द्वारा करता था, और इनके ऊपर उन तीन प्रकारों के अनुसार ये जिन पर ये विनियमित होते थे, और Comitia curiata Comitia centuriata और Comitia tributa रहलाते थे, Comitia curiata गोमुलम द्वारा मस्थापित हुई थी, Comitia centuriata मूर्च्यम द्वारा और Comitia tributa लोगों के न्यायरक्षकों द्वारा। कमिटिया द्वारा पारित होने के अतिरिक्त, न किसी विधान को सम्मोदन प्राप्त होता था और न किसी दडाविकारी का निर्वाचन हो सकता था, और क्योंकि कोई

१ मैं “कैंपस मार्टियस को” यह शब्द प्रयुक्त करता हूँ, क्योंकि कैंपस मार्टियस में comitia centuriata का अधिवेशन होता था। अपने दूसरे ऊपर में सभा फोरम में अथवा किसी अन्य स्थान पर सम्मिलित होती थी, और तब capite censi इतना ही प्रभाव और प्रभुत्व प्राप्त करती थी जितना कि प्रमुख नागरिक।

ऐसा नागरिक नहीं था जो किसी न किसी कमिटिया, तथा रैचुरिया, अथवा ट्राइब में भर्ती न हुआ हो, इसलिये यह स्पष्ट है कि किसी नागरिक को मताधिकार ने अपवर्जित नहीं किया गया था। अर्थात् रोम के लोग जास्तविक रूप ने विद्वानत और वस्तुत सार्वभीम-सत्ताधिकारी थे।

कमिटिया का न्यायमन्त अधिवेशन होने के लिये और उनमें किये गए कार्य को विद्वान का बल प्राप्त करने के लिये, तीन जर्तों की पूर्ति आवश्यक थी, प्रथम कि जिस निकाय अथवा दण्डाधिकारी द्वारा उन्हें सामन्त किया जाय, उसमें उस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रभुत्व विनियोजित होना चाहिये, द्वितीय कि परिपद् का अधिवेशन किसी ऐसे दिन होना चाहिये जो विद्वान द्वारा अनुमत हो, तृतीय कि गकुन अनुकूल होने चाहिये।

पहली शर्त के कारण की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय नीति का विग्रह है, कमिटिया का अधिवेशन उत्सव के दिन अथवा द्वाट के दिन करना अनुमत नहीं था, क्योंकि उस दिन ग्रामीण लोग रोम में व्यापार के हेतु आने के कारण दिन को परिपद् के अधिवेशन में व्यतीत करने का अवकाश प्राप्त न कर सकते थे। तीसरी शर्त द्वारा गिर्ट ममा अहकारी और उपद्रवी लोगों पर नियन्त्रण न्यूनती थी और याममय राजद्रोही न्यायरूपों की उच्चता को मद करनी थी परन्तु राजद्रोही लोग इस निवार में मुक्त होने के अनेक माध्यम खोज लेने थे।

विद्वान और प्रमुखों का निर्वाचन, केवल यही दो विषय कमिटिया के नियम के हेतु प्रस्तुत नहीं होते थे। रोम के लोगों द्वारा शामन की सर्वेष महत्वपूर्ण शक्तिया व्यावरिष्ट हो जाने के कारण, वह कहा जा सकता है कि यूरोप के भारत का नियन्त्रण लोगों की परिपदों में ही होता था। विषयों की उपर्युक्त विभिन्नता के कारण परिपदों के उन विभिन्न प्रकारों को पर्याप्त विस्तार मिल जाता था जो निर्णय हेतु प्रमाणित विषयों के अनुमार ये धारण करनी थी।

इन विभिन्न प्रकारों का मूल्याकान करने के हेतु, इनकी तुलना करना पर्याप्त है। क्यूंकि योग्यिया को मापान्त करने में रोमान्स की इच्छा यह थी कि गिर्ट ममा वो लागो द्वारा और लागो को गिर्ट ममा द्वारा अवश्य किया जाय और नव पर नमान प्राप्ति न्यायित किया जाय। इसलिये उसने इस मूल्याकान लोगों वो मस्त्रा का समग्र प्रभाव व्यापार किया ताकि वह गिर्टवर्ग के बल और नम्पन्ति के विनाश न्यूनित हो नके। परन्तु राजतत्र की प्रवत्ति के अनुमार उन्हें किन भी जित्तक ग्राम गिर्टवर्ग को ही दिया जाए अपने आवितों के प्रभाव द्वारा मताधिक्य प्राप्त करने में अकल हो नके थे। जात्र-

दाताओं और आश्रितों की यह सराहनीय स्थिति और मनुष्यत्व की एक अद्वितीय रचना थी, जिसके बिना शिष्टवर्ग जो मध्यराज्य के स्वभाव के निरतर विपरीत था, निर्वाहित नहीं हो सकता था। केवल रोम को ही विश्व को इस श्रेष्ठ स्थिति के प्रदान करने का श्रेय है, इस स्थिति का कभी कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, परंतु फिर भी इसका कभी अनुमरण नहीं हुआ।

क्यूरिया की परिपद का स्वरूप भवियत के तथा राजाओं के समय में भी निर्वाहित रहा, और चूंकि अन्तिम Tarquin का राज्य न्यायमगत नहीं माना जाता है, इसलिये साधारणतया राजकीय विधानों को Leges curiatea नाम देकर उनमें भेद किया जाता रहा।

मध्यराज्य के अतर्गत क्यूरिया की परिपद, जो सदा चार नगरीय ट्राइंस तक सीमित थी, और जो केवल रोम की जनता को ही अतर्धारण करती थी, शिष्ट सभा और धर्मरक्षकों के अनुरूप नहीं होती थी, शिष्ट सभा शिष्ट वर्ग की प्रधान होती थी और धर्मरक्षक निम्नजातीय होते हुए भी मध्यवर्गीय नागरिकों के प्रधान होते थे। इसलिये curia की परिपद निय हो गई और इसकी ही नावस्था में यह स्थिति हो गई कि उसके तीस एकत्रित Lictors ने यह सब कार्य करने आरम्भ किये जो Comitia curiata द्वारा होने चाहिये थे।

Centuries पर आधारित विभाजन शिष्टवर्ग का इतना पक्षपाती था कि सर्वप्रथम हमें यह आश्चर्यजनक लगता था कि जिस कमिटिया का यह नाम था और जिसमें उपराज्यपाल दोपवचक और अन्य unrule दण्डाधिकारी निर्वाचित होते थे, उसमें शिष्टसभा सदा प्रभावित क्यों नहीं हो पाती थी। वास्तव में समस्त रोम की जनता के छ वर्गों के १९३ सैंचुरी में में अकेले प्रथम वर्ग की ९८ सैंचुरी होती थी, और चूंकि मतगणना सैंचुरी के आधार पर की जाती थी इसलिये अकेले इस प्रथम वर्ग को बाकी अन्य वर्गों से मताधिक्य प्राप्त था। जब सब सैंचुरी एकमत होती थी तो मतों का अभिलेखन भी छोड़ दिया जाता था, जो वास्तव में स्थान्यून द्वारा निर्णीत हुआ था, उसे जनसमूह का निर्णय समझा जाता था, और हम यह कह सकते हैं कि Comitia centuriata में कार्यों का विनियमन मतों के आधिक्य की अपेक्षा मुकुटों के आधिक्य के आधार पर होता था।

परंतु इस अत्यधिक शक्ति का परिमितकरण दो प्रकार में होता था। प्रथम धर्मरक्षक मामान्यत और शिष्टवर्ग की अधिक मत्त्या सदा घनी श्रेणी में होने के कारण, वे इस प्रथम वर्ग में शिष्टवर्ग के प्रभाव को मतुलित करते थे।

दूसरा साधन इसमें वेष्टित था कि सैचुरीज़ का मत वर्गों के त्रम में लेने की अपेक्षा, जिसके अतर्गत पहला वर्ग सदा आरम्भ में होता था, आरम्भ करनेवाले वर्ग के नाम भार्यपत्रक द्वारा निश्चित किया जाता था,^१ और केवल यही अकेला वर्ग निर्वाचिन कार्य सम्पन्न करता था, तदनंतर सब सैचुणियाँ अपने त्रम के अनुसार किसी अन्य दिन आहूत होकर निर्वाचिन को प्रचलित करती थीं और माधारणत पुष्ट करती थीं। इस प्रकार प्रजातत्र के मिठात के अनुसार, नेतृत्व की शक्ति त्रम में हटाकर भार्यपत्रक द्वारा प्रदत्त की जाने लगी।

उपर्युक्त व्यवहार ने एक और लाभ फलित हुआ, ग्राम्य क्षेत्र के नागरिकों को दो निर्वाचिनों के मध्य अस्थायी स्प में निर्वाचित हुए पदाभिलापी के रुण दोपो के मवव में पूरी जानकारी प्राप्त करने का मध्य उपलब्ध होने लगा, जिसमें वे अपने मत तथ्यों के आवार पर अभिलिखित करने लगे। परन्तु त्वरता के बहाने से, इस व्यवहार को समाप्त कर दिया गया, और दोनों निर्वाचिन एक ही दिन होने लगे।

कमिटिया *tribula* वास्तव में गोम के लोगों की ममा थी। इसका आमत्रण केवल न्याय-रक्षकों द्वारा किया जाता था, और इसमें न्यायरक्षकों का निर्वाचित होता था और उनके *plebiscite* को पारित किया जाता था। इस ममा से शिट ममा का कोई अस्तित्व नहीं था, शिट ममा को इसमें उपस्थित होने नक का अधिकार नहीं था, इस प्रकार जिन विधानों पर वे अपना मत नहीं दे सकते थे उन विधानों का भी अनुपालन करने वो वाच्य होने के कारण, इस आधार पर, शिट ममा मर निम्न-तम नागरिक की अपेक्षा कम स्वतंत्र थे। यह अन्याय सर्वत्रा अव्यवहार कुशल था और केवल यही इस निकाय के प्रादेशों को अमान्य करने को पर्याप्त भिट हुआ जिसमें मव नागरिक उपस्थित नहीं हो सकते थे। यदि मव शिटवर्गीयजन इस कमिटिया में नागरिकों के अविकार के स्प में भाग लेने तो वे नग व्यक्तिस्प हो जाने के कारण मतगणना के ऐसे प्रकार में जहा मतों की गणना भव्यानुगान होनी थी और जहा कुट्रनम निम्नवर्गीय शिट ममा के प्रमुख जितनी शक्ति को प्राप्त कर सकता था, वहां प्रभाव नहीं ढाल गते रे।

१ यह सैचुरिया, इस प्रकार भार्यपत्रक से चुने जाने पर, *prafogauva* कहलाती थी, योकि सर्वप्रथम इसका मत मांगा जाता था। इसी से शब्द *प्राफोगावा* प्राप्त हुआ।

इसलिये हम देखते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र के मतों को एकत्रित करने के हेतु विभिन्न भागों का जो ऋम मस्थापित किया गया, उसके अतिरिक्त इन भागों को किसी ऐसे आकार में बद्ध नहीं किया गया जो स्वतं निरपेक्ष हो, वल्कि प्रत्येक भाग से उसके निर्माण के अन्तर्निहित अभिप्रायों को प्रत्यक्षतं प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त तत्व का अधिक विस्तार से विवेचन न करते हुए भी, पूर्ववर्ती व्यास्था में यह मिछ्द है कि Comitia tributa शासन के ओर Comitia centuriata शिष्ट जनराज्य के अधिक अनुकूल थी। जहाँ तक Comitia curiata का सबध है, जिसमें केवल रोम की जनता का मस्थाधिक्य था, क्योंकि यह जनता अत्याचार और दृष्ट प्रयोजनों के ही अनुकूल होती थी, इसलिये इस कमिटिया का अप्रतिष्ठित स्थिति में अवतीर्ण हो जाना न्यायमगत ही था, वाहे राजद्रोही स्वत। ऐसे साधन में विलग रहे जहा उनकी योजनाएँ प्रत्यक्षतया प्रकट हो जाती। यह निश्चित है कि रोम के लोगों की सम्पूर्ण आभा केवल Comitia centuriata में ही प्रदर्शित होती थी, क्योंकि केवल यह कमिटिया ही सम्पूर्ण थी, Comitia curiata में ग्रामीय ट्राइब्स की ओर Comitia tributa में शिष्ट सभा तथा शिष्टवर्गीय लोगों की अनु-पस्थिति रहती थी।

आद्य रोम निवासियों में मत अभिलेखन की रीति उतनी ही मरल थी जितनी उनकी अन्य प्रथाएँ, परतु किं भी स्पार्टा ने कम मरल थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने मत को ऊँची ध्वनि से प्रदर्शित करता था, और अभिलेखक इसे पजी में दर्ज करता था। प्रत्येक ट्राइब के मताधिक्य से ट्राइब का मत निश्चित किया जाता था, ट्राइब के मताधिक्य द्वारा लोगों का मत निर्णीत किया जाता था, आर यहीं प्रथा क्यूरी और मैचुरी में जनुमारिन होती थी। यह व्यवहार तब तक ठीक था जब तक नागरिकों में मत्यता व्याप्त थी और प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का भावजनिक रूप में किसी अन्यायपूर्ण कृत्य के लिये अथवा अयोग्य मनुष्य के लिये अभिलिखित करने में शर्म अनुभूत करता था परतु जब लोग अट्ट हो गये और मत क्रय किये जाने लगे, तो यह आवश्यक हुआ कि मतों का अभिलेखन गुप्त रूप में किया जावे ताकि क्रपकताओं पर सदेह का नियन्त्रण रहे और धूर्तों का राजद्रोही बनने का अवसर न मिले।

मैं जानता हूँ कि मिमरो इस परिवर्तन को दोपपूर्ण कहता है ओर उसका जगत काश्च मध्यज्ञय की अवनति को बताता है। परतु इस विषय में, मिमरो के अधिकार का वल अनुभूत करने हुए भी, मैं उसके मत को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इसके

विपरीत में यह मान्यता है कि इन प्रकार के पर्याप्त परिवर्तन न करने के कारण गज्जय का विनाशक वेगशील हुआ। यथा स्वस्य व्यवितयों के पश्च नियम गोगियों के अनुपयुक्त होते हैं, उमी तरह भ्रष्ट लोगों को उन विद्याओं के अतर्गत, जो उत्तम गज्जय के अनुकूल हैं। प्रशासित करने की चेष्टा करना अवाक्षनीय है। इस युक्ति को बेनिम के गणगज्जय की अपेक्षा कोई और दृष्टात् अधिक तथ्यत मिहृ नहीं करना है, अब इस गणगज्जय का आकाशमान रह गया है, क्योंकि इसके विधान कुचाट मनुष्यों के अनिश्चित किसी और के उपयुक्त नहीं है।

इसलिये नागरिकों में गोलिया वितरित की जाने लगी जिनके आधार पर प्रत्येक अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए अपना मतदान कर सके। गोलियों को एकत्रित करने के लिये, मतों की गणना करने के लिये, और मरणों की तुलना करने इन्यादि के लिये नवीन आवेप मन्थापित हुए। परन्तु इसमें भी इन कार्यों को करनेवाले पदाधिकारियों की ईमानदारी पर भद्रेहारोपण नमान नहीं हुआ। अन मे, पड़यत्रों और मतों के व्यवित्रय को गोकर्णे के लिये, कुछ राजवोपणाएँ की गई जिनकी मन्था उनकी निर्घंटना को भिड़ करनी है।

अनिम वर्षों में, विद्याओं के दोषों की पूर्ति के देते, उन्हें बहुत असाधारण उपकरणों का अवलम्बन करना पड़ा। कभी कभी विलक्षण गुणों का यहाना किया जाना या परन्तु यह तरीका, जो लोगों को प्रभावित कर सकता था, उन पर जो प्रशासन करने ये बहुत प्रभावकारी नहीं हुआ। कई बार परिषद् का अधिवेशन पदाधिकारियों को मतार्थन का ममय देने के पूर्व ही शीघ्रता में आमत्रित कर लिया जाता था। कभी कभी, जब ऐसा आभास होता था कि लोग दोषी प्रस्ताव को पारित करने के लिये उद्यत कर ये जा चुके हैं, ममम्न अधिवेशन चर्चा में ही नमान कर दिया जाता था। परन्तु अत मे प्रबल इच्छाओं ने नव चम्नुओं को अपवचित किया, और यह अविद्यमनीय प्रतीत होता है कि इनने भागी दोषों के मध्य यह महान् गम्भीर अपनी प्राचीन मन्थाओं के अनुग्रह में ददाधिकारियों को निर्वाचित करने, विद्याओं को पारित करने, प्रकरणों को निर्णीत करने और नार्दजनिक और वैयनिक कार्यों को लगभग उतनी ही बदलता ने निष्पात्ति करने में जितनी शिष्ट नमा स्वत वर नकली थी कभी पर्यंतित नहीं हुआ।

परिच्छेद ५

धर्मरक्षकता ।

जब राज्य के सघटक भागों में निश्चित सबध प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकता, अथवा जब अविनाशी कारण इन सबधों को निरतर परिवर्तित करते रहते हों, तो एक विशिष्ट दडाधिकार मस्थापित किया जाता है जो अन्यों में समाविष्ट नहीं किया जाता, वल्कि जो प्रत्येक मर्यादा को अपने सत्य सबधों में पुनः स्थापित करता है, और शासनाधिकारी और लोगों के बीच, अथवा शासनाधिकारी और सार्वभौमिक सत्ता के बीच, अथवा आवश्यकतानुसार एक साथ ही उपर्युक्त दोनों के बीच, एक सम्पर्क अथवा मध्यस्थ मर्यादा निर्मित करता है।

यह निकाय, जिसको मैं धर्मरक्षकता कहूँगा, विधानों का और विधायी शक्ति का परिरक्षक होता है। कभी कभी यह सार्वभौमिक सत्ता की शासन के विरुद्ध रक्षा करने में सहायक होता है, यथा रोम में लोगों के धर्मरक्षकों ने किया था, कभी कभी यह शासन का लोगों के विरुद्ध समर्थन करता है, यथा वेनिस में दमों की सभा अब कर रही है, और कभी कभी यह एक तथा दूसरे भाग में साम्य मधृत करता है, जैसे स्पार्टा में ऐकर्म ने किया था।

धर्मरक्षकता राज्य का सघटक भाग नहीं होता, और विधायी तथा अधिग्रामी शक्ति में इसका कोई अश नहीं होना चाहिये, परन्तु इसी कारण धर्मरक्षकता की महानतम शक्ति होती है क्योंकि स्वयं कुछ न कर सकते हुए भी यह सब कार्यों को निवारित कर सकती है। शासनाधिकारी, जो विधानों को कार्यान्वित करता है, और सार्वभौमिक मत्ताधिकारी, जो विधानों को निर्मित करता है, की अपेक्षा विधानों के परिवर्क होने के कारण यह अधिक पवित्र और अधिक आदरणीय है। गेम में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हुआ, जब अहकारी गिट्टवर्गीय, जो ममस्त लोगों को मदा

वृणा की दृष्टि से देखते थे, लोगों के एक ऐसे मरल पदाविकारी के समक्ष, जिसे न कोई तत्त्वाविदान और न कोई अधिकार-धेर उपलब्ध था, नमने को बाध्य हुए थे।

वुद्धियुक्त अनतिशील धर्मरक्षकता अच्छे गविधान का प्रबलतम भमर्थनस्प होती है, परन्तु यदि इसकी शवित मे न्यूनतम भी अतिरेक घटित हो जाय तो यह प्रत्येक वस्तु को उलट देती है, जहाँ तक निर्वलता का सम्बन्ध है, वह इसमे स्वभाव मे ही नहीं होती, और यदि इसमे कुछ भी शक्ति निहित हो, तो यह शक्ति जितनी होनी चाहिये उसमे कभी न्यून मिहु नहीं होती।

जब धर्मरक्षकता अधिकारी शक्ति के सयतकर्ता होने के बजाय उस पर बलाधिकार प्राप्त कर लेती है अथवा जब यह विद्यानों को, जिन्हे इसे केवल प्रतिरक्षित करना चाहिये, निर्माण करने की इच्छुक हो जाती है, तो यह अन्याचार मे विहृमित हो जाती है। एकर्स की महान शक्ति, जो उस समय तक, जब तक स्पार्टा अपनी नीति पर स्थापित रहा, भयरहित थी, भ्रष्टाचार आगम्भ हो जाने पर केवल इसे ही प्रोत्साहित करने मे महायक हुई। इन अत्याचारियों द्वारा हत एजिस के ग्वत का ददला उसके उत्तराधिकारी द्वारा निया गया, परन्तु इस अपराध तथा एकर्स का दटिन होना दोनों ने सघाज्य के पतन को शीघ्रगामी किया, और Cleomenes के अनन्तर स्पार्टा का कोई महत्त्व नहीं रहा। गेग भी इसी प्रकार विनष्ट हुआ, और धर्मरक्षकों की प्रादेश द्वारा अनविश्रीत अत्यधिक शक्ति अत मे, स्वतत्रता के रक्षण हेतु बनाये हुए विद्यानों की महायता मे, उसे विनष्ट करनेवाले मस्राटों का दाल मात्र बन गई। जहाँ तक वैनिस की दशीय सभा का सबध है, यह तो ग्वत की धर्मसभा है जो शिष्ट वर्ग और लोग दोनों को भयावह है और जो विद्यानों को दृढ़ता मे परिरक्षित करने की अपेक्षा विद्यानोंके पतन के समय मे केवल गुप्त आधानों का एक मात्र बन जाती है जिसकी मनुष्य चर्चा तक करने वाले माहम नहीं कर सकते।

शामन के समान, धर्मरक्षकता भी, मदस्यों की सम्ब्या बढ़ जाने के कारण, निर्दल हो जाती है। जब गेम के लोगों के धर्मरक्षक, मर्वप्रथम सम्ब्या मे ढो, और नदनतर पाँच, जगनी नस्या को द्विगुणित करने के इच्छुक हुए, तो शिष्ट सभा ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी वयोकि शिष्ट सभा को विद्यास या कि एक मदस्य द्वारा दूसरे को नियनित किया जा सकता है और घटिन भी ऐसा ही हुआ।

उन्हें प्रबल निकाय को बलाधिकार मे निवारित करने का उत्तम मात्रन यह होगा—इस मात्रन को अभी तक किसी शामन ने प्रयुक्त नहीं किया है—कि उन निकाय

को स्थायी न बनाया जाय, परतु कुछ ऐसे मध्यतर निश्चित किये जाएं जिनमे यह निलवित रहे। इन मध्यतरों का, जो इतने दीर्घ नहीं होने चाहिये कि दोप स्थापित हो सके, निश्चयन विधान द्वारा इस प्रकार किया जा सकता है कि आवश्यकता के अनुमार असाधारण आयोगों द्वारा उन्हें सक्षिप्त करना सरल हो सके।

मुझे उपर्युक्त रीति आपत्तिरहित प्रतीत होती है, क्योंकि जैसे मैं पहिले कह चुका हूँ, धर्मरक्षकता सविधान का अग न होने के कारण बिना अहित के लुप्त की जा सकती है, और मुझे यह रीति बहुत फलोत्पादक प्रतीत होती है, क्योंकि नवनियुक्त दडाधिकारी अपने पूर्वाधिकारी की शक्ति से कार्यारभ नहीं करता, परतु विधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का ही प्रयोग करता है।

परिच्छेद ६

एक शास्त्रतंत्र

विद्यानों की अनानन्दता, जो उनको मकटवालीन स्थितियों के अनुसृप वनने में वाधक होती है, किन्हीं दिग्गजों में उन्हें सर्वथा प्रणायी बना देती है, और उम भाग्य नकटकाल में जग्य के विनाश का कारण बन जाती है। प्रकारों का अम तथा मदता गमय के इनने अनर की मोंग करने हैं कि परिम्बितिया कभी कभी ऐसा होता है की वो अनुग्रह नहीं देती। महसूर ऐसे प्रकरण स्थापित हो सकते हैं जिनका विधिवर ने पर्वावधान न किया हो, और यह धारणा कि प्रन्येक वस्तु की पूर्वकल्पना नहीं हो सकती दूरदृशिता रा एक आवश्यक अवश्य है।

इसलिए हमें राजनीतिक सम्भालों को इनी दृष्टा में स्थापित करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये कि उनके प्रभाव को निलिपि करना समाव्य ही न रहे। स्थार्ड तरु ने अपने विद्यानों को निपिक्ष बनाने की सभावना नहीं थी।

परन्तु सारंजनिक अम को परिवर्तित करने के भय को केवल असाधारण मकट ही उद्भागित कर सकते ह और अनिग्रह उम परिम्बिति के जब देश की सुश्क्षा ही गकट में पड़ जाये विद्यानों के पवित्र वल में हम्लेप नहीं करना चाहिये। उपर्युक्त विश्ली तथा प्रत्यन परिम्बितियों में, सारंजनिक धेम का प्रावधान एक विभिन्न इत्य ढारा दिया जाना है। जिसके अन्यंत अमल भार योग्यतम मनुष्य पर दाला जाना है। भय के प्रकार ते जन्मार ही यह आवंग दो नीनियों में प्रतिपादित किया जाता ह।

यदि उपर्युक्त दोप को निवारित करने के लिये शानन के कार्यों में नवदृष्ट दृष्ट देना पर्याप्त हो, तो उम उसे एक अथवा दो शास्त्रीय नदस्यों में नकेन्द्रित कर सकते हैं। उम देश में विद्यानों के प्रभुत्व में परिवर्तन नहीं होता। परन्तु उसके प्रमाणन द्वे प्रकार में ही परिवर्तन होता ह। परन्तु यदि भय उम प्रकार का हो कि विद्यानों की नियमित

विवा ही हमारे क्षेम के प्रति वाधक हो जाय, तो एक वरिष्ठ प्रमुख मनोनीत किया जाता है जिसे सपूर्ण विवानों को लवरुद्ध करने और सार्वभौमिक सत्ता को अल्पकाल के लिये स्थगित करने तक का अधिकार होता है, उस दशा में सर्वसाधारण प्रेरणा सशयात्मक नहीं रहती, और यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोगों की प्राथमिक अभिलापा यह है कि राज्य विनष्ट न हो जाय। इस प्रकार विधायी शक्ति के निलवन में इसकी समाप्ति निहित नहीं होती, जो दडाधिकारी इसे मूक करता है वह इसे वाणी नहीं दे सकता, वह इसका प्रतिनिधित्व करने की शक्ति प्राप्त किये विना ही इसका प्रभु होता है वह प्रत्येक कार्य कर सकता है परन्तु विधान नहीं बना सकता।

प्रथम रीति का प्रयोग रोम की शिष्ट सभा द्वारा किया गया था जब कि उसने उपराज्यपालों को एक पावन सूत्र द्वारा गणराज्य के क्षेम का प्रावधान करने के लिये भारित किया था। द्वितीय रीति उस समय प्रयुक्त हुई थी जब दोनों उपराज्यपालों में ऐसे एक ने शासता को उम प्रथा के अन्तर्गत मनोनीत किया जिसका पूर्व प्रमाण रोम में आल्बा द्वारा स्थापित हुआ था।

गण राज्य के आरम्भ में एकशास्त्रृत्व का उपश्रयण बहुधा किया जाता था, क्योंकि तब तक राज्य की अपने मविधान के बल पर स्वत को मधृत करने के हेतु पर्याप्त दृढ़ नीव नहीं बनी थी।

सार्वजनिक सदाचरण के कारण उम समय अनेक ऐसी मावधानियाँ अनावश्यक थीं जो अन्य समय में आवश्यक हो सकती थीं, कोई एकशासता अपने प्रभुत्व का दुम्पयोग करेगा, अथवा मर्यादा के परे अपने प्रभुत्व को प्रतिधारित करने की चेष्टा करेगा, इसका कोई भय ही न था। इसके विपरीत ऐसा लगता था कि इतनी अधिक जनकि उम व्यक्ति के लिये जो इसमे नजित होता था, भार स्वस्प होगी क्योंकि वह अपने आप को इसमे शीघ्रतया पृथक् करने की ही चेष्टा करता था, जैसे कि विधानों का स्थान प्राप्त करना अति दुफ्कर ओर अति भयानक पद होता हो।

इसलिए इसके दुप्रयोग की अपेक्षा इसके पतन के भय के कारण ही मैं आद्यकाल मे इस वरिष्ठ दडाधिकारता के अविवेकी प्रयोग की समालोचना करता हूँ। क्योंकि जब तक इसका मुक्त प्रयोग निवाचिनों, समर्पणों और शुद्ध औपचारिक कार्यों तक ही भीमित रहा, तब नक यह भय लगा रहा कि आवश्यकता के समय मे इसे कम महत्त्वपूर्ण

१ यह मनोनयन रात्रि को और गुप्त रीति से किया गया था, मानो वे किसी एक मनुष्य को विधानों के ऊपर स्थित करते हुए स्वयं लज्जित थे।

न ममझा जाय ओर लोग इसे एक ऐसी थोथी पदवी के रूप में जिमका प्रयोग मारहीन उन्मवों में ही होता है अबलोकित करने के अन्यस्त न हो जाय ।

गणराज्य के अतकाल में, रोम निवासियों के अधिक मतक हो जाने से, अकारण ही एकशास्त्रृत्व का प्रयोग उतना ही कम किया जाने लगा जितना कि पूर्व में आधिक्य से किया जाता था । यह अबलोकन करना सुगम है कि उनका एक शास्त्रृत्व के प्रति भय विल्कुल निराधार था, कि राजवानी की दुर्बलता उन दडाविकारियों के विरुद्ध, जो राजवानी में पदासीन थे, पर्याप्त प्रन्यास्म रूप थी, कि विशिष्ट परिस्थितियों में एक ग्रासता भाव-जनिक स्वतंत्रता को आवृत्ति करने की अपेक्षा पर्विक्षित करने में सहायक हो सकता था, और कि ग्रेम के वधन स्वतं रोम में ही नहीं बल्कि उमकी सेनाओं में निर्मित हो रहे थे । जो न्यून रोध मौरियम मिला के विरुद्ध और पांची सीजर के विरुद्ध कर सका उमभे रूपट विदित था कि आन्तरिक प्रभुत्व वाह्य बल के विरुद्ध कितना प्रभावशील हो सकता है ।

इस विभ्रम के कारण उनसे महान् गलतियाँ हुईं, उदाहरणार्थ, केंटलीन के प्रकरण में किसी एक-ग्रासता को नियुक्त न करना । क्योंकि केवल नगर के अन्दर अथवा अत्यन्त डटली के सीमित क्षेत्र का ही प्रधन था, इसलिए एक-ग्रासता विद्यानों द्वारा प्रदत्त अमीमित शक्ति द्वारा सुगमता से पड़्यत्र को भग्न कर सकता था, जो केवल ऐसी मुन्द्र घटनाओं के सयोजन द्वारा दमन हो सका जिमकी कल्पना मानुषिक वुद्धि कभी नहीं कर सकती थी ।

उपर्युक्त नीति अपनाने की अपेक्षा शिष्ट सभा ने अपनी मपूर्ण शक्ति को उपराज्यपालों में प्रन्यस्त करना मतोप्रद महसूस किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रभावी कार्य करने के लिये मिसरों को एक महत्वपूर्ण प्रधन पर अपने प्रभुत्व का अतिरेक करने को बाध्य होना पड़ा, और यद्यपि प्रसन्नता के प्रथम परिवहन में उमका आचार अनुमोदित हो गया, परन्तु तदनतर विद्यानों के विपरीत नागरिकों का रक्त वहाने के लिये उमे न्यायत प्राभियोजित किया गया, यह तिरस्वार एकशास्ता के प्रति नहीं किया जा सकता था । परन्तु उपराज्यपाल की वक्तृत्व शक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति विजित हो गया और न्यून नेमन होते हुए उमने देश के हित की अपेक्षा अपनी निजी प्रसिद्धि को अधिमान्य करके राज्य को बचाने के निश्चिततम और नैयायिकतम मात्रनों की नीज करने के बजाय उमने ऐसी नीति को अपनाया जिसमें इन घटना का

समस्त यश अपने लिये प्राप्त कर सके ।^१ इसलिए यह बिलकुल न्यायसंगत है कि रोम के मुक्तिदाता के रूप में उसका आदर हुआ और विधानों के आक्रमणकारी के रूप में वह दड़ित हुआ । उसका प्रत्यावर्तन देदीज्यमान होते हुए भी वास्तव में वह एक क्षमादान ही था ।

अपरच, इस महत्वपूर्ण आयोग का प्रदान किसी रीति से भी किया जाय, यह आवश्यक है कि इसकी अवधि एक बहुत लघु सीमा तक निश्चित हो जिसे लवित करना सभव न हो सके, जिन सकटावस्थाओं में यह आयोग प्रकट होता है राज्य जल्दी ही विनष्ट अथवा सुरक्षित हो जाता है, और अविलबनीय आवश्यकता समाप्त हो जाने के अनन्तर, एकशास्त्रृत्व अत्याचारपूर्ण अथवा निरर्थक हो जाता है । रोम में एकशासता की अवधि केवल छ मास थी, और इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही सख्ताविक्य ने पदत्याग किया । यदि अवधि अधिक दीर्घ होती, तो सभवत इसे और अधिक बढ़ाने के लिये वे प्रलोभित होते, जैसे द्वादशों ने अपनी एक वर्ष की अवधि को बढ़ाया था । एकशासता को केवल उस आवश्यकता की पूर्ति करने भर का समय मिल सका जिसके कारण उसका निर्वाचन हुआ था, अन्य योजनाओं के सवध में विचार करने का उसे समय ही नहीं मिला ।

^१ एकशासता का प्रस्ताव करने में उसे यह सतोष नहीं हो सकता था, वह अपना नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता था और उसे यह विश्वास नहीं हो सकता था कि उसका साथी उसे मनोनीत करेगा ।

परिच्छेद ७

दोषवेचना

यथा सर्वसाधारण प्रेरणा की उद्घोषणा विधान द्वारा होती है उसी प्रकार जनसत की घोषणा दोषवेचना द्वारा होती है। जनसत विधान का एक प्रकार है जिसका दोषवेचक प्रशासी अधिकारी होता है और गामनाविकारी की भाँति वह इसे विशिष्ट दग्धओं में ही प्रयोग करता है।

इसलिए दोषवेचकगण लोगों के मत के विवेचक होने की व्येक्षा केवल उद्घोषक होते हैं, और ज्योही यह उपर्युक्त स्थिति से विचलित हो जाते हैं, उनके निर्णय विफल और प्रभावहीन हो जाते हैं।

किसी राष्ट्र के चरित्र और उसकी मान्यता के प्रयोजनों में अतर करना निर्गम्यक है, यद्योकि ये मपूर्ण बस्तुएँ समान सिद्धान्त पर आवारित होती हैं और आवश्यक स्प में नस्मिन्दित होती है। विश्व के मपूर्ण राष्ट्रों में, स्वभाव नहीं, परन्तु मत ही प्रमाणों के बग्गे को निर्णीत करता है। मनुष्यों के मत को मुवार दीजिये, और उनकी रीतियाँ स्वत विशद हो जायेंगी। लोग सदा उसे पर्यन्त करने हैं जो औचित्यपूर्ण हो अर्थात् जिसे वे औचित्यपूर्ण समझें, और इस समझ में वे गलती कर देने हैं, उसलिये प्रश्न यह है कि उनकी समझ को ठीक निर्दिष्ट करना चाहिये। जो गीनियों का निर्णय करता है वह मान का निर्णय भी करता है। और जो मान का निर्णय करता है वह अपना विधान मत द्वारा प्राप्त करता है।

राष्ट्र का मत उसके मविधान से उन्वित होता है, यद्यपि विधान वील का नियमन नहीं करता। तथापि विधायीकरण उसकी उत्पत्ति करता है। जब विधायीकरण क्षति-उत्तम हो जाय तो वील भी खट्ट हो जाता है, परन्तु उस दग्ध में दोषवेचकों का निर्णय वह कार्य नहीं कर सकता जो विधानों की शक्ति ही करने में अनफल रही।

इससे यह सिद्ध है कि दोपवेचना शील को परिरक्षित करने में लाभप्रद होती है इसे पुन व्याप्त करने में नहीं। जब विधान ओजस्वी हो उस समय दोपवेचको का स्थापन करना चाहिये, क्योंकि ज्योही उनकी शक्ति लुप्त हो जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब विधान ही अपने बल को खो वैठे हो, तो कोई अन्य वस्तु विधानसंगत होने के कारण बल व्याप्त नहीं कर सकती।

मतों को भ्रष्ट होने से निवारित करके, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयुक्तियों द्वारा उनकी पवित्रता को परिरक्षित करके, कभी कभी जब वे अनिश्चित हो तो उन्हें निश्चित करके, दोपवेचना शील को समर्थित करती है। द्वन्द्वों में द्वितीयों का प्रयोग जो फ्रास राज्यों में उन्मत्त चरमीमा तक बढ़ गया था, राजा के प्रादेश में निहित इन सरल शब्दों द्वारा समाप्त हो गया—“जहाँ तक उन कायरों का सदध है जो द्वितीयों को नियुक्त करते हैं।” सार्वजनिक निर्णय की पूर्वविधारणा करनेवाले इस निर्णय से तुरन्त फैसला हो गया। परन्तु जब इन प्रादेशों ने यह उद्घोषित करना चाहा कि द्वन्द्व घट्ट करना भी कायरता है, जो सर्वथा सत्य है, परन्तु साधारण मत के विपरीत है, तो जनता ने इस फैसले का उपहास किया, क्योंकि इस विषय पर इसका अपना निर्णय पहले ही बन चुका था।

मैं एक अन्य स्थान पर कह चुका हूँ^१ कि चूंकि जनमत का निबाध नहीं हो सकता इसलिये जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिये जो वर्ग स्थापित किया जाय उसमें निबाध का अवशेष नहीं होना चाहिये। आधुनिक लोगों में पूर्णतया विलुप्त इस बल का सचार रोम के लोगों में, और उससे भी अधिक सुन्दर रीति सेल सेडोमिम में, किस कलात्मक ढग से होता था, उसकी हम जितनी अधिक प्रशसा करें थोड़ी है।

स्पार्टा की सभा में एक अच्छा प्रस्ताव किसी दुश्चरित्र मनुष्य द्वारा स्थापित किये जाने पर एफर्म ने उसे बिना देखे उसी प्रस्ताव को एक अन्य धर्मपरायण नागरिक द्वारा प्रस्तावित कराया था। दोनों को प्रशसित अथवा तिरस्कृत किये बिना ही एक को कितना आदर और दूसरे को कितना कलक प्राप्त हो गया। सामोस के कुछ ग्रामियों ने^२ एफर्म की धर्मसभा को अनादरित कर दिया, अगले ही दिन एक

१ इस परिच्छेद में केवल इस विषय को दर्शाता हूँ जिसका मैंने अधिक विस्तार से Letter to M d' Alembert में विवेचन किया है।

२ ये लोग किसी और द्वीप के रहनेवाले थे, परन्तु हमारी भाषा की सुकुमारता इस अवसर पर इस द्वीप का नाम अकित करने से हमें रोकती है।

मार्वंजनिक प्रादेश द्वारा सामोस के लोगों को गन्दा रहने की अन्य आज्ञा प्रदान हो गयी। कोई वास्तविक दड इस मुक्ति जैसा मरत नहीं हो सकता था। जब स्पार्टा यह उद्घोषित करता था कि कौन कृत्य ममाननीय अथवा इसके विपरीत है तो यूनान देश उसके निर्णयों के विरुद्ध पुनर्विचार की कोई प्रार्थना नहीं करता था।

परिच्छेद द

सामाजिक धर्म

आरभ में ईश्वर के अतिरिक्त मनुष्यों का कोई राजा नहीं था, और ईश्वरतत्र के अतिरिक्त कोई शासन नहीं था। वे कैलीक्यला के समान तर्क करते थे, और उस समय उनका तर्क भी न्यायसगत होता था। अपने ही एक साथी को स्वामी के रूप में गहण करने का सकल्प करने और यह भतोप प्राप्त कर सकने के लिये कि ऐसा करने से उनका भला होगा, मनुष्य को अपनी भावनाओं और विचारों को बहुत देर तक बदलना आवश्यक है।

केवल इस परिस्थिति से कि राजनीतिक समाज का प्रमुख ईश्वर होता था, यह प्रत्यक्ष है कि जितने राष्ट्र थे उतने ही ईश्वर होने चाहिये। दो राष्ट्र, जो एक दूसरे से विभिन्न हैं और प्रायः सदा शत्रु हैं, एक ही स्वामी को दीर्घकाल तक स्वीकार नहीं कर सकते थे। युद्धरत दो सेनाएँ एक ही नेता का आज्ञापालन नहीं कर सकती थीं। इसलिए राष्ट्रों के विभाजन का परिणाम अनेक ईश्वरवाद हुआ और इससे आव्यात्मिक और सामाजिक असहिष्णुता स्थापित हो गयी, प्रकृतित उपर्युक्त दोनों एक ही हैं जिनका वाद में निस्पत्ति किया जायगा।

गीक लोगों की यह मायावी धारणा कि असम्य लोगों के मध्य वे अपने ही देवताओं को मान्य करते थे, इसलिए कल्पित हुई कि वे अपने आपको उन लोगों का स्वाभाविक सार्वभौम सत्ताधिकारी मानते थे। परन्तु आधुनिक काल में ऐसा ही हास्यास्पद पाण्डित्य विभिन्न राष्ट्रों के देवताओं की सास्पता पर आधारित है, अर्याति इस वात पर कि Moloch, Saturn & Chonos एक ही ईश्वर के नाम हैं अथवा Phoenician लोगों का Baal, Greek लोगों का Zeus, और रोमन लोगों का जुपिटर एक ही है, गोया विभिन्न नाम धारण करनेवाले काल्पनिक जीवों में कोई समानता हो सकती है।

परन्तु यदि यह प्रश्न किया जाय कि ईसाइयत के पूर्वकाल में जब प्रत्येक राज्य अपनी अलग पूजा और अपना अलग ईच्छर धारण करता था, क्यों धार्मिक युद्ध नहीं हुए, तो मैंग उत्तर होगा कि इसका उपर्युक्त ही कारण है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने आमन की तर्फ पूजा का विशिष्ट प्रकार धारण करते हुए अपने विद्यानों को अपने देवताओं से विभिन्न नहीं मानता था। राजनीतिक युद्ध धार्मिक भी होते थे, ऐसा कहना चाहिये कि देवताओं के विभाग राष्ट्रों की भीमा से निर्वासित होते थे। एक राष्ट्र के देवता अन्य राष्ट्रों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते थे। भूतिपूजकों के देवता ईरालि नहीं होते थे, उन्होंने विश्व का मात्राज्य आपम में विभाजित कर लिया था। मोजेज और यहूदी राष्ट्र भी कभी कभी इस विचार को अनुमोदित करते थे क्योंकि वह डजराइल के देवता का उल्लेख करते थे। यह सत्य है कि वे केननाइट के देवताओं को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, क्योंकि वह राष्ट्र विहिकृत और विनाशकारी था, जिसके देश को यहूदी स्वयं प्राप्त करना चाहते थे, परन्तु उन पड़ोसी राष्ट्रों के देवताओं का, जिन पर आक्रमण करना उनके लिये निपिछा था, वे निम्न प्रकार उल्लेख करते थे Jephithan ने Ammonites को कहा “तुम्हारे देवता चामोस के स्वामित्व की वस्तु क्या वह नैयायिक स्प से तुम्हारे नहीं है? ममान उपाधि मे जिन थेरों को हमारे विजेता देवता ने अवाप्त कर लिया वे हमारे हो गये हैं।” भरी यह मान्यता है कि उपर्युक्त कथन मे चामोज के अधिकार और डजराइल के देवता के अधिकारों मे अधिमानित समार्हता निहित है।

परन्तु जब यहूदियों ने बैन्युल्न के राजा और तदनतर सीरिया के राजाओं के अवीन हो जाने पर अपने देवता के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को स्वीकार करने मे हठपूर्वक इनकार किया तो विजेता द्वारा उम इनकार को गजद्रोह मानकर

१. उपर्युक्त पाठ वल्टोट का है। पेयर दि कारिये ने इसका नियमानुसार अनुवाद किया है “क्या तुम्हारी यह मान्यता नहीं है कि जो तुम्हारे देवता चामोस के स्वामित्व मे हैं उसे प्राप्त करने का तुम्हारा अधिकार है?” मैं ह्यू वरो के पाठ के ठीक अर्थ मे अनभिज हूँ परन्तु मैं यह देखता हूँ कि वल्टोट जैव्या ने देवता चामोस के अधिकार को निश्चित स्प से मान्य किया है और फ्रासीसी अनुवादक ने इस स्वीकृति को “तुम्हारे मतानुसार” यह शब्द जो लैटिन मे नहीं है, जोड़कर दुर्बंल कर दिया है।

उन पर उत्पीड़ना की बौछार की गयी, जिसका उल्लेख हम उनके इतिहास में पढ़ते हैं और जो ईसाई धर्म से पहले उपद्रवों का एक मात्र उदाहरण है।

इसलिए प्रत्येक धर्मराज्य द्वारा निर्धारित विधानों से अन्य व्युपेण आसजित होने के कारण, किसी राष्ट्र को वशीभत करने के अतिरिक्त परिवर्तित करने का कोई और मार्ग नहीं था और विजेताओं के अतिरिक्त कोई और धर्मप्रचारक नहीं होते थे, और विजितों पर अपनी पूजा का आकार बदलने का दायित्व विधान द्वारा आरोपित होने के कारण धर्म परिवर्तन की बात करने के पूर्व विजित करना आवश्यक था। मनुष्य देवताओं के लिये युद्ध करने की अपेक्षा, यथा होमर में, देवता मनुष्यों के लिये युद्ध करते थे, प्रत्येक व्यक्ति अपने देवता से अपने विजय की याचना करता था और नयी वेदियाँ बनाकर उऋण होता था। किसी स्थान पर आक्रमण करने से पूर्व रोमन लोग वहाँ के देवताओं को उसे छोड़ देने के लिये आहूत करते थे और जब उन्होंने Tarentins के पास उनके उत्तेजित देवताओं को छोड़ा तो केवल इसलिये कि वे उन देवताओं को अपने देवताओं के अधीन और अपने देवताओं के प्रति प्रभुभक्ति अपित करने के लिये बाध्य मानते थे। उन्होंने विजितों के देवताओं को उसी प्रकार स्थिर रहने दिया जैसे उनके विधानों को। राजधानिक जुपिटर के लिये एक मुकुट, वहूधा वे विजितों पर यही उपहार आरोपित करते थे।

अत में रोम के लोगों द्वारा अपनी पूजा तथा अपने देवताओं को अपने साम्राज्य के साथ साथ विस्तृत कर लिये जाने के कारण, और वहूधा विजितों की पूजा और देवताओं को, सबको नागरिकता का अधिकार अनुदत्त करके, अभिस्वीकृत कर लेने के कारण इस विस्तृत साम्राज्य के राष्ट्र अलक्ष्यत यह अवलोकित करने लगे कि उनके देवताओं और धर्मों की सत्या अधिक और सब जगह समान हो गयी है और यही कारण है कि अत में मूर्तिपूजा को विश्व में एक ही धर्म भाना जाने लगा।

उपर्युक्त दशा में जीसस भूमि पर एक आध्यात्मिक राज्य सम्पादित करने को अवतरित हुआ, धार्मिक क्रम को राजनीतिक क्रम से अलग करके इस आध्यात्मिक मगठन ने राज्य की एकता को विनष्ट कर दिया और आन्तरिक विभाजनों को उत्पन्न

१ फोशियों का युद्ध, जिसे पवित्र युद्ध कहा जाता है, वास्तव में धार्मिक युद्ध नहीं था, इसका दृढ़तम प्रमाण प्राप्त है। इस युद्ध का उद्देश्य वेष्यों को दण्डित करना था, अविश्वासियों को विजित करना नहीं।

सामाजिक धर्म

कर दिया जो निरतर ईसाई राष्ट्रों की धोभित करते आ रहे हैं। अन्य विश्व में स्थापित राज्य का यह नवविचार मूर्तिपूजकों के मस्तिष्क में कभी प्रविष्ट न हो सकने के कारण, वे ईमाइयों को मदा वास्तविक राजद्रोही मानते रहे और यह समझते रहे कि दभी अनुवर्तन के बादरण में यह लोग अपने आपको स्वतन्त्र और वरिष्ठ बनाने का अवमर खोज रहे हैं और चतुरता में उम प्रभुत्व पर बलाधिकार करना चाहते हैं जिसे निर्वलता के कारण वे आदरित करने का वहाना करते हैं। उत्पीड़नों का यही कारण है।

जिस बात का मूर्तिपूजकों को डर या वह वास्तव में घटित हो गयी, तब हर चीज का स्पष्ट बदल गया, नम्र ईमाइयों ने अपनी व्यनि बदल दी, और यीव्र ही यह मिथ्या अन्य विश्व का राज्य इसी विभव में एक प्रत्यक्ष प्रमुख के अधीन उग्रतम अनियथित राज्यक्रम का स्पष्ट धारण कर गया।

परन्तु चूंकि उपर्युक्त राज्य में मदा ही शासनाधिकारी और सामाजिक विधान रहे हैं, इसलिए इस द्विपक्षीय शक्ति के कारण अधिकारक्षेत्र का गाँवत विशेष उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप ईसाई राज्यों में एक किसी उत्तम शासन विधि का सम्यापन अमर्भव हो गया, प्रत्येक व्यक्ति यह समझने में असफल रहा कि उसके लिए राजा का आज्ञापालन करना उचित है अथवा पुरोहित का।

तथापि यूरोप में तथा उमके सभीपस्थ धेनों में भी, अनेक राष्ट्र इस प्राचीन पद्धति को परिरक्षित करने अथवा पुन स्थापित करने के इच्छुक हुए, परन्तु असफल रहे। ईसाइयत का मत्त्व प्रत्येक वस्तु पर आच्छादित हो गया। आध्यात्मिक पूजा मदा भार्वभीमिक सत्ताधिकारी की स्वतन्त्रता को प्रतिवारित अथवा पुन स्थापित करती थी, परन्तु राज्य के निकाय में कोई आवश्यक मवव स्थापित किये विना। मोहम्मद के विचार वहुत स्वस्थ थे, उमने अपने गजनीतिक क्रम को पूर्णस्पैष्ण एकीकृत कर दिया और जब तक उमके उत्तराधिकारी खलीफों के अधीन उमके द्वारा स्थापित शासकीय प्रकार निर्वाहित रहा, शासन विलक्षुल अभग्न और उम दृष्टि में उत्तम रहा। परन्तु अपना, विटान, मुमन्दृत, स्त्रीवत् और आलमी हो जाने के कारण अन्द्र के लोग अमर्भ लोगों द्वारा विजित हो गये और तब दो शक्तियों के बीच विभाजन पुन आम्भ हो गया। यथापि यह विभाजन मुमलमानों में उतना प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता जितना ईमाइयों में, तथापि उनमें भी और विशेषकर अनी के मप्रदाय में यह अत्तर वतंमान है, और ऐसे राज्य वतंमान है, उदाहरणाथं ईरान, जिसमें यह अब भी अवलोकित हो नकता है।

हम लोगों में, ग्रन्थेण्ट के राजाओं ने अपने आपको धर्म का प्रमुख प्रतिष्ठापित कर लिया। जाग ने भी ऐसा ही किया है। परन्तु इस उपाधि द्वारा उन्होंने अपने आपको

धर्म का प्रशासी अधिकारी ही बनाया है, शासक नहीं। धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार अवाप्त नहीं किया है केवल सघृत करने का ही, वे धर्म के विधायक नहीं बन सके, परन्तु धर्म के राजक ही बने। जहाँ कहीं पादड़ी लोग एक निगम स्थापित कर लेते हैं^१ वे अपने देश के स्वामी तथा विधायक होते हैं। इस प्रकार इगलैण्ड और रूस में भी दूसरे देशों के समान दो शक्तियाँ और दो सार्वभौमिक सत्ताधिकारी ही रहे।

सब ईसाई लेखकों में केवल दार्शनिक हौस ही एक ऐसा है जिसने इस दोष का तथा इसके प्रतिकार का प्रत्यक्ष निरूपण किया है और जिसने यह प्रस्ताव करने का साहस किया है कि चील के सिरों को पुन सयुक्त कर देना चाहिये और राजनीतिक एकरूपता को सपूर्णतया पुन स्थापित कर देना चाहिये, क्योंकि इसके बिना कोई राज्य और शासन सुसगठित नहीं हो सकता। परन्तु इस दार्शनिक को देखना चाहिये था कि ईसाइयत का मदोद्रुत सत्त्व उसको पद्धति से असगत है और राज्य की अपेक्षा पुरोहित का हित सदा अधिक प्रबल होनेवाला है। यदि इसका सिद्धान्त अप्रिय हुआ है तो इसके भयानक ओर मिथ्याखड़ों के कारण नहीं बल्कि न्याय और सत्य खड़ों के कारण ही हुआ है^२।

मेरी मान्यता है कि ऐतिहासिक तथ्यों को इस दृष्टिकोण से विकसित करके बेल और वार्वटन के विपरीत मत सुगमता से खड़ित हो सकते हैं। बेल की धारणा है कि कोई धर्म भी राजनीतिक निकाय को लाभप्रद नहीं होता। इसके विपरीत वार्वटन का

१ यह निरूपित करना आवश्यक है कि जो पादडियों को एक निगम में बद्ध करता है वह फ्रास के समान नियमित परिषदों का अस्तित्व नहीं होता परन्तु सम्प्रदायों का सम्पर्क होता है। सम्पर्क और बहिष्कार, ये पादडियों के सामाजिक पाषण हैं और इस पाषण द्वारा वे सदा राजाओं और राष्ट्रों के स्वामी बने रहेंगे। सब पुरोहित जो समान सम्पर्क के हैं सह-नागरिक हैं यद्यपि वे एक दूसरे के इतने दूरस्थ हैं जितने ध्रुव। यह आविष्कार नीति की एक अत्यत्तम रचना है। मूर्तिपूजक पुरोहितों में इसके समान कुछ नहीं था, इनीलिये वे कभी पादडियों का निगम निर्माण नहीं कर सके।

२ अबलोकन हो, दूसरों के मध्य, ग्रोशस के ११ अप्रैल, १९४३ को अपने भाई को लिखे एक पत्र में, कि वह विद्वान मनुष्य De Cive पुस्तक में किस बात का अनु-मोदन करता था और किसको दूषित समझता था। यह सत्य है कि, दयालु प्रवृत्ति होने के कारण, वह लेखक को अच्छाई की बजह से दूषित भाग के लिये क्षमित करता हुआ प्रतीत होता है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इतना दयालु नहीं होता।

दृढ़ मत है कि ईमाइयत राजनीतिक निकाय का प्रबलतम भर्मर्थन होता है। पूर्व लेखक के हितार्थ यह प्रमाणित किया जा सकता है कि कोई गज्य भी उसका आवार धर्म हुए विना प्रस्त्यापित नहीं हो सका है, और द्वितीय लेखक के हितार्थ कि ईसाई विश्वान राज्य के दृढ़ भविवान के लिये लाभप्रद होने की अपेक्षा अधिक अतिप्रद है। मुझे अपने विषय को भर्मज्ञाने में सफल होने के लिये, धर्म के मवध में अति अनिष्टित विचारों को कुछ मुत्त्वता देनी ही पड़ेगी।

भर्माज के मवध में अवलोकित करते हुए, जो भावारण अथवा विगिष्ट होती है धर्म के भी दो प्रकार किये जा सकते हैं—अर्थात् भनुष्य का धर्म अथवा नागरिक का धर्म। प्रथम प्रकार जिसमें न मदिर, न वेदियाँ, न मस्कार होते हैं और जो वरिष्ठ ईच्छर की पूर्णस्पैण आन्तरिक पूजा और शील के आश्रवत दायित्वों तक सीमित होता है, उजील का पवित्र और मरल धर्म है, यह मत्य ईच्छरवाद है जिसे प्राकृतिक ईच्छरीय विद्यान भी कहा जा सकता है। द्वितीय प्रकार जो किसी एक देश में अकित होता है, उस देश को उसके देवता और विगिष्ट और समृद्धिदायक भरक्षक प्रदान करता है, उसके मिडान्त होते हैं, मस्कार होते हैं और विद्यानों द्वारा स्थापित वाह्य पूजा होती है, उस एकल राष्ट्र के अतिरिक्त जो उसका पालन करता है, इसकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु नास्तिक, विदेशी और असम्य होती है, उसके अन्तर्गत मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकार के बल इसकी वेदियों तक ही सीमित होते हैं। आद्य राष्ट्रों के वर्म जिन्हें ईच्छरीय, सामाजिक अयवा यवार्य विधान कहा जाता है, सब इसी प्रकार के थे।

एक तीमरे प्रकार का, और अधिक अतिशय स्पी, धर्म भी है, जो मनुष्यों को दो विद्यानों दी श्रेणिया, दो राजक और दो देश देने के कारण उन पर विरोधाभासी दायित्व जारीरपित करता है और माय ही उन्हें धार्मिक मनुष्य और नागरिक बनने में निवारित करता है। यह लामा लोगों का धर्म है, यह जापानियों का धर्म है, और यह गैमन ईमाइयन का धर्म है। इन प्रकार को पुरोहित का धर्म भी कहा जा सकता है। उसके परिणामस्वरूप एक सम्मिश्रित प्रकार का विधान उत्पादित होता है जिसका कोई नाम ही नहीं है।

गजनीनिका दृष्टि में अवलोकित करने पर इन तीनों प्रकारों के धर्मों में दोष पाये जाते हैं। नीमन तो प्रत्यधन इतना दोषी है कि उसका प्रमाण देने के लिये उतना भयों का ध्यानाश्र होगा। जो भामाजिक गत्ता को विनष्ट बनाता है वह भवेता दोषी है। वे भव भव्याएं जो मनुष्य को अपने प्रति प्रतिगोगव्यामें स्थापित करती हैं, गुणहीन हैं।

दूसरा उस सीमातक अच्छा है जिस सीमा तक वह ईश्वरीय पूजा को विधानों के प्रेम से मम्मिलित करता है और देश को नागरिकों की भक्ति का केन्द्र बनाकर उन्हे यह शिक्षा देता है कि राज्य की सेवा शासक देवता की सेवा है। यह ईश्वरवाद का एक प्रकार है जिसमें शासनाधिकारी के अतिरिक्त कोई प्रधान पादड़ी नहीं होता और दडाधिकारियों के अतिरिक्त कोई पुरोहित नहीं होता। देश के लिये मरना शहीद की मौत मरना समझा जाता है, विधानों का उल्लंघन करना भ्रष्ट कार्य माना जाता है और किसी अपराधी मनुष्य को सार्वजनिक घृणा द्वारा दफ्तित किया जाना उसको देवताओं के कोप को समर्पण किया जाना माना जाता है—“इसे पतित होने दो।”

परन्तु यह प्रकार दोषी भी है क्योंकि विभ्रम और मिथ्यात्व पर आधारित होने के कारण यह मनुष्यों को वचित करता है, उन्हे अन्ध-विश्वासी और असत्यधर्मी बना देता है, और ईश्वर की सत्य पूजा को निरर्थक अनुष्ठानों द्वारा अस्पष्ट कर देता है। अपरच यह तब दोषी होता है जब अपवर्जी और अत्याचारी होकर यह राष्ट्र को क्रूर और असहिष्णु बना देता है, ताकि राष्ट्र वध और सहार के अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्यासा नहीं रहता, और यह मानने लग जाता है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो इसके देवताओं को स्वीकार नहीं करता, मारने से यह पवित्र कार्य संपादित कर रहा है। इस प्रकार यह राष्ट्र को अन्य समस्त राष्ट्रों के प्रति स्वाभाविक युद्ध-स्थिति में संस्थापित कर देता है, जो राष्ट्र की अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत प्रतिक्ल होती है।

इस प्रकार केवल मनुष्य का धर्म अथवा ईसाइयत वचता है, वर्तमान की ईसाइयत नहीं, परन्तु इजील की ईसाइयत जो वर्तमान के धर्म से विलकुल विभिन्न है। इस पावन, उन्नत और पवित्र धर्म से मनुष्य जो एक ही ईश्वर के बच्चे है, एक दूसरे को अपने भाई मानते हैं और जो सामाजिक वध उन्हे मयुक्त करता है, मृत्यु पर भी लुप्त नहीं होता।

परन्तु यह वर्म राजनातिक निकाय में कोई विशिष्ट मवध न रखने के कारण विधानों को केवल उस बल के सहारे छोट देता है जो वे स्वत प्राप्त करते हैं, अन्य कोई बल उनमें युक्त नहीं होता, और इस कारण उम विशिष्ट समाज का एक महान् वध प्रभावहीन रह जाता है। इससे भी अधिक, नागरिकों के हृदय को राज्य से अनुरक्त बर्ने की जरूरत यह उन्हे राज्य से और मव सामारिक वस्तुओं में विरक्त कर देता है, सामाजिक मत्व के इसमें अधिक विपरीत वस्तु का मुझे जान नहीं है।

कहा जाता है कि वास्तविक ईसाइयों का राष्ट्र संपूर्णतम चित्य समाज का निर्माता होगा। इस कल्पना में मुझे केवल एक महान् कठिनाई लगती है, वह यह कि वास्तविक ईसाइयों का समाज मनुष्यों का समाज न रह पायगा।

मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यह कल्पित समाज मध्यूर्ण होते हुए भी न प्रबल्लतम होगा और न स्थायीतम। मध्यूर्ण होने के कारण ही इसमें मलाग का अभाव होगा, वास्तव में इसकी पूर्णता ही इसका विनाशकारी दोष होगा।

प्रत्येक मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करेगा, लोग विद्यानों का अनुसरण करेगे, प्रमुख मनुष्य न्यायमगन और अनतिगामी होंगे, दडाविकारी ईमानदार और अगोधनीय होंगे, मैनिक भूत्यु का तिग्म्कार करेगे, अभिमान और विलामिता का अभाव होगा। यह सब बहुत उत्तम है, परन्तु जरा आगे देखिये।

ईसाइयत मध्यूर्णतया एक आव्यातिक धर्म है जिसका समस्त भवध स्वर्गीय वस्तुओं में है, ईसाइयों का देश इस समार का नहीं होता। यह मत्य है कि ईमाई अपना कर्तव्य पालन करता है, परन्तु अपने प्रयत्नों की सफलता अथवा विफलता के प्रति गभीर उदासीनता के माथ। जब तक वह कोई निन्दनीय कार्य नहीं करता, उसे इसकी कर्तव्यता नहीं कि इस समार में भलाई है अथवा वुगर्ड। यदि राज्य समृद्ध होता है तो सार्वजनिक मोद का उपभोग करने का वह माहस नहीं कर सकता है, अपने देश की प्रभिद्वि में गर्वित होने में वह डरता है, यदि गज्य अवनत हो जाय तो भी वह ईश्वर के हस्त का, जो उसके लोगों पर कठोरता से पटता है, गुणगान ही करता है।

समाज को शान्तिपूर्ण बनाने और सञ्चालन सम्यापित करने के लिये, यह आवश्यक होता है कि विना अपवाद सब नागरिक समानस्प में उनम ईमाई हो। परन्तु यदि दुर्भाग्य में एक भी मनुष्य आकाशी हो जाय, पावर्टी हो जाय, उदाहरणार्थ कैटीलीन या श्रीमबेल भमान हो जाय, तो नियिचत स्प में ऐसा मनुष्य अपने धार्मिक देश-वासियों की अपेक्षा अधिक प्रलाभ प्राप्त कर लेगा। ईमाई दयालुना मनुष्यों को शोध्रतया अपने पटोसियों के अद्वित चित्तन की आज्ञा नहीं देती। ज्योही चतुर्गर्ड में कोई मनुष्य उनको वचित करने और स्वत सार्वजनिक प्रभन्व का भाग अवास्थ करने को दला प्राप्त कर लेना है, वह गौन्च भे विनियोजित हो जाना है, ईश्वर की यह उच्छ्वा हो जानी है कि वह आदर्श हो जाय, शोध्र ही वह स्वामिन्व धारण करने लग जाना है, ईश्वर की उच्छ्वा होती है कि उनका आज्ञानुपालन हो। इन शक्ति का निकेपक यदि उसका उच्छ्वयोग करने लगे, तो वह एक गेमी छढ़ी मानी जानी है जिसके द्वारा ईश्वर

अपने बच्चों को दफ्तित कर रहा है। वलाधिकारी को निष्कासित करने में लोगों को सशय होगा, ऐसा करने के लिये सार्वजनिक शान्ति को क्षुब्ध करना, हिसा का प्रयोग करना और रक्त का बहाना आवश्यक होगा। यह सब कुछ ईसाई विजय के अनुरूप नहीं, और अत मे क्या यह बहुत महत्व की बात है कि लोग इन सतापों के दर्दे मे स्वतन्त्र हैं अथवा दास? महत्वपूर्ण वस्तु तो स्वर्ग को प्राप्त करना है, और त्याग-भावना उस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र सावन है।

कोई विदेशी युद्ध आरभ हो जाता है। नागरिक विना अनुकूलता के युद्ध मे भाग लेने को प्रस्थान करते हैं, कोई प्लवन की नहीं सोचता, वे अपना कर्तव्य पालन करते हैं, परन्तु विजय की तीव्र अभिलाषा के बिना, वे विजय करने की अपेक्षा मरना अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। यह कौन-सी महत्व की बात है कि वे विजेता हैं अथवा विजित? क्या परमेश्वर अधिक अच्छी तरह नहीं जानता कि उनके लिये क्या आवश्यक है? सोचिये तो सही कि एक साहसी, तीव्र और उत्साही शत्रु इस निस्पृह उदासीनता से क्या प्रलाभ न उठायेगा। इनके विवर ऐसे अभिजात राष्ट्रों को स्थिर कीजिये जो कीति और देश के उग्र प्रेम से उत्तेजित हुए हैं, ईसाई गणराज्य को स्पार्टा अथवा रोम के विरोध में कल्पित कीजिये। अपने आपको एकत्रित करने का समय प्राप्त करने के पूर्व ही धार्मिक ईसाई पराजित, दलित और विनष्ट हो जायेगे, अथवा उनकी सुरक्षा केवल शत्रुओं की उनके प्रति घृणा के परिणामस्वरूप ही हो सकेगी। मेरे विचार में फेवियस के सैनिकों की शपथ बहुत उत्कृष्ट थी, वे मरने अथवा विजय प्राप्त करने की शपथ नहीं लेते थे, वे विजितों के रूप में वापिस न होने की शपथ लेते थे और अपनी शपथ को निवाहते थे। ईसाई कभी ऐसा नहीं कर सकते, उनकी तो यह वारणा होती है कि ऐसी शपथ लेकर वे ईश्वर के क्रोध को आकर्पित कर रहे हैं।

परन्तु मैं ईसाई गणराज्य की बात करके गलती करता हूँ, यह दोनों शब्द परस्पर मे अपवर्जी हैं। ईसाईयत केवल सेवाभाव और अधीनता का उपदेश करती है। अत्याचार के लिये यह सत्त्व इतना अनुकूल है कि मह हो नहीं सकता कि अत्याचार सदा इसका लाभ न उठाये। वास्तविक ईसाई दास बनने के योग्य हैं, उन्हें इसका ज्ञान है और इसमे उत्तेजित नहीं होते, उनकी दृष्टि मे इस क्षीण जीवन का क्षुद्रतम महत्व है।

कहा जाता है कि ईमाई मेनाएँ बहुत श्रेष्ठ हैं। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। कोई मुझे श्रेष्ठ ईमाई सेना दिखाये। जहाँ तक मेरी बात है मैं तो किसी ईमाई सेना का अस्तित्व भी नहीं जानता। लोग मेरे समक्ष धर्मयुद्धों का प्रोद्धरण करेंगे। धर्मयोद्धाओं

के माहस पर गका किये विना, मैं यह कहूँगा कि ईसाई होने की अपेक्षा वे पुरोहित के मैनिक थे, धार्मिक सत्या के नागरिक थे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक देश के लिये युद्ध किया, जिसे धार्मिक सत्या ने किसी प्रकार सासारिक बना दिया था। वास्तव में यह तो मूर्तिपूजा की ओर प्रवृत्त करता है, क्योंकि इजील ने कोई राष्ट्रीय धर्म स्थापित नहीं किया, इसलिये ईसाइयों में धार्मिक युद्ध अमर्भव है।

मूर्तिपूजक मध्याटो के अधीन ईसाई सैनिक अवश्य वहांदुर थे, सब ईसाई लेखक इसकी पुष्टि करते हैं और मैं भी इसे मानता हूँ। मूर्तिपूजक सेनाओं के विरुद्ध सन्मान की स्पर्द्धा थी। जब सम्राट् ईसाई हो गये तो यह स्पर्द्धा निर्वाहित न रही; और जब टिकटी ने चौल को निष्कासित कर दिया, तो समस्त रोमी भाहम विलुप्त हो गया।

परन्तु राजनीतिक विचारों को उत्पादित करते हुए हमें अधिकार के विषय पर वापिस जाना चाहिये और इस महत्वपूर्ण विषय के मिद्दात्त का निष्पण करना चाहिये। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अधिकार नामाजिक पापण द्वारा मार्वभौम सत्ताविकारी को अपनी प्रजा पर प्राप्त होते हैं वे मार्वजनिक उपयोगिता की मीमांसा के परे नहीं होते। उस देश को छोड़कर जब प्रजा का मत समाज के लिये महत्वपूर्ण होता है, प्रजा सार्वभौमिक सत्ताविकारी को अपने मत से अवगत कराने को बाध्य नहीं होती। परन्तु गज्य के लिये यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक का एक धर्म हो जिसमें वह अपनी कर्तव्य पूर्ति में मतोप्राप्ति कर सके। परन्तु अतिनिक्षित उस परिस्थिति के जहाँ उस धर्म के निद्वात उस गोल अथवा उन कर्तव्यों पर प्रभाव डालते हों जो इस धर्म का अनुयायी अन्यों के प्रति पालन करने को बाध्य होता है, इस धर्म के मिद्दात न गज्य से और न नदम्यों ने सबव रखने हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुभार

१. माधिवन दार्गत्तो कहता है कि समधिराज्य में प्रत्येक व्यक्ति वह करने को जिससे वह अन्य को खति नहीं पहुँचाता सपूर्णतया स्वतंत्र होता है।” यह अपरिवर्तनीय मर्यादा होती है, इसका निष्पण अधिक निश्चित रूप में नहीं किया जा सकता। इस पाड़ुलिपि से फूर्ही कहीं उद्धरण लेने के लोद से मैं अपने आपको निर्वत्ति नहीं कर सका हूँ, हालांकि इस पाड़ुलिपि का लोगों को ज्ञान नहीं है, यह मैंने इसलिये किया है कि एक प्रतिद्वं और नम्माननीय मनुष्य को स्मृति को आदरित किया जा सके जिसने पदाधिकारी होते हुए भी एक नत्य नागरिक के हृदय को सरकित रखा और निज शासन के प्रति न्याय और स्वस्य मतों को तज्ज्वल किया।

रखते हैं अथवा नहीं, कि किसी सूत्रसमूह को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं, और किसी धर्म में अधिक भक्ति रखते हैं अथवा न्यून, लोगों का विवाह सपने करने अथवा न करने का विकल्प प्राप्त होने के कारण, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि केवल धर्मसत्या ही चतुरता से आचरण करके, और सुवृद्ध रहकर दायें, पर्दों, नागरिकों और स्वतं राज्य को जो केवल विजातो द्वारा सघटित होकर निर्वाहित नहीं रह सकता, विनियोजित करने की अधिकारी बन जायगी ? परन्तु यह कहा जाता है कि मनुष्य दोषों के विरुद्ध अभ्यवाहन कर सकेंगे, वे आहूत करेंगे, प्रादेश प्रसारित करेंगे, और सासारिक लाभों को अर्जित करेंगे । कितना दयनीय है । पादब्दी लोग चाहे उनमें, मैं साहस की नहीं कहता हूँ परन्तु सुचेतना की, कितनी ही कमी क्यों न हो, ऐसा होने वेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे, वे शान्तिपूर्वक अभ्यवाहन, स्थगन, प्रादेशन और ग्रसन होने वेंगे और अत में स्वामी रहेंगे । मेरी मान्यता है कि एक अशा को परित्यक्त करने में कोई बलिदान नहीं होता जब कि व्येष्ठि को संपूर्ण का प्रधारण प्राप्त करने की निश्चितता हो ।

परिच्छेद ९

परिणाम

राजनीतिक अधिकारों के सत्य सिद्धान्तों को निरुपित करने और राज्य को अपने आधारों पर स्थापित करने के प्रयत्नों के पश्चात् इसे केवल बाह्य सवधों में मुदृढ़ करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे बाह्य सवधों में राष्ट्रों के विधान, व्यापार, युद्ध तथा विजय के अधिकार, भार्वजनिक अधिकार, सम्मेनियाँ, परकामण, और सविर्याँ इत्यादि निहित होती हैं। परन्तु यह सब एक नवीन विषय से सवधित है जो मेरे सीमित क्षेत्र के लिये अति विस्तृत है, मुझे तो और अधिक मकुचित क्षेत्र में अपने आपको सीमित रखना चाहिये था।

परिच्छेद ९

परिणाम

राजनीतिक अधिकारों के सत्य सिद्धान्तों को निरूपित करने और राज्य को अपने आधारों पर स्थापित करने के प्रयत्नों के पश्चात् इसे केवल वाह्य सवधों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे वाह्य सवधों में राष्ट्रों के विधान, व्यापार, युद्ध तथा विजय के अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, समैत्रियाँ, परक्रामण, और सवियाँ इत्यादि निहित होती हैं। परन्तु यह सब एक नवीन विपय से सवधित हैं जो मेरे सीमित क्षेत्र के लिये अति विस्तृत है, मुझे तो और अधिक सकुचित क्षेत्र में अपने आपको सीमित रखना चाहिये था।